पंचम माला, खंड 30, अंक 11 — सोमवार, 6 अगस्त, 1973/15 श्रावण, 1895 (शक)

Fifth Series, Vol. XXX, No. 11 — Monday, August 6, 1973/Sravana 15, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र / Eighth Session]

Preservation Unit
Fumigated 24-8-92
Library

[खंड 30 में अंक 11 से 20 तक है / Vol. XXX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

28 LSS/73—1

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 11, सोमवार, 6 अगस्त 1973/15 श्रावण, 1895 (शक)

No. 11, Monday, August 6, 1973/Sravana 15, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		पृष्ठ PAGES
202 मोटे अनाज का थोक व्यापार	Whole Sale Trade in Coarse Grains	1
204 शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling on Urban Property . .	4
206 कृषि मंडियाँ	Krishi Mandis	7
210 खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रमों में कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि अनुसंधान संस्थानों का सहयोग	Association of Agricultural Universities and Research Institutes with Food Production Programmes .	8
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**RITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
201 भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण और प्रबंध की आलोचना	Criticism of Working and Management of FCI	24
203 राज्यों में आहार संबंधी स्वभाव का सर्वेक्षण	Survey of Food Habits in States .	25
205 मधुमेह-रोधी औषधि	Anti diabetic Drug . .	26
207 दिल्ली में वायुदूषण	Air Pollution in Delhi . . .	26
208 अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) से ऋण	Credit from International Development Association	26
209 गुजरात में पीपावव और सलाया का सीधे घाट लगाने वाले पत्तन के रूप में विकास . .	Development of Pipavav and Salaya in Gujarat as Direct Berthing Port .	27
211 उड़ीसा में भूखे रहने के कारण हुई मौतें	Starvation Deaths in Orissa .	27

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
212	नई दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ियां	Jhuggi Jhonpris in New Delhi	27
213	कनाट प्लेस, नई दिल्ली में सुपर बाजार	Super Bazar in Connaught Place, New Delhi	28
214	वनस्पति का उत्पादन	Manufacture of Vanaspati . .	29
215	मंगलौर हार्बर	Mangalore Harbour . . .	29
216	खाद्यान्न की वसूली	Procurement of Foodgrains . .	29
217	भूमि की अधिकतम सीमा लागू होने के बाद भूमि प्राप्त करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to farmers getting land after imposition of ceiling on Land	30
218	ग्रामों के विकास और कमांड क्षेत्र के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग का प्रतिवेदन	Report of National Commission on Agriculture on Development of Villages and Command Areas . .	30
219	पशुओं और घोड़ों के लिए चरागाह	Land for Cattle and Horse Grazing	31
220	"वायर पुलिंग बिहाइंड एडमीशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item captioned "Wirepulling Behind Admission"	31
अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			
2001	गर्भ चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1972 के लागू होने के पश्चात् गर्भपात के मामले	Cases of abortion since the implementation of Medical Termination of Pregnancies Act, 1972 . .	32
2002	देश में अनाज की जमाखोरी तथा चोरबाजारी	Hoarding and Blackmarketing of Foodgrains in the country . . .	32
2003	पी० एल० 480 के अंतर्गत अनाज की खरीद	Purchase of Foodgrains under PL 480	33
2004	दिल्ली के स्कूलों के ड्राइंग के अध्यापकों के वेतनमान	Drawing Teachers Grade in Delhi Schools	33
2005	राजकीय माध्यमिक कला शिक्षक संघ, दिल्ली द्वारा मांग	Demand by Rajkeeya Madhyamik Kala Shikshak Sangh, Delhi . .	34
2006	राज्यों में निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा	Free Secondary Education in States .	34

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2007	जहाज बनाने के लिये प्रशिक्षण देने के बारे में कोचीन विश्वविद्यालय के सुझाव	Suggestio n by Cochin University for training in Ship Building . . .	35
2008	गुजरात कृषि उद्योग निगम द्वारा निर्यात हेतु खली की खरीद	Purchase of Oil Cakes by Gujarat Agro Industries for Export . . .	35
2009	खाद्यान्नों की तस्करी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में फ्लाइंग स्क्वैड	Flying Squads in Uttar Pradesh to Check Smuggling in Foodgrains .	36
2010	निर्धारित मूल्य पर गेहूं के न मिलने के बारे में प्राप्त शिकायतें	Complaints received regarding non-availability of wheat at fixed rate .	36
2011	भारत सरकार द्वारा विदेशों में चलाई जा रही शैक्षणिक संस्थाएं	Educational Institutions in foreign countries run by Government of India .	36
2012	प्रत्येक चीनी कारखाने की प्रतिदिन, प्रति मौसम की अधिष्ठापित क्षमता तथा उनके द्वारा की जाने वाली वास्तविक पेराई	Rated capacity per day per season and actual crushing done by each sugar factory	37
2013	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का पूर्ण-कालिक निदेशक	Full time Director of Rashtriya Sanskrit Sansthan	37
2014	कुमकुम कम्युनिटी वैलफेयर सेंटर सोसाइटी, नई दिल्ली	Kumkum Community Welfare Society, New Delhi	37
2015	राज्यों में परिवार नियोजन कार्य-क्रम के अंतर्गत जन्म दर की कमी	Reduction of birth rate under Family Planning Programme in States . .	38
2016	उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास खंडों के कार्यकलापों के बारे में जांच	Enquiry into working of Community Development Blocks in Uttar Pradesh	39
2017	भारत में जहाजरानी के विकास और शिपयार्ड बनाने में भारत और युगोस्लाविया के बीच सहयोग के लिए करार	Agreement between India and Yugoslavia for collaboration in Development of Shipping and Construction of Shipyard in India . . .	39
2018	न्यू मोती नगर, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई की अवधि	Duration of Water Supply in New Moti Nagar, New Delhi . .	39
2019	दिल्ली में स्कूटर चालकों द्वारा ज्यादा किराया लिया जाना	Charging Higher Fare by Scooter Drivers in Delhi	40

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2020	उर्वरक तथा खाद की कमी	Shortage of Fertilizers and Manures	41
2021	गत दो वर्षों के दौरान उर्वरकों के आयात में वृद्धि	Increase in Import of Fertilisers during the last two years	41
2022	त्रिपुरा में राहत कार्य	Relief Operations in Tripura . .	42
2023	कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथारिटी, कलकत्ता मेट्रोपोलिटन प्लानिंग आर्गेनाइज़ेशन, मेट्रोपोलिटन वाटर एण्ड सेनीटेरी अथारिटी, हावड़ा और कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के कार्यों में समन्वय का अभाव	Lack of Coordination among Calcutta Metropolitan Development Authority, C.M.P.O., Metropolitan Water and Sanitary Authority, Howrah and Calcutta Improvement Trusts	42
2024	बाबतपुर हवाई अड्डे पर गृह निर्माण कार्य	Housing Construction Work at Babatpur Airport	43
2025	भारतीय वस्तुओं का स्वेज तथा अलेक्जैन्ड्रिया के बीच लैंड ब्रिज से ले जाया जाना	Transhipment of Indian Goods through a land Bridge between Suez and Alexandria	43
2027	मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी पर खलघाट में एक नये पुल के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति	Approval of Central Government for construction of new bridge in Khal Ghat over river Narmada (M.P.)	43
2028	हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पानी का जमा हो जाना	Water logging in Haryana, Punjab and Rajasthan	44
2029	गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल, किशनगंज रेलवे कालोनी में बिजली लगाया जाना	Electrification of Government Girls Middle School, Kishanganj Railway Colony	44
2031	पारादीप पत्तन को समुद्री कटाव से सुरक्षित रखने के लिये एक लंबी दीवार का बनाया जाना	Setting up of a long wall for protection of Paradip Port from Sea Erosion	45
2032	बहराइच में बस डिपो बनाया जाना	Setting up of a Bus depot at Bahraich	45
2033	जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) में कत्था तैयार किया जाना	Preparation of Katha in Bahraich District (U.P.)	45
2035	दिल्ली में उपेक्षित तथा अपराधी प्रवृति वाले बच्चों के लिये शिशु-गृह से भाग निकलने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि	Increase in number of escaped from Home for neglected and delinquent children, Delhi	46

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2036	स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था	Provision for free education to Children of Freedom Fighters . .	46
2037	तमिलनाडु द्वारा त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार न करना	Non acceptance of three language formula by Tamil Nadu . . .	47
2938	बिना टेंडर मांगे मिल्क वैण्डिग मशीनों का आयात	Import of milk vending machines without tender	47
2039	स्वर्गीय विट्ठलभाई पटेल की जन्म शताब्दी मनाया जाना	Celebration of Birth Centenary of Late Shri Vithalbhai Patel . .	48
2040	रूस को गये भारतीय विद्यार्थियों तथा भारत में आये रूस के विद्यार्थियों पर खर्च की गई धनराशि	Amount spent on Indian Students to Russia and Russian Students to India	48
2041	अपंग व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centres to provide employment to disabled persons . .	49
2042	बैपटिस्ट मिशन प्रैस, कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Baptist Mission Press, Calcutta	50
2043	वाईनाड, केरल में बाघों को सुरक्षित रखने के लिये योजना	Scheme to protect Tiger in Wynad, Kerala	50
2044	कृषि, पशुपालन और डेरी फार्मों को राजसहायता देने की कसौटी	Criteria for Subsidy to Agriculture, Animal Husbandry and Dairying	50
2045	रायगाड़, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के राज्यभिषेक के 300वें वार्षिक समारोह में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा भाग लेना	Participation of Department of Archaeology in 300th Coronation Anniversary Celebrations of Chhatrapati Shivaji at Raigad in Maharashtra	51
2046	वर्ष 1972-73 में चीनी का उत्पादन, निर्यात तथा विक्रय-मूल्य	Sugar produced, Exported and selling price during 1972-73 . . .	51
2047	दुर्ग जिले के सीमांत किसानों के लिये योजना की प्रगति	Progress of Scheme for Marginal Farmers of Durg District . .	52
2048	वर्ष 1972-73 में गुजरात को सप्लाई किया गया आयातित उर्वरक	Supply of Imported Fertilizer to Gujarat Government during 1972-73	52
2049	तिलहन, तेल और सोयाबीन के आयात के लिए आवश्यकता का अनुमान	Assessment of the requirement for the Import of Oil Seeds, Oil and Soyabean	52

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2050	स्कूल-पूर्व की आयु के शिशुओं के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित पोषाहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन	Implementation of Centrally sponsored Nutrition programme for pre-school Children	53
2051	देश में गंदी बस्तियों के निवासी	Slum Dwellers in the country .	54
2052	वर्ष 1972-73 और 1973-74 में खाद्य तेलों का आयात	Import of Edible oil during 1972-73 and 1973-74	54
2053	कृषि पोलिटैकनिकों के स्थान	Location of Polytechnics on Agriculture	54
2054	पांचवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्रीय सड़कों संबंधी उप-दल की रिपोर्ट	Report of Sub Group on Central Sector Roads in Fifth Plan . . .	54
2055	मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए हरिजन और आदिवासी छात्रों के लिए रक्षित कोटा	Reserved quota for Harijans and Tribal Students in Admission to Medical Colleges	55
2056	शिशुओं के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम लागू करने के लिए समिति	Committee for implementation of special Nutrition programme for Children	55
2057	शराब के लिये लाइसेंस जारी किये जाने के बारे में राज्यों को आदेश	Instructions to States regarding issue of Liquor Licences . . .	56
2058	उत्तरी राज्यों में सहकारिता आंदोलन का विकास	Development of Cooperative movement in Northern States . .	56
2059	शिशु कल्याण सेवा का समेकित कार्यक्रम	Integrated Child care Service Programme	57
2060	खाद्यान्नों की काश्त के अंतर्गत भूमि	Area of land under Cultivation of Foodgrains	57
2061	संस्कृत भाषा का विकास	Development of Sanskrit Language	58
2062	आदिवासी, मुस्लिम और ईसाई संस्थाओं को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Tribal, Muslim and Christian Institutions . .	58
2063	पांचवीं योजना के दौरान गुजरात राज्य में शिपयार्ड की स्थापना	Establishment of Shipyards during Fifth Plan in Gujarat State . .	59
2064	भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में हड़तालों पर लगाया गया प्रतिबंध	Strikes banned in Food Corporation of India under Defence of India Rules .	59

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2065	फसलों को प्रतिकूल मौसम से बचाने के लिये पांचवीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बनाया गया नया अनुसंधान कार्यक्रम	New Research Programme by ICAR to save crops from unfavourable weather during Fifth Plan . .	60
2067	महानगरों में आवासीय स्थान पर राशन	Rationing on the Housing Space in Metropolitan Cities . . .	60
2068	उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में मार्डन बेकरीज की यूनिट स्थापित करना	Setting up of Unit of Modern Bakeries in Faizabad Division of U.P.	61
2069	उत्तर प्रदेश में अध्यापिकाएं	Lady School Teachers in Uttar Pradesh	61
2070	समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन स्थित परियोजनाओं पर खर्च की गई धन-राशि	Amount spent on Projects in Faizabad Division of U.P. by Social Welfare Department	61
2071	खरीफ की फसल के लिये उर्वरकों की कमी	Shortage of Fertilisers for Kharif Crop	62
2073	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवास परियोजनाओं के लिए धनराशि का नियतन	Allocation of Funds for housing projects by D.D.A.	62
2074	झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के लिए वैकल्पिक आवास	Alternative Accommodation to Jhuggi Jhonpri Dwellers . . .	63
2075	दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों में बिजली-पानी की व्यवस्था	Provision of water and electricity in Jhuggi Jhonpri colonies in Delhi .	63
2076	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक प्लाटों का आवंटन	Allotment of Industrial plots by D.D.A.	64
2077	वनस्पति की सप्लाई की राज्यवार स्थिति	Supply position of Vanaspati Statewise	65
2078	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	Banaras Hindu University . .	65
2079	आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्धन कार्य में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना	Financial Assistance to voluntary Associations Engaged in promotion of Modern Indian Languages . .	66

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2080	अनौपचारिक शिक्षा संबंधी केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Central Advisory Board of Education on Informal Education	67
2081	पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा समस्या संबंधी समिति	Committee on Educational Problems in Hill Areas	69
2082	पांचवीं योजना के दौरान बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम	Nutrition programme for children during Fifth Plan	70
2083	छोटे पत्तनों की विकास योजनाएं	Schemes for Development of Minor Ports	71
2084	चीनी के प्राइवेट थोक व्यापारियों के स्थान पर सरकारी एजेंसियां नियुक्त करने का निर्णय	Decision to replace private Wholesale Dealers in Sugar by Public Agencies.	71
2085	'पुलिस पोस्टेड ऐज ए० एम० यू० श्रोपन्स टुडे' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार	News item captioned Police posted as A.M.U. opens today . . .	72
2086	दिल्ली विश्वविद्यालय के दूसरे कैम्पस के लिए भवन	Buildings for second Campus for Delhi University	72
2087	सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट ऊपरी पुल	Fly over near Safdarjang Airport	72
2088	जम्मू और काश्मीर में खाद्य राज सहायता की लागत में लगातार वृद्धि	Steady Rising Cost of Food Subsidy in J. and K.	73
2089	डा० रोजर दशेन का भारत का दौरा	Visit of Dr. Roger Dashen to India	74
2090	मुंज्जा (कीड़ा) के कारण धान की फसल तबाह हो जाना	Destruction of Paddy Crop due to Munja (Insect)	74
2091	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी क्षेत्रों के समेकित विकास के लिये परियोजनाएं	Projects for Integrated Development of Tribal Areas during Fifth Plan .	75
2092	तिलहन का उत्पादन	Production of Oilseeds . .	75
2093	दिल्ली में सेन्ट्रल स्कूल में बस/परिवहन सुविधाएं	Bus/Transport Facilities in Central Schools at Delhi	76
2094	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध करने के लिये द्रुत कार्यक्रम	Crash programme for providing potable water in Drought Affected Areas	78

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2095	महाराष्ट्र में खाद्यान्न की कमी	Food Scarcity in Maharashtra .	79
2096	भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिम बंगाल को विषैले अगर्टे युक्त गेहूं की सप्लाई	Supply of poisonous Ergot mixed wheat to West Bengal by FCI . . .	80
2097	त्रिपुरा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में व्यय की गई धनराशि	Amount disbursed in Affected Areas of Tripura	80
2098	स्थान बदल बदल कर खेती करने में सुधार करने के तरीके	Techniques to improve shifting Cultivation	80
2099	त्रिपुरा में खाद्य उत्पादन पर सूखे का प्रभाव	Effect of drought on Food production in Tripura	81
2100	त्रिपुरा की टीला भूमि पर खेती करने की उपयुक्तता के बारे में सर्वेक्षण	Survey about suitability of crop for cultivation on Tilla Land in Tripura	81
2101	नेपाल में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना	Establishment of Central School in Nepal	81
2102	दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University in Delhi .	82
2103	नकली दवाओं का निर्माण और उनकी बिक्री	Manufacture and sale of Spurious Drugs	82
2104	शिशु आहार में मिलावट के मामले	Cases of adulteration in Baby Food	83
2105	लू के शिकार व्यक्ति	Victims of Sun Stroke . . .	84
2107	विदेश भेजे गये सांस्कृतिक शिष्ट-मण्डल और मंडलियां	Cultural Delegations and Troupes sent Abroad	84
2108	खाद्य तेलों का आयात करने में विलंब	Delay in Importing Edible Oils .	85
2109	अनाज का आयात	Import of Food Grains . . .	85
2110	पूर्वी भारत में जूट की भारी फसल	Bumper jute crop in Eastern India	86
2111	रबी की फसल से किसानों द्वारा रोक रखे गये गेहूं के स्टाक की मात्रा	Quantity of wheat Stocks held back by Farmers from Rabi Crop . .	86

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2112	फैडरेशन आफ आल इंडिया ग्रेन डीलर्स एसोसियेशन के महासचिव द्वारा गेहूं के बारे में प्रस्ताव	Offer of wheat by General Secretary of Federation of All India Grain Dealers Association	87
2113	भारतीय खाद्य निगम के प्रशासन व्यय में वृद्धि	Increase in Establishment Cost of Food Corporation of India . . .	87
2115	उत्पादन, विपणन, परिकरण और भंडारण में संलग्न सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Co-operatives Engaged in Production, Marketing, Processing and Storage . . .	88
2116	कनाडा के गेहूं की शीघ्र सप्लाई करने के लिए प्रधान मंत्री की कनाडा के प्रधानमंत्री से अनुरोध	P.Ms request to Canadian P.M. for Urgent Supply of Canadian Wheat .	88
2117	खाद्य पदार्थों के विक्रय-मूल्यों के लिये राज्य सहायता	Subsidy on issue prices of food . .	89
2118	बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करना	Declaration of Some prats of Bihar, Maharashtra, Rajasthan, and Uttar Pradesh as Famine Affected Areas .	89
2119	चैकोस्लोवाकिया से आयातित उर्वरक की बोरियों में दोनेदार मिट्टी का पाया जाना	Presence of Granulated Mud in Bags of Fertiliser Imported from Czechoslovakia	90
2120	त्रिपुरा में नल कूप कार्यक्रम के लिये खरीदे गये रिग	Rig purchased for Tube Well Programme in Tripura	90
2121	त्रिपुरा में 1973–74 के दौरान रोजगारोन्मुख द्रुत विकास कार्यक्रम	Crash Programme for Job Oriented Development Work in Tripura During 1973-74	91
2122	उचित दर की दुकानों तथा बाजार में खाद्य-तेलों के मूल्य	Price of Edible Oils at Fair Price Shops and in Market . . .	92
2123	ग्रामीण डाक्टरों संबंधी योजना	Rulral Doctors' Scheme . . .	92
2124	राष्ट्रीय राजपथों को चौड़ा करने तथा उन पर बनी पुलियाओं तथा पुलों का पुनर्निर्माण	Programme for widening of National Highways and Reconstruction of Culverts and Bridges thereon . .	93
2125	मूंगफली की टिकिया का निर्यात तथा स्थानीय उपलब्धता पर इसका प्रभाव	Export of Ground Nut-Cake and its effecton Local Availability . .	93

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2126	अधिकाधिक लोगों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार	Extension of Health Insurance Scheme to Larger Sections of the Population	94
2127	ललित कलाओं, संगीत, नाटक और संस्कृति की उन्नति के लिये कार्यरत संस्थायें	Institutions Devoted to promotion of Fine Arts, Music, Drama and Culture	94
2128	मद्रास, बम्बई, दिल्ली तथा कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के बेरोजगार स्नातक	Graduates of IIT at Madras, Bombay, Delhi and Kanpur Facing Unemplyment	95
2129	आदिवासी खण्ड (ट्राइबल ब्लाक) से बाहर रह रहे आदिवासियों की सहायता के लिये धनराशि	Funds to Help Adivasis Living outside Tribal Blocks	95
2130	ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें पहुंचाने के लिये नई नीति	New Policy for Extending Medical Facilities in Rurla Areas . .	96
2131	चुने हुए माध्यमिक स्कूलों में कृषि-विज्ञान की शिक्षा संबंधी रूप-रेखा	Blue Print on Introduction of Agricultural Science in Selected Secondary Schools	97
2132	युवा-पीढ़ी के लिये चलाई गई परियोजना	Projects undertaken for Welfare of Youths	98
2133	भारत में कोढ़ का इलाज करने वाले संस्थानों की संख्या	Number of Institutions for Leprosy Treatment	100
2134	शहादरा के निकट विषैली गैस में सांस लेने वाले प्रभावित व्यक्तियों के लिये चिकित्सा उपाय	Medical Remedies to Victims inhaling poisonous Gas near Shahdara .	102
2135	ग्राम सेवा समितियों और प्राथमिक विपणन समितियों के जरिए खाद्य वितरण	Food Distribution through Village Service Societies and Primary Marketing Socicties	102
2136	कृषि सहकारी विपणन समितियों की भूमिका के बारे में सम्मेलन	Conference on Role of Agriculture Cooperative Marketing Societies	102
2137	पांचवीं योजना के दौरान भूसंरक्षण संबंधी योजना	Solid Conservation Scheme during Fifth Plan	106
2138	तमिलनाडु में निर्धन व्यक्तियों के लिए मकान	Houses for the Poor in Tamil Nadu	106

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2139	अधिक उपज वाले बीजों की कमी और इसका खरीफ कार्यक्रम पर प्रभाव	Short Supply of High Yielding Seeds and its effect on Kharif Programme	107
2140	राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ का अखिल भारतीय सम्मेलन	All India Convention of National Students Union	108
2141	गुजरात में अच्छी फसल की संभावनाओं के लिये किसानों को सहायता	Help to Farmers in Gujarat for better crops prospects	108
2142	बोनस योजना की सफलता के लिये कार्यवाही	Steps for Success of Bonus Scheme	109
2143	चेचक की निगरानी और नियंत्रण के लिये जोरदार अभियान	Intensive Campaign for Surveillance and Control of Small Pox . .	109
2145	चर्चेज आक्जीलियरी फार सोशल एक्शन द्वारा विकास परियोजनाएं	Development projects by Church's Auxiliary for Social Action . . .	111
2146	1972–73 के मौसम के लिए तमिल नाडु में गन्ने का नियत मूल्य और चीनी मिलों द्वारा अदा किया गया वास्तविक मूल्य	Prices fixed for sugarcane and actually paid by Sugar factories in Tamil Nadu for the season 1972-73 . . .	112
2147	तमिल नाडु में चीनी के कारखानों पर बकाया राशि	Amount outstanding against Sugar Factories in Tamil Nadu . . .	113
2148	1971–72 और 1972–73 में तमिलनाडु में चीनी कारखानों से औसत वसूली	Average recovery of sugar factories in Tamil Nadu for 1971-72 and 1972-73	113
2149	काम चलाऊ आधार पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डाक्टर	C.G.H.S. Doctors working on ad *hoc* basis	114
2150	दिल्ली में और अधिक प्राइवेट तथा मिनी बसों का प्रस्ताव	Proposal for more Private and Mini buses in Delhi	115
2151	शाहदरा और दिल्ली नगर में केन्द्रीय विद्यालय खोलना	Opening of Central School in Shahdara and Delhi City	115
2152	दिल्ली प्रशासन द्वारा डा० जोशी अस्पताल, करोल बाग, नई दिल्ली को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of Dr. Joshi's Hospital, Karol Bagh, New Delhi by Delhi Administration	116
2153	रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of Regional Engineering Colleges	116

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
2154	बुंदेल खंड संभाग, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय	Central Agricultural University Bundelkhand Division, Uttar Pradesh .	117
2155	बंगलौर आयोजित कार्टूनकारों का सम्मेलन	Conference of Cartoonists held at Bangalore	117
2156	तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नए मकान और स्थान (साइट्स)	New Houses and Sites for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Tamil Nadu	117
2157	दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लोगों के लिए मकान	Houses for Public in Delhi by DDA	118
2158	रत्नागिरि बंदरगाह में स्थिरता बनाने के लिए 'ब्रेक वाटर वाल' का विस्तार	Extension of Break Water Wall in Ratnagiri Harbour to obtain Tranquility	118
2159	केन्द्रीय अधिनियमों द्वारा विनियमित विश्वविद्यालय	Universities governed by Central Acts	119
2160	भारत और बंगला देश सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की 'शिपिंग कांफ्रेंस' का गठन	Formation of 'Shipping Conference' of South East Asian Countries including India and Bangladesh . . .	120
2161	राजस्थान का लघु सिंचाई कार्यक्रम	Small Scale Irrigation Programme of Rajasthan	120
2162	केरल में भूखे रहने के कारण हुई मौत	Starvation Death in Kerala . .	120
2163	खेतीहर श्रमिकों के बच्चों में कुपोषाहार और कम पोषाहार की समस्या	Problem of Mal-Nutrition and under-Nutrition among the Children of Agricultural Workers	121
2164	देश में सूखे की स्थिति	Drought conditions in the country	
2165	दिल्ली के काली मसजिद क्षेत्र में जल की सप्लाई के घंटे	Water supply hour in Kali Masjid area of Delhi	122
2166	विभिन्न राज्यों में गेहूं की उपज में कमी	Fall in the output of wheat in various States	123
2167	1973 में राजस्थान के लिए खाद्यान्नों की व्यवस्था	Foodgrains provided to Rajasthan during 1973	123
2168	राजस्थान में मकानों का निर्माण करने हेतु भूमिहीन श्रमिकों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Landless workers to construct houses in Rajasthan	124

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2169	'बाल निरीक्षण गृह' में भ्रष्टाचार और धांधली शीर्षक से समाचार	News item captioned corruption and Malpractices in Children's Remand Home	124
2170	खाद्यान्नों के आयात में विलम्ब	Delay in Import of Foodgrains . .	125
2171	अमरीका से खरीदे गये 'माईलो' का मूल्य	Price of Milo purchased from U.S.A.	125
2172	भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्रिज़रवेशन असिस्टेंट	Preservation Assistants in National Archives of India	125
2173	भारतीय कला केन्द्र, नई दिल्ली की भूमि में आवंटन की शर्तें	Conditions of allotment of land to Bharatiya Kala Kendra, New Delhi	126
2174	भारतीय कला केन्द्र, नई दिल्ली को अनुदान	Grants to Bharatiya Kala Kendra, New Delhi	127
2175	विश्व बैंक द्वारा सहायता के लिए सूखाग्रस्त जिलों के चयन का मापदण्ड	Criteria of Selection of Drought Prone Districts for World Bank Aid . .	128
2176	तिलहन के उत्पादन में कमी के कारण वनस्पति उद्योग का बंद होना	Closure of Vanaspati Industry due to shortfall in production of Oil Seeds .	129
2177	मनसून के आने के बाद भी महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों की कठिनाइयां	Difficulties of Agriculturists of Drought Affected Maharashtra even after arrival of Monsoon	129
2178	खाद्यान्न की शीघ्र सप्लाई के लिये केनेडा को प्रतिनिधिमण्डल	Delegation to Canada for Urgent Supply of Food Grain.	130
2179	जल्दी से बढ़ने वाले केले तथा पपीते की खेती के लिये मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to M.P. for Cultivation of Fast Growing Bananas and Papaya .	130
2180	मध्य प्रदेश के जिलों में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Health Centres in District of Madhya Pradesh	130
2181	मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़ जिले में कपास की सघन खेती	Intensive Farming of cotton in East Nimar, Madhya Pradesh . .	130
2182	वर्ष 1972–73 के दौरान मध्य प्रदेश में खाद्यान के उत्पादन में कमी	Shortfall in the production of Foodgrains in M.P. during 1972-73 . .	131

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2183	'मारक्स वैक्सीन' का उत्पादन	Production of Marek's vaccine	131
2184	राष्ट्रीय मुर्गीपालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना	Setting up a National Poultry Research Institute	132
2185	मुर्गी-प्रजनन शाला (हैचरी) एवं चूज़ों के लिये दाने के व्यापार का विनियमन	Regulation of hatchery and Chicken feed business	132
2186	मुर्गी दाने के ऊंचे मूल्य और उसका मुर्गीपालन उद्योग पर प्रभाव	High Price of poultry feed and its effect on poultry industry	132
2187	बूचड़खाने के अवशिष्टों का पशुओं के लिये खाद्य मिश्रण बनाने के लिये उपयोग	Utilisation of slaughter house waste for Livestock feed	133
2188	कानपुर में आटे तथा मैदे की बिक्री में गबन	Embezzlement in sale of atta and maida in Kanpur	134
2189	गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण के विरुद्ध प्रचार का मुकाबला	Counter acting propaganda against take over of wholesale trade in wheat	134
2190	सरकारी कर्मचारियों के लिये ग्रांड होटल, शिमला में कमरे	Suites in Grand Hotel, Simla for Government Employees	135
2191	भारत सरकार के कार्यालयों और विभिन्न विभागों के लिये पृथक 'पूल'	Separate Pools for Offices and various Departments of the Government of India	135
2192	बिना किसी योजनाबद्ध ढंग के शहरों का विकास	Development of Towns in all unplanned Manner.	136
2193	चौथी योजना में बच्चों के लिए पोषाहार योजना पर व्यय	Amount spent on Nutrition plan for Children during IV Plan . . .	
2194	संसद भवन, नई दिल्ली के उपभवन का निर्माण	Construction of new annexe to Parliament House, New Delhi . . .	138
2195	देश में उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य और डाक्टरी सुविधाओं का अध्ययन तथा सर्वेक्षण	Study and Survey of various Health and Medical Facilities in the country .	139

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2196	सिलसो, बैडफोर्डशाइर, इंगलैंड में हुए कृषि सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लिया जाना	India's participation in Conference on Agriculture held at Silsoe, Bedfordshire, England	139
2197	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान	Grants to Central Universities .	140
2198	गत तीन वर्षों में डूबे भारतीय जहाज	Indian Ships Sunk during last three years	141
2199	बिहार में पालामऊ जिले की मुख्य सड़कों का राष्ट्रीय राजपथ के रूप में घोषित किया जाना	Declaration of Main Roads of Palamau in Bihar as National Highways . .	141
2200	बिहार की सड़कों का राष्ट्रीय राजपथों में बदला जाना	Conversion of Roads into National Highways in Bihar	141
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	142
	लोक सभा के 10 स्थानों और विधान सभाओं के 27 स्थानों के लिए उप-चुनाव कराने में असाधारण विलंब	Unusual delay in holding bye-elections to 10 Lok Sabha and 27 Assembly seats .	142
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	142
	श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	142
	रेलों में हड़ताल की वर्तमान स्थिति के बारे में	Re. Current strike situation in Railways	150
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	
	विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges	
	दूसरा प्रतिवेदन	Second Report.	155
	सीमा शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Customs, Gold (Control) and Central Excises and Salt (Amendment) Bill Motion to pass, as amended .	156
	श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	156
	श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	157

विषय	SUBJECT	PAGES / पृष्ठ
भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक	Indian Railways (Amendment) Bill .	159
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	159
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi. . .	159
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder . .	161
श्री मूल चंद डागा	Shri M. C. Daga	162
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya.	163
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary . . .	164
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami.	165
रेलों में हड़ताल की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा	Discussion re. Current Strike Situation in Railways	167
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri	168
श्री अनन्त प्रसाद शर्मा	Shri A. P. Sharma .	170
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee .	172
सभा का कार्य	Business of the House	173
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen.	173
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi .	174
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad .	174
श्री एम० एस० शिवस्वामी	Shri M. S. Sivaswamy . .	175
श्री नरसिंह नारायण पांडेय	Shri Narsingh Narain Pandey .	175
श्री मधु दंडवते	Shri Madhu Dandavate .	176
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	176
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P. B. Mehta . . .	176
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	177
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	177
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai .	177
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra .	177

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 6 अगस्त 1973/15 श्रावण, 1895 (शक)

Monday, Aug. 6, 1973 Sravana 15, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मोटे अनाज का थोक व्यापार

*202. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री बेकारिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुए राज्यों के मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में मोटे अनाज के थोक व्यापार के सरकारीकरण के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) यद्यपि भाग लेने वाले कुछेक सदस्यों ने सामान्य रूप से इस प्रश्न का उल्लेख किया था लेकिन सम्मेलन में मोटे अनाजों का थोक व्यापार लेने के प्रश्न पर ऐसा कोई विचार विमर्श नहीं हुआ था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Arvind M. Patel : The States, which have surplus coarse grains, had banned the movement of coarse grains outside their states' boundaries during last year. Due to the famine in Gujarat and Maharashtra, the prices of coarse grains in these Scarcity States have doubled. The Government of India had requested these surplus states to lift the ban in their states but they did not concede it. When these states do not comply with the request of the Government, then is it not fair for the Government to take over the coarse grains? Have the Government of India considered over this?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : प्रश्न केवल यहीं तक था कि क्या मुख्य मंत्रियों के गत सम्मेलन में इस पर चर्चा की गई थी, उन्होंने जो कुछ कहा है, उस पर कार्यवाही के लिये सुझाव के रूप में विचार किया जा सकता है।

Shri Arvind M. Patel : I want to know why this question was not raised in the conference of Chief Ministers and Council of Food Ministers?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : गत सम्मेलन खरीफ के खाद्यान्नों के मूल्यों के संबंध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिये बुलाया गया था। मुख्य मंत्रियों ने इस प्रतिवेदन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी।

श्री जगन्नाथ राव : क्या सरकार खरीफ के मौसम के लिये चावल और धान का उचित मूल्य निर्धारित करेगी ताकि वसूली शीघ्रता से की जा सके ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों ने धान, चावल तथा अन्य खाद्यान्नों का थोक व्यापार अपने नियंत्रण में लेने के लिये व्यवस्था की है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सरकार उचित वसूली मूल्य निर्धारित करने के महत्त्व को भली भांति समझती है क्योंकि वसूली करने में मूल्य का बहुत महत्त्व होता है। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि भारत सरकार ने स्वयं चालू वर्ष के लिये वसूली मूल्य की तुलना में समर्थन मूल्य बहुत अधिक निर्धारित किया है। आगामी फसल के लिये वसूली मूल्य फसल कटने से बहुत पहले घोषित कर दिया जाएगा। मुझे उचित मूल्य के निर्धारण की आशा है। सब बातों पर विचार करके प्रोत्साहन मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

श्री जगन्नाथ राव : वसूली के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हो सकता है कि इस व्यवस्था में कमियां हों, हमारा अनुभव है कि वसूली के लिये ऐसी किसी व्यवस्था की कमी नहीं है परंतु हमें इसको सुदृढ़ बनाने के लिये कार्यवाही करनी पड़ेगी। आखिर खाद्य निगम भी एक एजेंसी है। राज्यों के नागरिक पूर्ति विभाग हैं, सहकारी और सरकारी क्षेत्र की एजेंसियां वसूली का कार्य कर रही हैं और हम यह देखेंगे कि उनमें और इन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय को सुदृढ़ बनाया जाए।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं जान सकता हूं कि क्या मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में एक राज्य से दूसरे राज्य में मोटे अनाज के निर्बाध रूप से लाने ले जाने में लगी रोक को हटाने के बारे में चर्चा हुई थी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जी, नहीं।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह देखने के लिये परिवहन तथा लदान आदि शुल्कों पर चर्चा हुई थी कि क्या परिवहन तथा लदान आदि, जो कि वसूली मूल्य के अंग हैं, के वर्तमान शुल्कों में कमी लाई जा सकती है ? क्या वे अत्यधिक ऊँचे नहीं हैं ? उदाहरण के लिये मुझे कहा गया था कि प्रति क्विंटल गेहूं के वसूली मूल्य 76 रुपये में 22 रुपये या 23 रुपये या संभवतः 26 रुपये लदान आदि तथा परिवहन संबंधी शुल्क लगता है। मैं जान सकता हूं कि क्या इस विषय पर चर्चा हुई थी कि क्या लदान आदि अथवा परिवहन आदि शुल्कों को, जो अत्यधिक ऊँचे हैं, कम किया जा सके ताकि वसूली मूल्य उतना बढ़ाया जा सके।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस मामले पर मुख्य मंत्रियों के पहले आयोजित सम्मेलन में चर्चा हुई थी और उस समय यह निर्णय किया गया था कि इस विषय की सूक्ष्म जांच प्रशासनिक विशेषज्ञों और वित्तीय विशषज्ञों द्वारा कराई जानी चाहिये। अतएव इस समस्या की जांच के लिये एक समिति

नियुक्त की गई है। यह समिति इस समय समस्या को हल करने में लगी है। जब उनकी सिफारिशें उपलब्ध हो जाएंगी तो सरकार अपेक्षित कार्यवाही करेगी।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मैं कह सकता हूं कि परिवहन तथा लदान आदि संबंधी शुल्क बहुत अधिक है, इसलिये एक समिति नियुक्त की गई है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस मामले की जांच हो रही है कि क्या व्यय अधिक हो रहा है तथा क्या इसमें मितव्ययिता लाई जा सकती है। इन सभी मामलों पर चर्चा होगी। मैं माननीय सदस्य के कथन को स्वीकार नहीं करता हूं।

Shri R.P. Yadav : Is the Government aware that the prices of coarse grains are soaring high? Today the farmer stores the wheat and sells coarse grain. Recently there was news that in Western Uttar Pradesh the farmer feeds bullocks with wheat. Will the Government see that such things do not take place and make arrangements to take over the trade in wheat?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह एक सुझाव है।

Shri R.S. Pandey : May I know whether in the Conference of Chief Ministers any Chief Minister drew your attention that the prices of coarse grains are high and since you have fixed less procurement price, the farmer is turning to coarse grains instead of wheat. and he wants to produce less wheat?

Mr. Speaker : Do not put hypothetical question.

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर चर्चा की गई थी कि राज्यों द्वारा खाद्यान्नों का व्यापार अपने नियंत्रण में लेने का कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक राज्य सीमेंट, चीनी, कपड़ा तथा खाद्य तेलों जैसे अन्य आवश्यक वस्तुओं का व्यापार अपने हाथ में नहीं ले लेती है और दूसरा, क्या मोटे अनाज का व्यापार अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय करने से पूर्व सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि बाजरा तथा ज्वार जैसे कुछ मोटे अनाज गेहूं और चावल की तुलना में बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और सरकार के पास पर्याप्त गोदाम नहीं हैं और तीसरा, क्या सरकार गेहूं का थोक व्यापार अपने नियंत्रण में लेने की नीति की सफलता से प्रोत्साहित होकर अथवा किसानों के विरुद्ध बदले की भावना से प्रेरित होकर मोटे अनाज का व्यापार भी अपने नियंत्रण में लेने पर विचार कर रही है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि अधिकांश प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, जहां तक मोटे अनाज का संबंध है, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं, मुझे यह तर्क स्वीकार नहीं है जिसके आधार पर वे कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह असफल रहेगा। मुख्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में केवल कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी तथा जिसका जिक्र मैंने पहले कर दिया था।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं जान सकता हूं कि क्या किसी मुख्य मंत्री ने विशेषकर चावल के थोक व्यापार को नियंत्रण में लेने का विरोध किया था तथा क्या सरकार चावल का थोक व्यापार अपने नियंत्रण में लेगी ?

श्री अंणासाहिब पी० शिन्दे : यह प्रश्न मोटे अनाज से संबधित है, मोटे अनाज के बारे में किसी मुख्य मंत्री ने विरोध नहीं किया था । वास्तव में कुछ मुख्य मंत्रियों ने इसको अपने नियंत्रण में लेने का सुझाव दिया था, परन्तु इस पर चर्चा नहीं हुई थी, यह सम्मेलन की कार्यसूची में नहीं था ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चावल का थोक व्यापार अपने नियंत्रण में ले लेगी ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न को बढ़ा रहें है, आप इस बारे में अलग से प्रश्न कीजिए ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि भारतीय खाद्य निगम के निर्बाध कार्य में मूल्य निर्धारण एक बड़ी समस्या है तथा क्या खाद्यान्नों का व्यापार अपने नियंत्रण में लेने की उपयोगिता के बारे जनता को शिक्षित न करना एक दूसरी रुकावट है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उचित और लाभ-प्रद मूल्य निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, मैं इस बारे में माननीय सदस्य से सहमत हूं ।

श्री के० मालन्न : मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्मेलन में मोटे अनाज के मूल्य निर्धारण करने के सिद्धान्त पर चर्चा हुई थी तथा उसकों पारित किया गया था तथा क्या कुछ मुख्य मंत्रियों ने कम मूल्य के निर्धारण का विरोध किया था और इसको पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी थी।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की गई वसूली मूल्य को समर्थन मूल्य माना जाये।

श्री ज्योतिमर्य बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 51 जिलों में से 37 जिलों में वसूली का कार्य बंद करने का निर्णय किया है?

अध्यक्ष महोदय : यह सुसंगत प्रश्न नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वहां राष्ट्रपति शासन है यह सुसंगत अनुपूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यदि बाद में कुछ लोग इस वाद विवाद को न पढ़े जब आप और मैं इस सभा में न होगें तो निश्चय ही मैं इसकी अनुमति दे देता । वे समझेंगे कि या तो माननीय सदस्य बहुत चतुर हैं अथवा अध्यक्ष बेवकूफ है जिसने प्रश्न की सुसंगति को देखे बिना इसको पूछने की अनुमति दी है।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

***204. श्री वयालार रवि :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरीसम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने संबंधी सरकारी नीति को लागू करने में क्या प्रगित हुई है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये किन-किन राज्यों ने वैधानिक उपाय किये हैं और इस प्रक्रिया को तेजी से लागू करने हेतु भारत सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) तथा (ख) जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब राज्य के विधान मण्डलों ने नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा लागू करने के लिए कानून पास कर दिए हैं। इस विषय पर एक केन्द्रीय विधेयक पेश करने की बात सक्रिय रूप से भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री बयालार रवि : प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि कुछ राज्यों ने कानून पारित किए हैं और इस संबंध में एक केन्द्रीय विधेयक सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राज्यों ने अधिकतम सीमा के लिए कितनी राशि निर्धारित की है और "सक्रिय रूप से विचार करने के प्रश्न" को कब क्रियान्वित किया जायेगा।

श्री भोला पासवान शास्त्री : जैसा कि मैंने कहा है कि यह इस पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है, विधेयक के पूरा होने पर इसे संसद में पुर:स्थापित किया जायेगा। राज्य सरकारों द्वारा 2 लाख से 5 लाख के बीच विभिन्न अधिकतम सीमा निर्धारित की है।

श्री बयालार रवि : यह कब लाया जायेगा तथा इसमें कितना समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : इसमें उतना समय लगेगा जितना आप कार्य समिति में लेते हैं।

श्री बयालार रवि : बड़े नगरों में चोरी छिपे बिक्री हो रही है तथा बेनामी सौदेबाजी भी चल रही है, मैं जानना चाहता हूं कि बिक्री और ऐसी सौदेबाजी को निरुत्साहित करने के लिए उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कार्य असफल न हो जाए।

श्री भोला पासवान शास्त्री : कुछ राज्यों ने इस दिशा में कार्यवाही की है केन्द्रीय विधेयक पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है इस समय किसी विशेष व्यवस्था के बारे में कहना कठिन है।

श्री बयालार रवि : बम्बई और कलकत्ता जैसे शहरों में बेनाम सौदेबाजी चल रही है (**व्यवधान**)

Shri Shankar Dayal Singh : I want to know whether the Central Government have given any directive to State Governments. Will the hon. Minister state that in case of ceiling on urban property is imposed then whether the tenants living in additional houses will be given proprietory rights?

Shri Bhola Paswan Shastri : The Central Government had written to all States on 25 July 1970. The question of ceiling, right etc. are all under consideration. Nothing can be said about them now.

Shri B. S. Bhaura : Is it correct that when the Punjab Government's cabinet decided to nationalize Cinemas, the Centre advised them to pass urban property ceiling first and include the question of nationalization of Cinemas in it and when the Punjab Government passed the Urban Ceiling Act, the President did not give his assent; if so, then what is the reason for it. ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह प्रश्न वित्त मंत्रालय से संबंधित है, निर्माण तथा आवास मंत्री इसका उत्तर कैसे दे रहें हैं, कृपया आप इसे देखें।

अध्यक्ष महोदय : यह नगरीय सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा निर्धारण करने की है।

Shri Bhola Paswan Shastri : Earlier the Punjab Government passed a resolution regarding imposition of Urban Ceiling and then it has sent an act after passing it. But the President has not given his approval till now. (*Interruptions*).

श्री आर० के सिन्हा : नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में प्रस्तावित कानून को दृष्टि में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार अर्जित अधिक मकानों का वितरण मकान हीन व्यक्तियों में किया जाएगा। चूंकि नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित संबंधी कानून का कोई सामाजिक कार्य नहीं है यदि इससे निर्धन व्यक्तियों को लाभ प्राप्त न हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह अपने अपने विचार का प्रश्न है। आप मंत्री महोदय के विचार जानना चाह रहे हैं। आप यह पूछ सकते हैं कि इसका कानूनी प्रयोजन क्या है।

श्री आर० के सिन्हा : नगरीय सम्पत्ति प्राप्त करने पर क्या उक्त सम्पत्ति.....

श्री भोला पासवान शास्त्री : प्रश्न ही नही उठता।

Shri Jagannath Rao Joshi : When the Central Government has accepted the principle to put ceiling on urban property and several States have prepard there Bills in accordance with instructions issued in this regard, I want to know what is the difficulty Centre is facing in introducing a Bill in this connection ?

Shri Bhola Paswan Shastri : There is no difficulty in this matter. A Bill is being processed soon.

Shri Darbara Singh : We were expecting urban ceiling after land ceiling. I want to know when instructions in this regard would be issued? I also want to know whether this matter will be left on the State or the Centre? I want to know when a decision in this regard will be taken?

Shri Bhola Paswan Shastri : It is difficult to indicate the time. But the Government intends to introduce this Bill very soon.

श्री के० लकप्पा : प्रस्तावित नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा संबंधी कानून हेतु जो सरकार के समाजवादी कार्यक्रम के अनुरूप हैं, इसलिये रद्द किया जा रहा है क्योंकि अनेक आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों की नगरों में और जहां वे काम करते हैं वहां पर बड़ी-बड़ी सम्पत्तियां हैं और ऐसे लोग अपनी पत्नियों और संबंधियों के नाम बेनामी सौदे करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपा भूमिका न बांधे।

श्री के० लकप्पा : सरकार द्वारा इस बारे में अपनी इच्छा घोषित करने के बाद देश में ऐसे बेनामी सौदों में बहुत वृद्धि हुई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व ऐसे बेनामी सौदों को रोकने के लिये क्या ठोस कार्यावाही की गई है ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : कुछ राज्यों ने इस बारे में कार्यवाही की है।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नही दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय असंगत प्रश्नों का उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं है।

श्री के० लकप्पा : सरकार ने इन अनाधिकृत बेनामी सौदों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है जिससे नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा संबन्धी कानून का प्रयोजन ही असफल हो गया है? मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

श्री भोला पासवान शास्त्री : जैसाकि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि कुछ राज्यों ने भूमि संक्रमाण पर रोक लगाने के बारे में कार्यावाही की है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है हमने इसको रोकने के लिये कोई परिपत्र अथवा पत्र जारी नही किये हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न इस बारे में की गयी उपचारात्मक कार्यवाही से था।

श्री भोला पासवान शास्त्री : इस समय ऐसी कोई बात नहीं है।

कृषि मण्डियां

*206. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कृषि मण्डियां स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम का भी उन स्थानों पर अपनी शाखाएं खोलने का विचार है: और

(ग) कृषि उत्पाद की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने कोई मंडियां नहीं खोली हैं। मंडियों का नियमन राज्य सरकारों का विषय है। भारतीय खाद्य निगम मुख्यत: मंडियों के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। इसके अतिरिक्त उन्होने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे अनेक राज्यों में गेहूं खरीदने के लिए कुछ खरीद केन्द्र भी स्थापित किए हुए हैं।

(ग) भारत सरकार और राज्य सरकारें कृषकों को उनकी पैदावार के बाजार में बिकवाने में सहायता करने के लिए कई योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं, जिनमें विपणन सुविधाओं में सुधार करना, वर्गीकरण केन्द्रों की स्थापना करना, शीत भण्डारणों की भली प्रकार देखरेख करना और मण्डियों के विषय में जानकारी इकट्ठी करके उसका प्रसार करना आदि शामिल हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : भारत सरकार की योजना के अधीन नई मण्डियों की स्थापना की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना में कितनी प्रगति हुई है और विकासशील क्षेत्रों में कितनी मंडियां स्थापित की गई हैं। माननीय मंत्री ने यह उल्लेख किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या भारत सरकार ने उक्त केन्द्र खोले हैं ?

उक्त मंडियों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जाती है अतः मैंने ऐसा कुछ कहा था। जहां तक मंड़ियों का संबंध है, देश में 4100 मंड़ियां है जिनमें से कुछ मंडियों को कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है ।

श्री नवल किशोर सिंह : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय खाद्य निगम और सहकारी कृषि विपणन संघ को उन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी जायेगी जो अनेक राज्यों में इन नई स्थापित मंडियों के अन्तर्गत आते है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस मामले में कुछ भ्रम प्रतीत होता है जहां तक मंडियों का सम्बन्ध है सबको उनमें काम करने की पूरी स्वतन्त्रता है। सहयोग लेने के बारें में सहकारी विपणन घ पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रमों में कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि अनुसन्धान संस्थाओं का सहयोग

***210. श्री आर० के० सिन्हा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कृषि अनुसंधान संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों का सहयोग किस ढ़ंग से प्राप्त करने का विचार है; और

(ख) देश में कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय किस प्रकार विभाजित किये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कृषि अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों का खाद्य उत्पादन बढ़ाने से सीधा कोई संबंध नहीं हैं। वे खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्य करते हैं जिनसे अन्ततः कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है :—

1. **राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजनायें** : विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के वैज्ञानिक कृषकों के खेतों में जाकर इन प्रदर्शनों की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार वे कृषि तकनौलोजी की उपयोगिता का प्रदर्शन करने में सहायता देते हैं।

2. **व्यवहृत अनुसन्धान परियोजनायें** : कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों से व्यवहृत अनुसंधान परियोजनाओं के विषय में सहायता ली जाती है। उनसे लवणीय भूमि पर फसल उगाने, बालू के टिब्बों का स्थिरीकरण भूक्षरण वाली भूमि के सूधार, समेकित कृषि नियंत्रण, आदि जटिल समस्याओं के समाधान के लिये सहायता ली जाती है।

3. **कृषि विज्ञान केन्द्र** : वास्तविक कृषिकों को प्रशिक्षण देने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं तथा कृषि विश्वविद्यालयों में कुछ कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का विचार है ।

4. **अभियानों के लिये छात्रों का सहयोग :** कृषिको को नवीनतम तकनौलोजी से शीघ्र अवगत कराने के लिये अभियानों के रुप में एक तीव्र आन्दोलन शुरु करने का विचार है, जिसमें कृषि अनुसंधान संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों, अध्यापकों तथा छात्रों को सम्मिलित किया जायेगा ।

5. **कृषि विज्ञान मेले तथा 'फील्ड डे"** : कृषि अनुसंधान संस्थायें तथा विश्वविद्यालय अपने फार्मों में कृषि विज्ञान मेलों या फील्ड डे का आयोजन करते हैं, जिसमें फसल उत्पादन के क्षेत्रों पशुपालन, कृषि इंजीनियरिंग, आदि से संबन्धित विभिन्न उन्नत प्रणालियों को देखने के लिये किसानों को आमन्त्रित किया जाता है ।

6. **विस्तार शिक्षा** : अधिकांश कृषि अनुसंधान संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में विस्तार शिक्षा के लिये पूर्ण रूप से सुसज्जित विभाग हैं । इन विभागों का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदर्शन दृश्य-श्रव्य साधनों, सामूहिक विचार-विर्मश तथा लोकप्रिय साहित्य आदि के माध्यम से कृषक समुदाय में कृषि संबन्धी जानकारी का तेजी से प्रचार करने में सहायता की जाये ।

(ख) इस समय जम्मू तथा काश्मीर के सिवाय प्रत्येक बड़े राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय मौजूद है। महाराष्ट्र में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं । राज्य प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार प्रायः राज्यों के कृषि महा-विद्यालयों । अनुसंधान केन्द्रों के स्थानों का उपयोग करके ही विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी । जिसे या विषय के महत्व तथा उन्हें उगाने के लिये अनुकूल कृषि जलवायु संम्बन्धी परिस्थितियों के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन देश में 24 अनुसंधान संस्थायें स्थापित की गई हैं ।

श्री आर० के० सिन्हा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में कृषि विचार का मुख्य विषय है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कृषि पशु चिकित्सा अनुसंधान और कृषि विकास के लिये एक विकसित अनुसंधान संगठन की आवश्यकता है मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गजेन्द्र गड़कर समिति की सिफारिश स्वीकार करेगी और क्या सरकार इनकी जांच करेगी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि मंत्रालय का एक विभाग बनायेगी और क्या सरकार अन्य सिफारिशों जैसे मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहाकार समिति और दो समितियों कृषि और अनुसंधान के लिये कार्यकारी समिति की स्थापना करेगी ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं । लेकिन आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह विषय से बाहर है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मूल प्रश्न तक ही सीमित रहें ।

श्री आर० के० सिन्हा : मेरा प्रश्न यह है कि कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए शामिल करने का प्रस्ताव है । क्या पशु चिकित्सा अनुसंधान, डेरी विकास और कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय में अनुसंधान के विकास के लिए योंजना का भाग है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न अनुसंधान और विस्तार से सम्बन्धित है ।

श्री आर० के० सिन्हा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गजेन्द्र गड़कर समिति का प्रतिवेदन सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं तो केवल यह कह सकता हूं कि गजेन्द्र गड़कर समिति की सिफारिशें सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं ।

श्री आर० के० सिन्हा : मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन के मामले में संकट और चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा फैजाबाद में किये गये प्रशंसनीय कार्य को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव है, क्या सरकार द्रुतगामी योजनाओं में कुछ कार्य करने की व्यवहार्यता के बारे में जांच कर रही है जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश को अनाज की कमी का सामना न करना पड़े ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उस पर सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्ण विचार किया-जायेगा । लेकिन संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का यह विचार है कि एक राज्य में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिये । ऐसा हमेशा विचार किया जा सकता है । वास्तव में जहां तक शीघ्र उत्पादन का सम्बन्ध है हमने इस विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार से चर्चा की है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The assistance and the know how given by some University or Research Centre in the country is inadequate. I want to know whether it is not a fact that the persons giving know how or advise are not treated prope:ly and they are not encouraged and it is the very reasons that they are not able to do hard work? I want to know whether the Government has taken some such steps that these farmers may get proper know how and advise from these institutions and they utilise full benefit of it.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय सदस्य, श्री गंगा देव सदन छोड़कर चले गये हैं । यह बहुत दुख की बात है (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : आपको किस बात की चिन्ता है ?

श्री ज्योतिमर्य बसु: मैंने स्वयं श्री रघुरामैया को उन्हें अपने साथ ले जाते देखा है । हम इसका विरोध करते हैं । हम सदन में इस प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे । (अन्तर्बाधाएं)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह बहुत गम्भीर मामला है (अन्तर्बाधाएं) हम सब लोगों को इस बात का ध्यान था कि श्री गंगा देव प्रश्न काल के आरम्भ से ही सदन में बैठे थे । यदि माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछने के लिए सदन में उपस्थित नहीं होते, तो हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि संसदीय कार्य मंत्री उन्हें अपने साथ इसलिये बाहर ले गये कि वे प्रश्न न पूछें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह सदन में सुबह से बैठे हुए थे । अब जब उनका प्रश्न आने वाला था, तो श्री रघुरामैया उनके पास गये और उन्हें सदन से बाहर ले गये ।

अध्यक्ष महोदय : अभी हम किसी अन्य प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय द्वारा इस प्रकार का व्यवहार सभा के प्रति दुराचरण के समान है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब एक सदस्य अपने प्रश्न के लिये सुबह से बैठे थे और अपने प्रश्न अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे तो क्या वह स्वयं ही सदन को इस प्रकार छोड़ देते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न की संख्या बोलूंगा जब वह सामान्य तौर पर आयेगा और मैं उस सदस्य का नाम भी लूंगा जिसके नाम उक्त प्रश्न है । यदि वह उस समय अनुपस्थित रहते हैं, तो माननीय सदस्य आपत्ति कर सकते हैं । अब हम प्रश्न संख्या 210 पर चर्चा कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए । इस मामले का सदन की गरिमा पर प्रभाव पड़ता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय इसके लिये सदन के प्रति दुराचरण के दोषी हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सदस्य पर इस प्रकार दबाव डालना अनुचित है ।

Shri Shankar Dayal Singh : I want to know whether a membe. has not the right to leave the House. They have no right to cry.

Shri Shashi Bhushan : If this question was so urgent, this matter may be discussed separately. My question No. is 212.

अध्यक्ष महोदय : यदि इस बारे में कुछ कहना है तो प्रश्न आने पर कहें अभी हम पहले प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं । यदि उस समय कोई बात होती है तो, माननीय सदस्य आपत्ति कर सकने हैं और सदन की कार्यवाही में बाधा न डालें ।

श्री जी० विश्वानाथन : प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि इस विषय पर चर्चा आरम्भ की जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है तथा अन्य सदस्यों ने भी देखा है कि श्री रघुरामैया माननीय सदस्य को सदन से बाहर ले गये जिससे वह प्रश्न न पूछ सकें ।

यह गम्भीर दुराचरण के समान है और उन्हें अवज्ञा का दोषी ठहराया जाना चाहिये । माननीय मंत्री को भी अवज्ञा का दोषी ठहराया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि एक सदस्य किसी अन्य सदस्य के अनुरोध पर अथवा स्वयं सदन को छोड़ कर चला जाता है, तो सदन की कार्यवाही में इस प्रकार बाधा क्यों डाली जाये ? माननीय सदस्य इस बात को सदन की जानकारी में ला सकते हैं । लेकिन उन्हें सभा की कार्यवाही में इस प्रकार बाधा नहीं डालनी चाहिये ।

श्री सेझियान : नियम 48(3) में यह उल्लेख किया गया है कि :

"यदि कोई प्रश्न पुकारे जाने पर न पूछा जाये या जिस सदस्य के नाम में प्रश्न हो, वह अनुपस्थित हो, तो अध्यक्ष, किसी सदस्य की प्रार्थना पर, निदेश दे सकेगा कि उसका उत्तर दे दिया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : जब तक वह किसी अन्य सदस्य को इसका अधिकार नहीं दे जाता, ऐसा कैसे किया जा सकता है।

श्री सेझियान : ऐसा नियम में उल्लेख नहीं किया गया है। नियम 48(3) बिल्कुल स्पष्ट है।

"यदि कोई प्रश्न पुकारे जाने पर न पूछा जाये या जिस सदस्य के नाम में प्रश्न हो, वह अनुपस्थित हो, तो अध्यक्ष, किसी सदस्य की प्रार्थना पर, निदेश दे सकेगा कि उसका उत्तर दिया जाए।"

(अन्तर्बाधाएं)

श्री पी० वैंकटासुब्बया : हम इन कुछ लोगों की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो सदन में हंगामा करते हैं।

श्री ज्योतिमर्य बसु : सदस्य को सदन से ले जाकर मंत्री महोदय सदन के प्रति दुराचरण के दोषी हैं। आपको उन्हें अवज्ञा के लिये दोषी ठहराना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अवज्ञा के लिये कैसे दोषी ठहरा सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि आप ऐसा नहीं करते, तो हमें यह कहते हुए दुःख होगा कि आप सरकार को संरक्षण दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सम्बन्धित सदस्य मुझसे इस बात की शिकायत नहीं कर रहे हैं। अन्य सदस्य इस बारे में शिकायत कर रहे हैं। **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री इन्द्रजीग गुप्त : यह औचित्य का प्रश्न है। यह सदन के प्रति अनादर है। वह सदन की बैठक से पूर्व सदस्य को बैठक में उपस्थित न होने के लिये कह सकते थे। सदन में उपस्थित होने पर वह सदस्य को उनका प्रश्न आने से ठीक पहले सदन छोड़ने का अनुरोध नहीं कर सकते **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री ज्योतिमर्य बसु : आपके कहने से पूर्व मुझे यह कहना है कि यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम मंत्री महोदय के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। आप उन्हें नाम लेकर पुकारिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आपने इस सम्बन्ध में निर्णय लेना है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति रखिये।

श्री ज्योतिमर्य बसु : नहीं; श्रीमान जी। शान्ति नहीं होगी। आप मंत्री महोदय की निन्दा नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की कार्यवाही में बाधा क्यों डाल रहे हैं? आपकी शिकायत यह है कि एक सदस्य को, जब उसके प्रश्न की बारी है, मंत्री महोदय द्वारा बाहर भेज दिया गया है। उस सम्बन्ध में मेरे निर्णय की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाये मैं उस सदस्य से यह पूछूंगा कि उन्हें बाहर कैसे ले जाया गया।

(व्यवधान)

श्री जी० विश्वनाथन : मंत्री महोदय को सभा के समक्ष इस बात को स्पष्ट करना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इसमें सहयोग दीजिए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

डा० हमरी आस्टिन : हम प्रश्न संख्या 210 पर विचार कर रहे हैं । अब मामला कैसे उठाया जा सकता है ? (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप निर्णय लेने जा रहे हैं ? उन्होंने इस सभा में दुराचरण का अपराध किया है ? यदि आप ऐसा नहीं करते हैं; आप सभा के अध्यक्ष के रूप में अपना कर्त्तव्य नहीं निभायेंगे । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । हम प्रश्न संख्या 210 पर विकार कर रहे हैं । उसके पश्चात् मैं देखूंगा । मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । हमने अभी दूसरे प्रश्न को नहीं लिया है । पूर्व प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है ।

Still the previous question is not over. When the next question is taken up, then you may speak.

Shri Dinen Bhattacharya : This was going to be finished. (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी एक साथ बोल रहे हैं । मैं सुन नहीं पा रहा हूं । आप एक साथ 20 सदस्य इकट्ठे खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं । (**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): चूंकि अनेक बातें कही गयीं हैं, इसलिये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने उस सदस्य को बाहर नहीं भेजा है । यद्यपि मैं यह नहीं चाहता कि इस सम्बन्ध में कोई गलतफहमी रह जाये । आप एक विशेष मामले के रूप मे इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दें । (**व्यवधान**) ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: वह जानबूझ कर इस बात से इंकार कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: हमने इसे अपनी आंखों से देखा है ।(**व्यवधान**)

डा० कैलाश : वे नहीं चाहते कि प्रश्न संख्या 211 का उत्तर दिया जाये ।

Shri Madhu Limaye : Mr. speaker, Sir, I rise on a point of order. When you listen my point, the position would be clear.

Shri Hukam Chand Kachwai : Such kind of disorder is done by them and they blame us for making noise.

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये । आप कोई बात कहते हैं । मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया । मैं यही कुछ कर सकता हूं कि मैं सदस्य को अपने कक्ष में बुला कर पूछूं । (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मानजी, यह व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमानजी, हमने अपनी आंखों से संसदीय कार्य मंत्री को ऐसा करते देखा है .... (**व्यवधान**)

28 LSS/73—3

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें .... (**व्यवधान**) क्या आप कृपा करके बैठ जायेंगे ? अब श्री मधु लिमये .... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिमर्य बसु : श्रीमान जी, एक व्यवस्था के प्रश्न पर .... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनके व्यवस्था के प्रश्न के बारे में आधे मिनट के लिये नहीं सुन सकते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान जी इस सभा के दस सदस्यों ने अपनी आंखों से संसदीय कार्य मंत्री श्री रघुरामैया को ऐसा करते देखा .... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इससे इंकार करते हैं .... (**व्यवधान**) । मंत्री महोदय इससे इकार कर रहे हैं । कृपया बैठ जायें । आप एक बात कहते हैं, तो वह कुछ और कहते हैं । मेरे लिये इस बात का निर्णय करना बहुत ही कठिन है । यदि मैं यह कहूं "मुझे आप की बात पर विश्वास है" तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि मुझे दूसरे पक्ष की बात पर अविश्वास है .... (**व्यवधान**) यदि आप इस तरह करते रहे, तो हम कोई कार्य कैसे कर सकते हैं ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप उनसे पूछते क्यों नहीं हैं .... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी को बहुत अधिक धमकाने का प्रयास मत कीजिये । यदि आप किसी बात से अप्रसन्न हैं, तो आप सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं । मंत्री महोदय ने अपना स्पष्टीकरण दिया है । यदि एक पक्ष एक बात कहता है और दूसरा पक्ष कहता है कि यह बात गलत है और तब आप मुझे इह बात का निर्णय करने के लिये कहते हैं कि कौन सा पक्ष झूठ बोल रहा है और कौन सा पक्ष सच कह रहा है, तो मेरे लिये इस बात का निर्णय करना कठिन है । में यहां विधायी कार्यवाही को चलाने के लिये हूं .... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिमर्य बसु : आप कृपया इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज दीजिए .... (**व्यवधान**)

Shri Shankar Dayal Singh : Whether a Member has not got a right to go outside, and if any Member goes out, whethers they have the right to prevent him from going outside? (*Interruptions*). They are making so much noise, because they want that the question regarding huts may not be discussed.

अध्यक्ष महोदय: अभी पहला प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है । में दूसरे प्रश्न को लेना चाहता था और उसके पश्चात् सदस्य को बुलाना चाहता था । यदि वह सदस्य मौजूद नहीं है, तो किसी सदस्य पर इस प्रश्न की सूचना देने का प्रतिबन्ध नहीं है । हम इसे गृहीत कर लेंगे । किन्तु आप मुझे दूसरे प्रश्न को लेने नहीं दे रहे हैं । (**व्यवधान**) यह कहने का प्रश्न नहीं है कि उद्देश्यों को न लाया जाये । यदि वह सदस्य मौजूद नहीं है, आप दूसरी सूचना दे सकते हैं । उसके लिये पर्याप्त समय होता है । हम उसे गृहीत कर लेंगे । (**व्यवधान**)

मुझे दुःख है कि प्रश्न काल पहले ही समाप्त हो चुका है । पहले ही तीन मिनट अधिक हो चुके हैं । श्री मधु लिमये—ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

श्री मधु लिमये : श्रीमान जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir. You have called me twice.

अध्यक्ष महोदय : किन्तु वे बैठते नहीं हैं । मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : दूसरे मद को लेने से पूर्व यह व्यवस्था के प्रश्न को उठाने का समय है । यह उस मद के, जो अभी-अभी समाप्त हुई है, सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : हम उस मद पर विचार नहीं कर रहे हैं; हमने अब दूसरी मद को ले लिया है । (**व्यवधान**) मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान जी, मैं सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप केवल इस सभा के नियमों के ही अभिरक्षक नहीं हैं, अपितु आप औचित्य के मामलों में भी सभा के अभिरक्षक हैं । मैं नियमों पर आधारित मामले को नहीं उठा रहा हूं । मैं जानता हूं कि कुछ सदस्य आपसे उस प्रश्न की अनुमति देने के लिये कह सकते हैं, हालांकि वह विशेष सदस्य मौजूद नहीं हैं जिसके नाम से यह पूछा गया है । उस अंश का निपटान नियमों के अनुसार किया जाता है । मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या आप औचित्य के मामलों में, जिन से सभा की गरिमा और दर्जे पर प्रभाव पड़ता है, भी सभा के अभिरक्षक हैं अथवा नहीं ? हमें यह बताने का कोई लाभ नहीं है कि प्रत्येक सदस्य को सभा से बाहर जाने का अधिकार है । हम सभी यह बात जानते हैं । प्रश्न यह है कि यहां कुछ हुआ है ।

Shri Shankar Dayal Singh : The question of hut-owners is very important. The members is here.

Shri Shashi Bhushan : The leaders of the opposition have sent Shri Ganga Dev out of the House.

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केवल एक सदस्य ने ही नहीं, अपितु कम से कम एक दर्जन सदस्यों ने इस घटना को देखा है । यह नियमों का मामला नहीं है । यदि सत्तारूढ़ दल अथवा मंत्री महोदय यह चाहते कि प्रश्न यहां न पूछा जाये, तो ऐसा कुछ अन्य ढंग से किया जा सकता है । वह सबके सामने यह अनुचित तरीका अपना रहे हैं । यह सभा की गरिमा के विरुद्ध है । (**व्यवधान**) यही कारण है कि हम आपसे अपील कर रहे हैं । हम ऐसा नहीं करने देंगे । (**व्यवधान**)

श्री राम सहाय पांडे : हमारा दल इस प्रश्न के उत्तर देने से बचना नहीं चाहता, जिसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं । हम तैयार हैं । प्रश्न पूछा जा सकता है और उसका उत्तर दिया जा सकता है... (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye : You have stated that according to rules another notice can be given in this regard and the question can be admitted. But if you see the rules carefully, then you would know that if any Hon'ble Member is absent, the reply of his question, which has been prepared by the Minister, is laid on the Table of the House and after that no supplementary question is allowed on that. Therefore you please call those people, who have seen the Member going outside and the Parliamentary Affairs Minister and also Shri Ganga Dev and then give your ruling in this regard. If we have no right to ask this question, then we have got the right to put the Supplementary Questions. Therefore you keep it pending.

अध्यक्ष महोदय : श्री श्यामनन्दन मिश्र।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : हमें भी बोलने का अवसर अवश्य दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा निवेदन यह है कि यह सूचना प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है। यह सभा के औचित्य का प्रश्न है।

Shri Shashi Bhushan : Whether the Hon'ble Member has seen this? They have themselves sent him out. (*Interruptions*)

श्री ए० पी० शर्मा : आप यहां नहीं थे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : अन्तिम रूप से हम समस्या को कैसे हल कर सकते हैं ?

Shri Shashi Bhushan : If the Members tell a lie, like this, I am not willing to sit here. (*Interruptions*).

(इसके पश्चात श्री शशि भूषण सभा से उठकर चले गये)

(*Shri Shashi Bhushan then left the House*).

श्री ए० पी० शर्मा : यदि वे यहां उपस्थित नहीं थे, तो वह क्या कह सकते हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरा सुझाव है कि जब दो पृथक कथन हों, तो सच का पता लगाया जाना चाहिये। इस मामले में यदि आप हमें विशेषाधिकार समिति के पास नहीं भेजते हैं, तो तथ्य का पता कैसे लगाया जायेगा ? अतः, तथ्य का पता लगाने के लिये इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इस मामले को इसी समय अध्यक्ष महोदय की विशेष शक्तियों के अन्तर्गत लाया जाये। अन्यथा इससे काफी असन्तोष पैदा हो जायेगा।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : हम शान्तिपूर्वक उन कुछ लोगों की बातों को सहन कर रहे हैं जो इस सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं . . . (**व्यवधान**) अब आप बाधा डाल रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा एक सदस्य को बाहर भेजे जाने के औचित्य पर आपत्ति की है। आपने सही ही कहा है कि संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात से इंकार किया है कि वह सदस्य को बाहर ले गये थे। यह ठीक बात है जो आपने की है। विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य . . . (**व्यवधान**)

श्री ए० पी० शर्मा : आप क्या कर रहे हैं। एक ही समय तीन या चार सदस्य खड़े होकर शोर मचा रहे हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : प्रक्रिया नियमों के अनुसार सभा में प्रश्न संख्या 210 का उत्तर दिया जा रहा था। जब यह अभी पूरा नहीं हुआ है, एक सदस्य खड़ा हो जाता है अथवा तीन या चार सदस्य तक साथ खड़े हो जाते हैं और सभा की कार्यवाही को अच्छी तरह और नियमों के अनुसार नहीं चलने देते। आपने कहा है कि जब सदस्य उपस्थित होता है, तो उसे प्रश्न पूछने के लिए बुलाया

जायेगा । यदि सदस्य उपस्थित नहीं है, तो प्रश्न का उत्तर लिखित माना जायेगा । सदस्यों को संकल्प अथवा आधे घण्टे की चर्चा के रूप में इस प्रश्न को उठाने के लिये पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे । यही कुछ होता चला आया है और हम आपका संरक्षण चाहते हैं । हम उन लोगों की अनुचित बातों को कैसे सहन करेंगे जो इस संसद के कार्य में बाधा डाल रहे हैं और इस देश के संसदीय लोकतन्त्र का उन्मूलन करना चाहते हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । आपने कहा है कि कोई सदस्य सूचना दे सकता है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : प्रश्न काल समाप्त हो चुका है । इस पर और चर्चा नहीं होगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी: आपने कहा है कि कोई भी सदस्य उसी प्रश्न की सूचना दे सकता है । श्रीमान् जी पहले एक प्रश्न के लिये 15 या 20 सदस्यों को जोड़ दिया जाता था । आजकल केवल दो नामों को जोड़ दिया जाता है अथवा एक और नाम भी साथ जुड़ा होता है । यदि अधिक नाम होते हैं, और यदि एक सदस्य, जिसका नाम पहला होता है, उपस्थित नहीं होता है तो दूसरों को प्रश्न पूछने का अवसर मिल सकता है । 5 या 6 व्यक्तियों के नाम होने चाहियें ।

कृपया उन सदस्यों के, जिन्होंने सूचनायें दी हुयी हैं, नाम से प्रश्न को गृहीत कीजिये । अनेक सदस्य उसी प्रश्न के लिये सूचनायें देते हैं । श्रीमान् जी, अन्यथा यह बात कठिन हो जायेगी ।

कृपया इसे नियम समिति अथवा सभा की एक समिति के सामने रखें । उसे इस बात की जांच करनी चहिये ।

Shri Narsingh Narain Pandey: Mr. Speaker, Sir, the position is that, Question No. 210 was being asked, the main questioner Shri Sinha had asked the supplementaries myself and many other members wanted to raise questions in regard to Uttar Pradesh in this context. We got up and we were trying to draw your attention. Meanwhile Hon'ble member of C.P.M. got up and said that question No. 211 of Shri Ganga Dev may be taken up. I want to submit that when any matter regarding Uttar Pradesh is raised, no attention is paid to it. Only main questioner, Shri Sinha could raise the Supplementaries regarding this Questions and other Hon'ble Members could not get opportunity to ask supplementary Question When any Question regarding Bengal, to which Shri Jyotirmoy Basu belongs, and other States is raised, atleast 10 Supplementary Questions are allowed and half an hour time is given. By this we are put to great difficulty. No attention is given to the problems of a big State like Uttar Pradesh. Now some members are raising the question of propriety. I want to ask where the Question of propriety is involved in it ? Question No. 211 was still to be taken. Therefore the Question of presence of the Questioner in the House does not arise. It has become the usual practice here that some Hon'ble Members waste the time of the House by making so much noise. I request you to control it, otherwise the decorum of the House would not be maintained.

प्रो० मधु दंडवते : जब यह शोर मच रहा था, तो मैं बाहर गया और श्री गंगादेव से मिला। मैंने कहा कि आपके प्रश्न के कारण सभा में शोर मचा हुआ है, आप कृपा करके आ जायें। उन्होंने कहा: क्या प्रश्न पर चर्चा होने वाली है ? तो मैं जा रहा हूं। आप श्री गंगा देव को बुला सकते हैं और इस बात की जांच कर सकते हैं, जो मैं कह रहा हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह कोई गलत बात नहीं है। वह यहां होते हुये भी प्रश्न पूछने से इंकार कर सकते हैं। सदस्य बाहर जा सकते हैं। इस बारे में गलत बात क्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये।

श्री सी० एम० स्टीफन : जब आप खड़े हैं तो क्या इनका इस प्रकार बोलना उचित है ? **(व्यवधान)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य : लोकतंत्र के लिये खतरा पैदा हो गया है। यह इतिहास में लिखा जायेगा कि आप भी इसके लिये जिम्मेदार हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। केवल आप ही लोकतंत्र के अभिरक्षक नहीं हैं **(व्यवधान)**

श्री आर० एस० पांडे : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न सख्या 210 पर चर्चा की जा रही थी। आपने प्रश्न सख्या 211 के बारे में घोषणा नहीं की है। यदि आप ने ऐसी घोषणा की होती और यदि उस समय श्री गंगा देव सभा में उपस्थित न होते तब तो वे कुछ कह सकते थे। अतः प्रश्न सख्या 211 के बारे में जितने प्रश्न पूछे गये हैं उनमें कोई सार नहीं हैं क्योंकि आपने प्रश्न सख्या 211 पूछने और उत्तर देने की अनुमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथन **(व्यवधान)** कृपया बैठ जाइये। मैं आप की बात बाद में सुनूंगा।

श्री जी० विश्वनाथन : प्रश्न सख्या 211 बहुत गम्भीर प्रश्न है। इस पर तुरन्त चर्चा की जानी चाहिये। दूसरे मामले के बारे में दो साक्षी हैं--मंत्री महोदय ने इस बात से इन्कार किया है कि वह माननीय सदस्य को सभा से बाहर ले गये थे। हम चाहते हैं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये और इस समिति को सम्पूर्ण मामले की जांच करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप बैठ जाइए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है—श्री लिमये ने ठीक ही कहा है--कि मैंने और श्रीपांडे ने कहा था और मेरी बाई ओर बैठे सदस्यों ने ही कुछ कहा था। श्री मधु लिमये ने कहा था कि मुझे इन तीनों सदस्यों को अपने कक्ष (चेम्बर) में बुलाना चाहिये और उनके साथ बातचीत करनी चाहिये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : उस विषय का क्या हुआ जिस पर हम सब लोग चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस समय किसी विषय पर चर्चा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम अभी उस प्रश्न पर पहुंचे ही नहीं। उस प्रश्न के पूछे जाने के पहले ही प्रश्न काल समाप्त हो गया था। मैं आपको बैठ जाने के लिये कहता और अनुरोध करता रहा हूं। मैं आपसे कह रहा था कि जब वह प्रश्न आयेगा मैं माननीय सदस्य को बुला लूंगा। और यदि वह उस समय तक नहीं आते तो उस समय बातचीत हो जाती। जब यह मामला उठाया गया था उस समय अभी आधा घण्टा बाकी था। मैं बार बार अनुरोध करता रहा कि हम इस प्रश्न से दूसरे प्रश्न तक पहुंच जायें जिसके बारे में विवाद है।

ऐसा नहीं करने दिया गया। श्री मधु लिमये की बात मैंने भी सुन ली और मंत्री महोदय ने भी सुन ली है। मैं सभी सदस्यों को अपने चेम्बर में बुलाऊंगा और इस स्थिति पर विचार करूंगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : उस प्रश्न पर तत्काल विचार किया जाना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : तत्काल विचार करने की कोई बात नहीं है। यदि सदस्य को बुलाया गया होता और वह उपस्थित न होता तब इस मामले पर विचार किया जा सकता था। परन्तु प्रश्न काल पहले ही समाप्त हो गया था **(व्यवधान)**

श्री भागवत झा आजाद : जब किसी सदस्य को प्रश्न पूछने के लिये कहा जाता है तो वह कह सकता है कि वह प्रश्न नहीं पूछना चाहता। वह ऐसा कह सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा की जायेगी।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : यदि आप शांति चाहते हैं तो आप माननीय सदस्य को बुला सकते हैं। परन्तु यह बात ठीक नहीं है।

श्री ज्योतिमर्य बसु : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं

अध्यक्ष महोदय : मैं अब और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री भागवत झा आजाद : आप किस नियम के अन्तर्गत माननीय सदस्य को बुलायेंगे? मुझे अपना प्रश्न पूछने का अधिकार है या नहीं? जब मेरा प्रश्न पूछा जाता है तो मुझे यह कहने का अधिकार है मैं प्रश्न पूछूं या नहीं। अतः आप कैसे कह सकते हैं कि आप माननीय सदस्य को बुलाओगे? आपकी यह बात बिलकुल ग़लत है।

श्री राम सहाय पांडे : मैं श्री आजाद के विचारों का समर्थन करता हूं। यह सदस्य का अधिकार है कि वह प्रश्न पूछे या नहीं? उसे स्वयं सभा में रहना चाहिये और प्रश्न पूछने के लिये अथवा सभा की अनुमति लेने के लिये उपस्थित रहना चाहिये।

श्री सी० एम० स्टीफन : आप ख़तरनाक पूर्वोदाहरण स्थापित कर रहे हैं। एक सदस्य को यहां रहने या बाहर जाने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति मुझे यहां आने और प्रश्न पूछने पर बाध्य नहीं कर सकता। मैं यह बताने के लिये बाध्य नहीं हूं कि मैं क्यों बाहर जा रहा हूं। यह मेरी मर्जी है कि मैं यहां रहूं या बाहर जाऊं **(व्यवधान)** मंत्री महोदय पर गंभीर आरोप लगाया गया है। क्या आप इसकी जांच करेंगे? जब मंत्री महोदय ने उस आरोप का खंडन कर दिया है तो उचित बात यही है कि मंत्री महोदय के कथन को स्वीकार कर लिया जाये और जब तक सभा उस प्रश्न को विशेषाधिकार का प्रश्न न स्वीकार करे, इसकी जांच नहीं की जा सकती। अब कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार के उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं है। उस प्रश्न का उत्तर देने का भी कोई प्रश्न नहीं है जो पूछने की ही अनुमति नहीं दी गई।

श्री ज्योतिमर्य बसु : मैं आपको एक अप्रिय बात बताना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को कई बार अनुमति दी जा चुकी है। मैं उनको एक बार से अधिक अनुमति नहीं दे सकता। वह कृपया बैठ जायें।

ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न अब पूछा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। पहले प्रश्न को ही निपटाया नहीं गया था। मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया था कि वे बाधा न डालें और पहले प्रश्न को निपटा लेने दें ताकि दूसरे प्रश्न पर विचार किया जा सके जिस पर माननीय सदस्य वाद-विवाद कर रहे थे। परन्तु माननीय सदस्यों ने ऐसा नहीं किया है। इस बीच प्रश्न काल समाप्त हो गया था। इसके बावजूद मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया था कि वह इस आग्रह को छोड़ें ताकि मैं अगले प्रश्न की अनुमति दूं, परन्तु माननीय सदस्यों ने ऐसा नहीं करने दिया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप यह बात किस को बता रहे हैं? आप दूसरी ओर के सदस्यों को बतायें।

Shri Phool Chand Verma : Sir, this is a shameful incident that occurred in this House today. This is unprecedented in the history of Parliament. The Hon'ble Minister has undermined the dignity of the House....(*Interruptions*). He was made to sit outside uptil now....

Mr Speaker : Who stopped him, he could come.

Shri Phool Chand Verma : He was not being allowed to come in.

श्री राम सहाय पांडे : हमारे दल के सदस्य का अपमान करना माननीय सदस्य के लिये उचित नहीं है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी बात की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री एस० ए० शमीम : मैं यह नहीं कहता कि सदस्यों को सभा से बाहर जाने में कोई रुकावट है। बात यह नहीं है। प्रश्न यह है कि आप ने यह देखा है कि यह घटना कुछ परिस्थितियों की पृष्ठ-भूमि में हुई है जिसके कारण सदस्यगण उत्तेजित हो रहे हैं। जब भी माननीय सदस्य प्रश्न रखे जाने के बाद सभा में उपस्थित नहीं रहे, आप दुःख और क्रोध प्रकट करते रहे हैं। आप ने ठीक ही कहा है कि प्रश्न रखे जाने के बाद सदस्य का यह कर्त्तव्य है कि वह सभा में उपस्थित रहे...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि इस मामले में अभी प्रश्न पूछा ही नहीं गया। पहले प्रश्न को निपटाने के बाद मैंने उस प्रश्न को पूछने की अनुमति देनी थी।

श्री एस० ए० शमीम : मैंने अभी अपना वाक्य पूरा नहीं किया है। इस मामले में जब सदस्य को बुलाया जाना था उससे एक मिनट पहले तक वह उपस्थित था। इस मामले में तीन या चार बातें हुई है। यहां पर संसदीय लोकतंत्र का यह ढंग है।

अध्यक्ष महोदय : वह बाहर चले गये होंगे।

श्री एस० ए० शमीम : कभी कभी चर्चा में कमी करने के लिये कोरम की घण्टी बजाई जाती है। कई बार प्रश्न से उलट बातों का उल्लेख किया जाता है। हम संसदीय लोकतंत्र के विषय में बात कर रहे हैं। हम इस घटना से इसलिये क्रुद्ध हैं क्योंकि यह बात भी यहां पर संसदीय लोकतंत्र में

होने वाली घटनाओं के अनुरुप है (व्यवधान) हम आप से अपील करते हैं कि आपको औपचारिकता की ओर ध्यान न दे कर लोकतत्व की रक्षा करनी चाहिये। यह आपका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। (व्यवधान)

Mr. Speaker : I was still on the first question. (*Interruptions*) Had taken up the next question and called the Member, the question of my observation would have arisen. I had requested time and again not to interrupt. You should raise this question only when I call the Member and if he is not present. There was still half-an hour left. These things are going on since then. How can any business be conducted in this manner?

Shri Shyamnandan Mishra : When the incident occurred we invited your attention towards it.

Mr. Speaker : There was nothing on which observation could be made. Therefore I requested them to sit down.

ध्यान दिलाने वाली सूचना—श्री मधु लिमये (व्यवधान)
प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : चेम्बर में बुलाये जाने की कोई बात नहीं होनी चाहिये। प्रश्न यह है कि क्या इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे विचाराधीन नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : कोई माननीय सदस्य आपके चेम्बर में आपसे क्यों मिले ?

अध्यक्ष महोदय : वह न मिलें।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह सुझाव हमें बिल्कुल मान्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी ओर से सुझाव दिया गया था।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हमने आपसे मिलकर कौन से मामले को तय करना है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पूछा जाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसमें विशेषाधिकार उल्लघन की कोई बात नहीं। इस समय सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : अनुपूरक प्रश्न पूछना इस अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 210 के लिये अधिक समय दिया जाना चाहिये । यह सदस्यों का मूलभूत अधिकार है। उसकी अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना श्री मधु लिमये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि आप सहयोग चाहते हैं तो आपको प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिये

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे विवश नहीं कर सकते। मैं नियमों के अनुसार ऐसा नहीं कर सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 384

अध्यक्ष महोदय : अब कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। आप कोई अन्य प्रस्ताव रख सकते हैं, मैं उसकी अनुमति दे सकता हूं। मैं नियमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। प्रश्न पूछा ही नहीं गया और प्रश्न काल समाप्त हो गया है। प्रश्न काल के बाद प्रश्न पूछने की कैसे अनुमति दी जा सकती है ? नियमों के अनुसार अनुमति नहीं दी जा सकती **(व्यवधान)**

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हमें बहुत अफ़सोस है कि हम भूखमरी जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर भी चर्चा नहीं कर सकते। वास्तव में अध्यक्ष महोदय सदस्यों की सहायता नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं आपके स्तर तक नहीं पहुंच सकता।

Shri Shyamanandan Mishra : What is the remedy then? You are not offering any solution to this important question.

Mr. Speaker : If you want a discussion, you can have it and if you want to bring an adjournment motion, you can do so. I cannot ignore the rules. We have to conduct the business of the House according to rules. मैं चाहे बुरा हूं या भला, नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आपको विशेष शक्तियों प्राप्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई विशेष शक्ति नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आप पहले ऐसा करते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों के बाहर नहीं जा सकता। मेरे पास नियमों के इतर कोई विशेष शक्तियां नहीं हैं। आप कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। ऐसा न कारिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस संम्बध में समस्त विरोधीपक्ष एक है और चाहता है कि प्रश्न पूछने की और इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने की अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सब नियम देख लिये हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके अनुसार प्रश्न की अनुमति दी जा सके विशेषकर जब वह पूछा ही न गया हो और प्रश्न काल समाप्त हो गया हो। मैं कोई पूर्वोदहारण नहीं बनाना चाहता। मैं इस बारे में नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय कोई स्वस्थ परम्परा स्थापित नहीं कर रहे हैं और न ही वह सभा के लिये सहायक सिद्ध हो रहे हैं ....

अध्यक्ष महोदय : इन आदरसूचक शब्दों के लिये धन्यबाद।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : सभा की कार्यवाही का यही निष्कर्ष निकलेगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि में आपके कहने पर चलूं तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह भुखमरी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अतः प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिये और इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज देना चाहिये ताकि मंत्री के दुराचार के संबध में उचित कार्यवाही की जा सके।

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे कार्यवाही चलाने दीजिये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: प्रश्न की अनुमति देने में आप को क्या कठिनाई है?

अध्यक्ष महोदय: ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री ज्योतिमर्य बसु: 389

श्री श्यामनन्दन मिश्र: आपके पास अवशिष्ट शक्तियां है।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास कोई अवशिष्ट शक्तियां नहीं है। मुझे भलीभान्ति पता है।

श्री ज्योतिमर्य बसु: जब बसु को सभा से निकालने या विशेषाधिकार प्रस्ताव हो तो ये शाक्तियां बहुत लाभप्रद होती हैं परन्तु श्री रघुरामैया के प्रश्न के समय नहीं।

अध्यक्ष महोदय: शाक्ति इस सभा की है, मेरी नहीं। यह सभा ही निर्णय कर सकती है जब मुझे प्रक्रिया से इतर कोई कार्यवाही करनी है तो इस का निर्णय यह सभा ही कर सकती है। यदि आप चाहते हैं कि किसी प्रक्रिया विशेष को विलम्बित किया जाये तो आप सभा के समक्ष प्रस्ताव रखिये। मैं उसे स्वीकार कर लूंगा।

श्री ज्योतिमर्य बसु: आपने क्या बात स्वीकार की है?

अध्यक्ष महोदय: यदि आप चाहते हैं कि प्रक्रिया के कुछ उपबन्धों को निलिम्बित किया जाये तो आप सभा के समक्ष प्रस्ताव लाईये।

श्री पी० गंगादेव: मुझे खेद है कि मेरे विषय को ले कर सभा में कुछ तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। मुझे यह पता नहीं कि यह सब कैसे हुआ यदि यह संदेह प्रकट किया है कि किसी व्यक्ति ने मुझे बाहर जाने को कहा है तो मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मैं उसे जानना चाहूंगा। यह बात ठीक नहीं है। मैं स्वंय बाहर जाना चाहता था क्योंकि सूचना कार्यालय में मैंने उत्तर पढ़ा था कि राज्यपाल ने भुखमरी के कारण मौते होने से इन्कार किया है। अतः में कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय: अब हम अगली मद पर विचार करेंगे?

श्री श्याम नन्दन मिश्र: आपने उनको वक्तव्य देने की अनुमति दी है। अब इसके उत्तर में एक वक्तव्य देना होगा (व्यवधान) मंत्री महोदय ने झूठी बात कही है। इस ओर से यह आरोप लगाया गया है। आपको इस मामले में विनिर्णय देना चाहिये। चेम्बर में कोई बात नहीं की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: वह हमेशा गुस्से में बात करते हैं। मेरे विनिर्णय का प्रश्न ही नहीं उठता। आप सब इस सभा के माननीय सदस्य हैं। एक सदस्य कुछ कहता है, दूसरा कुछ और कहता है। क्या न्यायालय की तरह मुझे यह देखना है कि कौन ठीक है और कौन ग़लत है?

श्री श्याम नन्दन मिश्र: इस प्रश्न का निर्णय कैसे किया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय: यदि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो सभा निर्णय कर दे कि कौन व्यक्ति ठीक या कौन ग़लत है। मैं यह नहीं कहता कि आप ठीक हैं और दूसरा पक्ष ग़लत है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह विनिर्णय है, यदि यह आप का विनिर्णय है कि सभा को इस बात का निर्णय करना चाहिये तो मैं इससे संतुष्ट हूं। तो फिर प्रश्न पूछे जाने के बारे में आप ने क्या निर्णय किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगला प्रश्न बोला ही नहीं। मैंने निरतंर कहा है कि यदि वह उपस्थित नहीं है तो वह प्रश्न पूछा जाना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है। अब मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इस बारे में आप का विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदयः मेरा विनिर्णय यह है कि अब उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : तो फिर जब तक आप पीठासीन हैं, यह प्रश्न कभी नहीं पूछा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप उस पर चर्चा की मांग कर सकते हैं। मैं उसकी अनुमति दे सकता हूं परन्तु मैं नियम के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आधे, घंटे की चर्चा...

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से भी मजबूत हूं। आप ऐसा मत करो——इस प्रकार हाथ हिलाना (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : यह व्यक्ति सदस्य पर, मंत्री पर और अब अध्यक्ष महोदय पर लांछन लगा रहा है। वह बहुत ही परेशान कर रहा है (व्यवधान)

श्री श्याम नन्दन मिश्र : जहां तक प्रश्न का संबध है आप ने हमें आधे घंटे की चर्चा करने के लिये सूचना देने को कहा है। हम इससे असंतुष्ट नहीं हैं। पहले कोई विनिर्णय नहीं किया गया था। इसीलिये हम उत्तेजित थे।

श्री सी० एम० स्टीफन : सामान्यतः औचित्य यह है कि जो भी वक्तव्य दिया जाये उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया जाये। वह औचित्य की बात कर रहे हैं और स्वंय उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जब सब कुछ हुआ तो वह यहीं थे और अब वह दूसरों को परेशान कर रहे हैं यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा की जायेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण और प्रबन्ध की आलोचना

201. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनका ध्यान नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया द्वारा भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण और प्रबन्ध की इस आशय की आलोचना की ओर दिलाया गया है कि इसने सरकार के वसूली प्रयासों में रुकावट डाली है और देश के सहकारी आन्दोलन पर बुरा प्रभाव डाला है, और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्टाक उठाये जाने में कथित विलम्ब और इसके किस्म निरीक्षकों की खरीद केन्द्रों में न जाने संबंधी लापरवाही के बारे में जांच की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति और वितरण में सहकारी समितियों के कार्य पर 7 जुलाई 1973 को हुए सम्मेलन के लिये भारत के राष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज और उक्त सम्मेलन में हुई चर्चा में भारतीय खाद्य निगम के कार्यों का और प्रबंध की ऐसी कोई आलोचना नहीं की गई थी लेकिन परिचालन संबंधी अनुभव की गई कठिनाइयों के बारे में भारतीय खाद्य निगम और सहकारी समितियों के बीच कार्यचालन विषयक प्रबन्धों में सुधार लाने के लिये कुछ एक सुझाव दिए गए थे।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के विचार प्राप्त हो गए हैं और भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधियों और संबंधित सहकारी संस्थाओं की एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है ताकि परिचालन संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जा सके।

राज्यों में आहार सम्बन्धी स्वभाव का सर्वेक्षण

*203. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री प्रोटीन फूड एसोसियेशन आफ इण्डिया द्वारा राज्यों में आहार संबंधी स्वभाव के सर्वेक्षण के बारे में 23 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस सर्वेक्षण से यह विदित होता है कि आन्ध्र प्रदेश, केरल और मैसूर में लगभग 25 प्रतिशत तथा तमिलनाडू में लगभग 12 से 15 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन 1,000 कैलोरी तथा 25 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है जबकि उनके लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 2,500 कैलोरी तथा 55 ग्राम प्रोटीन दिये जाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक गर्भवती महिला को औसतन 2,300 कैलोरी और 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन फूड एसोसियेशन आफ इंडिया के सर्वेक्षण से पता चलता है कि आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर तथा तमिलनाडु की जिन गर्भवती महिलाओं को प्रति दिन 1,000 से अधिक कैलोरी तथा 25 ग्राम से अधिक प्रोटीन मिलता है उनका प्रतिशत इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	जिन महिलाओं को प्रतिदिन	
	1,000 से अधिक कैलोरी मिलती है	25 ग्राम से अधिक प्रोटीन मिलता है
आन्ध्र प्रदेश	67.0 प्रतिशत	62.3 प्रतिशत
केरल	76.5 प्रतिशत	73.6 प्रतिशत
मैसूर	84.0 प्रतिशत	81.7 प्रतिशत
तमिलनाडु	79.1 प्रतिशत	80.4 प्रतिशत

गर्भवती महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या की जानकारी सरकार को है और सरकार ने अनेक पोषण कार्यक्रम चलायें हैं और पांचवीं पंच वर्षीय योजना में इनका उत्तरोत्तर विस्तार किया जाना है

मधुमेह-रोधी औषधि

*205. **श्री सी० वाई० कृष्णन : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक नई अत्यन्त प्रभावी मधुमेह-रोधी औषधि का प्रयोग आरम्भ किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां,

(ख) "ग्लाइबेंक्लेमाइड" नामक मधुमेह की एक नई औषधि बनी है और यह देश में "डायोनिल" "ग्लोकोन" और "बैटानेस" के तीन भिन्न-भिन्न नामों से बाजार में बेची जा रही है।

दिल्ली में वायुदूषण

*207 **श्री पी० ए० सामिनाथन क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 8 जुलाई, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे एक समाचार के अनुसार जुलाई, 1973 मास में दिल्ली में वायुदूषण के कारण 32 व्यक्ति मरे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 8 जुलाई को जो खबर छपी थी, उसमें पिछले 11 महीनों में वायुदूषण से हुई कथित बीमारियों के कारण 32 मौतों का जिक्र है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ वायुदूषण की समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली के उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में यह एक "एक्शन ग्रुप" का गठन किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) से ऋण

*208. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों को ऋण देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) ने एक योजना मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इसी प्रकार के ग्रामीण ऋण किन्हीं अन्य राज्यों को भी दिये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश के लिये मंजूर की गई परियोजना का कुल परिव्यय 54.38 करोड़ रुपये है जिसमें से 380 लाख डालर की सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश के लिये

45.22 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है जिसमें से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 330 लाख डालर की सहायता प्राप्त होगी।

(ग) जी हां।

गुजरात में पीपावव और सलाया का सीधे घाट लगाने वाले पत्तन के रूप में विकास

***209. श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र तट पर पीपावव का गहरे पानी के सीधे घाट लगाने वाले पत्तन और सलाया का बड़े मालवाहक जहाजों के लिये उपयुक्त सीधे घाट लगाने वाले पत्तन के रूप में विकास करने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हा, राजस्थान सरकार ने पांचवीं पचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पीपावव और सलाया बन्दरगाहों के विकास करने का सुझाव दिया है।

(ख) पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे एव मध्यवर्ती बन्दरगाहों का विकास करने के प्रस्तावों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। इसलिये अभी सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है।

उड़ीसा में भूखे रहने के कारण हुई मौतें

***211. श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस ग्रीष्म काल में, भूखे रहने के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ; और

(ख) इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इन गर्मियों में उड़ीसा में भूखमरी से कोई मौत नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियां

***212. श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली की प्रत्येक रिहायशी बस्ती में कितनी-कितनी झुग्गी-झोंपड़ियां है।

(ख) उन झुग्गी-झोंपड़ियां में रहने वालों को पानी, बिजली तथा कौन-कौन सी अन्य सार्वजनिक सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ग) इन झुग्गी-झोंपड़ियों के निवासियों को वैकल्पिक स्थान देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कहां-कहां ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) नई दिल्ली में लगभग 75 झुग्गी-झोंपड़ी-समूह हैं जिन में लगभग 19,560 झोंपड़ियां हैं।

(ख) गन्दी बस्तियों के वातावरण संबंधी सुधार की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत, पानी की सप्लाई, सीवर, बरसाती पानी की नालियों, सामुदायिक गुसलखानों तथा शौचालयों, मौजूदा गलियों को चौड़ा करने तथा उन में खड़ंजा लगाने और सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करनें जैसी सुविधाएं सरकारी भूमि पर स्थित उन झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्रों में उपलब्ध की जाती हैं, जिन्हें कम से कम 10 वर्ष की अवधि तक हटाया नहीं जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Super Bazar in Cannaught Place, New Delhi

*213. **Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Agriculture** be pleased to state:

(a) the extent of the loss suffered and profit earned by the Super Bazar located in Cannaught Place, New Delhi during the last three years; and

(b) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The accounts of the Cooperative Store Ltd., which runs all the units of the Super Bazar in Delhi, are prepared in a consolidated form for the society as a whole, and not separately for each branch. The figures of losses in respect of the last three cooperative years are as follows:

1970-71	Rs. 16.88 lakhs (audited)
1971-72	Rs. 14.65 lakhs (subject to audit)

For the cooperative year 1972-73 (ending 30th June, 1973), the Store expects to break even, with a marginal profit. The exact amount of profit will be know after the accounts for that year are finalised and audited.

(b) Vigorous efforts will have to be continued toward further improvement in the working of the Super Bazar. The Goverement have emphasised on the Management of the Super Bazar the need for bringing about all-round improvement in its working, including the extension of its sales and services so as to provide benefit to a larger section of the citizens, increase in trading as well as non-trading income, reduction in expenditure and enforcement of economies, besides establishing a high standard of salesmanship.

वनस्पति का उत्पादन

*214. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में वनस्पति उद्योग को वनस्पति के उत्पादन के लिये 15 प्रतिशत सरसों के तेल उपयोग करने की अनुमति दी है।

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये एक आदेश के आधार पर कनाडा से आयातित तोरिया के बीज के लिये पश्चिम बंगाल के कोटे में भारी कटौती कर दी गई है, और

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अणासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, 15 प्रतिशत की सीमा न केवल पश्चिमी बंगाल में बल्कि सभी क्षेत्रों में लागू है।

(ख) जी नहीं ?

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंगलौर हार्बर

*215. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर हार्बर के डबाव को 50 फुट तक गहरा करने के लिये एक वृहत् योजना तैयार की गई है ; और

(ख) उक्त वृहत योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) मंगलौर बन्दरगाह परियोजना के लिये तैयार किया गया मास्टर योजना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 50 फुट के डुबाव का अनुमान है अनन्तिम है और परियोजना तकनीकी सलाहकार समिति ने अभी इसका अनुमोदन नहीं किया है। उसमें दिखाये गये बन्दरगाह अभिन्यास के लिये नमूना जांच के पूरे होने पर योजना को अन्तिम रूप दिया जायेगा। इस समय नमूने जांच किये जा रहे हैं।

खाद्यान्न की वसूली

*216. **श्री नारायण चन्द पाराशर** :
श्री दशरथ देव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा खाद्यान्नों के थोक-व्यापार को अपने अधिकार में लिये जाने के बाद प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में खाद्यान्नों की वसूली के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये ;

(ख) 15 जुलाई, 1973 तक विभिन्न राज्यों में, मद-वार, वस्तुतः कितनी वसूली की गई और उन राज्यों में अनुमानित फालतू मात्रा कितनी है ; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यवार कितने वसूली केन्द्र स्थापित किये गये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) दो विवरण सभा के पटल पर रखे जाते हैं। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5321/73]

भूमि की अधिकतम सीमा लागू होने के बाद भूमि प्राप्त करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता

*217. **श्री बी० मायावन** : क्या **कृषि** मंत्री भूमि की अधिकतम सीमा लागू होने के बाद भूमि प्राप्त करने वाले किसानों को सहायता देने के लिये समेकित कार्यक्रम के बारे में 5 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9109 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि की अधिकतम सीमा लागू होने के बाद भूमि प्राप्त करने वाले किसानों को सहायता देने की योजना पर योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) भूमि की अधिकतम सीमा के कानूनों के लागू करने पर अधिशेष घोषित की हुई भूमि को प्राप्त करने वाले नये किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिये भारत सरकार एक नई प्लान स्कीम पर विचार कर रही है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि अधिशेष भूमि प्राप्त करने वाले किसानों को भूमि विकास तथा कृषि कार्यों के लिये सहायता प्रदान की जाए।

ग्रामों के विकास और कमाण्ड क्षेत्र के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग का प्रतिवेदन

*218. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री राष्ट्रीय कृषि आयोग के प्रतिवेदन के बारे में 28 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3670 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कृषि उत्पादन और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करने की दृष्टि से बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों और ग्रामों के विकास के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने "सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण और कमाण्ड क्षेत्रों के समेकित विकास" के संबंध में एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में आयोग ने बड़ी और मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं, (जिन में भूमि को समतल व ठीक-ठाक करना, जल वितरण और निकास, खेत की नालियां और अवस्थापना संबंधी सुविधाओं आदि की व्यवस्था करना शामिल है) के कमाण्ड क्षेत्रों के विकास के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है।

2. आयोग ने 'संपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम' के संबंध में भी एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग ने इस रिपोर्ट में संपूर्ण ग्राम विकास के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण अपनाने की हिमायत की

है ताकि ग्राम की समस्त आबादी इससे पूरी तरह लाभ उठा सके। संपूर्ण ग्राम विकास दृष्टिकोण में मुख्य रूप से सामुदायिक दृष्टिकोण अपनाने और विकास के लिये सामान्य कार्यवाही करने के विषय में समन्वित कृषि विकास पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम में चकबन्दी, शुष्क क्षेत्रों में अधिक से अधिक जल नियंत्रण और आर्द्रता संरक्षण के लिए समग्र भूमि के विकास की योजना, सिंचाई सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने और सिंचाई तथा निकास का उपयुक्त नियंत्रण करने के लिए ग्राम में सिंचाई सुविधाओं और सस्य कार्यक्रम को अधिक से अधिक बढ़ाना शामिल है।

3. भारत सरकार उपरोक्त रिपोर्टों में की गई सिफारिशों पर विचार कर रही है।

पशुओं और घोड़ों के लिये चरागाह

*219. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल पशुओं और घोड़ों को चराने के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली भूमि की सीमा के बारे में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार ने कोई आदेश जारी किये है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जो इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पशुओं तथा घोड़ों की चराई के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई अनुदेश नहीं दिये हैं। तथापि, इस संबंध में राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :

"सार्वजनिक स्वरूप की वर्तमान गोशालाओं तथा वर्तमान स्टड फार्मों के संबंध में राज्य सरकारें कृषि मंत्रालय के विचार-विमर्श से निर्णय कर सकती है"।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

"वायर पुलिंग बिहाइन्ड एडमीशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

*220. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 1973 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में "वायर पुलिंग बिहाइन्ड एडमीशन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) 29 जून, 1973 के टाइम्स आफ इण्डिया में "वायर पुलिंग बिहाइन्ड एडमीशन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीति और क्रियाविधि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार बी० एस० सी० (आनर्स) पाठ्यक्रम और बी० एस० सी० सामान्य (वर्ग ख) पाठ्यक्रम तथा कला, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिलों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों जिनके लिए 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं, उनके दाखिलों का विश्वविद्यालय में केन्द्रीयकरण किया गया था। कला और वाणिज्य तथा बी० एस० सी० (सामान्य) वर्ग क में शेष पास और आनर्स पाठ्यक्रमों के लिए कालेजों को, शैक्षिक परिषद् द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों के अनुसार सीधे ही दाखिले करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। कालेजों के प्रिंसिपलों को यह सलाह दी गई थी कि अर्हक परीक्षा में प्राप्त किये गये कुल अंकों से निर्धारित की गई योग्यताओं के आधार पर तथा शैक्षिक परिषद् द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सीधे ही दाखिले करें। फिर भी, प्रिंसिपलों को खेलकूदों और पाठ्येतर कार्यकलापों में प्रवीणता के आधार पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में अधिकतम 5 प्रतिशत स्थान भरने के लिए अधिकार थे। कालेजों को दाखिले के मामले में अपने कर्मचारियों के लड़कों और लड़कियों को वरीयता देने के लिए अनुमति दी गई थी। इन दो श्रेणियों के लिए भी, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना था। विश्वविद्यालय ने सभी कालेजों को आगे यह भी कहा कि केन्द्रीय दाखिला समिति के समक्ष रखने के लिए वे, विश्वविद्यालय को खेलकूदों और पाठ्येतर कार्यकलापों के आधार पर/अपने कर्मचारियों के लड़के और लड़कियां होने के नाते दाखिल किये गये उम्मीदवारों की एक सूची भेजें। विश्वविद्यालय को अभी सूचियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

विश्वविद्यालय दाखिलों से संबंधित शिकायतों पर जांच कर रहा है।

Cases of Abortion since the Implementation of Termination of Pregnancies Act, 1972

2001. **Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Health and Family Planning** be pleased to state the State-wise number of cases of abortion brought to the notice of the Central Government by the State Governments since the implementation of the Medical Termination of Pregnancies Act on the 1st April, 1972?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku): A statement giving the requisite information is enclosed. [Placed in Library. *See* No. L.T. 5322/73]

देश में अनाज की जमाखोरी तथा चोर-बाजारी

2002. **श्री वयालार रवि :**
श्री सरजू पांडे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाज के व्यापार को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिये जाने के निर्णय की क्रियान्विति के पश्चात् समूचे देश में अनाज की जमाखोरी तथा चोर बाजारी के आरोप में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि देश में जमाखोरी तथा चोर बाजारी अभी तक जोरों पर है; और

(ग) यदि हां, तो जमाखोरों तथा चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध अभियान तेज करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) भारत सरकार का यह पूर्ण विश्वास है कि विभिन्न स्तरों पर जमाखोरी तथा चोरबाजारी की जा रही है ।

(ग) भारत सरकार सभी राज्य सरकारों पर विभिन्न खाद्य नियंत्रण आदेशों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता के बारे में बराबर जोर देती रही है । राज्य सरकारें तदनुसार कार्यवाही कर रही हैं । कई राज्य सरकारों ने चोरबाजारी करने वालों और जमाखोरों के विरुद्ध प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने के लिए अपने प्रवर्तन तन्त्र को सशक्त किया है । विभिन्न खाद्य नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

Purchase of Foodgrains under PL-480

2003. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains purchased by the Government of India from America under PL-480 during the last two years; and

(b) the total amount in Indian currency paid for the foodgrains purchased during the said period?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) The quantity of foodgrains purchased from U.S.A. under PL-480 together with its value during the last two years is given below :—

Year	Quantity (in lakh tonnes)	Value (in crores of rupees)
1971	12.10	76.22
1972	—	—

दिल्ली के स्कूलों के ड्राइंग के अध्यापकों के वेतनमान

2004. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री दिल्ली के स्कूलों में ड्राइंग के अध्यापकों के वेतनमान के बारे में 18 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4772 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के गवर्नमेंट मिडल स्कूलों में आठवीं कक्षा तक पढ़ाने वाले टी० जी० टी० अध्यापकों तथा विज्ञान और भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों को 250–550 रुपये का वेतनमान दिया जा रहा है और यदि हां, तो इन्हीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले ड्राइंग अध्यापकों तथा ग्रेड तीन के अन्य अध्यापकों को यही वेतनमान न दिये जाने के कारण क्या हैं; और

(ख) जब कि ड्राइंग अध्यापकों तथा ग्रेड तीन के अन्य अध्यापकों के नये पदों का सृजन 250-550 रुपये के वेतनमान से किया जा रहा है तो 220-430 रुपये के वेतनमान में काम कर रहे वर्तमान अध्यापकों के लिए क्या किया जा रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, चाहे वे विज्ञान विषय पढ़ा रहे हों या अन्य विषय तथा भाषा अध्यापक 250-550 रु० के वेतनमान में हैं। अवर ड्राइंग अध्यापकों के लिये (जो पहले ग्रेड-3 ड्राइंग अध्यापक थे), निर्धारित वेतनमान 220-430 रुपये है जबकि प्रवर ड्राइंग अध्यापकों के लिए (जो पहले ग्रेड-2 ड्राइंग अध्यापक थे) निर्धारित वतनमान 250-550 रुपये है। अवर ड्राइंग अध्यापक 3 वर्ष के अनुभव के पश्चात् प्रवर ड्राइंग अध्यापक के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार बन जाता है।

(ख) अवर ड्राइंग अध्यापक (जो पहले ग्रेड-3 ड्राइंग अध्यापक थे) तथा इसी वेतनमान में कार्य कर रहे अन्य अध्यापक 250-550 रुपये के अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र हैं।

राजकीय माध्यमिक कला शिक्षक संघ, दिल्ली द्वारा मांग

2005. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय माध्यमिक कला शिक्षक संघ, दिल्ली (गवर्नमेंट सेकेन्डरी आर्ट टीचर्स एसोसिएशन, दिल्ली) ने 20 अप्रैल, 1973 को अपनी मांग के बारे में उपशिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मांगें की गई हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) : जी, हां।

(ख) मांगें इस प्रकार हैं :—

(1) ड्राइंग अध्यापकों (ग्रेड-3) आदि और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के वेतनमानों के बीच असमानता को दूर करना;

(2) प्रवरण ग्रेड में पदों की प्रतिशतता 15 से बढ़ाकर 30 करना;

(3) प्रोन्नति के लिये अवसर पैदा करना; और

(4) संवर्गों में परिवर्तन की व्यवस्था।

उक्त मांगों पर दिल्ली प्रशासन के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

राज्यों में निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा

2006. **श्री वयालार रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत में किन राज्यों में निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा लागू कर दी गई है और किन राज्यों में यह योजना अन्यतम लागू नहीं की गई है; और

(ख) समूचे देश में निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, केरल, मैसूर, नागालैंड, तमिलनाडू, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लकादीव-मिनीकाय एवं अमिनदीव द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, दादरा तथा नागर हवेली और पांडीचेरी में माध्यमिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क है । मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में यह लड़कियों के लिये निःशुल्क है । अन्य राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, परन्तु उनमें पिछड़े हुए तथा जन संख्या के निर्धन वर्गों के लिये निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था है ।

(ख) निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा आरंभ करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । भारतीय संविधान में निहित निदेशक-सिद्धान्तों के अनुसरण में सभी राज्यों में निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं ।

जहाज बनाने के लिये प्रशिक्षण देने के बारे में कोचीन विश्वविद्यालय के सुझाव

2007. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री जहाज बनाने के लिये प्रशिक्षण देने के बारे में कोचीन विश्वविद्यालय के सुझाव के बारे में 11 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3742 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि—इस प्रस्ताव के बारे में कोचीन शिपयार्ड प्राधिकरण की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : पोत अभिकल्प, पोत ड्राफ्टसमैनशिप और पोत वास्तुकला में पाठ्यक्रम को शुरू करने में कोचीन विश्वविद्यालय के प्रयत्न में कोचीन शिपयार्ड अधिकरण ने कोचीन विश्वविद्यालय से प्रारम्भिक विचार-विमर्श किया । इस संबंध में जब कभी ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किये जायेंगे शिपयार्ड विश्वविद्यालय को पूरा सहयोग देने को तैयार है ।

गुजरात कृषि-उद्योग निगम द्वारा निर्यात हेतु खली की खरीद

2008. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात कृषि-उद्योग निगम इस वर्ष 7000 टन से अधिक खली का निर्यात करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम द्वारा इस खरीद का परिणाम यह हुआ था कि राज्य में मूंगफली के तेल के मूल्य बढ़ गये थे;

(ग) क्या निगम ने राज्य का लगभग सारा उत्पादन ही खरीद लिया है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने निगम से कहा है कि वह इसकी खरीद न करे क्योंकि मूल्यों में वृद्धि होना खतरनाक है; और

(ङ) यदि हां, तो खली का निर्यात किन देशों को किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गुजरात कृषि उद्योग निगम इस वर्ष 12,600 मीटरी टन मूंगफली निष्कर्षण का निर्यात करेगा।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं । गुजरात से कुल खरीद कुल उत्पादन का मुश्किल से 4 प्रतिशत है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) जापान, यूनाइटेड किंगडम और पूर्वी जर्मनी ।

खाद्यान्नों की तस्करी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में फ्लाइंग स्क्वैड

2009. **श्री शिवकुमार शास्त्री** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों की तस्करी को रोकने के लिए कुछ फ्लाइंग स्क्वैड नियुक्त किए गए हैं;

(ख) इस तस्करी के संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) इन स्क्वैडों में से कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है; और

(घ) उन पर कितना व्यय हुआ है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

Complaints received regarding non-availability of Wheat at Fixed Rate

2010. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received some complaints regarding the non-availability of wheat in adequate quantity and at the fixed rate even after the retail price of wheat had been fixed by Government at Rs. 83 per quintal;

(b) if so, the number of cases in which Government have taken action; and

(c) the steps taken to chec such irregularities in future ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) Detailed information has been called for from the State Governments concerned On receipt of the information, the same wilt be laid on the Table of the Sabha.

भारत सरकार द्वारा विदेशों में चलाई जा रही शैक्षणिक संस्थाएं

2011. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार विदेशों में शैक्षणिक संस्थाएं चला रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और भारत सरकार इस संबंध में प्रतिवर्ष कितना धन व्यय करती है ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रत्येक चीनी कारखाने की प्रतिदिन, प्रति मौसम की अधिष्ठापित क्षमता तथा उनके द्वारा की जाने वाली वास्तविक पेराई

2012. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में, कारखाना वार गत तीन वर्षों में चीनी कारखानों की प्रतिदिन, प्रति मौसम की अधिकाधिक क्षमता तथा उनके द्वारा की जाने वाली वास्तविक पेराई कितनी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान चीनी कारखानों की प्रतिदिन अधिकतम क्षमता, वास्तव में पेरा गया गन्ना (24 घंटे कार्य) और कुल पेरा गया गन्ना बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 5323/73]**

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का पूर्णकालिक निदेशक

2013. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वशासी सोसाइटी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में पूर्णकालिक निदेशक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० ो० (क) और (ख) यह ठीक नहीं है कि संस्थान में कोई निदेशक नहीं है । मंत्रालय के विशेष कार्य अधिकारी (संस्कृत) संस्थान के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं । दोनों पदों के वेतनमान एक जैसे हैं । क्योंकि संस्थान की स्थापना 1970 के अन्त में हुई है और अभी तक बन ही रहा है । अतः इस पर एक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति पर होने वाला परिहार्य आर्थिक बोझ डालना वांछनीय नहीं समझा गया है ।

कुमकुम कम्युनिटी वैलफेयर सेन्टर सोसाइटी, नई दिल्ली

2014. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कुमकुम कम्युनिटी वैलफेयर सेन्टर सोसायटी' कुमकुम कोठी, लिटन रोड, नई दिल्ली, रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं; यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ख) इसके पदाधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सोसायटी अपना वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखा विवरण नियमित रूप से प्रस्तुत कर रही है, यदि नहीं तो अन्तिम प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था; और

(घ) पिछला वार्षिक चुनाव कब हुआ था तथा क्या सोसायटी की गतिविधियों के बारे में सोसायटी के किसी सदस्य से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 'कुमकुम कम्युनिटी वैलफेयर सेन्टर' कुमकुम कोटी, लिट्न रोड, नई दिल्ली, "रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटी एक्ट", 1960 के अन्तर्गत 1955-56 में पंजीकृत की गई थी। इसका उद्देश्य था कि शैक्षणिक आर्थिक, सांस्कृतिक और चिकित्सा सम्बन्धी तथा सेवाओं, जो समुदाय के रहन-सहन के सामान्य स्तर को ऊंचा उठा सके, को बढ़ाए सामाजिक सांमजस्य की प्राप्ति करते हुए तथा महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें तथा उनके विकास के लिए दिल्ली और नई दिल्ली में समाज कल्याण को बढ़ावा दें। ये समिति 1966-67 में भंग कर दी गई।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Reduction of Birth Rate under Family Planning programme in States

2015. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have asked the State Governments to chalk out family planning programmes under which the birth rate should be reduced to 25 per thousand by the end of the Fifth Five Year Plan so as to bring it in tune with the national target fixed in this regard; and

(b) the main policy formulated by the Planning Commission in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) The State Governments were advised to take into consideration the overall objectives of the Family Planning Programme as given in the Fourth Five Year Plan *viz.* to reduce the birth rate as far as possible, to 32 per thousand population by the end of this Plan and to 25 per thousand population in another 5 to 7 years.

(b) The main policy guidelines formulated by the Planning Commission for the achievement of target of reducing the birth rate to 25 per thousand by the end of the Fifth Five Year Plan is as follows :—

(i) the Family Planning programme in the Fifth Five Year Plan will form an integral part of the Health, Maternal and Child Health and Nutrition Services.

(ii) the maternal and child health programme are expected to be expanded considerably in the Fifth Five Year Plan so that an effective impact could be made on the rate of infant mortality in the country. This in turn will have a direct effect on the increased acceptance on family planning methods because of higher survival rates for children.

(iii) steps will be taken to ensure more effective participation by the public as well as the local bodies and voluntary organisations in the programme. The Mass Media methods will also be so oriented as to make it more of a person to person approach.

(iv) particular emphasis will be laid on the improvement in performance in those States which have not come up to the national average in levels of achievement.

(v) Emphasis will be laid on better placement of the infrastructure in the States so that it contributes towards better performance.

Enquiry into working of Community Development Blocks in Uttar Pradesh

2016. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to enquire afresh into the working of the Community Development Blocks in Uttar Pradesh;

(b) whether huge sums of money have been misappropriated in some co-operative societies run by some Blocks; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in this regard in f uture ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) No, Sir. It has been ascertained that the Government of Uttar Pradesh also do not propose to enquire into the working of Community Development Blocks in that State.

(b) as no co-operative societies are run by Blocks, the question does not arise.

(c) Does not arise.

Agreement between India and Yugoslavia for Collaboration in Development of Shipping and Construction of Shipyard in India

2017. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether there has recently been an agreement between India and Yugoslavia for collaboration in the development of Shipping and the construction of a shipyard in India; and

(b) if so, the expenditure involved in the project and the amount that would have to be repaid in foreign exchange ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Although during the course of the discussions held between India and Yugoslavia at the time of the visit of President of the Federal Executive Council of Yugoslavia to India in March 1973, both sides agreed that there was considerable scope for closer co-operation in the field of shipping and ship-building, and every effort should be made to promote such co-operation no agreement, as such, was concluded.

(b) Does not arise.

न्यू मोतीनगर, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई की अवधि

2018. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू मोतीनगर, नई दिल्ली में 'बी' और 'सी' ब्लाकों के निवासियों को निगम के कुछ अधिकारियों के आदेशों के अन्तर्गत पहली मंजिल में बूस्टर पम्पों के माध्यम से रोजाना दो घंटे प्रातः

श्रौर दो घंटे सायं अर्थात् प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक श्रौर सायं 7 बजे से 9 बजे तक पानी मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या जून, 1973 के मध्य में बूस्टर पम्पों के निकट वाल्व बन्द कर देने के पश्चात् अचानक ही पानी की सप्लाई दो घंटे तक बन्द कर दी गई थी ।

(ग) उसके क्या कारण हैं श्रौर जिस अधिकारी ने दो घंटे तक पानी की सप्लाई बन्द की है उसके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; श्रौर

(घ) इस बारे में कितनी शिकायतें मिली हैं श्रौर वाल्व बन्द करने के बाद दो घंटे तक पानी सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण श्रौर श्रावास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रोम मेहता) : दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल सप्लाई तथा मल व्ययन संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

(क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : 'बी' तथा 'सी' ब्लाकों की सप्लाई बढ़ाने के लिये बूस्टर पम्पिग स्टेशन स्थापित किया गया था । सैग्रीगेशन वाल्व डाल कर, मई के महीने में इस क्षेत्र को अन्य ब्लाकों से अलग कर दिया गया था तथा 'बी' एवं सी' ब्लाकों के पहली मंजिल के निवासियों को अच्छे दबाव के साथ पानी मिलना आरम्भ हो गया था । तदुपरान्त, अन्य ब्लाकों से कम दबाव की शिकायतें प्राप्त हुई तथा अन्य ब्लाकों के निवासियों के सख्त विरोध के कारण, जून के मध्य से सैग्रीगेशन वाल्व का चलाना बन्द कर दिया गया था । इन परिस्थितियों में, संस्थान के किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इस बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी । इस कालोनी में पानी की सप्लाई का वही प्रबंध चल रहा है जो सैग्रीगेशन वाल्व लगाने से पूर्व विद्यमान था ।

Charging Higher Fare by Scooter Drivers in Delhi

2019. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Police has unearthed malpractices indulged into by the scooter-drivers whereby they charge higher fare from the passengers by manipulating the meters;

(b) the number of scooter-drivers arrested in this regard; and

(c) the concrete measures taken by Government in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transprot (Shri M. B. Rana) : (a) to (c) It has been reported by the Delhi Administration that complaints from the pu b are frequently received about the use of defective meters and over-charging by scooter rickshaw drivers. According to the Delhi Weights & Measures (Enforcement) Amendment Rules, 1969, every licensed auto-rickshaw is required to be fitted with standard meters approved by the administration. They are stamped and checked once in every twelve months. At present some of the licensed auto-rickshaws are fitted with non-standard

meters, which do not conform to the specifications prescribed under the aforesaid rules. The Administration is taking suitable steps for the replacement of such non-standard meters by the approved type. The Delhi Administration is also considering the question of strengthening the enforcement machinery for the periodical checking of meters.

In regard to complaints about overcharging, etc., the owner/driver of the licensed scooter-rickshaw is challaned for contravention of the relevant provisions of the Motor Vehicles Act 1939 and Delhi Motor Vehicles Rules, 1940. Apart from the penalties leviable for the violation of the Motor Vehicles Act and Rules, the certificate of fitness of the vehicles of the defaulters is also suspended.

उर्वरक तथा खाद की कमी

2020. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरक और खाद की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनकी कमी को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1973-74 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता की तुलना में उनकी उपलब्धि में कुछ बाधायें होने की संभावनायें हैं ।

(ख) कमी मुख्यतः देशी उत्पादन में कमी और विश्व बाजार में उर्वरकों की कम उपलब्धि के कारण है । इसलिये देशी उर्वरक कारखानों में उत्पादन बढ़ाकर देशी उत्पादन में वृद्धि करने और अन्य देशों से यथासम्भव अधिकतम मात्रा में उर्वरकों का आयात करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । उर्वरकों के वितरण में कठिनाइयों को दूर करने के लिये भी कदम उठाये गये हैं । आयातित और देश में निर्मित उर्वरकों की पूरी वितरण प्रणाली का यह सुनिश्चित करने के लिये नियमन किया जाता है कि उपलब्ध उर्वरकों का प्राथमिकता वाली फसलों और राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में वितरण किया जाये । आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आदेश जारी किये जाते हैं, जिनमें निर्माताओं से प्रत्येक राज्य को निर्दिष्ट मात्रा में उर्वरकों का वितरण करने के लिये कहा जाता है ।

गत दो वर्षों के दौरान उर्वरकों के आयात में वृद्धि

2021. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उर्वरकों के आयात में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जी हां, । वर्ष 1970-71 में पोषक तत्वों के रूप में 6.29 लाख मीटरी टन रासायनिक उर्वरकों का आयात किया गया था । 1972-73 में आयात की यह मात्रा बढ़कर 11.94 लाख मीटरी टन हो गई । आयात बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि देश में उर्वरकों की खपत काफी बढ़ गई है, क्योंकि कृषक उर्वरकों के लाभों से अवगत हो गये हैं और उर्वरकों के देशी उत्पादन से बढ़ती हुई मांग पूरी नहीं हो सकती ।

त्रिपुरा में राहत कार्य

2022. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के राज्यपाल ने 19-20 जून, 1973 को त्रिपुरा का दौरा किया था;

(ख) क्या उन्होंने राहत कार्यों को सितम्बर और अक्तूबर, 1973—दो महीने और जारी रखने का सुझाव दिया था; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार त्रिपुरा राज्य सरकार को धनराशि प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) यह मामला त्रिपुरा सरकार को भेजा गया है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(ग) 1972 के दौरान सूखा राज्य उपायों के लिए राज्य सरकार को 50 लाख रुपये की एक राशि दी गई थी । इस वर्ष बाढ़ राहत उपायों के लिए राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये की राशि दी गई है ।

कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथारिटी, कलकत्ता मेट्रोपोलिटन प्लानिंग आर्गेनाइजेशन, मेट्रोपोलिटन वाटर एण्ड सेनीटरी अथारिटी, हावड़ा और कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के कार्यों में समन्वय का अभाव

2023. **श्री रानेन सेन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) कलकत्ता मेट्रोपोलिटेन डेवेलपमेंट आथरिटी, (दो) कलकत्ता मेट्रोपोलिटन प्लानिंक आर्गेनाइजेशन, (तीन) मेट्रोपोलिटन वाटर एण्ड सेनिटरी अथोरिटीज हावड़ा, तथा (चार) कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आदि के कार्यकरण में परस्पर समन्वय नहीं है और ये बिना केन्द्रीय मार्ग-दर्शन के काम कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के कार्यों में समन्वय लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी नहीं। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि कलकत्ता महानगर जिला क्षेत्र के विकास में लगे हुए सभी संगठन परस्पर पूर्ण समन्वय से कार्य कर रहे हैं । कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार उक्त अधिकरणों की गतिविधियों के समुचित समन्वय के लिए उन के साथ हर महीने बैठकें आयोजित करते हैं । भारत सरकार द्वारा प्रायः पुनरीक्षण सम्बन्धी बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित विभागों, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण तथा अन्य कार्यान्वयन-अधिकरणों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इन बैठकों से कलकत्ता महानगर विकास क्षेत्र के त्वरित विकास तथा समुत्थान कार्यक्रम की नीति बानने, समन्वय, मूल्यांकन करने तथा समग्र रूप से पर्यवेक्षण का उद्देश्य पूरा होता है ।

बाबतपुर हवाई अड्डे पर गृह-निर्माण कार्य

2024. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाबतपुर (वाराणसी) हवाई अड्डे पर कोई गृह-निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि निर्माण स्थल से सीमेंट और इस्पात गायब हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय वस्तुओं का स्वेज तथा अलैक्जैण्ड्रिया के बीच लैंड ब्रिज से ले जाया जाना

2025. **श्री नवल किशोर सिन्हा :**
श्री आर० के सिंहा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र अरब गणराज्य ने भारतीय वस्तुओं को स्वेज तथा अलैक्जेन्ड्रिया के बीच लैंड ब्रिज के माध्यम से भेजने की पेशकश की है;

(ख) क्या सरकार ने मिश्र के प्रस्ताव पर विशेषतया जहाजों से माल ले जाने पर होने वाले व्यय की तुलना में इस प्रकार ले जाने पर आने वाले व्यय को ध्यान में रखकर विचार किया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) मिश्र के अरब गणराज्य की सरकारी कैनाल शिपिंग एजेंसीज कम्पनी ने भारतीय माल ढोने के लिए स्वेज और एलैक्जैन्ड्रिया के बीच लैंड ब्रिज के प्रयोग हेतु हमसे कहा था भारतीय नौवहन कम्पनियों ने प्रस्ताव की जांच की है। एक अध्ययन दल ने जिसमें तीन भारतीय नौवहन कम्पनियों के प्रतिनिधि शामिल थे, मिश्र के अरब गणराज्य का दौरा किया तथा योजना के कार्यकरण का कार्य स्थल पर ही अध्ययन किया। उसमें आनेवाली लागतों के एक विश्लेषण से यह पता चला है कि लैंड ब्रिज से भारत के विदेश व्यापार के लिए बहुत कम गुंजाइश है और यह भी मुख्यतः उत्तरी अफ्रीका के पत्तनों के लिए। परन्तु योजना, देश में विभिन्न व्यापारिक संस्थानों को बता दी गई है जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि भारत और उत्तरी अफ्रीका के देशों के बीच माल के पार गमन के लिए लैंड ब्रिज उपलब्ध है।

Approval of Central Government for construction of New Bridge in Khal Ghat over River Narmada (M.P.)

2027. **Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether about five months ago the Government of Madhya Pradesh sent for the approval of the Central Government a tender for construction of a new bridge in Khal Ghat over river Narmada in Madhya Pradesh at a cost of Rs. 1 crore; and

(b) if so, the reasons for delay in taking a decision ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana): (a) and (b) Tenders for the construction of the bridge were received by the Government of India towards the end of March 1973. Since this is a major project, costing approx. Rs. 110 lakhs, scrutiny of the tenders and obtaining clarification of certain technical and financial issues involved in it from the Government of Madhya Pradesh took time. This has now been done, and a final decision in the matter is expected to be taken shortly.

हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पानी का जमा हो जाना

2028. **श्री ओंकिशन मोदी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों में भूमिगत पानी का स्तर बढ़ जाने से पानी का जमाव (वाटर लागिंग) हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है ; और

(ग) पानी के इस जमाव को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल किशनगंज रेलवे कालोनी में बिजली लगाया जाना

2029. **श्री शशि भूषण** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशनगंज रेलवे कालोनी में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल वर्ष 1970 से बिजली के बिना चल रहा है ;

(ख) इसके क्या विशिष्ट कारण हैं ; और

(ग) इस स्कूल में अविलम्ब बिजली लगाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) राजकीय कन्या/बालक मिडिल स्कूल किशनगंज जिन्हें जुलाई, 1970 में दिल्ली प्रशासन को स्थानान्तरित कर दिया गया था, दिल्ली नगर निगम प्राथमिक स्कूल के भवन के एक भाग (सात कमरों) में चलाए जा रहे हैं जिसका स्वामित्व नगर निगम का है। राजकीय कन्या/बालक मिडिल स्कूल के पास भवन का जो हिस्सा है, उसमें अभी नगर निगम के प्राधिकारियों ने बिजली नहीं लगाई है, तथापि उसमें बिजली के तार लग चुके हैं तथा पंखों को छोड़कर बिजली का बाकी सामान लगाया जा चुका है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नगर निगम से अनुरोध किया है कि राजकीय कन्या/बालक मिडिल स्कूलों वाले भाग में बिजली तथा पखों की व्यवस्था की जाए।

पारादीप पत्तन को समुद्री कटाव से सुरक्षित रखने के लिये एक लम्बी दीवार का बनाया जाना

2031 **श्री समर गुह:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप पत्तन को समुद्री कटाव से सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने एक लम्बी दीवार बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर): (क) और (ख) जी हां। केन्दीय जल और विद्युत् अनुसंधान केन्द्र पूना की सलाह पर समुद्री कटाव देखा गया है। पारादीप पत्तन के उत्तरी तटों पर दो खंडों में कुल 1.2 कि०मी० की लम्बाई की समुद्री दीवार बनाने का प्रस्ताव है, दीवार अनुसंधान केन्द्र द्वारा दिये गये डिजाइन के अनुसार विभिन्न आकारों के पत्थरों को जमा करके बनाई जायेगी।

बहराईच में बस डिपो बनाया जाना

2032. **श्री बी० आर० शुक्ल:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) •क्या उत्तर प्रदेश में बहराईच बस स्टेशन पर एक बस डिपो बनाने की तत्काल आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह काम करने के लिए तत्काल कार्यवाही कर रही है?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० बी० राणा): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि बहराईच में बस डिपो वर्कशाप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक बस डिपो बहराईच के निकट बलरामपुर में पहले से ही है।

जिला बहराईच (उत्तर प्रदेश) में कत्था तैयार किया जाना

2033. **श्री बी० आर० शुक्ल:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला बहराईच (उत्तर प्रदेश) के सरकारी वनों में खड़े खैर के वृक्षों का कत्था तैयार करने के उद्देश्य से नीलाम किया जाता है;

(ख) इस जिले में ठेकेदारों द्वारा रूढ़िगत रीति से वर्ष में अनुमानतः कितना कत्था तैयार किया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस जिले में कत्था तैयार करने के लिए कारखाना स्थापित करने की संभावना पर विचार करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर० सिंह): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना मांगी गई है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी?

28 LSS/73—5

दिल्ली में उपेक्षित तथा अपराधी प्रवृत्ति वाले बच्चों के लिए शिशु-गृह से भाग निकलने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि

2035. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के उपेक्षित तथा अपराधी-प्रवृत्ति वाले बच्चों के लिए शिशु-गृह से भाग निकलने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निरोधक उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार बचकर भागने की घटनाओं के बारे में चिन्तित है। दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क से इन गृहों के कम तथा बचकर भागने के कारणों का अध्ययन करने तथा इन गृहों के कार्यों को सुधारने हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का सुझाव देने का अनुरोध किया है।

Provision for free Education to Children of Freedom Fighters

2036. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) Whether Government have decided to provide free education to the children of freedom fighters upto B.A. ; and

(b) if so, the main points of the decision and the time by which Government propose to implement ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) Under the scheme "Grant of scholarships and other educational facilities to the children of political sufferers (freedom fighters)," the following concessions are given to the children of political sufferers (freedom fighters) in lower income groups through the State Governments/Union Administrations :—

(i) Special consideration in the matter of admission and awards of free ships and half-freeships in all recognised Primary, Basic, Middle and High Schools :

(ii) Free seats in hostels attached to recognised schools and colleges; and

(iii) Limited number of stipends and book grants to scholars from primary to Post-graduate level.

The Government have not taken any decision to provide free education to the children of freedom fighters upto B.A.

तमिलनाडु द्वारा त्रि-भाषा सूत्र को स्वीकार न करना

2037. श्री धनशाह प्रधान :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र के त्रि-भाषा सूत्र को मानने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) तमिलनाडु की राज्य विधान सभा द्वारा 23-1-1968 को हुई अपनी विशेष बैठक में पारित किए गये संकल्प के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने स्कूलों में त्रि-भाषा सूत्र को समाप्त कर दिया और इसके बजाय द्वि-भाषा सूत्र के आधार पर भाषाओं के अध्ययन का आयोजन किया, जो कि इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है। क्योंकि शिक्षा राज्य-विषय है। अतः किसी भी राज्य में त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय, संबंधित राज्य सरकार द्वारा ही किया जाना है।

बिना टेंडर मांगे मिल्क वैण्डिग मशीनों का आयात

2038. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के प्राधिकारियों ने टेंडर प्रणाली के बिना "बल्क मिल्क" वैण्डिग मशीनों का आयात करने पर आपत्ति की है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या इन मशीनों को चलाने, इनकी मरम्मत करने तथा इनमें कलपुर्जे बदलने के लिए देश में पर्याप्त तकनीकी व्यक्ति उपलब्ध हैं और यदि नहीं, तो क्या तकनीकी विशेषज्ञ भी बाहर से बुलाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सम्बद्ध परिवहन सुविधाओं और विक्रय बथों सहित दिल्ली में एक नई रिकम्बाइनिंग डेरी की स्थापना की परियोजना में (जिसे शुरू में तैयार करके योजना आयोग को भेजा गया था) अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए मैक्सिको सिटी सिस्टम के लिये जिम्मेदार विनिर्माताओं से उपकरण खरीदने की भी व्यवस्था है। योजना आयोग ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि इससे पूर्ति करने का कार्य एक पार्टी के ही हाथ में रह जाएगा। इस संबंध में अन्तर-विभागीय बैठक में, जिसमें योजना आयोग का प्रतिनिधि भी मौजूद था विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय किया गया कि वसूली और उपकरण का काम इंडिया सप्लाई मिशन वाशिंगटन को सौंपा जाना चाहिए। उसके अनुसार कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ख) इन मशीनों को चलाने, इनकी मरम्मत करने और इनमें कलपुर्जे बदलने के लिये देश में पर्याप्त तकनीकी व्यक्ति उपलब्ध हैं। अतः इस कार्य के लिये विदेशों से तकनीकी विशेषज्ञ बुलाने का कोई इरादा नहीं है।

स्वर्गीय विट्ठलभाई पटेल की जन्म शताब्दी मनाया जाना

2039. **श्री पीं० जी० मावलंकर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पता है कि भारत की केन्द्रीय विधान सभा (सैन्ट्रल लैजिस्लेटिव असेम्बली ग्राफ इंडिया) के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा पराक्रमी राष्ट्रीय नेता स्वर्गीय विट्ठलभाई जे० पटेल की जन्म शताब्दी 27 सितम्बर, 1973 को है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त अवसर को उचित रूप से मनाने का है, यदि हां, तो किस प्रकार ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

Amount spent on Indian Students to Russia and Russian Students to India

2040. **Shri M. C. Daga : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of students sent to Russia during the years 1972 and 1973 and the amount incurred by Government on them and the criteria adopted for sending them ; and

(b) whether the Russian students also came to India during the years 1972 and 1973 if so, the number thereof and the amount spent by the Government of India on their reception ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. D.P. Yadav) : (a) Under the Scheme of USSR Government Postgraduate Scholarships offered in subject-fields like Pure Science, Applied Science, Technology, Medicine, Agriculture, etc., 32 students were sent to USSR during 1972. Nominations under the same scheme have been made for the year 1973. The students, however, have yet to go to USSR.

Under the Scheme of Patrice Lumumba University Scholarships where scholarships have been offered for undergraduate studies, 16 students were sent during 1972. A similar number is expected to go in 1973.

Besides this, the Indo-Soviet Cultural Society, which also receives some scholarships from the USSR, sent 16 candidates in 1972. They are sending no candidates in 1973.

Similarly, the National Federation of Indian Women have been offered ten scholarships for the year 1973 and eight candidates have been nominated by them against this offer. The candidates have yet to go to USSR.

Regarding postgraduate scholarships, the criteria used by this Ministry are :—

(1) Sound academic qualifications ;

(2) Proved academic ability for research and specialisation ;

(3) Aptitude for the subject and good general awareness of current affairs.

In the case of scholarships for undergraduate studies, the criteria used are :

(a) Good academic performance ;

(b) Aptitude for the subject.

Preference is given to students belonging to low income groups.

In all cases, selection of candidates is made on an all-India basis by a high powered Selection Committee constituted for this purpose.

The Ministry of Education incurred an expenditure of Rs. 13,070 for meeting the passage costs of seven scholars to the USSR under the Ministry's Scheme "Grant of Passage Cost to Needy and Deserving Scholars".

(b) Eighteen (18) Soviet scholars came to India for studies during 1972 under the Indo-Soviet Cultural Exchange Programme. An amount of Rs. 60,000.00 approximately was spent on them.

Twentyfour Soviet scholars have been approved by the Ministry of Education and Social Welfare for studies in India during 1973. Of these, one scholar has already left India on completion of studies, one scholar is at present studying in India and the remaining 22 scholars have yet to come. An amount of Rs. 6,000.00 has so far been spent on the two scholars mentioned above.

Training Centres to Provide Employment to Disabled Persons

2041. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of Training Centres set up to provide employment to disabled persons in the country, State-wise, and when these Centres were set up ;

(b) whether occupational training facilities are made available in these centres;

(c) the number of disabled persons/children, who have been imparted training so far, year-wise, and the number of those, who have been provided with employment ; and

(d) whether the Central Government propose to set up some new training centres also and if so, in which States ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) to (c) The country has approximately 300 institutions which impart education and vocational training to various types of disabled children and adults. Whereas these institutions held to find employment for the trained disabled persons, this is not their primary function. Special Employment Exchanges for the Physically Handicapped have been established to find employment for the physically handicapped persons. These Exchanges have placed 10,085 physically handicapped in employment upto 31-12-1972. Other information is not readily avaiblable.

(d) The Government of India proposes to develop four national institutes for the four categories of handicappped persons *viz.* the blind, deaf, orthopaedically handicapped and the mentally retarded.

बैपटिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण

2042. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैपटिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में लोगों द्वारा की गयी न्यायोचित मांगों पर विचार करने के लिये सरकार ने कोई दल वहां भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस दल ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहत्ता) : (क) तथा (ख) सरकार को बैप्टिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता को अपने अधिकार में लेने के बारे में कुछ सुझाव प्राप्त होने पर, सरकार ने प्रारम्भिक जांच करवाई। इस मामले पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

वाइनाड, केरल में बाघों को सुरक्षित रखने के लिये योजना

2043. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या : **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने वाइनाड के 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाघों को सुरक्षित रखने के लिये एक योजना पेश की थी ;

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि इस योजना को केन्द्र की बाघसंरक्षण योजना में सम्मिलित कर लिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किये गये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) केरल सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि बांदीपुर (मैसूर राज्य) में कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय क्षेत्र की "प्राजेक्ट टाइगर" का वाइनाड (केरल) में 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार कर दिया जाये।

(ग) यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

कृषि, पशुपालन और डेरी फार्मों को राज-सहायता देने की कसौटी

2044. **श्री वसन्त साठे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि, पशुपालन और डैरी फार्मों के क्षेत्रों में विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए दी जाने वाली राज-सहायता की रुपरेखा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं के विभिन्न वर्गों के लिए दी जा रही राज-सहायता का ढांचा विभिन्न राज्यों द्वारा चलाई जा रही अपनी-अपनी योजनागत परियोजनाओं को दी जा रही राज-सहायता के ढांचे के अनुकूल है ;

(ग) यदि हां, तो राज-सहायता युक्ति-युक्त आधार पर देना सुनिश्चित करने हेतु असंगतियां दूर करने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या प्रस्तावित राज-सहायता और सरकार द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित सहायता की मात्रा किन्ही मान्य आर्थिक कसौटियों पर आधारित है और इसका व्यौरा क्या है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रायगाड, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के राज्यभिषेक के 300वें वार्षिक समारोह में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा भाग लेना

2045. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अगले वर्ष महाराष्ट्र में रायगाड नामक स्थान पर छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक का 300वां वार्षिक समारोह मनाया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय का पुरातत्व विभाग इसमें क्या भूमिका निभायेगा।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) (क) : जी, हां

(ख) मामला विचाराधीन है।

वर्ष 1972–73 में चीनी का उत्पादन, निर्यात तथा विक्रय-मूल्य

2046. **श्री विजय मोदक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1972–73 में देशा में कितने टन चीनी का उत्पादन हुआ,

(ख) इसमें से कितनी चीनी निर्यात की गई,

(ग) देश में बेचने के लिए प्रति किलो क्या मूल्य निश्चित किया गया और निर्यात की गई चीनी का प्रति किलो कितना विक्रय मूल्य निश्चित किया गया, और

(घ) मिल मालिकों को कितनी चीनी की बाजार में खुली बिक्री के लिय अनुमति दी गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वित्तीय वर्ष 1972–73 के दौरान 36.31 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

(ख) 1972–73 के दौरान 98,827 मी० टन चीनी का निर्यात किया गया था।

(ग) पहली दिसम्बर, 1972 से देश भर में उचित मूल्य की दुकानों से लेवी चीनी 2.15 रु० प्रति किलो के समान मूल्य पर बेची जा रही है और 1972–73 के दौरान निर्यात की गई चीनी पर जहाज़ पर चट्टे लगाने तक निष्प्रभार औसत प्राप्ति लगभग 1.25 रुपये किलो बैठती है।

(घ) वित्तीय वर्ष 1972–73 के दौरान चीनी फैक्ट्रियों को मुक्त बिक्री के लिए 12.43 लाख मी० टन चीनी दी गई थी।

Progress of Scheme for Marginal Farmers of Durg District

2047. **Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Agriculture** be please to state :

(a) whether the progress in regard to the implementation of schemes sanctioned for the marginal farmers of Durg District (Madhya Pradesh) is very slow ; and

(b) if so, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) The MFAL Agency, Durg was registered on 3-2-1971 but the actual implementation of the programme began in 1971-72 only. The Agency is expected to assist approximately 15,000 marginal farmers and 5,000 agricultural labourers. The work of identification of beneficiaries has almost been completed in the project area. By the end of May, 1973, the Agency had been able to assist in the setting up of 484 minor irrigation units (dug-wells/tube-wells/pump sets). 133 dairy units and 10 poultry units. Another 9293 participants had benefited under Improved Agricultural Practices and 3243 had been enrolled as members of cooperatives to facilitate flow of credit. Since inception, the cooperatives/commercial banks have advanced Rs. 13.52 lakhs as term loans. Short-term loans to the tune of Rs. 6.63 lakhs had also been availed of by the beneficiaries during the cooperative year 1972-73. The Government of India have released a sum of Rs. 20.21 lakhs since inception to this project and of this amount the Agency had utilised Rs. 19.71 lakhs upto 31-5-1973. In view of the above, the progress of implementation of the scheme cannot be said to be very slow.

वर्ष 1972–73 में गुजरात को सप्लाई किया गया आयातित उर्वरक

2048. **श्री अरविन्द एम० पटेल**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1972–73 में गुजरात को कितना आयातित उर्वरक सप्लाई किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : 1972–73 में गुजरात राज्य को सप्लाई किए आयातित उर्वरकों की मात्रा पोषक तत्वों के रूप में निम्न प्रकार थी :—

नाइट्रोजन	4304 मीटरी टन
पी० $_2$ ओ० $_5$	2166 मीटरी टन

तिलहन, तेल और सोयाबीन के आयात के लिए आवश्यकता का अनुमान

2049. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू बुवाई और वर्ष 1973–74 के अनुमित उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार ने आयात किए जाने वाले तिलहनों और तेल की आवश्यकता का अनुमान लगाया है,

(ख) क्या अमरीका द्वारा हाल में सोयाबीन के निर्यात पर लगाये गए प्रतिबन्ध के कारण सरकार को कुछ अन्य देशों से इसका आयात करना पड़ेगा, और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) के अनुमान क्या हैं, इन्हें मंगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक कितनी सफलता मिली है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) क्योंकि पिछले कई वर्षों में हर हालत में खाद्य तेलों का कुछ आयात किया जाता रहा है इसलिए अपेक्षित मात्रा का ठीक-ठीक अन्दाजा लगाना जल्दबाजी होगी।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोयाबीन अथवा सोयाबीन के तेल के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है लेकिन लाइसेंसिंग नियंत्रण लागू है। तथापि, हम कई देशों से पहले ही आयात कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कूल-पूर्व की आयु के शिशुओं के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित पोषाहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

2050. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों में 25 करोड़ रुपए के व्यय वाले केन्द्र द्वारा प्रायोजित पोषाहार कार्यक्रम के क्रियान्वयन की गति तेज कर दी है जो स्कूल-पूर्व की आयु के शिशुओं और गर्भवती स्त्रियों के पोषण के लिए बनाई गई है;

(ख) क्या कुपोषण या अल्पपोषण के कारण लाखों बच्चे, विशेषकर स्कल-पूर्व की आयु वाले बच्चे प्रति वर्ष मर जाते हैं, जैसा कि समाचारपत्रों में समाचार छपा है; और

(ग) यदि हां, तो ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि ये बच्चे इन योजनाओं से लाभान्वित हों?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) वित्तीय दबावों के कारण विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम तथा बालवाड़ियों/दिवस देखभाल केन्द्रों के माध्यम से चलाए जाने वाले पौष्टिक आहार कार्यक्रम अर्थात् उन कार्यक्रमों का विस्तार, जिन्हें समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में कार्यान्वित किया जाता है, को उसी स्तर पर बनाए रखा गया है, जहां कि वह मार्च, 1973 के अन्त तक पहुंच गया था। 1973–74 के लिए इन दो कार्यक्रमों के वास्ते 18.78 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है।

(ख) स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में अत्यन्त कुपोषण के कारण प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख बच्चे मर जाते हैं।

(ग) विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम विशेष रूप से आदिम जातिय क्षेत्रों तथा शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले 0.6 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल-पूर्व बच्चों तथा नर्सिंग और गर्भवती माताओं के लिए है जिनका सम्बन्ध हमारे समाज के अत्यन्त कमजोर वर्गों से है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम के लाभप्राप्तकर्ताओं का असंक्रमीकरण किया जा रहा है।

देश में गन्दी बस्तियों के निवासी

2051. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गंदी बस्तियों में कुल कितने लोग रहते हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : 3 लाख से अधिक जन संख्या वाले नगरों की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग एक करोड़ बीस लाख होने का अनुमान है।

वर्ष 1972-73 और 1973-74 में खाद्य तेलों का आयात

2052. **श्री वेकारिया :**

श्री वसंत साठे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में खाद्य तेलों का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया, और

(ख) देश में कमी दूर करने के लिए वर्ष 1973–74 में इनका कुल कितना आयात किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 48,200 मी० टन खाद्य तेल और 75,900 मी० टन तोरिया।

(ख) लगभग 1,90,000 मी० टन खाद्य तेल और 93,000 मी० टन तोरिया (या तेल के बराबर तोरिया)।

कृषि पोलिटैकनिकों के स्थान

2053. **श्री वेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री कृषि पोलिकटैनिकों की स्थापना के बारे में 23 जुलाई, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे पोलिटैकनिक स्थापित किए जायेंगे और कहां-कहां पर ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पांडिचेरी में बहु–फसली कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

पांचवी योजना में केन्द्रीय क्षेत्रीय सड़कों संबंधी उप-दल की रिपोर्ट

2054. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्रीय सड़कों संबंधी उप-दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) दल की सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातों को दिखाने वाला विवरण संलग्न किया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया/**देखिये** संख्या एल० टी० 5324/73] रिपोर्ट योजना आयोग को दे दी गई है जो कि रिपोर्ट पर पहले ही विचार विमर्श कर चुका है और अब उसने मामले में अन्तिम निर्णय करना है ।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए हरिजन और आदिवासी छात्रों के लिए रक्षित कोटा

2055. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए हरिजन और आदिवासी छात्रों के लिए कितने प्रतिशत स्थान रक्षित रखे हैं;

(ख) क्या पिछड़े वर्गों के छात्रों की वित्तीय और परिवार संबंधी स्थिति खराब होने से वे अन्य छात्रों से पिछड़े रहते हैं और इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा दी गई इन सुविधाओं से लाभ नहीं उठा पाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शिशुओं के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम लागू करने के लिए समिति

2056. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिशुओं के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम लागू करने के बारे में सलाह देने के लिए कोई समिति बनाई है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर आदिवासी और नगरीय क्षेत्रों में गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं की दशा पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी, हां। सरकार ने विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम के संबंध में एक सलाहकार समिति का गठन किया है, जो मई, 1973 में पुनर्गठित की गई थी।

(ख) और (ग) इंडियन कांउसिल आफ मेडिकल रिसर्च, पौष्टिक आहार अनुसंधान प्रयोगशालाओं, राज्य पौष्टिक आहार ब्यूरों, पौष्टिक आहार के राष्ट्रीय संस्थान इत्यादि के द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि देश के विभिन्न भागों में समुदाय के गरीब वर्गों में, विशेषकर गर्भवती और नर्सिंग माताओं और बच्चों में अत्यन्त का कुपोषण विद्यमान है। कुपोषण को रोकने के लिए सरकार ने आदिमजातीय क्षेत्रों तथा शहरी गंदी बस्तियों में इन कमजोर वर्गों को पूरक पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरु किया है। गर्भवती और नर्सिंग माताओं को वर्ष में 300 दिनों तक प्रतिदिन 500 कैलौरी तथा 20 से 25 ग्राम का पूरक पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम के अतिरिक्त रक्तक्षीणता को रोकने के लिए माताओं और बच्चों में पौष्टिक आहार संबंधी रक्तक्षीणता के मुकाबले के लिए रोग निरोधन का कार्यक्रम है।

शराब के लिये लाइसेंस जारी किये जाने के बारे में राज्यों का आदेश

2027. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों ने शराब के लिये उदारता से लाइसेंस जारी करने की नीति अपनाई है जबकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस वर्ष शराब की दुकानों के लिए कोई नया लाइसेंस ना देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में राज्यों को कोई एक रूप आदेश जारी किये हैं; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) राज्य सरकार को शराब की दुकानों के लाइसेंसों की संख्या को बढ़ाने, घटाने अथवा उतनी ही रहने देने का अधिकार है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अथवा सहमति अपेक्षित नहीं है। केन्द्रीय सरकार व्यावहारिक रूप से मद्य निषेध के लागू करने के लिए समान नीति बनाने की चेष्टा कर रही है।

उत्तरी राज्यों में सहकारिता आन्दोलन का विकास

2058. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी राज्यों में सहकारिता आन्दोलन का पूरी तरह विकास नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) यद्यपि सहकारी आन्दोलन पंजाब और हरियाणा के राज्यों में पूरी तरह से विकसित है, तथापि, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और राजस्थान के राज्यों में यह अपेक्षाकृत कमजोर है।

(ख) इन राज्यों में सहकारी आन्दोलन की अपर्याप्त प्रगति के कारण ये हैं—गैर-सरकारी नेतृत्व का अभाव, अपर्याप्त और अप्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग, कमजोर सोसायटियों का बाहुल्य, विकास कार्यक्रम तैयार करने में अपेक्षाकृत लापरवाही, बढ़ते हुये अतिदेय, विपणन सोसायटियां को ठीक स्थानों पर स्थित न करना, आदि ।

(ग) ऐसी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में विशेष नीतियां और कार्यविधियां अपनाने का विचार है ।

शिशु कल्याण सेवा का समेकित कार्यक्रम

2059 **श्री रण बहादुर सिंह :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना में आरम्भ करने के लिए ऐसा शिशु कल्याण सेवा का समेकित कार्यक्रम बनाया है जिसमें स्कूल-पूर्व शिक्षा पर बल दिया गया हो;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या यह योजना केन्द्रीय सरकार चलायेगी, यदि नहीं, तो राज्य सरकार द्वारा इस सिलसिले में किये जाने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) स (ग) समेकित बाल कल्याण की एक योजना, जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती और नर्सिंग माताओं के लिए 6 सेवाएं शामिल हैं, बनाई गई हैं । स्कूल-पूर्व शिक्षा इसमें से एक है । अन्य सेवाए ये हैं:—(1) पुनिरक्षण; (2) स्वास्थ्य की जांच; (3) निदेशित सेवाएं; (4) पूरक पौष्टिक आहार तथा (5) पौष्टिक आहार शिक्षा ।

इस योजना में बालबाड़ी/अंगनबाड़ी सेवाओं के लिए केन्द्रीय एकक होगी । आदिमजाति विकास खण्डों, सामुदायिक विकास खण्डों तथा शहरों की गन्दी बस्तियों को समेकित बाल-कल्याण सेवा परि-योजनाओं के लिए प्रशासनिक एककों के रूप में चुना गया है ।

यह योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में है जिसे राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार की 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया जाता है ।

पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के तैयार होने पर इस योजना को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

Area of Land under Cultivation of Foodgrains

2060. Shri Rana Bahadur Singh : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the State-wise area of land under foodgrain cultivation during the current year ; and

(b) the State-wise area of land proposed to be brought under cultivation by Government during the coming years ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Kharif Crop of the current year i.e. 1973-74 are still being sown and Rabi crops will be sown later. It is therefore too early to give State-wise estimates of area under foodgrains in the current year.

(b) Fifth Five Year Plan is in the process of preparation. It is therefore difficult to give State-wise and year-wise area of land proposed to be brought under cultivation during the coming years.

संस्कृत भाषा का विकास

2061. **श्री रण बहादुर सिह :**
श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में संस्कृत भाषा का विकास करने के लिए चालू वर्ष में गम्भीरता से विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) पहले की तरह इस वर्ष भी देश में संस्कृत के विकास पर सरकार का ध्यान बराबर बना हुआ है । कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु चालू वर्ष के बजट में 69.63 लाख रुपये की वित्तीय व्यवस्था है :

(1) सभी पांच केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों में अनुसंधान कार्य ।

(2) संस्कृत साहित्य के साथ-साथ विश्वकोषों का निर्माण ।

(3) संस्कृत पढ़ाने के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम ।

(4) हिन्दी के साथ संयुक्त पाठ्यक्रम के रूप में संस्कृत पढ़ाने के लिए आदर्श अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करना ।

इसके अलावा, शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विभिन्न स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को अनुदान देना जारी रखा गया है । उसी प्रकार, विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियों की योजनाएं भी जारी रखी जा रही हैं ।

आदिवासी, मुस्लिम और इसाई संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2062. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र से वित्तीय सहायता पाने वाली आदिवासी, मुस्लिम और इसाई शैक्षिक तथा समाज कल्याण संस्थाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र सरकार की अपनी पर्यवेक्षी एजेंसियां हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सरकार, शैक्षिक तथा समाज कल्याण संस्थाओं को बिना किसी धार्मिक अथवा सांप्रदायिक भेदभाव के केवल योग्यता के आधार पर आर्थिक सहायता देती है । अतः ऐसी संस्थाओं के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) सरकारी अनुदानों के सही उपयोग की जांच के लिये पर्याप्त प्रबन्ध विद्यमान हैं ।

पांचवी योजना के दौरान गुजरात राज्य में शिपयार्ड की स्थापना

2063. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवीं योजना के दौरान गुजरात राज्य में एक अथवा दो शिपयार्डों की स्थापना के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) विभिन्न अन्य समुद्री राज्य सरकारों ने भी अपने राज्यों में नये शिपयार्ड की स्थापना के लिये प्रस्ताव भेजे हैं । एक तकनीकी आर्थिक दल का गठन किया गया है ताकि वे राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित स्थानों का मूल्यांकन कर सकें । जिसमें गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थान भी शामिल है ।

नये शिपयार्डों की स्थापना के प्रस्ताव योजना आयोग को भी भेजे गये हैं और इस समय विचाराधीन हैं । नये शिपयार्डों की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय, पांचवीं योजना की विषय वस्तु और तकनीकी-आर्थिक दल की सिफारिशों के आधार पर निश्चित किये गये उनके स्थानों को मालूम होने के बाद किया जायेगा ।

भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम में हड़तालों पर लगाया गया प्रतिबन्ध

2064. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में हड़तालों पर रोक लगाने के लिए केन्द्र ने भारत सुरक्षा नियमों का सहारा लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नियमों के बावजूद भारतीय खाद्य निगम की अधिकतर शाखाओं में हड़तालें हो रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की यूनियन ने अधिकारियों के साथ समस्याओं पर विचार-विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फसलों को प्रतिकूल मौसम से बचाने के लिये पांचवीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा बनाया गया नया अनुसन्धान कार्यक्रम

2065. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने पाचवीं योजना के लिये एक नए अनुसंधान कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया है जिससे प्रतिकूल मौसम में फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके तथा परिषद् ने मौसम के मध्य में फसल उगाने की वैकल्पिक प्रणाली निकाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यह योजना कब तक आरम्भ की जाएगी; और

(घ) क्या योजना आयोग ने इस योजना को अनुमोदित कर दिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां । बारानी खेती के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत पांचवीं योजना में प्रतिकूल मौसम का सामना करने के लिए व्यापक रूप से कुछ नए अनुसंधान कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रस्ताव है ।

(ख) इन नये अनुसंधान कार्यक्रमों की मुख्य बातें ये हैं:—

(i) जहां भी पानी उपलब्ध हो वहां न्यूनतम सिंचाई की व्यवस्था;

(ii) मानसून में विलम्ब होने पर कम समय में पैदा होने वाली और गर्मी से प्रभावित न होने वाली फसलों का चुनाव ; और

(iii) सूखे के प्रभाव को मिटाने के लिये फसलों की मूढ़ी रखना ।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने बारानी खेती के लिये अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को पहले ही स्वीकृति दे दी है जो कि अक्तूबर, 1970 से चालू है । यह परियोजना पांचवीं योजना में भी जारी रहेगी जब (ख) के अन्तर्गत उल्लिखित नए अनुसंधान कार्यक्रम इस योजना के एक एकीकृत भाग के रूप में व्यापक रूप से क्रियान्वित किए जाएंगे ।

महानगरों में आवासीय स्थान पर राशन

2067. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों तथा अपेक्षाकृत बड़े नगरों में सरकार का विचार, आवासीय स्थान पर, जिसे किराये पर दिया जाता है, राशन लागू करने तथा नियंत्रित दर पर किराया लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में मॉडर्न बेकरीज की यूनिट स्थापित करना

2068. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में किसी स्थान पर सरकार का मॉडर्न बेकरीज की एक युनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां और यदि नहीं, तो इसके विशेष कारण क्या हैं; और

(ग) किसी विशेष स्थान पर मॉडर्न बेकरीज की यूनिट स्थापित किये जाने के लिये क्या कसौटी अपनाई जानी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं । उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में मॉडर्न बेकरीज यूनिट स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रारम्भिक अध्ययन इस समय इक्नामिक साइज़ के संयंत्र की स्थापना करने के लिए फैजाबाद डिवीजन में पर्याप्त सम्भाव्यता का संकेत नहीं करते तथा डिवीजन में महत्वपूर्ण केन्द्रों की तत्काल आवश्यकताओं को कानपुर संयंत्र से जिसका विस्तार किया जा रहा है, पूरा किया जा सकता है ।

(ग) मुख्य मानदण्ड आवश्यकता, मांग सम्भाव्यता, संचार सुविधाएं, बिजली आदि सुविधाओं की उपलब्धता, विस्तार के लिए कम्पनी की क्षमता है ।

उत्तर प्रदेश में अध्यापिकाएं

2069. **श्री आर०के०सिन्हा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अध्यापिकाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश के कुल अध्यापकों की तुलना में उनकी प्रतिशतता क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में अध्यापिकाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार के विचाराधीन क्या प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन स्थित परियोजनाओं पर खर्च की गई धनराशि

2070. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में विभिन्न निर्माण कार्यों पर समाज कल्याण विभाग

ने गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि खर्च की है तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिये उस कार्य के लिए क्या बजट बनाया गया है तथा किन परियोजनाओं पर धनराशि खर्च किये जाने की सम्भावना है;

(ख) इसका जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कल्याण विभाग की भावी योजनाएं क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) भारत सरकार राज्यों को अनुदान देती है, न कि उनके भागों को । स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से ही दिए जाते हैं ।

खरीफ की फसल के लिए उर्वरकों की कमी

2071. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री के० लकप्पा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में खरीफ की फसल के लिए उर्वरकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उर्वरकों का आयात करने का निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देश के कुछ भागों में खरीफ 1973 में उर्वरकों की आवश्यकता की तुलना में उनकी उपलब्धि में कुछ बाधाएं होने की सम्भावनाएं हैं ।

(ख) ये बाधाएं मुख्यतः उर्वरकों के देशी उत्पादन में कमी के कारण हैं, जो कि विद्युत की कमी, विभिन्न उर्वरक यूनिटों में होने वाले श्रम विवाद, और विश्व बाजार में उर्वरकों की कम उपलब्धि आदि कारणों से है ।

(ग) तथा (घ) सरकार ने उर्वरकों की आवश्यकता की तुलना में देश में उपलब्धि में कमी पूरी करने के लिए उर्वरकों का यथासम्भव अधिकतम आयात करने का फैसला किया है । चालू वर्ष में आयात अभी चल रहा है । कुछ मात्रा में खरीद की गई है और शेष खरीद का कार्य चल रहा है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवास परियोजनाओं के लिए धनराशि का नियतन

2073. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री के० लकप्पा :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी में आवास परियोजनाओं पर गत वर्ष की तुलना में अधिक धनराशि खर्च करेगा;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ग) जनता निम्न आय तथा मध्यम आय वर्गों के लिये सरकारी आवास परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और कितने मकान बन रहे हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी हां।

(ख) 17.20 करोड़ रुपये।

(ग) उपरलिखित सारा नियतन विभिन्न वर्गों के सावजनिक आवास कार्यों पर खर्च किया जाना है। 11,826 रिहायशी मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के लिए वैकल्पिक आवास

2074. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 और 1973 में अब तक दिल्ली में कितनी झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को वकल्पिक आवास अलाट किया गया ;

(ख) वर्ष 1973 की शेष अवधि में तथा वर्ष 1974 में झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को आवास देने के लिये सरकार के विचाराधीन क्या प्रस्ताव है तथा किन क्षेत्रों के झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को कहां-कहां आवास अलाट किये जाएगें ;

(ग) क्या कुछ झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों ने, जिन्हें वैकल्पिक आवास दिया गया था, वहां जाने से इंकार कर दिया है क्योंकि उक्त स्थान उनके कार्य करने के स्थान से बहुत दूर है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जून, 1973 तक लगभग 1586.

(ख) पुनर्वास कालोनियों में लगभग 2000 और प्लाट आवंटन के लिए उपलब्ध किए जाने की संम्भावना है। उन्मूलन तथा पुनर्वास के क्षेत्रों का निर्णय उन्मूलन और पुनर्वास के समय की स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

(ग) तथा (घ) कार्य के स्थानों से दूर पुनर्वास किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, यद्यपि स्थानान्तरण के विरुद्ध सीधे तौर पर इन्कार का कोई मामला नहीं हुआ है।

दिल्ली जैसे शहर में स्थान की अनुपलब्धता वृहत योजना की अपेक्षताओं व अनुरूप क्षेत्रों आदि जैसे विभिन्न कारणों से कार्य के स्थान से दूर के स्थान पर पुनर्वास अनिवार्य है।

दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों में बिजली-पानी की व्यवस्था

2075. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी झुग्गी-झोंपड़ियों की संख्या कितनी है जिनके लिये गत वर्ष तथा इस वर्ष में अब तक बिजली-पानी की व्यवस्था की गई है ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए बजट में क्या व्यवस्था है ; और

(ग) इस बात का विचार किये बिना कि झुग्गी-झोंपड़ी मान्यता-प्राप्त हैं अथवा नहीं सभी झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के लिये बिजली-पानी देने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अपने क्षेत्र के 40 झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने क्षेत्र के 80 झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में।

(ख) गन्दी बस्तियों के वातावरण सम्बन्धी सुधार की केन्द्रीय योजना के अधीन दिल्ली तथा इस योजना में शामिल 19 अन्य शहरों के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में की गई है।

(ग) उपयुक्त योजना के अधीन पानी, बिजली, शौचालयों आदि जैसी सुविधाएं उन झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में उपलब्ध की जाती हैं जो सरकारी भूमि पर स्थित हैं और जिन्हें 10 वर्ष की अवधि तक हटाया नहीं जाना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक प्लाटों का आवंटन

2076. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों में कुल कितने औद्योगिक प्लाटों का अवांटन किया है ;

(ख) कितने प्रतिशत औद्योगिक प्लाटों में पहले ही उद्योग स्थापित हो चुके हैं ;

(ग) अन्य औद्योगिक प्लाटों में उद्योग स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) निकट भविष्य में कितने और औद्योगिक प्लाट बेचे जाने का विचार है, और वे कब तक तथा कहां-कहां पर बेचे जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 1818

(ख) दिसम्बर, 1972 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार मार्च, 73 तक आवंटित किए गये 4422 प्लाटों में से लगभग 929 औद्योगिक प्लाटों पर या तो निर्माण हो चुका था या निर्माण किया जा रहा है।

(ग) भवन निर्माण सामग्री विशेषकर सीमेन्ट तथा इस्पात की कमी जैसी कठिनाईयां तथा नान-कनफर्मिंग उद्योगों द्वारा स्थानान्तरण की अनिच्छा।

आवंटियों को बिना वर्जनीय देरी के निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।

(घ) 1973-74 के वित्तीय वर्ष में लगभग 530 प्लाट दिये जाने की सम्भावना है। इन में से अधिकतर प्लाट ओखला औद्योगिक क्षेत्र जी० टी० करनाल रोड तथा वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं।

वनस्पति की सप्लाई की राज्यवार स्थिति

2077. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति की सप्लाई की राज्यवार स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह वस्तु खुले बाजार से गायब हो गयी है और चोर बाजार में अधिक लाभ पर बेची जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये यदि कोई कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) अधिकांश राज्यों में पिछले तीन महीनों के दौरान वनस्पति की सप्लाई स्थिति कठिन रही थी और कमी और ऊंचे मूल्य होने के समाचार हैं। तथापि पिछले कुछ सप्ताहों में वनस्पति की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

(ग) क्योंकि यह कठिनाई देशी तथा आयातित कच्चे तेलों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण वनस्पति का कम उत्पादन होने से उत्पन्न हो गयी थी अतः तेलों का आयात बढ़ाकर और बन्दरगाहों से फैक्टरियों को तत्परता से आयातित तेल भेज कर इस स्थिति को सुधारने के लिए पग उठाये गए थे। उद्योग ने हाल ही में राज्य सरकारों को यह पेशकश की है कि वे अधिक मूल्य पर वितरण करने के लिए अपना सारा उत्पादन देंगे।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय

2078. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों में, वर्षवार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को कितना वार्षिक अनुदान दिया है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया है; और यदि हां, तो किस आधार पर ;

(ग) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कार्यवाही समिति ने मांग की है कि उन सभी घटनाओं की जांच करने के लिये जिनके कारण विश्वविद्यालय को बन्द करना पड़ा है ; उच्चशक्ति प्राप्त जांच समिति गठित की जानी चाहिये ; और

(घ) यदि हां, तो इस मांग पर यदि सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को दिये गये कुल अनुदान इस प्रकार हैं:—

वर्ष	रुपये
1970–71	3,63,80,565
1971–72	4,24,68,402
1972–73	5,22,69,976

(ख) जी नहीं। विश्वविद्यालय सामान्य रुप से कार्य कर रहा है।

(ग) जी, हां। फिर भी यह मांग पूर्व अवसरों पर विश्वविद्यालय के बन्द होने से संबंधित जांच के बारे में थी।

(घ) सरकार इस संबंध में जांच कराना आवश्यक नहीं समझती।

आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्धन कार्य में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना

2079. **श्री नारायणचन्द्र पाराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्धन कार्य में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिये क्या नीति अपनाई जाती है;

(ख) क्या ऐसी भाषाओं के लिये भी सहायता दी जाती है जो बोली जाती है और जिनमें इस समय साहित्य लिखा जा रहा है परन्तु जो भारतीय संविधान की आठवीं, अनुसूची में है परंतु साहित्य अकादमी द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है; और

(ग) उन संस्थाओं की भाषावार, संख्या और नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में उनमें से प्रत्येक संस्था को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) केन्द्रीय सरकार की नीति आधुनिक भारतीय भाषाओं की उन्नति में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देने की है बशर्ते कि उसके लिए वित्तीय साधान उपलब्ध हों। इस सम्बन्ध में सरकार एक योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके अनुसार भारतीय भाषाओं के विकास में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। हिन्दी की उन्नति के लिये स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता देने की भी उसकी एक योजना है। इन दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलाने के लिये चौथी योजना में 95 लाख रुपये की व्यवस्था है।

(ख) जी, हां।

(ग) विवरण संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5325/73]

अनौपचारिक शिक्षा संबंधी केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें

2080. **श्री नारायणचन्द्र पाराशर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनौपचारिक शिक्षा संबंधी शिक्षा समिति के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की उस समिति ने क्या सिफारिशें की थीं जिसकी बैठक मई, 1973 के अन्तिम सप्ताह में शिमला में हुई थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की भविष्य में होने वाली किसी बैठक में इन सिफारिशों पर विचार किया जायेगा ताकि अनौपचारिक शिक्षा के लिये शैक्षिक कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने में उनका उपयोग किया जा सके ; और

(ग) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की बैठक कब तक होने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अगली बैठक संम्भवत : इस वर्ष के अन्त में होगा ।

विवरण

(क) और (ख) अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति की बैठक शिमला में 24 मई, 1973 को हुई थी तथा इसने निम्नलिखित सिफारिशें की :—

(1) देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यापक रूप से एकल मद-प्रविष्ठि, आनुक्रमिक एवं सांस्थानिक शिक्षण की पूर्णकालिक प्रणाली है । इसे एक ऐसी नई प्रणाली में रूपान्तरित करने की आवश्यकता है जिसमें कई मदों पर बहु-पार्श्विक प्रविष्ठियों के अवसर होंगे और जिसमें शिक्षा के सभी तीनों पूर्ण-कालिक, अंशकालिक, अथवा स्वत: अध्ययन की प्रणालियों को समुचित रूप में समाकलित किया जायेगा तथा उनका स्तर भी समान होगा ।

(2) अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों के पक्ष में सरकारी तथा गैर-सरकारी मत जाग्रत करने के लिये व्यापक प्रयास किये जाने चाहिय, ताकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व ही नयी पद्धति का कारगर ढ़ंग से सृजन किया जा सके ।

(3) अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों को इन पांच प्राथमिकता के आधारों पर विकसित करना होगा : (क) 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग के (बच्चें के) लिये अनौपचारिक शिक्षा, (ख) नेहरू युवक केन्द्रों और अन्य संबंधित एजेंसियों के माध्यम से 15-25 वर्ष के आयु-वर्ग के (व्यक्तियों के) लिये अनौपचारिक शिक्षा, (ग) विश्व विद्यालीय स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा, (घ) प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा, और (ड़) अध्यापक शिक्षा के अनौपचारिक कार्यक्रम ।

(4) औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में उत्पन्न होने वाले द्विभाजन को दूर करना जरूरी था । अत: अनौपचारिक शिक्षा के लिये अलग से स्वतन्त्र ऐजेंसियों का सृजन करना वांछनीय नहीं होगा । इसके स्थान पर वर्तमान शैक्षणिक पद्धति में अनौपचारिक शिक्षा के लिए विशेष एजेंसियां बनायी जानी चाहियें और उन्हें इसम मिला दिया जाये ।

(क) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में एक अनौपचारिक शिक्षा ब्यूरो गठित किया जाना चाहिये । यह (ब्यूरो) एक "सक्रिय दल" के रूप में काम करेगा, अन्य एजेंसियों को प्रेरणा प्रदान करेगा तथा उनके कार्यक्रमों को समन्वित करेगा।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को अनौपचारिक शिक्षा संस्थान में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये और उसकी प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा तथा 15–25 वर्ष के आयु-वर्ग के युवकों की अनौपचारिक शिक्षा के लिये विशेष जिम्मेदारियां होनी चाहिएं।

(ग) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्कूल स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा के सभी कार्यक्रमों की देखभाल करने के लिये रा० शि० अनु० एवं प्रशिक्षण परिषद् में एक अनौपचारिक शिक्षा विभाग होना चाहिये ।

(घ) प्रत्येक निदेशालय में अनौपचारिक शिक्षा के लिये (पर्याप्त सहायता सहित) एक विशेषाधिकारी होना चाहिये । राज्य शिक्षा संस्थानों में भी औपचारिक शिक्षा के लिये एक विशेष एकक होना चाहिये। जिला शिक्षा अधिकारियों और अन्य निरीक्षण कर्मचारियों को स्कूल स्तर पर समुचित रूप से अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों में अनुस्थापन प्रदान करना इन्हीं एजेंसियों का उत्तरदायित्व होगा ।

(ङ) अखिल भारतीय अध्यापक शिक्षा परिषद और राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्डों के उनके अपने पास भी, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विकसित करने हेतु अध्यापक शिक्षा के सामान्य कार्यक्रमों के एक अभिन्न अंग के रूप में अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का विकास करने के लिये उपयुक्त मशीनरी होनी चाहिये ।

(5) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक मुख्य भूमिका अदा करनी होगी। संसद के एक अधिनियम के अन्तगर्त एक राष्ट्रीय खुला-विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिये। इस विश्वविद्यालय को अपना काम यथाशीघ्र और अधिमानतः वर्ष 1975 से आरम्भ कर देना चाहिये । इस प्रकार की संस्था देश के किसी भी भाग में रहने वाले व्यक्ति के लिये यह बात सम्भव बना देगी कि वह राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध उच्चतर शिक्षा की सुविधाओं का लाभ उठा सके और इस प्रकार से यह (संस्था) राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने में एक असीम शक्ति होगी। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक विश्वविद्यालय में पत्राचार शिक्षा की सुविधाएं होनी चाहियें।

(6) अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों के लिये सभी स्तरों पर छात्रों की सेवाएं उपयोग की जा सकती हैं। इस सम्भावना की पूरे तौर पर खोज की जानी चाहिये।

(7) अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों के आवधिक मूल्यांकन के प्रबंध किये जाने चाहियें जैसा कि सभी अन्य शिक्षा के कार्यक्रमों के संबंध में किये जाते हैं।

(8) अनौपचारिक शिक्षा के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के लिये भी कदम उठाए जाने चाहियें। इस प्रयोजनार्थ, प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के लिये जितने आवंटन की व्यवस्था की गई है, उसके कुछ अनुपात को अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों के लिये अलग से रख दिया जाना चाहिये। 15-25 वर्ष के आयुवर्ग के (व्यक्तियों के) लिये अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये और कृषि, स्वास्थ्य,

उद्योग जैसे उन विकास कार्यक्रमों के लिये आवंटित धनों में से अनौपचारिक शिक्षा के लिये शैक्षणिक आवंटनों की पूर्ति की जानी चाहिये, जहां पर इन कार्यक्रमों को अपने आप में कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिये जनता को शिक्षित करना ज़रूरी होता है।

(9) अनौपचारिक शिक्षा के लिये केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की एक स्थाई समिति होनी चाहिये। समय-समय पर इस कार्यक्रम की प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिये इस कार्यक्रम के विकास को प्रोत्साहित करना तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों को उपयुक्त सिफारिशें करना इस समिति का उत्तरदायित्व होना चाहिये।

(10) अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा-माध्यम से संबंधित नीति वही होनी चाहिये जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली में है। इन शैक्षिणिक प्रसारणों के लिये, जो व्यापक रूप से प्रौढ़ अशिक्षित जन-संख्या के लिये होते हैं, यथा सम्भव उप भाषा/उप-भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिये जो वास्तविक रूप से दिन-प्रतिदिन के जीवन में उपयोग की जाती हैं।

इस समिति की सिफारिशों को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थाई समिति के सम्मुख रखा गया था और उन्हें स्वीकार कर लिया गया था। इन सिफारिशों को अपेक्षित कारवाई हेतु राज्य सरकारों/संघ-शासित प्रदेशों के प्रशासनों और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया गया है।

पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा समस्या सवंधी समिति

2081. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी क्षेत्रों में शैक्षिक समस्याओं संबंधी केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति ने क्या सिफारिशे की थी जिसकी बैठक मई, 1973 के अन्तिम सप्ताह में शिमला में हुई थी; और

(ख) क्या शैक्षिक संबंधी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की किसी बैठक में इन सिफारिशों पर विचार किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की पहाड़ी क्षेत्रों की शिक्षा समस्या समिति की बैठक 25 मई, 1973 को शिमला में हुई तथा उसने निम्नलिखित सिफारिशें की :—

(1) पांचवीं पंच वर्षीय योजना में, पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा के विकास को उपयुक्त प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि ये क्षेत्र पिछड़े रहे हैं।

(2) कार्मिकों (अध्यापकों तथा छात्रों) के विनिमय, पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में शैक्षिक समस्याओं के बीच उपयुक्त संपर्क स्थापित करने जैसी व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए उनकी पृथकता दूर करने हेतु एक सुसंकल्पित एवं विस्तृत प्रयास किया जाना चाहिए। इससे राष्ट्रीय एकता की वृद्धि में सहायता मिलेगी।

(3) इन क्षेत्रों में एक-समान प्राथमिक शिक्षा बनाने की समस्या का समाधान विशेष उपायों को अपना कर किया जाना चाहिए, जिसमें आश्रम स्कूलों, गश्ती स्कूलों की स्थापना तथा आधुनिक शिक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग भी शामिल हो ।

(4) औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम इन क्षेत्रों से अधिक संबंधित है तथा इन क्षेत्रों के सेवा-निवृत्त अध्यापकों और अन्य शिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

(5) माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था का संबंध स्थानीय वातावरण एवं विकासात्मक आवश्यकताओं से होना चाहिए ।

(6) शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

(7) इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था को सुविधाएं उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि ये क्षेत्र विभिन्न कारणों से पिछड़े हुए रहे हैं ।

(8) चूंकि शिक्षा सर्वेक्षण का अंश केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है, अतः केन्द्र में एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए । वह राज्य स्तरीय सर्वेक्षण अधिकारियों के सहयोग से कार्य करेगा तथा पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा विकास के ठोस कार्यक्रम बनाएगा ।

(9) इन क्षेत्रों तथा यहां के समाज का सांस्कृतिक तादात्म्य बनाए रखने की आवश्यकता के अनुरूप इन क्षेत्रों के पूरे विकास की योजना बनाई जानी चाहिए ।

समिति की सिफारिशें केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति के सम्मुख रखी गई थी तथा उन्हें अनुमोदित कर दिया गया है । उन्हें राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के प्रशासनों तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक कार्यवाई के लिए भेज दिया गया है । इन सिफारिशों को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अगली बैठक में पेश कर दिया जाएगा ।

पांचवीं योजना के दौरान बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम

2082. **श्री वी० मायावन :**
श्री आर० वी० स्वामिनाथन :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बच्चों के लिये विशेष पोषाहार कार्यक्रम सम्बन्धी एक योजना केन्द्रीय सरकार ने बनाई है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या योजना आयोग ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) से (ग) समाज कल्याण विभाग ने 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा नर्सिंग और गर्भवती माताओं के लिए समेकित सेवाओं की एक योजना तैयार की है । पूरक पौष्टिक आहार इन

सेवाओं में से एक है । अन्य सेवाएं ये हैं : प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच पड़ताल, निदेश सेवाएं, स्कूल-पूर्व शिक्षा तथा पौष्टिक आहार शिक्षा । इसे आदिम जाति/ग्रामीण खण्डों तथा शहरों की गंदी बस्तियों में लागू करने का प्रस्ताव है ।

योजना आयोग इस योजना पर विचार कर रहा है ।

छोटे पत्तनों की विकास योजनाएं

2083. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटे पत्तनों के विकास के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी योजनाएं/परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं, और

(ख) इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये कितनी धन-राशि नियत की गई है या की जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे पत्तनों के विकास के लिये योजनाएं/परियोजनाएं इस समय सरकार और योजना आयोग के सक्रिय विचाराधीन है । अतः इस समय ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिये नियतन किये जाने वाली निधि को बताना संभव नहीं है ।

चीनी के प्राइवेट थोक व्यापारियों के स्थान पर सरकारी एजेंसियां नियुक्त करने का निर्णय

2084. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के वितरण में कदाचार को रोकने के लिये चीनी के प्राइवेट थोक व्यापारियों के स्थान पर भारतीय खाद्य निगम जैसी सरकारी एजेंसियां नियुक्त करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1973-74 के चालू वर्ष में चीनी पर कानूनी आंशिक नियंत्रण लागू करने का निर्णय किया है, और

(घ) यदि हां, तो क्या इसको क्रियान्वित किया गया है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी हां । पहली जनवरी 1973 से लेवी चीनी के थोक वितरण का कार्य भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों को सौंपा गया है । इस समय तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू तथा काश्मीर, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, पांडिचेरी, दादर नागर हवेली और गोआ, दमन तथा दीव, जहां राज्य सहकारी समितियां/सरकारी एजेंसियां यह कार्य कर रही हैं, को छोड़कर खाद्य निगम सभी राज्यों में यह कार्य कर रही है ।

(ग) और (घ) चीनी का सांविधिक आंशिक नियंत्रण पहली जुलाई, 1972 से फिर से लागू किया गया था और तभी से लागू है। चीनी का उत्पादन बढ़ाने में इसकी उपयोगिता और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी की उपयुक्त मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात को ध्यान में रख कर इसे पहली अक्तूबर, 1973 से शुरू

होने वाले चीनी वर्ष 1973-74 के दौरान भी जारी रखने का निर्णय किया गया है। इससे गन्ना उत्पादकों को अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम मूल्य की अपेक्षा अधिक मूल्य दिलाने और 1972-73 में 1971-72 से 7 लाख मीटरी टन चीनी का अधिक उत्पादन होने में सहायता मिली है। इससे 1973-74 मौसम के लिए गन्ने के अंतर्गत क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है।

'पुलिस पोस्टेड ऐज ए० एम० यू० ओपन्स टुडे' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

2086. **श्री ी० के० चन्द्राप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1973 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'पुलिस पोस्टेड ऐज ए० एम० यू० ओपन्स टुडे' शीर्षग के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस तैनात नहीं की गई थी। फिर भी स्थानीय प्राधिकारियों ने 2 जुलाई, 1973 को विश्वविद्यालय के फिर से खुल जाने पर शांति बनी रहे, इस दृष्टि से कुछ उपाय किये थे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के दूसरे कैम्पस के लिए भवन

2086. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय के दूसरे कैम्पस के बारे में 23 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में सघन आबादी वाली किसी रिहाइशी बस्ती में कोई भवन किराये पर लिये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय : ाधिकारियों के अनुसार, विश्वविद्यालय के दक्षिण दिल्ली परिसर के लिए दक्षिण दिल्ली की विद्यमान किसी भी शैक्षिक संस्था में उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः विश्वविद्यालय परिसर के उपयोग के लिए नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन एरिया में दो भवन किराए पर लिए हैं।

सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट ऊपरी पुल

2087. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी ।**
श्री विक्रम महाजन :

क्या निर्माण और] आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने नई दिल्ली सफदरजंग में हवाई अड्डे के निकट पुल का निर्माण अपने हाथ में लेने के लिए इस आधार पर हिचकिचाहट व्यक्त की है कि उसे पहले इस बात का आश्वस्त होना चाहिए कि वर्तमान निर्माण निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार किया गया है;

(ख) क्या बने हुए पुल की प्रयोग शाला की जांच अभी भी पूरी होनी है; और

(ग) यदि हां, तो आवश्यक जांच कब तक पूरी हो जायेगी और कब तक पुल का निर्माण पुनः शुरू किया जायेगा क्योंकि इससे जनता को भारी असुविधा हो रही है और यह पुल कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) लेबारेटरी सम्बन्धी जांच की जा रही है और इस के शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है। पुल के निम्नलिखित कार्य पहले ही आरंभ किए जा चुके हैं :—

(i) हवाई अड्डे की तरफ के सम्पर्क मार्ग की कुटाई का कार्य पूरा हो चुका है ।

(ii) आई० एन० ए० की तरफ के सम्पर्क स्थान पर मिट्टी की भराई की जा रही है ।

(iii) अंडर-रोम्ड पाईलों की जांच की जा रही है।

(iv) आर० सी० सी० पोर्टल फ्रेम्ज़ के गनाईटिंग का कार्य आरम्भ कर दिया गया है । कार्य को पूरा करने की निर्धारित तारीख 31 मार्च, 1974 है ।

जम्मू और कश्मीर में खाद्य राज-सहायता की लागत में लगातार वृद्धि

2088. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में खाद्यान्न के उत्पादन में शत प्रतिशत वृद्धि होने का दावा करने के बावजूद पिछले तीन सालों के दौरान खाद्य राज-सहायता की लागत में निरन्तर वृद्धि होती रही है ।

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर में सबसे महंगे चावल की कीमत 85 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि लागत मूल्य 135 रु० प्रति क्विंटल से कम नहीं है, और

(ग) देश के अकाल पीड़ित/अभावग्रस्त क्षेत्रों में चावल के बिक्री मूल्य के मुकाबले जम्मू और कश्मीर में राज-सहायता की तुलनात्मक स्थिति क्या है और सारे देश में भार को समान रूप से वितरित करने के लिए क्रमिक रूप से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान मौसम की स्थिति प्रतिकूल रहने के कारण खाद्यान्नों की पैदावार में कमी हुई है जिसके फलस्वरूप अन्य राज्यों से अतिरिक्त मात्रा का आयात करना पड़ा था । इसके परिणाम-स्वरूप राज्य सरकार पर राज सहायता का भार अधिक पड़ा है ।

(ख) आयातित चावल को उतारने पर औसत अनुमानित लागत जम्मू में 122 रुपये प्रति क्विंटल और श्रीनगर में 135 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है जबकि चावल का अधिकतम बिक्री मूल्य 80 रुपये प्रति क्विंटल है ।

(ग) जम्मू तथा कश्मीर समेत राज्य सरकारों से वसूल किया जाने वाला निर्गम मूल्य देश भर में समान है । तथापि, जम्मू तथा कश्मीर सरकार खाद्यान्नों की बिक्री, पर भारी राज सहायता देती है ।

यह सरकार खाद्यान्नों की ढुलाई, संचयन और उन्हें सम्भालने संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए केन्द्र से कुछ वित्तीय सहायता भी लेती है ।

डा० रोजर दशेन का भारत का दौरा

2089. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :**
डा० सरवीश राय :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी रक्षा विभाग की इन्स्टीच्यूट आफ डीफेन्स एनेलेसिस की जेसन समिति के सदस्य डा० रोजर दशेन का दिल्ली विश्वविद्यालय के दौरे के संबंध में दिल्ली विश्वद्यालय के अध्यापकों के रोष की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या डा० रोजर दशेन के दिल्ली में ठहरने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विशेष वित्तीय अनुदान दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो शेष का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) उच्च अध्ययन संस्थान, प्रिन्सटोन (अमरीका) के स्थायी प्रोफेसर, प्रो० रोजर दशेन को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपने भौतिकी के उच्च अध्ययन केन्द्र में चार लैक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया था । विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने इस उद्देश्य के लिए कोई विशेष अनुदान नहीं दिया । तथापि, आयोग ने अतिथि प्रोफेसर को आमंत्रित करने पर होने वाले खर्च को उच्च अध्ययन केन्द्र की निधियों में से पूरा करने की अनुमति दे दी ।

प्रो० दशेन का प्रथम लैक्चर 3 मई, 1973 के लिए नियत किया गया था । लैक्चर शुरू होने से पूर्व ही श्रोताओं में से कुछ लोग, जिनमें कालेजों तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों और सतत शिक्षा के स्कूलों के अध्यापक भी शामिल थे, उसे और प्रो० दशेन के जेशन समिति के साथ संबंधों के बारे में विरोध प्रकट किया। चूंकि वे न तो लेक्चर सुनने के लिए और न ही प्रो० दशेन को बोलने की अनुमति देने को तैयार नहीं थे, अतः लैक्चर रद्द कर दिया गया था ।

मुंज्जा ेड़ा) के कारण धान की फसल तबाह हो जाना

2090. **श्री विजय मोदक :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मुंज्जा (एक विशेष किस्म का कृमि का कीड़ा) के कारण विभिन्न राज्यों की धान की फसल वाले बहुत बड़े क्षेत्र तबाह हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बर्बादी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या कीटनाशक औषधियों अथवा दवाइयां छिड़कने के लिए हैलीकाप्टरों का उपयोग किया गया है और यदि हां, तो किस क्षेत्र में छिड़काव किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) मुंज्जा से धान की फसल को अधिक क्षति पहुंचने की कोई सूचना सरकार को नहीं मिली है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी क्षेत्रों के समेकित विकास के लिये परियोजनाएं

2091. **श्री बसन्त साठे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी क्षेत्रों के समेकित विकास के लिये कोई विशेष कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनायें क्रियान्वित करने का विचार है और उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों में, आदिवासी क्षेत्रों में कितने कार्यक्रम क्रियान्वित किये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) 1971-72 में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में आदिवासी विकास के लिये 6 मार्गदर्शी योजनायें हाथ में ली गई थीं। ये योजनाएं अभी चल रही हैं । पांचवीं योजना अवधि में इन्हें जारी रखने का प्रस्ताव है । पांचवीं योजना के लिये नई स्कीमें बनाई जा रही हैं, परन्तु इन्हें अन्तिम रूप दिये जाने में अभी कुछ समय लगेगा ।

तिलहन का उत्पादन

2092. **श्री बसन्त साठे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से देश में, राज्यवार, तिलहन को खेती वाला क्षेत्र कितना है और कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) गत तीन वर्षों में खाद्य तेलों की कितनी कमी है और इसको किस प्रकार पूरा किया गया है; और

(ग) तिलहनों का उत्पादन स्थिर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसका अब तक क्या परिणाम निकला है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक देश में तिलहन की खेती के क्षेत्र का विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5326/73]** मूंगफली को छोड़कर सभी तिलहनों के सम्बन्ध में 1972-73 के उत्पादन के अन्तिम अनुमान उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

(ख) यद्यपि तीन वर्षों में देश में खाद्य तेलों की मांग और पूर्ति के पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं; तथापि अनुमान है कि 1972 के खरीफ के दौरान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां मौजूद होने के कारण मूंगफली की फसल खराब हो जाने से, विशेषकर 1972-73 में खाद्य तेलों की मांग की अपेक्षा सप्लाई में कमी हो गई थी । देश में खाद्य तेलों की देशीय सप्लाई को बढ़ाने के लिये ऐसे तेलों और तिलहनों का आयात शुरू किया गया ।

(ग) तिलहनों के उत्पादन में स्थिरता लाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) सुनिश्चित वर्षा और सिंचाई की सुविधा वाली भूमि में मूंगफली के उत्पादन के लिये पैकेज पद्धति को अपनाना ।

(2) तिलहनों और विशेषकर ग्रीष्मकालीन मूंगफली की खेती के अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना ।

(3) अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में मूंगफली की उपज में स्थिरता लाना ।

(4) एरंडी की कम समय में तैयार होने वाली अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती शुरू करना ।

(5) तोरिया के एफिडस रोग के विरुद्ध सामूहिक रूप से पौध-रक्षण उपाय करना ।

(6) सोयाबीन का विकास करना ।

(7) सूरजमुखी का विकास करना ।

उपर्युक्त उपाय अपनाने से 1969-70 की अपेक्षा 1970-71 और 1971-72 के दौरान तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है । यद्यपि 1972-73 की अवधि के लिये तिलहनों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु इस वर्ष 1972 के खरीफ के दौरान कई राज्यों में अभूतपूर्व सूखा की स्थिति उत्पन्न होने के कारण उपज में कमी होने की आशंका है ।

दिल्ली में सैन्ट्रल स्कूल में बस/परिवहन सुविधाएं

2093. **श्री बसन्त साठे :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सैन्ट्रल स्कूल कितने हैं और उनमें गत तीन वर्षों से कितने छात्र पढ़ रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अधिकतम संख्या को देखते हुए इन स्कूलों की संख्या बिल्कुल अपर्याप्त है;

(ग) कितने सैन्ट्रल स्कूलों में बच्चों के लिए अपनी बस/परिवहन की व्यवस्था है; और

(घ) क्या सरकारी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध न किये जाने के कारण प्राइवेट बस/परिवहन चालक बहुत ज्यादा किराया लेते हैं और इससे सरकारी कर्मचारियों के सीमित संसाधनों पर कुठाराघात होता है और इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दस । पिछले तीन वर्षों की अवधि में दाखिल किये गये छात्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय (केन्द्रीय स्कूल), दिल्ली कैंट को छोड़कर, जिसकी अपनी एक छोटी सी बस है, बाकी किसी केन्द्रीय विद्यालय के पास अपनी बसें नहीं हैं ।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय (केन्द्रीय स्कूल) प्राईवेट ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात् बच्चों को लाने ले जाने के लिये बसें किराये पर लेते हैं । विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क न कोई

लाभ न कोई हानि के आधार पर निर्धारित किया जाता है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास उपलब्ध सीमित साधनों के कारण सस्ती परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये किसी प्रकार का वैकल्पिक प्रबंध करना संभव नहीं है ।

विवरण

क्रमांक	केन्द्रीय विद्यालय (केन्द्रीय स्कूल) का नाम	दाखिल किये गये छात्रों की कुल संख्या			टिप्पणियां
		1-8-1970 की स्थिति	1-8-1971 की स्थिति	1-8-1972 की स्थिति	
1.	दिल्ली कैंट	1715	1807	2116	
2.	एण्ड्रूज गंज	1455	1546	1642	
3.	रामाकृष्णापुरम सेक्टर 8	2086	745	849	
4.	टैगोर गार्डन	842	992	1177	
5.	गोल मार्केट	625	767	859	
6.	रामाकृष्णापुरम सेक्टर 4	—	1523	1535	यह स्कूल 1971 में खोला गया था
7.	विशेष के० विद्यालय	—	71	85	—वही—
8.	भा० प्रौ० सं० दिल्ली	—	305	477	—वही—
9.	आई० एन० ए० कालोनी, दिल्ली	—	—	272 (31-8-1972 को जो स्थिति थी)	यह स्कूल 1972 में खोला गया था
10.	जनकपुरी, दिल्ली	—	—	208 (दिनांक 1-8-1973 की स्थिति के अनुसार)	यह स्कूल 1973 में खोला गया था ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध करने के लिये द्रुत कार्यक्रम

2094. **श्री बसन्त साठे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध करने के लिए कोई द्रुत कार्यक्रम चलाया है या चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सूखाग्रस्त राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में, जिलावार पेय जल उपलब्ध करने के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय रूप में तथा जल उपलब्ध करने में सफलता प्राप्त करने के रूप में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त कार्यक्रम की मुख्य बात क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई का प्रबन्ध करने के लिये निम्नलिखित विशेष उपाय किये गये हैं :—

(1) पेय जल के लिये नल-कूप खोदने हेतु अपेक्षित पठार क्षेत्रों के लिये उचित एयर ड्रिलिंग रिग्ज़ खरीदने में राज्यों को सहायता देना ।

(2) केन्द्रीय अध्ययन दलों ने सूखाग्रस्त राज्यों का दौरा किया तथा उन्होंने पेय जल की सप्लाई के लिये विशिष्ट कार्यक्रमों की सिफारिश की है और इस उद्देश्य के लिये व्यय की सीमा निर्धारित की है ।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	योजना आयोग के केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा सिफारिश की गई अधिकतम राशि	
		(लाख रुपयों में)	
1.	महाराष्ट्र	1000.00	
2.	आन्ध्र प्रदेश	150.00	
3.	राजस्थान	130.50	
4.	गुजरात	800.00	
5.	मैसूर	327.00	
6.	मध्य प्रदेश	20.00	
7.	उत्तर प्रदेश	150.00	
8.	पश्चिमी बंगाल	118.00	
9.	उड़ीसा	15.00	
10.	मणिपुर	2.00	
11.	बिहार	कुछ नहीं	
12.	हरियाणा	कुछ नहीं	केन्द्रीय अध्ययन दलों द्वारा किसी पूर्वोपाय की सिफारिश नहीं की गई ।
13.	जम्मू तथा कश्मीर	कुछ नहीं	
14.	त्रिपुरा	कुछ नहीं	

3 मध्य प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान के 5 सूखाग्रस्त राज्यों में पेय जल सप्लाई की समस्या को हल करने के लिये नल-कूपों की खुदाई में राज्य सरकारों को सहायता देने हेतु, यूनीसेफ से 4" के 25 रिग्ज़ सप्लाई करने का अनुरोध किया गया। रिगों को वायुयान द्वारा लाया गया। विभिन्न राज्यों को 25 रिगों का वितरण इस प्रकार किया गया :—

महाराष्ट्र	6
गुजरात	6
मैसूर	5
मध्य प्रदेश	4
राजस्थान	4

4. राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों के उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पेय जल का स्रोत नहीं है या जहां मौजूदा पेय जल सप्लाई स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है या जहां समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए जल सप्लाई अपर्याप्त है पेय जल की व्यवस्था के लिये सहायता देने हेतु 1972-73 से त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई की केन्द्रीय योजना भी आरंभ की गई है। योजना के लिए 1972-73 में 1909.75 लाख रुपये की राशि दी गई थी तथा 1973-74 में योजना के लिये 1500 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र सरकार को त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित पेय जल सप्लाई की योजनाओं के निष्पादन हेतु 1972-73 में 106.00 लाख रु० की राशि दी गई थी। इस योजना के लिये 1973-74 के लिये महाराष्ट्र सरकार को 70 लाख रुपये की और राशि अलाट की गई है।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल की सुविधाएं देने के लिये राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय तथा की गई प्रत्यक्ष प्रगति का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पेय जल का प्रबन्ध करने हेतु पांचवीं योजना के दौरान 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

महाराष्ट्र में खाद्यान्न की कमी

2095. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में अब भी खाद्यान्न की भारी कमी है;

(ख) क्या सरकार ने राहत कार्य केन्द्रों को बन्द कर दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र में खाद्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को खाद्यान्नों की अधिकांश मात्रा सप्लाई की जा रही है।

(ख) महाराष्ट्र में यथावश्यक कम परिमाण में राहत कार्य जारी रखे जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिम बंगाल को विषैले अर्गट युक्त गेहूं की सप्लाई

2096. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिम बंगाल सरकार को विषैला अर्गट युक्त गेहूं सप्लाई किया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पश्चिम बंगाल की जनता को विषैले गेहूं के गंभीर प्रभाव से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गेहूं में अरगोट-प्रभावित अन्न देखने के तुरन्त बाद राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे ऐसे गेहूं को आटा मिलों को दें जिनके पास सफाई करने के लिए अपेक्षित प्रबंध हैं। राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे उपभोक्ताओं को यह सलाह दें कि वे आवश्यक सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे गेहूं को हाथ से चुनकर अथवा अन्यथा, साफ करा लिया करें।

त्रिपुरा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में व्यय की गई धनराशि

2097. **श्री दशरथ देव : क्या कृषि** मंत्री त्रिपुरा में सुखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के बारे में 5 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1820 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) क्या सरकार इस धनराशि के उपयोग पर कोई निगाह रखती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम, 1972-73 के अंतर्गत विशेष लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये त्रिपुरा सरकार को ऋण के रूप में स्वीकृत की गई 21.40 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार को निर्मुक्त कर दी गई थी। यह राशि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर भेजी हुई व्यय तथा क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर निर्मुक्त की गई थी।

भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सामयिक प्रगति रिपोर्टों द्वारा मौके पर जांच करने के लिये कृषि मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारी के दौरों तथा राज्य के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके धनराशियों के उपयोग पर कड़ी निगरानी रखती है।

स्थान बदल-बदल कर खेती करने में सुधार करने के तरीके

2098. **श्री दशरथ देव : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थान बदल-बदल कर खेती (झूमिंग) करने के तरीकों से सुधार करने के लिए सरकार ने कोई आधुनिक तरीके निकाले हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) झूम खेती के दोषों को दूर करने के लिए विभिन्न समितियों, विशेषज्ञ निकायों, आदि ने अलग-अलग सुझाव दिये हैं। यह सिफारिश

की गई है कि झूम खेती के स्थान पर समन्वित ढंग से स्थायी खेती, बागवानी तथा वानिकी शुरू की जानी चाहिए, ताकि अधिक ढालू भूमि में वन लगाये जायें, कम ढालू भूमि बागवानी के उपयोग में लाई जाये तथा समतल खेतों में खेती की जा सके। अब तक झूम खेती की तकनीकों में सुधार करने के लिए किसी विशेष तरीके का विकास नहीं हुआ है। झूम खेती के नियंत्रण तथा कृषि एवं बागवानी के लिए स्थायी भूमि के विकास की मार्गदर्शी तथा प्रदर्शन परियोजनायें पंचम पंचवर्षीय योजना अवधि में क्रियान्वित करने के लिए सम्मिलित की जा रही हैं।

त्रिपुरा में खाद्य उत्पादन पर सूखे का प्रभाव

2099. **श्री दशरथ देव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पहले सूखे का और फिर बाढ़ का समस्त त्रिपुरा पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) इनके परिणामस्वरूप खाद्य उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या त्रिपुरा की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है, और इसके लिये कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) त्रिपुरा के कुछ भाग पिछले वर्ष सूखे से और इस वर्ष बाढ़ों से प्रभावित हुए थे।

(ख) खाद्य उत्पादन में हुई हानि के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) राज्य सरकार को सूखा राहत उपायों के लिये 50 लाख रुपये दिए गए हैं। बाढ़ सहायता उपायों के लिये 1 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

त्रिपुरा की टीला भूमी पर खेती करने की उपयुक्तता के बारे में सर्वेक्षण

2100. **श्री दशरथ देव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा की टीला भूमि (ऊंचाई पर स्थित समतल भूमि) पर किन-किन किस्मों की फसल की खेती सर्वोत्तम रूप से हो सकती है; इसका पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) त्रिपुरा सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Establishment of Central School in Nepal

2101. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state;

(a) whether Government have under consideration a proposal to establish a Central School in Nepal;

(b) if so, when and the number of seats that will be available in the said school;

(c) whether such schools have been established all over India, particularly, at the places where Central Government Offices are located; and

(d) if so, the details in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) & (b) It has been decided to start a Kendriya Vidyalaya in Kathmandu (Nepal). The Principal has already joined. Orders for the posting of other teachers have also been issued by the Kendriya Vidyalaya Sangathan. The present enrolment is about 450 students.

(c) & (d) Yes, Sir. At present there are 166 Kendriya Vidyalayas spread all over India including the one at Kathmandu (Nepal). Their location is given in the attached statement. [Placed in Library. *See* No. L.T. 5327/73]

New Kendriya Vidyalayas are set up at places having large concentration of transferable Defence Personnel and Central Government employees.

Agricultural University in Delhi

2102. **Shri Shrikrishna Agrawal:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether Government have under consideration a proposal to establish an Agricultural University in Delhi; and

(b) if so, the main features thereof and the time by which it is expected to be set up ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

नकली दवाओं का निर्माण और उनकी बिक्री

2103. **श्री समर गुह :**
श्री धनशाह प्रधान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली दवाओं के निर्माण और उनकी बिक्री में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान नकली दवाओं के खिलाफ कितने मामले दायर किये गये ;

(ग) क्या बाजार में और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नकली दवाओं की शीघ्रता से और आसानी से पहचान करने के लिए केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला ने कुछ उपायों का सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के उपायों की योजना बनाने की संभाव्यता के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता से जो रिपोर्टें मिली हैं, उनसे किसी असाधारण वृद्धि का पता नहीं चला ।

(ख) विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता ने केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से देश के बाजारों में बेची जाने वाली दवाओं की किस्म का शीघ्रता-पूर्वक सर्वेक्षण करने के लिए एक "विस्तृत औषधि गुण नियंत्रण कार्यक्रम" चलाया है । इस योजना में एक अनिवार्य बात यह रखी गई है कि परीक्षण करने के प्रबंधों की एक ऐसी मशीनरी तैयार की जानी चाहिए जिससे एक बार में ही बहुत से नमूनों का चन्द घंटों के अन्दर-अन्दर परीक्षण किया जा सके । बाजार में निम्न कोटि की कितनी दवाएं प्रचलित हैं इसका अन्दाजा लगाने तथा जीवन-रक्षक और अनिवार्य दवाओं के गुणों की समय-समय पर परख करने के बारे में इस कार्यक्रम से सहायता मिलेगी । नकली दवाएं बनाने का धन्धा अनिवार्य रूप से एक ऐसा गुप्त-धंधा है जिसमें ऐसे लोग लगे हुए हैं जिन के पास लाइसेंस नहीं हैं और सम्भवतः इन केसों का पता लगाने में यह योजना अधिक लाभकारी सिद्ध न हो ।

शिशु आहार में मिलावट के मामले

2104. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिशु आहार में अपमिश्रण सहित खाद्य अपमिश्रण के मामलों में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है ;

(ख) इस प्रकार के कदाचार के लिये वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान कितने मामले दायर किये गये; और

(ग) खाद्य अपमिश्रण के बारे में भ्रष्टाचार-निरोध सम्बन्धी उपायों में तीव्रता लाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं । फिर भी, सरकार को देश में प्रचलित खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता है ।

(ख) 1970 और 1971 के वर्षों में जिन दोषी व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

(i) 1970......25,973

(ii) 1971......25,380

1972 की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन का सारा काम लगभग स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है । किन्तु कुछेक राज्यों में राज्य सरकारें भी इस अधिनियम को क्रियान्वित करती हैं । इस

बुराई को रोकने के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है। भारत सरकार ने जो और उपाय बरते हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) इस अधिनियम में सन् 1964 में संशोधन कर दण्ड देने की व्यवस्था को और सख्त बना दिया गया तथा अन्तर्राज्य स्तर और विनिर्माता थोक-विक्रेता अथवा अन्य स्तरों पर जहां कहीं आवश्यक समझा गया, मिलावट की रोक-थाम के लिये भारत सरकार को खाद्य निरीक्षकों और सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति करने के लिये समवर्ती-अधिकार भी दिये गये।

(2) इस बुराई को दबाने के लिये जनता या अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जांच पड़ताल करने के लिये स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक विशेष-दस्ते की स्थापना कर दी गई है।

(3) गाजियाबाद में एक नई खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।

(4) प्रशिक्षित और अनुभवी विश्लेषकों की व्यवस्था हेतु, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला दिये गये हैं। आन्ध्र विश्वविद्यालय में खाद्य विश्लेषण का अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों के लिये छात्रवृत्तियों की मंजूरी दे दी गई है।

लू के शिकार व्यक्ति

2105. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान लू से कितने व्यक्ति शिकार हुए;

(ख) जो व्यक्ति लू के कारण मरे उनके परिवारों को क्या कोई मुआवजा दिया गया था; और

(ग) क्या सरकार ने लू के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा देने के बारे में विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) चूंकि लू लगना कोई ऐसा रोग नहीं है जिसकी सूचना देना अनिवार्य हो, अतः इस सम्बन्ध में कोई प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, 1972-73 के दौरान इससे 198 मौतें होने की सूचना मिली है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

विदेश भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमंडल और मंडलियां

2107. **श्री आर० एन० वर्मन** :

श्री सुधाकर पाण्डेय :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री 18 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4707 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 दिसम्बर, 1972 के बाद आज तक वर्ष 1972-73 के दौरान विदेशों में कितने सांस्कृतिक शिष्टमण्डल और सांस्कृतिक मण्डलियां भेजी गईं;

(ख) इन शिष्टमण्डल और सांस्कृतिक मण्डलियों ने किन-किन देशों की यात्रा की; और

(ग) किन-किन राज्यों से ये सांस्कृतिक मण्डलियां भेजी गईं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) इस अवधि के दौरान चार अभिनय मण्डलियां, पांच व्यक्ति और एक गैर-अभिनय प्रतिनिधिमण्डल भेजे गए हैं।

(ख) अभिनय मण्डलियां, बर्मा, सिंगापुर, मलयेशिया, फिजी, थाइलैंड, आस्ट्रेलिया, गुयाना, सुरिनाम, टोबागों, त्रिनीडाड, बेनेजुला, मेक्सिको, ट्यूनिशिया, सोवियत रूस, चेकोस्लोवाकिया, स्पेन, रूमानिया, बलगारिया और माल्टा के दौरे के लिए भेजी गई हैं ।

गैर-अभिनय व्यक्ति, सोवियत रूस, जर्मन जनवादी गणतंत्र, युगोस्लाविया, हंगरी, फ्रान्स, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बलगारिया और जर्मन संघीय गणतंत्र के दौरे के लिए भेजे गये हैं ।

गैर-अभिनय प्रतिनिधिमण्डल फ्रान्स के दौरे के लिए भेजा गया है । फ्रान्स के दौरे के बाद इस प्रतिनिधि-मण्डल के 3 सदस्यों को सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप से सोवियत रूस, जर्मन जनवादी गणतंत्र और हंगरी के दौरे पर भी भेजा गया है ।

(ग) अभिनय मण्डलियों में दिल्ली, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मणिपुर और केरल राज्यों के व्यक्ति शामिल थे ।

खाद्य तेलों का आयात करने में विलम्ब

2108. श्री रानेन सेन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठीक समय पर खाद्य तेलों का आयात करने के बारे में दृढ़ निश्चय लेने में सरकार ने असाधारण विलम्ब किया है जिसके परिणामस्वरूप भारत को करोड़ों रुपयों का घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां तो विलम्ब के क्या कारण थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनाज का आयात

2109. श्री रानेन सेन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनाज का बड़ी मात्रा में विदेशों से आयात कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में अनाज का आयात किया जा रहा है; उसका मूल्य क्या है और मूल्य का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा और अनाज का आयात किन-किन देशों से किया जा रहा है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकारी वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए अपेक्षित खाद्यान्नों की ऐसी मात्रा का उन देशों से आयात किया जा रहा है जहां

यह स्टाक अच्छी शर्तों पर उतलब्ध है । इस आयात पर खर्च होने वाली कुल विदेशी मुद्रा खरीदी गई वास्तविक मात्रा और उसके लिए दिये गये मूल्य पर निर्भर करेगी ।

पूर्वी भारत में जूट की भारी फसल

2110. **श्री रानेन सेन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत में इस वर्ष भारी फसल होने की संभावना है जिसके कारण कच्चे जूट की कीमतों में कमी हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कच्चे जूट की कीमतों में वृद्धि करने और उन्हें स्थिर रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी शिन्दे) : (क) तथा (ख) चालू मौसम के सम्बन्ध में जूट के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है । परन्तु मौजूदा संकेतों के अनुसार जूट का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक होने की सम्भावना है । भारत सरकार ने कच्चे जूट के मूल्यों को स्थिर रखने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) पिछले मौसम के दौरान 115 रुपये प्रति क्विन्टल की तुलना में चालू मौसम के लिए न्यूनतम साहय्य मूल्य 125 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किया गया है ।

(2) देहाती मंडियों तथा कलकत्ता में कच्चे जूट की विभिन्न श्रेणियों के मूल्यों का अन्तर 12 रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया गया है, जबकि पिछले मौसम में यह अन्तर 15 रुपये था ।

(3) भारतीय जूट निगम ने खरीद कार्यों को तेज करने के लिये अपनी मशीनरी को मजबूत कर दिया है । इसने द्वितीय श्रेणी की मंडियों में 30 विभागीय खरीद-केन्द्र स्थापित किये हैं । इसके अतिरिक्त, निगम की खरीद ऐजेन्सियों के रूप में 90 मंडियों में सहकारी समितियों की स्थापना कर दी गई है ।

रबी की फसल से किसानों द्वारा रोक रखे गये गेहूं के स्टाक की मात्रा

2111. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबी की फसल से किसानों द्वारा रोक रखे गये गेहूं के स्टाक की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम की एजेन्सियों को गेहूं बेचने में उनकी हिचकिचाहट के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस बात का पता लगाया गया है कि ऐसे स्टाक को कैसे बेचा गया है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क), (ख) और (ग) उत्पादकों द्वारा रोके गए स्टाक की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगाना मुश्किल है । गेहूं का थोक व्यापार

लेने की राज्य योजना के अधीन किसान अपना गेहूं राज्य सरकारों, भारतीय खाद्य निगम, राज्य सहकारी विपणन संघों और इस प्रयोजन के लिये नियुक्त अन्य सरकारी एजेंसियों को बेचते हैं। इसके अलावा वे लाइसेंस-शुदा व्यापारियों और उपभोक्ताओं को नियत मात्रा में गेहूं बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं।

स्टाक रोकने के निम्नलिखित मुख्य कारण दिखाई देते हैं :—

(1) यह भावना कि अन्य खाद्यान्नों के चल रहे मूल्यों की तुलना में गेहूं का 76 रुपये प्रति क्विंटल का अधिप्राप्ति मूल्य कम है ।

(2) पिछले कुछ वर्षों में गेहूं की अधिक उत्पादिता होने के कारण स्टाक रोकने की क्षमता में सुधार होना ।

(3) किसानों की तत्कालिक वित्तीय आवश्यकताएं चना, जौ आदि अन्य फसलों की बिक्री कर पूरी हो जाती है क्योंकि इनके अपेक्षाकृत ऊंचे दाम मिल रहे हैं।

(4) यह आशा है कि वर्ष के उत्तरार्ध में मन्द आमद के मौसम के दौरान अपेक्षाकृत ऊंचे दाम प्राप्त होंगे; और

(5) कमी की सामान्य मनोभावना जिससे उत्पादकों तथा अन्य लोगों द्वारा खाद्यान्नों की जमाखोरी करना ।

फैडरेशन आफ आल इण्डिया ग्रेन डीलर्स एसोसियेशन के महासचिव द्वारा गेहूं के बारे में प्रस्ताव

2112. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 जून, 1973 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित, फैडरेशन आफ आल इण्डिया ग्रेन डीलर्स एसोसियेशन के महासचिव के कथित वक्तव्य की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है, जिसके अनुसार महासचिव ने देश के अन्दर से एक करोड़ टन गेहूं देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस बात का पता लागा लिया गया है कि कहां और किसके पास यह स्टाक पड़ा हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार ने संबंधित वक्तव्य देखा है । सरकार द्वारा गेहूं का थोक व्यापार लेने की योजना के अधीन, प्राइवेट व्यापारियों को छोड़कर, केवल राज्य सरकारों, भारतीय खाद्य निगम, राज्य विपणन सहकारी संघ और अन्य सरकारी एजेंसियों, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए नामित किया गया है, के माध्यम से गेहूं की अधिप्राप्ति की जाती है ।

(ग) पता चला है कि कुछ किसान बेहतर मूल्यों की आशा में अपनी पैदावार को रोके हुये हैं। राज्य सरकारें उत्पादकों और अन्य लोगों के पास जमा माल निकलवाने के लिए प्रयत्न कर रही हैं ।

भारतीय खाद्य निगम के प्रशासन व्यय में वृद्धि

2113. **श्री राजदेव सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के प्रशासन व्यय में वर्ष 1965-66 से तीन गुना वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या खाद्यान्न के खरीदने आदि पर जो व्यय 71 पैसे प्रति क्विंटल था, वह वर्ष 1971-72 में बढ़कर 215 पैसे प्रति क्विंटल हो गया ;

(ग) क्या यह वृद्धि मनमाने ढंग से कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से हुई ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में है, तो क्या इस वृद्धि का प्रभाव मूल्य वृद्धि पर भी पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम की 1965-66 में अनाज सम्भालने की स्थापन संबंधी लागत लगभग 65 पैसे प्रति क्विंटल थी जबकि 1971-72 में यह लागत 151 पैसे प्रति क्विंटल थी ।

(ग) जी नहीं । 1965-66 से भारतीय खाद्य निगम के कार्यों में मात्रात्मक तथा जटिलता की दृष्टि से पर्याप्त विस्तार हुआ है । प्रबंध इस बात का ध्यान रखता है कि स्टाक में वृद्धि निगम की गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए ।

(घ) जी नहीं ।

उत्पादन, विपणन, परिष्करण और भण्डारण में संलग्न सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता

2115. **श्री राजदेव सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के उत्पादन, विपणन, परिष्करण और उनके भण्डारण कार्य में संलग्न देश की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए 13 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीकृत सहकारिता कार्य में संलग्न संगठन के अनुपात में उत्तर प्रदेश को कोई धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1973-74 में सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कृषि उपज के उत्पादन, विपणन, विधायन और भंडारण कार्य में लगी सहकारी सोसायटियों को राज्य सरकारों के माध्यम से सहायता देने के लिए मूलतः लगभग 12.96 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । यह परिव्यय बाद में घटाकर 11.99 करोड़ रुपये के लगभग कर दिया गया है ।

(ख) उत्तर प्रदेश में उक्त सहकारी गतिविधियों के लिये लगभग 91.31 लाख रुपये की धन-राशि अर्थात् इन योजनाओं के कुल परिव्यय का 7.61 प्रतिशत भाग, अस्थायी रूप से आबंटित किया गया है और निधियां राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों तथा उन्हें अंतिम रूप से स्वीकृत किये जाने के आधार पर प्रदान की जाएंगी ।

कनाडा के गेहूं की शीघ्र सप्लाई करने के लिए प्रधान मंत्री की कनाडा के प्रधान मंत्री से अनुरोध

2116. **श्री रामभगत पासवान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे प्रधान मंत्री ने कनाडा की अपनी यात्रा के दौरान गेहूं की शीघ्र सप्लाई करने के लिए कनाडा के प्रधान मंत्री से विशेष अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस विशेष अनुरोध के क्या कारण थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्य पदार्थों के विक्रय-मूल्यों के लिये राजसहायता

2117. **श्री रामभगत पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य पदार्थों के विक्रय मूल्यों के लिये राज सहायता में कटौती करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस निर्णय से उपभोक्ता को क्या लाभ होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। खाद्यान्नों के मूल्यों का समायोजन कर राजसहायता के भार को कम करने और उससे सम्बन्धित विभिन्न पेचिदगियों का प्रश्न फिलहाल विचाराधीन है।

Declaration of some parts of Bihar, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh as Famine-affected Areas

2118. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to declare some parts of the States of Bihar, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh as 'Famine-affected areas';

(b) whether the untimely death of one thousand persons and of one crore of cattles from these areas has been reported; and

(c) if so, the facts thereof and the steps being taken by the Government to improve the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Rajasthan and Maharashtra which were seriously affected by drought last year have received good rains this year as a result of which situation has substantially improved, and relief works are being de-escalated. There was a dry spell in parts of Bihar and Uttar Pradesh this year for the most part of July which has since been broken.

(b) No death due to starvation has been reported by any of these State Governments.

Some loss of cattle has been reported. It is, however, not possible to ascertain the exact number of the cattle lost.

(c) Tagai loans have been distributed to farmers for purchase and hire of bullocks in the affected areas. Central financial assistance has been released to the State Governments for cattle care and fodder conservation. While arrangements for maintenance

of fodder supply such as procurement of fodder, movement of fodder to the affected areas, opening of cattle camps, etc. have been made, the fodder situation has improved considerably due to good rains received recently.

Presence of granulated mud in bag of Fertilizer imported from Czechoslovakia

2119. Shri Chandulal Chandrakar:
Shri Bishwanath Jhunjhunwala:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether granulated mud was found in place of fertilizers in the bags in a private depot at Ludhiana;

(b) whether these fertilisers were brought from Czechoslovakia in an open ship and filled in bags at Bombay;

(c) whether such an irregularity has been detected in other ships as well; and

(d) the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Yes.

(b) No. Tentative enquiries show that some anti-social elements at Bombay had manufactured granulated mud, packed it in bags some of which had the marking 'Made in Czechoslovakia' and despatched it to places in Punjab. No fertiliser is being imported from Czechoslovakia.

(c) Question does not arise.

(d) Departmental enquiries have already been made by this Ministry. Apart from this, the Punjab Government had registered cases against the dealers. Tentative enquiries indicated, *prima facie,* that some anti-social elements had manufactured granulated mud and despatched the material as DAP fertiliser under forged bookings as from 'Food Corporation of India'. In view of this, the Central Bureau of Investigations was approached by Government of India to take over further investigation of the matter and they have agreed to do so. The cases registered by the Punjab Police are being taken over by C.B.I. Further action will be taken on receipt of report from C.B.I.

त्रिपुरा में नलकूप कार्यक्रम के लिए खरीदे गये रिग

2120. **श्री बीरेन दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने नलकूप कार्यक्रम के लिए कोई रिग खरीदा है ।

(ख) यदि हां, तो क्या वह रिग काम कर रहा है ; और

(ग) उस स्थान का नाम क्या है जहां रिग ने काम किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा 1973-74 के दौरान रोजगारोन्मुख द्रुत विकास कार्यक्रम

2121. **श्री बीरेन दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के भीतरी क्षेत्रों में 1973-74 के दौरान रोजगारोन्मुख विकास कार्य के लिये कोई केन्द्र-प्रायोजित द्रुत कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य ग्राम रोजगार की त्वरित योजना (गा० रो० त्व० यो०) के बारे में पूछ रहे हैं । यह योजना पहली अप्रैल, 1971 को तीन वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों, जिनमें त्रिपुरा के तीन जिले भी शामिल है, में शुरू की गई थी ।

(ख) इस योजना की मुख्य विशेषतायें निम्न प्रकार हैं :-

1. प्रारम्भ में यह स्कीम योजना से बाहर रखी गई थी, किन्तु पहली अप्रैल, 1972 से यह चौथी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शामिल की गयी है । इस योजना की अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष अथवा 1971-72 से 1973-74 के तीन वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपये है ।

2. इस योजना के 2 मूलभूत उद्देश्य हैं अर्थात (1) श्रम-प्रधान परियोजनाओं के निष्पादन के माध्यम से देश के सभी जिलों में सीधे रोजगार पैदा करना, और (2) स्थानीय विकास योजनाओं के अनुसार स्थायी स्वरूप की परिसम्पत्तियां तैयार करना, ताकि जिले के सर्वतोन्मुखी विकास में सहायता दी जा सके । इस योजना का उद्देश्य प्रतिवर्ष हर जिले में औसतन 1000 व्यक्तियों के लिए रोजगार अथवा औसतन 2.50 लाख श्रमदिन पैदा करना है ।

3. इस योजना के अन्तर्गत अनुमत कार्य इस प्रकार के हैं जो सीधे कृषि उत्पादन में योगदान देंगे, जैसे लघु-सिंचाई, भू-संरक्षण, जल-संरक्षण, ग्राउंड वाटर रीचार्जिंग, जल निकास, जल लग्नता निवारण आदि और ग्राम विकास में सहायक होंगें, जैसे सड़कें, भण्डागार, समाज के कमजोर और गरीब वर्गों के लिए निवास बस्तियां, आदि ।

4. राज्यों से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1971-72 में इस योजना पर कुल 3116.58 लाख रुपये व्यय किए गए हैं, जिससे 789.66 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा हुआ है । वर्ष 1972-73 में 5301.05 लाख रुपये व्यय किये गये, जिससे 1311.52 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा किया गया । वर्ष 1973-74 के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने अब तक 579.84 लाख रुपये व्यय होने की सूचना दी है जिससे 155.50 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा किया गया है ।

5. जहां तक त्रिपुरा राज्य का संबंध है, वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में क्रमशः 8.22 लाख रुपये तथा 25.25 लाख रुपये व्यय किये गये, जिससे क्रमशः 1.29 लाख तथा 5.44 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा किया गया । वर्ष 1973-74 के लिए राज्य सरकार ने जून, 1973 तक 5.08 लाख रुपये व्यय होने और 1.04 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा किये जाने की सूचना दी है।

उचित दर की दुकानों तथा बजार में खाद्य-तेलों के मूल्य

2122. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूंगफली, सरसों, नारियल तथा तिल के खाद्य-तेलों के बाजार मूल्य क्या हैं और उचित दर की दुकानों पर तथा बाजार में बिकने वाले इन तेलों के मूल्यों में राज्य-वार परस्पर कितना-कितना अन्तर है ; और

(ख) खाद्य-तेलों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि को रोकने तथा सामान्य लोगों की इन तेलों की सप्लाई की गारंटी देने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) देश में वनस्पति तिलहनों और तेलों की उपलब्धि में सुधार करने और उनके मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इनमें ये शामिल है :— यथासम्भव विभिन्न तिलहनों, तेलों और चिकनाई का आयात करके सप्लाई को सुचारू रूप देना, बिनौले और चावल की भूसी की अधिकाधिक पेराई को प्रोत्साहन देना और उनके तेलों का उपभोग करना, वृक्ष-मूलक गौण तिलहनों के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा देना, वनस्पति घी के निमार्ण में अन्य तेलों का उपयोग करके मूंगफली और सरसो के तेल के प्रयोग पर रोक लगाना और पारस्परिक तथा सोयाबीन व सूरजमुखी जैसे अपारम्परिक तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करना ।

ग्रामीण डाक्टरों सम्बन्धी योजना

2123. **श्री मधु लिमये : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण डाक्टरों सम्बन्धी अपनी योजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के सम्बन्ध में चिकित्सा संघों तथा अन्य संगठनों के विचार मांगे गये हैं अथवा प्राप्त हुए हैं ;

(ग) इन अभ्यावेदनों की मुख्य बातें क्या है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं।

(ख) इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन और दूसरों ने मूल योजना के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं ।

(ग) इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन तथा दूसरों द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्तियां इस प्रकार हैं :–

(i) विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का मिश्रण नहीं किया जाना चाहिये ।

(ii) इस योजना से अशिक्षित और अप्रशिक्षित डाक्टरों को लुके-छिपे मान्यता मिलती है ।

(iii) अप्रशिक्षित लोगों को पारिश्रमिक देने की बजाय सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों आदि के साथ सम्बद्ध किये जाने वाले चिकित्सकों को मानदेय देना चाहिये ।

(iv) प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल अपर्याप्त और खर्चीला नहीं है अपितु वह अवांछनीय और पतनोन्मुखी भी है तथा इससे कोई लाभदायक उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।

(v) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य करने वाले डाक्टरों के पास इतना समय तथा इतनी क्षमता नहीं होगी कि वे इन डाक्टरों के काम की देख-रेख कर सकें ।

(vi) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिक सुविधाएं प्रदान करना अधिक अच्छा होगा जिससे कि डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिये कोई आपत्ति न हो । यदि ऐसा नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुर्वेद आदि की एक समानान्तर योजना चलाई जाए।

(vii) इस योजना को चलाने की बजाए सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिये चिकित्सा स्नातकों पर दबाव डालना चाहिये तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनसे बाण्ड भरा लेने चाहिये ।

(घ) भारतीय चिकित्सा संघ तथा अन्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों और सुझावों पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है तथा योजना का समुचित संशोधन कर दिया गया है ।

राष्ट्रीय राजपथों को चौड़ा करने तथा उन पर बनी पुलियाओं तथा पुलों का पुनर्निर्माण

2124. **श्री मधु लिमये** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथों को चौड़ा करने तथा पुलियाओं और पुलों के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को प्रतिरक्षा की दृष्टि से निरूपित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निरूपण का स्वरूप क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और उन पर पुलियों और पुलों के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का प्रतिरक्षा की दृष्टि से कोई विशेष निरूपण नहीं किया गया है परन्तु जब ऐसे विकास कार्य किये जाते हैं तब सदा ही रक्षा मंत्रालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है ।

मूंगफली की टिकिया का निर्यात तथा स्थानीय उपलब्धता पर इसका प्रभाव

2125. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूंगफली की टिकिया (खाद्य) के निर्यात पर कोई प्रतिबंध लगाया है अथवा उसकी अन्तिम सीमा निश्चित की है;

(ख) क्या इसके निर्यात से मूंगफली खाद्य के मूल्यों में अप्रत्याशित हद तक वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या व्यापारियों तथा बिचौलियों को ही इसका लाभ हुआ है तथा यह लाभ कृषकों तक नहीं पहुंचा है ;

(घ) क्या इस प्रोटीन-पूर्ण खाद्य के निर्यात के कारण देश के पशुओं तथा लोगों के स्वास्थ्य तथा शक्ति पर कुप्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो अपने देशवासियों को ही उचित दरों पर मूंगफली खाद्य उपलब्ध कराने के लिये सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) देश में पूर्ति की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने मूंगफली की खली के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

(ख) मूंगफली की खली के मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि 1972-73 के दौरान मूंगफली के उत्पादन में काफी कमी हुई है।

(ग) यह बताना सम्भव नहीं है कि निर्यातकों/व्यापारियों, बिचौलियों और कृषकों ने वास्तव में कितना लाभ उठाया है। परन्तु निर्यात से निर्यातकों और निर्यात से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को लाभ होता है।

(घ) जी नहीं। समस्त सम्बद्ध बातों पर विचार करने के बाद ही निर्यात करने के बारे में निर्णय किया जाता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अधिकाधिक लोगों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार

2126. **श्री मधु लिमये : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दवाओं की लागत में हो रही वृद्धि से अवगत है।

(ख) क्या सरकार को ग्रामिण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के अपर्याप्त होने की भी जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मामूली अंशदान के आधार पर अधिकाधिक लोगों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां। फिर, भी दवाइयों की कीमतें अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अधीन औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अनुसार निर्धारित की जाती रहती हैं। कच्चे माल की कीमत और दूसरी चीजों की कीमतों के बढ़ जाने से, जहां उचित समझा जाता है दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं।

(ख) जी हां।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना को विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न चरणों में लागू किया जा रहा है।

ललित कलाओं, संगीत, नाटक और संस्कृति की उन्नति के लिये कार्यरत संस्थायें

2127. **श्री मधु लिमये : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ललित कलाओं, संगीत, नाटक, संस्कृति आदि की उन्नति के लिए कार्यरत संस्थाओं (सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली) की संख्या कितनी है ;

(ख) इन संस्थाओं में कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं ;

(ग) विश्वविद्यालयों के दर्जे वाले कितने विश्वविद्यालय और संस्थान ललित कला, संगीत, संस्कृति और नाटक में डिग्रियां प्रदान करते हैं ; और

(घ) सरकार अधिकाधिक विश्वविद्यालयों को संस्कृति, ललित कलाओं तथा संगीत संबंधी विभाग खोलने के लिये प्रोत्साहन देना चाहती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मद्रास, बम्बई, दिल्ली तथा कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के बेरोजगार स्नातक

2128. **श्री सेझियान :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या मद्रास, बम्बई, दिल्ली तथा कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्नातक बेरोजगार हैं;

(ख) इन संस्थानों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनमें गत दो वर्षों से बेरोजगार व्यक्तियों की व्यवसाय-वार संख्या कितनी है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Funds to help Adivasis living outside Tribal Blocks

2129. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have drawn any scheme to offer certain facilities to Adivasi peasants who are living outside the Tribal Blocks ;

(b) whether Government have provided certain funds for the adivasis possessing land upto 30 acres so that they may also have facilities of wells and pumping sets for irrigation purposes; and

(c) if so, the break-up of funds to be borne by Madhya Pradesh Government and the Central Government during the current year ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) The Ministry of Agriculture have no special scheme to offer facilities to Adivasi peasants outside the Tribal Development Blocks, except the normal community development programmes.

The question of providing certain facilities to the isolated tribal communities living outside the area of concentration *i.e.* where their percentage of population is less than 50%, is under consideration of the Ministry of Home Affairs.

(b) In the six Tribal Development Agency Projects taken up in the Srikakulam, Singhbhum Dantewads, Konta, Ganjam and Koraput districts 50 to 75% subsidy is allowed from the Project funds to assist deserving identified tribal beneficiaries, who are generally persons with operational holdings below 10 acres, to have their own wells and pumping sets for irrigation purposes.

In Singhbhum 10 mundas and manakis, who are tribal leaders and have higher acrage of holdings, have been allowed 10 big diameter irrigation wells.

In suitable deserving cases, the Tribal Development Agency Projects with the approval of the State Government concerned, can include under their programmes of assistance for wells and pumping sets, other tribal beneficiaries with holdings of more than 10 acres.

(c) The programmes under the Tribal Development Agency Projects are fully financed by the Ministry of Agriculture under the Central sector scheme So far a sum of Rs. 15 lakhs has been released for Dantewads and a sum of Rs. 25 lakhs for Konta Tribal Development Agency Projects of Madhya Pradesh from 1971-72 to date. No funds are provided by the Madhya Pradesh Government for this purpose as this is a Central sector scheme.

During 1973-74, the Madhya Pradesh Government propose to spend under Agriculture Rs. 464.73 lakhs for the benefit of tribals and other backward classes which is about 35% of the annual Plan ceiling for Agriculture.

New policy for extending Medical Facilities in Rural Area

2130. **Shri Dhan Shah Pradhan:**
Shri S. A. Muriganantham

With the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have formulated a new policy for extending medical facilities in rural areas; and

(b) if so, the main features thereof, the States to be covered and the amount earmarked ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) and (b) Medical and health care facilities are being provided through the Primary Health Centres, Sub-centres and Rural Dispensaries to the Rural Areas in the country. There is now a proposal to have a pilot Scheme for providing medical facilities to rura areas by employing the available medical manpower in various systems of medicine. The details are yet to be finalised.

चुने हुए माध्यमिक स्कूलों में कृषि-विज्ञान की शिक्षा सम्बन्धी रूप-रेखा

2131. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा को व्यवसायोंन्मख बनाने और हमारे कृषक वर्ग को वैज्ञानिक तथा तकनीकी सामर्थ्य प्रदान करने अथवा इसे बढ़ाने के उद्देश्य से, कृषि विश्वविद्यालयों को यह प्रोत्साहन दे रही है कि वे चुने हुए माध्यमिक स्कूलों को अपने अधिकार में लेकर वहां कृषि विज्ञान की शिक्षा दें तथा कृषि पोलीटेकनिक भी खोलें ; और

(ख) यदि इस उद्देश्य के लिये कोई अध्ययन किया गया है अथवा कोई रूप-रेखा तैयार की गई है, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत सरकार कृषि विश्वविद्यालयों को इस बात के लिए प्रेरित करना नहीं चाहती है कि वे कृषि विज्ञान को अपने हाथ में लेकर चुने हुए माध्यमिक स्कूलों में यह शिक्षा प्रारम्भ करें। इसके विपरीत कृषि विश्वविद्यालयों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि जीव विज्ञान पढ़ाते समय हाई स्कूलों में कार्य का अनुभव प्रप्त करने की दिशा में नेतृत्व प्रदान किया जाए। पांचवीं योजना के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयों के तत्वावधान में कृषि पोलिटेकनिक प्रारम्भ करने के लिये एक योजना तैयार की गई है ।

(ख) कृषि पोलिटेकनिक (कृषि विज्ञान केन्द्र) स्थापित करने के सम्बन्ध में मुख्य बातें निचे दी जा रही हैं :-

1. स्कूली शिक्षा के बाद माली, ट्रैक्टर ड्राईवर, मैकेनिक, फार्म मैनेजर, स्टाकमेन, डेरीमेन तथा लेबो रे तकनिशियन, आदि कृषि तथा सम्बद्ध विषयों में मध्यम स्तर के कुशल श्रमिकों तथा तकनिशियनों को प्रशिक्षण देना ।

2. आठवीं कक्षा स्तर के बाद पढ़ाई समाप्त करने के इच्छुक छात्रों को व्यावसायिक कृषि सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करना ।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में 15-25 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ने तथा मैट्रिक पास करने के बाद कालिज में दाखिल न होने वालों को निरंतर शिक्षा प्रदान करना ।

4. ग्रामीण युवकों में स्वतः रोजगार की व्यवस्था करने के लिये नवीनतम वैज्ञानिक पद्धतियों तथा तकनीकों के सम्बन्ध में व्यवहारिक प्रशिक्षण देनों ।

5. चुने हुए कृषकों के लिये नवीनतम कृषि तकनौलोजी के विषय में विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना ।

6 निरक्षर कृषकों को नई कृषी तकनलौजी का ज्ञान प्रदान करने के लिये तकनीकी साक्षरता अभियान तेज़ करना ।

युवा-पीढ़ी के लिये चलाई गई परियोजनायें

2132. **श्री डी० जी० चन्द्र गोडा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा युवा-पीढ़ी के कल्याण के लिये चलाई गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ख) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने उनके लिये कितना-कितना योगदान दिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) शायद माननीय सदस्य का आशय चौथी योजना में इस समय चल रहे विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित युवक कार्यक्रमों से है । अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

युवक कार्यक्रम के नाम	केन्द्रीय सहायता की पद्धति
1. राष्ट्रीय सेवा योजना	प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लागत 150/- रुपये है । इसमें से प्रति छात्र प्रति वर्ष केन्द्र का हिस्सा 100/- रुपये है और राज्य सरकार का 50/- रुपये (पचास रुपये) है ।
2. नेहरु युवक केन्द्र	इन केन्द्रों की पूरी अर्थव्यवस्था तथा प्रशासन भारत सरकार द्वारा किया जाता है । इन केन्द्रों के आवर्ती खर्चे के लिये 40,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किये गये हैं ।
3. नानक भवन	नानक भवनों के निर्माण लागत के अनुमोदित कुल खर्चे के 75% की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार करती है तथा शेष 25% राज्य सरकारों द्वारा योगदान किया जाता है । तथापि कुल खर्चा 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा । मौजूदा भवनों के मामले में जिन्हें नानक भवनों में परिवर्तित किया जा सकता है, केन्द्रीय सरकार का हिस्सा, परिवर्तन तथा परिवर्धन की अनुमोदित लागत का 75% तक सीमित होगा । आधुनिक भारतीय भाषाओं की अध्यापन कक्षायें चलाने हेतु अनुमोदित खर्चे का 75% केन्द्रीय सरकार वहन करेगी तथा शेष खर्चा या तो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा अथवा राज्य सरकार, विद्यार्थी सहकारी समितियों-दोनों-द्वारा एकत्रित चन्दों से किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार आयोजना मंच नामक योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ साक्षरता कार्य-क्रम और गांव-व-ग्रामीण विकास कार्य परियोजना की स्वीकृति के लिये भी धन की व्यवस्था करेगी ।

युवक कार्यक्रम का नाम	केन्द्रीय सहायता की पदति
4. युवक कल्याण बोर्ड तथा समितियां	केन्द्रीय सरकार युवक कल्याण निदेशक, तथा उसके सहायक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों, यात्रा भत्ता /दैनिक भत्ता और मुद्रण तथा लेखन सामग्री पर होने वाले खर्चे का 50% पूरा करने के लिये विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देती है ।
5. योजना मंच	विभिन्न प्रकार के योजना मंचों के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है । न्यूनतम अनुदान प्रति मंच 200-रुपये है और अधिकतम अनुदान प्रतिमंच 10,000/-रुपये है जो मंचों के आकार-प्रकार तथा कार्यकलापों पर निर्भर करता है । केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 60% है और राज्य सरकार का 40% है ।
6. **राज्य खेल परिषदों को अनुदान**	
(i) उपयोगात्मक स्टेडियमों का निर्माण	50,000/- रुपये अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो ।
(ii) तरण ताल	50,000/- रुपये अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो ।
(iii) इनडोर स्टेडियम	—वही—
(iv) खेल के मैदानों के प्रकाश-पुंज	10,000/ रुपये अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो
(v) खिलाड़ियों के लिये प्रशिक्षण शिविर	प्रत्येक राज्य प्रतिवर्ष 25,000/- रुपये अथवा वास्तविक लागत का 50%, जो भी कम हो ।
(vi) खेल उपस्करों की खरीद	उपस्करों की वास्तविक लागत का 75%, पूरा करने के लिये चौथी योजना की अवधि के दौरान 25,000/- रुपये ।
(vii) व्यायाम शाला	50,000/- रुपये अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो ।
(viii) मैदानों का विकास	20,000/- रुपये अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो ।
(ix) खेल उपस्कर तथा पुस्तकालय के लिये पुस्तकें	10,000/- रुपये अथवा लागत का 50%, जो भी कम हो ।
7. ग्रामीण खेल	केवल उपस्करों की खरीद के लिये केन्द्रीय सहायता राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं के लिये प्रति राज्य 4,000/- रुपये, जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं के लिये प्रति जिला 1,500/- रुपये तथा प्रत्येक खण्ड के लिये 100/- रुपये तक सीमित है ।

युवक कार्यक्रम का नाम	केन्द्रीय सहायता की पद्धति
8 भारतीय स्वतंत्रता की रजत जयंती के अवसर पर सामूहिक चुनाव रैली	
(i) बड़े राज्यों में भाग लेने वाले 5000	रैली में भाग लेने वाले युवकों के लिये केन्द्रीय सरकार का अंशदान 20/- रुपये प्रति युवक की दर से है।
(ii) छोटे राज्यों / दिल्ली को छोड़कर संघ शासित प्रदेशों में भाग लेने वाले 2000 अथवा 1000	भारत सरकार का अंशदान कुल खर्चे का 50% तक सीमित है जिसकी अधिकतम सीमा क्रमशः 1 लाख रुपये, 40,000 रुपये (अथवा 20,000 रुपये) है।
(iii) दिल्ली में राष्ट्रीय रैली	केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रत्यक्ष खर्चे के लिये 15.00 लाख रुपये की तदर्थ व्यवस्था।
9. शहरी क्षेत्र में खेल के मैदानों का विकास	50,000 रुपये तक अथवा प्रत्येक खेल के मैदान की विकास लागत का 50% जो भी कम हो, केन्द्रीय सहायता।
10. कार्य केन्द्र	एक लाख रुपये तक अथवा परियोजना के अनावर्ती खर्चे का 50%, जो भी कम हो और प्रति परियोजना के लिये प्रतिवर्ष 60,000 रु० अथवा उसके आवर्ती खर्चे का 50%, जो भी कम हो। केन्द्रीय सहायता।
11. पर्वतारोहण शिविर	प्रशिक्षण शिविर के लिये विश्वविद्यालय को 5,000 रुपये का केन्द्रीय अनुदान।
12. युवक नेता प्रशिक्षण	30 दिन के पाठ्यक्रम के लिये भोजन तथा आवास हेतु 8/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से केन्द्रीय सहायता, अथवा वास्तविक खर्चा, जो भी कम हो।

भारत में कोढ़ का इलाज करने वाले संस्थानों की संख्या

2133. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोढ़ के रोगियों का इलाज करने के लिये सरकार ने, राज्यवार, कितने संस्थान खोले हैं ; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तत्सम्बन्धी राज्य-वार प्रस्तावित कार्यक्रम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

1955 में जब यह कार्यक्रम शुरु किया गया था तब से राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से सहायक अनुदान लेकर स्वंय सेबी संगठनों द्वारा चलाये गये नियंत्रण संगठनों की संख्या तथा कुष्ठ रोग नियंत्रण एककों, सर्वेक्षण शिक्षा तथा उपचार केन्द्रों की संख्या राज्य-वार इस प्रकार है :–

राज्य	कुष्ठ रोग नियंत्रण एकक	सर्वेक्षण शिक्षा तथा उपचार केन्द्र	स्वंयसेवी संगठन द्वारा चलाये गये नियंत्रण केन्द्र
1. आंध्र प्रदेश .	31	192	7
2. असम	1	19	2
3. बिहार	25	15	3
4. गुजरात .	3	105	3
5. हिमाचल प्रदेश	6	4	–
6. हरियाणा .	–	2	–
7. जम्मू व कश्मीर	4	30	–
8. केरल	1	181	3
9. मध्य प्रदेश	6	81	1
10. मणिपुर	4	1	–
11. महाराष्ट्र	34	444	3
12. मैसूर	16	65	1
13. मेघालय	–	6	–
14. नागालैण्ड	–	2	–
15. पांडिचेरी	–	20	–
16. उड़ीसा	25	82	–
17. राजस्थान.	–	25	–
18. तमिल नाडु	32	122	4
19. त्रिपुरा .	1	–	–
20. उत्तर प्रदेश	23	60	4
21. पश्चिम बंगाल .	25	–	–
22. अरुणाचल प्रदेश (नेफा)	–	1	–
23. गोआ, दमन तथा दिव	1	22	–
योग :	238	1,479	31

शाहदरा के निकट विषैली गैस में सांस लेने वाले प्रभावित व्यक्तियों के लिये चिकित्सा उपाय

2134. **चौधरी रामप्रकाश :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा और दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के निवासियों को 27 जून, 1973 को फास्फोरस वाले ड्रमों को बनाने से निकली विषैली गैस में सांस लेना पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्या चिकित्सा उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) शाहदरा और दिल्ली-उत्तर प्रदेश के सीमान्त क्षेत्र के किसी निवासी को 27 जून, 1973 को फास्फोरस जलाने से निकली विषैली गैस द्वारा हानि पहुंचने के संबंध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ?

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सेवा समितियों और प्राथमिक विपणन समितियों के जरिए खाद्य वितरण

2135. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार खाद्य वितरण के लिये ग्राम सेवा समितियों और प्राथमिक विपणन समितियों को बड़ी भूमिका देने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सभी ग्राम सेवा समितियों और प्राथमिक विपणन समितियों को खाद्य वितरण व्यवस्था में हिस्सा लेने के लिये और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उचित दर दुकानों का प्रबन्ध करने के लिये कहा गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) देश भर में, बहुत बड़ी संख्या में खोली गई उचित मूल्य की दुकानों तथा सहकारी भंडारों के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है । थोक व्यापार लेने की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों का खुदरा-वितरण के लिए अधिक से अधिक उपयोग किया जाना है । क्योंकि वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है इसलिए समय-समय पर उनसे कहा गया है कि वे उचित मूल्य की दुकानों के कार्यचालन में सुधार करें ।

कृषि सहकारी विपणन समितियों की भूमिका के बारे में सम्मेलन

2136. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि सहकारी विपणन समितियों की भूमिका के बारे में जुलाई, 1973 को दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और सहकारी विपणन समितियों की भूमिका निभाने के बारे में क्या निणय किये गये थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने नई दिल्ली में 7 व 8 जुलाई, 1973 को 'कृषि सहकारी विपणन सोसायटियों की खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति और वितरण में भूमिका' के बारे में एक सम्मेलन बुलाया था। तथापि, यह सम्मेलन 7 जुलाई को ही समाप्त हो गया था, क्योंकि एक ही दिन में सम्पूर्ण कार्य सूची पर चर्चा पूरी हो गयी थी और सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया गया था।

(ख) इस सम्मेलन में 44 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें विवरण में दी गई हैं।

विवरण

"कृषि सहकारी विपणन सोसायटियों की खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति तथा वितरण में भूमिका" के बारे में बुलाये गये सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें

"कृषि सहकारी विपणन सोसायटियों की खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति तथा वितरण में भूमिका" पर 7 जुलाई, 1973 को हुये सम्मेलन ने अनेक राज्यों में गेहूं की अधिप्राप्ति करने के कार्यों का पुनर्विलोकन किया और देश की कुल गेहूं की अधिप्राप्ति में सहकारी कृषि विपणन सोसायटियों के योगदान पर संतोष प्रकट किया। सम्मेलन ने निम्नलिखित सुझाव दिये, ताकि थोक तथा वितरण व्यापार में सहकारी सोसायटियों की भूमिका को बढ़ाया जा सके।

1. सरकार को एक दीर्घकालीन नीति घोषित करनी चाहिये, जिसमें खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति में सहकारी सोसायटियों की स्थायी भूमिका निर्धारित की गई हो, ताकि वे आवश्यक साधनों का निर्माण कर सकें। सहकारी सोसायटियां भारतीय खाद्य निगम, राज्यों (खाद्य विभाग) अथवा किसी अन्य अभिकरण के एजेन्ट के रूप में किसानों से खरीद करने की एकमात्र अभिकरण होनी चाहिये। इससे विभिन्न खरीद अभिकरणों के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता नहीं हो पायेगी।

2. विविध खाद्यान्नों की वसूली किमतें राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ और अधिशेष उपज पैदा करने वाले राज्यों की कृषि सहकारी विपणन सोसायटियों के परामर्श से निर्धारित की जानी चाहिये।

3. हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित की गई बोनस योजना 30 नवम्बर, 1973 तक बढ़ायी जानी चाहिये।

4. सहकारी सोसायटियों को उन स्थानों में खरीद केन्द्र खोलने के लिए बाध्य किया जाता है जहां खाद्यान्नों की अधिक आमद नहीं होती है। ऐसे केन्द्र आत्म निर्भर नहीं होते और सहकारी सोसायटियों को उन्हें चलाने में हानि होती है। सरकार को ऐसे केन्द्रों के लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिये।

5. इस समय वाणिज्य बैंक सहकारी सोसायटियों को खाद्यान्न खरीदने हेतु ऋण देने के लिए 10 से 20 प्रतिशत तक मार्जिनों के लिये आग्रह करते हैं। यह अनावश्यक है, क्योंकि खरीद सरकार की ओर से की जा रही है और ऋण सरकार की गारंटी पर दिये जाते हैं। सरकार को चाहिये कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस बारे में निदेश जारी करे।

6. भारतीय खाद्य निगम विभिन्न राज्यों में सहकारी सोसायटियों को अपना एजेन्ट नियुक्त करते समय शर्तों के बारे में भेद-भाव करने वाले निर्णय लेता है। यह आवश्यक है कि सभी राज्यों के लिये एक समान शर्तें निर्धारित की जायें। भारतीय खाद्य निगम सहकारी सोसायटियों को आकस्मिक खर्च भिन्न-भिन्न दरों पर देता है। इन दरों का निर्णय करने के लिए राज्य स्तरीय समितियां होनी चाहियें।

7. भारतीय खाद्य निगम को सहकारी सोसायटियों के साथ अपने व्यवसायी सम्बन्धों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना चाहिये । उसे विविध कार्यों के लिए टेंडर मांगते समय ऐसी शर्तें नहीं लगानी चाहियें जो अनुचित रूप से सहकारी सोसायटियों के अहित में हों । यदि खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति करने में सहकारी सोसायटियों के साथ-साथ एक से अधिक अभिकरण कार्य कर रहे हैं, तो हरेक के लिए दीर्घ-कालीन आधार पर क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाना चाहिये ।

8. भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारें सहकारी सोसायटियों को अपने खरीद एजेन्ट नियुक्त करने के लिए चयन की नीति अपनाती हैं । उन्हें चाहिये कि सम्पूर्ण सहकारी ढांचे को इस कार्य में लगायें, न कि इधर-उधर कुछेक सोसायटियों को । यह भारतीय खाद्य निगम, खाद्य विभागों के हित में है कि वे केवल सोसायटियों का ही उपयोग करें, क्योंकि इससे अधिप्राप्ति कार्य सरल तथा कारगर बन सकेंगे और साज-सम्भाल की लागत भी कम होगी ।

9. भारतीय खाद्य निगम को चाहिये कि वह केवल राज्य सहकारी विपणन सोसायटियों से ही व्यापार करें और प्राथमिक सहकारी सोसायटियों से नहीं ।

10. जिन राज्यों में विपणन सहकारी सोसायटियां कमजोर हैं वहां राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ को स्थानीय सोसायटियों के सहयोग से अधिप्राप्ति कार्य करना चाहिये और नेफेड को भी राज्य विपणन सोसायटियों को दी जाने वाली सुविधायें दी जानी चाहियें ।

11. सहकारी सोसायटियों को भारतीय खाद्य निगम और/अथवा सरकार के लिए एकाधिकारिक खरीद करने के अतिरिक्त एकमुश्त खरीद करने की सम्भाव्यता की भी जांच करनी चाहिये ।

12. यह देखते हुये कि प्रमुख फसलों के लिए कीमतें निर्धारित की जा रही हैं, ऋण को विपणन के साथ जोड़ने की योजना को कार्यान्वित करने के बारे में विचार किया जा सकता है । यदि सहकारी सोसायटियां ऋण तथा कृषि निवेशों की आपूर्ति करने वाले एकमात्र अभिकरण के रूप में कार्य करें, तो ऋण को विपणन के साथ कारगर ढंग से जोड़ने के लिये कार्यवाही की जा सकती है ।

13. जहां सहकारी सोसायटियां तथा दूसरे अभिकरणों ने किसानों से गेहूं खरीदा है वहां उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में किसानों की आवश्यकताओं की उचित मूल्य पर आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिये । अन्तिम उद्देश्य सहकारी आंदोलन के ढांचे के भीतर समन्वित पहुंच अर्थात् निवेशों की आपूर्ति, कृषि ऋण देना, अधिप्राप्ति भण्डारण तथा वितरण विकसित करना होना चाहिए ।

14. इस सम्मेलन ने उत्तर प्रदेश जैसे सहकारी सोसायटियों के कानूनों के प्रावधानो को ध्यान में लिया, जिनके अनुसार सरकार को सोसायटियों के प्रबन्धमण्डल को बदलने के अधिकार दिए गए हैं, यदि सरकार ने सोसायटियों को दिए गए ऋणों की गारंटी दी हो । यह आशंका है कि सरकार की गारंटी से अधिप्राप्ति हेतु लिए गए ऋणों का सरकार द्वारा बोर्ड को बदलने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, भले ही बोर्ड ने अपने कार्य में असाधारण परिणाम प्राप्त किए हों। सहकारी सोसायटियों के प्रबन्ध मण्डल को प्रोत्साहित करने और उन्हें उचित मौका देने के लिए ऐसे प्रावधानों को निरस्त किया जाना चाहिए ।

15. किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, ऐसे किसानों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाने चाहिए, जिन्होंने अपना गेहूं सहकारी सोसायटियों को दिया और अधिप्राप्ति अभियान में कार्य किया । प्रत्येक खण्ड तथा जिले में ऐसी सहकारी सोसायटियों को विशेष पुरस्कार दिए जाने चाहिएं, जिन्होंने अधिकतम गेहूं की अधिप्राप्ति की है ।

जहां तक खाद्यान्नों तथा दूसरी अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण में सहकारी सोसायटियों की भूमिका का संबंध है, सम्मेलन ने निम्न सुझाव दिये तथा बातें कहीं :–

1. खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने का कार्य सहकारी सोसायटी से सहकारी सोसायटी के आधार पर अथवा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ के माध्यम से किया जाना चाहिए । इस बारे में यह सुझाव दिया गया था कि चूंकि अधिप्राप्त किये गये खाद्यान्नों की अधिकांश मात्रा देश के भीतर की खपत के लिए है, अतः सहकारी सोसायटियों को अपने द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों को भण्डार करना चाहिए । वे उसका वितरण भारतीय खाद्य निगम/सरकार के निदेशों के अनुसार कर सकती हैं । इससे खरीदे गए खाद्यान्नों का अनावश्यक लाना ले जाना रोका जा सकेगा । अधिप्राप्ति और वितरण लागत में भी कमी होगी ।

2. सहकारी सोसायटियों द्वारा अधिप्राप्त किये गये अनाज के लाने ले जाने की अड़चनों में से परिवहन भी एक है । जैसी अग्रता भारतीय खाद्य निगम को दी जाती है, वही सहकारी सोसायटियों को भी दी जानी चाहिए ।

3. सभी उचित दर की दुकानें केवल कृषि विपणन सहकारी सोसायटियों और अथवा उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों को ही आबंटित की जानी चाहिए । न केवल अनाज का ही, बल्कि सभी अत्यावश्यक वस्तुओं जैसे घी, कपड़ा, तेल, चीनी, सीमेन्ट, मिट्टी का तेल आदि का वितरण दोनों शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में सहकारी सोसायटियों को स्थायी आधार पर सौंपा जाना चाहिये । ट्रैक्टर और फालतू पुर्जे, मशीनें, टायर आदि भी किसानों को सोसायटियों के माध्यम से दिये जाने चाहिएं । राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ को कृषकों और राज्य परिसंघों की ओर से ट्रैक्टर आयात करने की अनुमति मिलनी चाहिये । इस परिसंघ को केन्द्रीय पूल के लिए खाद का आयात करने, मांग के अनुसार उसके पैकट बनाने और किसानों को सप्लाई करने के लिए भी लाइसेंस दिया जाना चाहिये। कृषि विपणन सहकारी सोसायटियों और उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों के मध्य प्रभावकारी समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये ।

4. ग्राम सेवा सोसायटियों और प्राथमिक विपणन सोसायटियों को उपभोज्य वस्तुओं [जिनमें खाद्यान्न भी शामिल हैं, की आपूर्ति करने के बारे में अंशपूंजी अंशदान, प्रबंधकीय उपदान, ऋण आदि के रूप में वित्तीय सहायता उसी आधार पर दी जानी चाहिये, जिस प्रकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों को उपभोक्ता भंडारों की मांग की पूर्ति करने के लिए दी जाती है । सरकार द्वारा कृषि विपणन सोसायटियों और ग्राम सोसायटियों को खाद्यान्नों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं का वितरण करने के कारण होने वाली हानि की गारंटी दी जानी चाहिए ।

5. खाद्यान्नों और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतें नियत करते समय उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों और अन्य उपभोक्ता संगठनों से परामर्श किया जाना चाहिये ।

6. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ और अन्य उपभोक्ता संगठनों के सहयोग से उपभोक्ता बचाव के बारे में एक व्यापक सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिये ।

सम्मेलन ने महसूस किया कि सहकारी सोसायटियों की उपलब्धियों की जानकारी जनता को सही ढंग से नहीं दी जाती है। सहकारी सोसायटियों के उपलब्धियों को प्रकाश में लाने के लिए सभी प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिये। जिन राज्यों में सहकारी सोसायटियों ने 60 प्रतिशत से अधिक अपने अधिप्राप्ति लक्ष्य पूरे कर लिये हैं उनके विशिष्ठ सहकारी कार्यकर्ताओं को टेलीविजन और आकाशवाणी पर चर्चा के लिये आमंत्रित किया जाना चाहिये।

पांचवीं योजना के दौरान भूसंरक्षण संबंधी योजना

2137. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उचित जल निकास सुविधाओं की **आवश्यकता** पर बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में भू-संरक्षण योजना के लिए 45 करोड़ रुपये की राशि रखी है ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस निर्णय से कौन-कौन से राज्य लाभान्वित होंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। पंचम पंचवर्षीय योजना में जल निकास की उचित सुविधाओं के महत्व पर बल दिया गया है।

(ख) तथा (ग) योजना आयोग ने केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र के अंतर्गत भूमि संरक्षण योजना के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इस योजना के अंतर्गत 21 नदी-घाटी परियोजनाओं के अपवाह-क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्यक्रम को गतिमान करने का विचार है।

(घ) इन 21 नदी घाटी परियोजनाओं के अपवाह-क्षेत्रों के परिरक्षण के प्रत्यक्षतः आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को (जिनमें जलाशय स्थित हैं) लाभ होगा। परन्तु परियोजनाओं की आयु बढ़ने से अप्रत्यक्ष रूप से उन राज्यों को भी लाभ होगा जिन्हें इन परियोजनाओं से बिजली तथा सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं।

तमिल नाडु में निर्धन व्यक्तियों के लिए मकान

2138. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के निर्धन व्यक्तियों के लिए मकानों के निर्माण के मामले में काफी प्रगति की है और यदि हां, तो यह कहां तक सच है ;

(ख) किन अन्य राज्यों ने निर्धन व्यक्तियों के लिए मकानों का निर्माण किया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने भी इस संबंध में अन्य राज्य सरकारों की सहायता की है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने राज्य सरकारों की सहायता की है तथा किस प्रकार की सहायता की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) तथा (ख) निम्न आय वर्ग के लोगों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं का लगभग सभी राज्य सरकारें कार्यान्वियन कर रही हैं। गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना के अधीन तमिलनाडु सरकार ने अच्छी प्रगति की है। तमिलनाडु आवास बोर्ड ने सिन्डीकेट बैंक के सहयोग से "दैनिक बचत द्वारा सभी के लिये मकान" नामक एक योजना भी आरंभ की है। कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के वित्तीय सहयोग से गुजरात आवास बोर्ड ने भी एक ऐसी योजना प्रारम्भ की है।

(ग) तथा (घ) चौथी पंचवर्षीय योजना से पूर्व सामाजिक आवास योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक योजना पर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर दी जानी थी। **चौथी** योजना के आरम्भ से राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता किसी विशेष विकास शीर्ष से सम्बद्ध किए बिना 'ब्लाक ऋणों' तथा 'ब्लाक अनुदानों' के रूप में दी जाती है। केन्द्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित दो योजनाओं के लिए विशेष सहायता इनके सामने लिखे गए प्रकार से परियोजना-वार दी गई है :—

	ऋण	अनुदान
(क) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना	अनुमोदित परियोजना की लागत का 50%	अनोमोदित परियोजना की लागत का $37\frac{1}{2}$%
(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देना।	—कुछ नहीं—	अनुमोदित परियोजनाओं की लागत का 100%

अधिक उपज वाले बीजों की कमी और इसका खरीफ कार्यक्रम पर प्रभाव

2139. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उपज वाले बीजों की, जिन्हें बाहुल्य के बीज कहा जाता है, कमी है ;

(ख) यदि हां, तो यदि अच्छे किस्म के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराये गये, तो क्या पिछली द्रुत रबी योजना के समान द्रुत रबी योजना के समान द्रुत खरीफ कार्यक्रम में अधिक उत्पादन की संभावना नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने ऐसा विचार व्यक्त किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों के बीज फार्म के कार्यनिष्पादन से पता चलता है कि इन लक्ष्यों में बहुत अधिक अन्तर रह गया है ; यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) खरीफ 1972 में देश के कुछ भागों में सूखे की परिस्थितियों के कारण ऐसी आशंका थी कि खरीफ 1973 के कार्यक्रमों के लिए कुछ किस्मों के बीजों की कमी हो सकती है। खरीफ 1973 कार्यक्रमों के लिए बीजों की संभावित उपलब्धि के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी चिन्ता व्यक्त की थी। भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से बीजों की आवश्यकता और किसानों को बीज सप्लाई

करने की व्यवस्था पर पुनः विचार किया था। जहां-कहीं व्यवहारिक था विशेष ग्रीष्म-कालीन बीज उत्पादन कार्यक्रम संगठित किये गए थे। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप अधिकांश फसलों की बीज की आवश्यकता पूरी करना संभव हो गया था। संकर ज्वार और मूंगफली के मामले में कमी अनुभव की गई थी, लेकिन इन मामलों में भी राज्य सरकारों ने किसानों की आवश्यकता पूरी करने के लिए अच्छी किस्म की ज्वार प्राप्त कर ली।

(घ) कुल मिलाकर राज्य सरकारें अपनी बीज की अनुमानित आवश्यकता के आधार पर राज्य बीज वर्धन फार्मों में बीज उत्पादन का कार्यक्रम अपने हाथ में लेती हैं और वे अपनी आवश्यकताएं पूरी करती रही हैं। विभिन्न एजेंसियों द्वारा किये जा रहे बीज-उत्पादन कार्यक्रमों की इस दृष्टि से लगातार समीक्षा की जाती है कि विभिन्न फसलों और किस्मों के बीजों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में बीज पैदा करने के लिए इन फार्मों का अधिकतम उपयोग किया जाय।

राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ का अखिल भारतीय सम्मेलन

2140. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विद्यार्थी सघ का अखिल भारतीय सम्मेलन 7 जुलाई, 1973 को बम्बई में हुआ था ;

(ख) क्या उक्त सम्मेलन में शिक्षा पद्धति में मौलिक परिवर्तन करने की मांग की गई है ;

(ग) उक्त सम्मेलन में अन्य क्या संकल्प पारित किये गये ; और

(घ) क्या मंत्रालय ने सिफारिशों पर विचार किया है और यदि हां, तो उसने उन पर क्या निर्णय लिया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) सम्मेलन 6 जुलाई से 8 जुलाई, 1973 तक बम्बई में हुआ था।

(ख) से (घ) सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प प्राप्त हो गए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

गुजरात में अच्छी फसल की संभावनाओं के लिये किसानों को सहायता

2141. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विश्वास है कि अच्छी मानसून के कारण गुजरात राज्य में इस वर्ष अच्छी फसल की संभावनाएं हो गई हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उन किसानों को पूरी तरह से सहायता देने पर विचार कर रही है जिनके पास पिछले वर्ष सूखे के कारण पर्याप्त धन नहीं है ;

(ग) क्या राज्य सरकार को उन किसानों को पूरी तरह से सहायता देने के लिये कहा गया है जो इससे प्रभावित हुए हैं और अपनी भूमि का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य के इन किसानों को राज्य तथा केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता प्रदान करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दक्षिणी-पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान अब तक राज्य के दोनों क्षेत्रों में सामान्य वर्षा होने से खरीफ की फ़सलों की सम्भाव्यतायें बढ़ गई हैं। फिर भी, बहुत कुछ मौसम के शेष भाग में मानसून के रुख पर निर्भर करता है।

(ख) से (घ) खरीफ, 1973 के दौरान कृषकों को बीज, उर्वरक और कीटनाशियों के क्रय और वितरण हेतु गुजरात राज्य के लिये 5 करोड़ रुपये का एक अल्पकालीन ऋण मंजूर किया गया है।

बोनस योजना की सफलता के लिये कार्यवाही

2142. श्री प्रभुदास पटेल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोनस योजना किसानों को प्रोत्साहित करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी असफलता के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह बात इससे स्पष्ट है कि कृषि मंत्रालय जुलाई, 1973 के अन्त तक तीन लाख टन से कम की आशा करता है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए और कौन से कदम उठाए जा रहे हैं।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) उत्पादन में कमी होने और अन्य खाद्यान्नों के ऊंचे मूल्य रहने के कारण गेहूं की अधिप्राप्ति आशाजनक नहीं हुई है लेकिन बोनस-योजना की घोषणा के बाद इसमें लगभग 5 30 लाख मी० टन की वृद्धि हुई है।

चेचक की निगरानी और नियंत्रण के लिये जोरदार अभियान

2143. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व स्वास्थ्य सेवा के सक्रिय सहयोग से पूरे देश में चेचक पर नियंत्रण के लिए जोरदार अभियान चला रही है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उनके अभियान से देश में चेचक को फैलने स रोकने में सहायता मिली है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस अभियान के पूरे हो जाने के बाद ही इसके परिणामों का पता लग सकता है।

विवरण

चेचक का पता लगाने तथा उसके नियंत्रण के लिए चलाये गये गहन अभियान का ब्यौरा

1. शहरी क्षेत्रों जैसे नगरपालिकाओं/नगर निगमों में (जुलाई और अगस्त, 1973 के बीच) चलाया गया अभियान।

(क) चेचक के रोगियों का सक्रियता से पता लगाना

नगर पालिकाओं/नगर निगमों के सारे स्वास्थ्य कर्मचारियों को और सम्बन्धित ज़िलों से भी अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर हर महीने एक-एक हफ्ते चेचक के रोगियों का बड़ी सक्रियता से पता लगाना।

(ख) रोकथाम और उसके बाद

चेचक के गढ़ों का पता लगाने के बाद कारगर रोकथाम की जानी होती है और उसके बाद अन्य उपचार आदि के काम किये जाने होते हैं। इस काम के लिए नगर स्वास्थ्य कर्मचारियों के अलावा, ज़िले के गश्ती-दस्तों और अन्य उपलब्ध कर्मचारियों की सेवाओं का भी उपयोग किया जायेगा।

2. गहन अभियान (सितम्बर से दिसम्बर, 1973 तक)

क. उद्देश्य : कार्यक्रम को चलाने की दृष्टि से राज्यों को दो भागों में बांटा गया है—स्थानीय और अन्य।

(क) स्थानीय : (उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश)

इस अभियान का उद्देश्य चेचक के कम प्रकोप वाले मौसम में इन राज्यों में चेचक का पता लगाना और इसके वर्तमान गढ़ों को इस हद तक कम करना है कि 1974 में इस कार्यक्रम के लिए इतने ही गढ़ रह जाएं जितने आसानी से निपटाए जा सकें।

(ख) अन्य राज्य : इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1973 के अन्त तक शेष राज्यों में चेचक के सभी गढ़ों का पता लगाकर उन्हें समाप्त करना है। इसके बाद एक ऐसी मशीनरी तैयार करनी है जिससे बाहर से आने वाले संक्रमण का तुरन्त पता लग सके और उसकी जांच की जा सके।

ख. गहन अभियान के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला और राज्य स्तर के वर्तमान कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य स्तर के निगरानी दल भी इस अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा अभियान की अवधि (सितम्बर-दिसम्बर) में काम को और तेज करने के लिए एक-एक महामारी विज्ञानी, एक-एक पराचिकित्सा सहायक और एक-एक ड्राइवर वाले 22 और दल बनाये जाएंगे।

ग. कार्य योजना

इस योजना का मुख्य कार्य रोग के अज्ञात गढ़ों की सक्रियता से खोज करना और उनको फैलने से रोकना है। तदनुसार कार्य संचालन की निम्नलिखित योजना तैयार की गई है :—

(क) रोग की स्थानीयता वाले राज्य :

इस अभियान में हाल ही में नियुक्त महामारी रोग विज्ञानी और राज्य स्तर के मौजूदा कर्मचारी 4–6 जिलों में इस काम को देखेंगे ताकि प्रत्येक राज्य के सभी समस्या मूलक क्षेत्र इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाएं।

जिलों के सभी स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कर्मचारियों की सेवाओं का अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर के प्रत्येक महीने में एक सप्ताह के लिए उपयोग कर चेचक के मामलों की सक्रियता से राज्य व्यापी खोज शुरू की जाएगी।

(ख) दूसरे राज्यों में

यद्यपि इन गढ़ों को खत्म करने के लिए किए जाने वाले कार्य वैसे ही हैं जैसे स्थानीयता वाले राज्यों में किए जाते हैं तथापि जरूरी होगा कि यहां पर विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के हिसाब से ही कार्य पद्धति अपनाई जाए।

साथ-साथ मूल्यांकन होता रहे, कार्यों में तालमेल बैठाया जाता रहे और इस कार्य में जो कुछ प्रगति हो, उसकी समय-समय पर समीक्षा होती रहे, इसके लिए रोग की स्थानीयता वाले राज्यों में एक-एक और अन्य राज्यों के लिये, दो के हिसाब से अलग-अलग मूल्यांकन एकक स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक मास में इस अभियान में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिये राज्यों की अपनी-अपनी राजधानियों में एक बैठक आयोजित की जाएगी।

चर्चेज़ आक्जीलियरी फार सोशल एक्शन द्वारा विकास परियोजनाएं

2145. **श्री वीरेन्द्रसिंह राव :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कास (दी चर्चेज़ आक्जीलिर्यरी फार सोशल एक्शन) समस्त भारत के विभिन्न गांवों के लोगों की कुएं, परकोलेशन टैंकों, स्कूलों तथा स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सामाजिक हित के कार्य का निर्माण कराने के बदले में खाद्यान्न देकर सहायता कर रहा है ;

(ख) कासा द्वारा कितनी विकास परियोजनाएं पूरी की गई हैं और ये योजनाएं किन-किन स्थानों पर हैं ;

(ग) इससे कितने-कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ; और

(घ) इस एजेंसी को किस प्रकार की सरकारी सहायता उपलब्ध करायी जाती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) से (घ) जी हां, कासा ने "फूड फार वर्क" कार्यक्रम के माध्यम से कई स्वयं-सहायता परियोजनाओं की सहायता की है। पिछले चार वर्षों में कासा ने जिन परियोजनाओं की सहायता की है उनका विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5328/73] कासा के "फूड फार वर्क" कार्यक्रम की मार्फत 17.00 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। इन परियोजनाओं से लाभ तो सारे समुदाय को ही हुआ है। कासा ने जो भी परियोजनाएं हाथ में ली, वे राज्य सरकार ने तालमेल में ही ली।

यह जानकारी प्राप्त नहीं है कि राज्य सरकारों ने क्या-क्या सहायता कासा की की। इस संस्था को भारत सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है

1972-73 के मौसम के लिये तमिलनाडु में गन्ने का नियत मूल्य और चीनी मिलों द्वारा अदा किया गया वास्तविक मूल्य

2146. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

तमिलनाडु को प्रत्येक चीनी मिल के लिए 1972-73 के मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक नियत मूल्य क्या था और 30 जून, 1973 तक वास्तविक रूप से कितनी राशि अदा की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : 1972-73 मौसम के लिए कारखाना-वार, तमिलनाडु हेतु निर्धारित सांविधिक न्यूनतम गन्ने का मूल्य कारखानों द्वारा वास्तव में दिया गया मूल्य तथा 30-6-73 तक खरीदे गये गन्ने का उक्त तारीख तक दिया गया गन्ने का कुल मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने राज्य में स्थित सभी चीनी कारखानों को निदेश जारी किए हैं कि वे अपने निर्धारित सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य के अलावा गन्ने का मूल्य 5 रु० प्रति मी० टन अधिक अथवा 90 रुपये प्रति मी० टन जो भी अधिक हो, दें।

विवरण

1972–73 मौसम के लिए कारखाना-वार, तमिलनाडु हेतु निर्धारित सांविधिक न्यूनतम गन्ना-मूल्य उनके द्वारा वास्तव में दिया गया मूल्य तथा 30-6-73 तक खरीदे गये गन्ने का उक्त तारीख तक दिया गया गन्ने का कुल मूल्य बताने वाला विवरण

कारखाना	1972–73 मौसम के लिए गन्ने का मूल्य— रुपये प्रति क्विटल: कारखाने के दरवाजे पर गन्ना देने पर अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम मूल्य	जैसा कि कारखाने ने सूचित किया है, कारखाने के दरवाजे पर गन्ना देने पर वास्तव में दिया गया/दिया जा रहा मूल्य	1972–73 मौसम में 30-6-73 तक खरीदे गये गन्ने का 30-6-73 तक दिया गया मूल्य (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
अम्बुर	9.60	9.60	193.36 (15-4-73 तक)
मदुरन्ताकम	9.03	9.03	151.46
तिरू अरूरन	8.75	8.75	98.31
नेल्लीकुपम	8.00	8.00	335.64
लालगुडी	9.50	10.00	211.29
कबेरी	8.75	8.75	148.97
पुगालूर . . .	9.41	9.41	233.79

1	2	3	4
सलेम	9.03	9.03	145.58
			(22-6-73 तक)
मदुरा	9.32	9.32	49.55
अमरावती .	9.03	9.03	96.07
सकती	9.79	11.50	593.16
विल्लुपुरम .	8.66	8.66	192.07
अरूणा	9.03	9.03	208.98
अल्लंगानालुर.	9.50	9.50	144.28
कल्लाकुरिचि . .	8.85	9.00	82.85
धर्मपुरी	8.00	9.00	109.29

तमिलनाडु में चीनी के कारखानों पर बकाया राशि

2147. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के वर्षों में गन्ना उपकर के रूप में, कारखाना-वार, चीनी कारखानों से कितनी राशि एकत्र की गई और कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कारखाने के क्षेत्र में कितना विकास कार्य शुरू किया गया और कितनी राशि खर्च की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार से सूचना मांगी गयी है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

1971-72 और 1972-73 में तमिलनाडु में चीनी कारखानों से औसत वसूली

2148. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1971-72 और 1972-73 के मौसमों के लिये तमिलनाडु में कारखाना-वार चीनी कारखानों की अप्रैल, मई और जून के महीने में औसत वसूली कितनी रही ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : 1971-72 और 1972-73 मौसमों में अप्रैल, मई और जून के महीनों के दौरान तमिलनाडु राज्य में कारखाना-वार गन्ने से चीनी की उपलब्धि की प्रतिशतता बताने वाला एक विवरण संलग्न है :

विवरण

1971-72 और 1972-73 मौसमों में अप्रैल, मई, तथा जून के महिनों के दौरान तमिलनाडु राज्य में, कारखाने-वार गन्ने से चीनी की उपलब्धि की प्रतिशतता बताने वाला विवरण

कारखाना	1971-72 मौसम			1972-73 मौसम		
	अप्रैल, 72	मई, 72	जून, 72	अप्रैल, 73	मई, 73	जून, 73
1. अम्बुर	10.10	काम नहीं किया	काम नहीं किया	9.31	काम नहीं किया	काम नहीं किया
2. मदुरान्तकम	9.34	काम नहीं किया	काम नहीं किया	9.40	8.44	काम नहीं किया
3. तिरु अरूरन	8.43	6.98	4.54	7.23	5.36	4.08
4. नेल्लीकुप्पम	8.71	7.36	5.59	8.38	6.71	5.71
5. लालगुडी	10.04	8.46	काम नहीं किया	8.65	7.61	काम नहीं किया
6. कवेरी	8.69	6.16	काम नहीं किया	8.18	7.10	काम नहीं किया
7. पुगालूर	9.62	8.40	8.11	8.63	7.44	काम नहीं किया
8. सलेम	9.52	8.51	काम नहीं किया	काम नहीं किया	काम नहीं किया	6.69
9. मदुरा	9.90	8.76	7.87	8.29	7.49	6.99
10. अमरावती	काम नहीं किया	काम नहीं किया	8.28	8.02	7.60	8.34
11. साक्ती	10.13	8.59	7.18	9.34	8.39	7.78
12. विलूपुरम	8.80	7.88	काम नहीं किया	8.68	7.52	काम नहीं किया
13. अरूणा	10.00	8.80	7.28	8.78	7.37	6.97
14. अलंगानालूर	10.03	10.29	काम नहीं किया	8.92	7.79	6.52
15. कलाकुरूची	8.89	7.74	6.85	8.78	7.87	7.55
पुरी	8.30	काम नहीं किया	काम नहीं किया	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

C.G.H.S. Doctors working on Ad-hoc basis

2149. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**
Shri Yamuna Prasad Mandal:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether about one fourth of the doctors in C.G.H.S. have been working on ad-hoc basis for some years;

(b) its effect on their pay, seniority, advanced training; and

(c) the action being taken to end such an uncertain situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) Yes, in so far as appointments to G.D.O. Gr. II under the C.G.H.S. are concerned.

(b) They are allowed the same scale of pay and Non-Practising Allowance as dmissible to regular officers of the C.H.S. They, however, claim seniority in the C.H.S. only

on theire regular apointment through U.P.S.C. Facilities to such doctors for doing post-graduation are extended only after their regular apointment through U.P.S.C.

(c) The ad-hoc appointees are being gradually replaced by regular U.P.S.C. nominees.

दिल्ली में और अधिक प्राईवेट तथा मिनी बसों का प्रस्ताव

2150. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चल रही प्राईवेट बसों और मिनी बसों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या निकट भविष्य में इस प्रयोजन के लिए और अधिक प्राइवेट तथा मिनी बसों को किराये पर लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० बी० राना) : (क) दिल्ली राज्य परिवहन अधिकरण ने संघ राज्य क्षेत्र में परिचालन हेतु 57 बड़ी यात्री बसों तथा 85 मिनी बसों (जिनमें दिल्ली परिवहन निगम को 20 परमिट भी शामलि हैं) के लिए नियमित परमिट जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, बसों के लिए 6 अस्थायी परमिट भी जारी किये गये हैं (जिनमें एक दिल्ली परिवहन निगम को भी शामिल है) । इनके अतिरिक्त, अपने नियन्त्रण के अन्तर्गत परिचालन के लिए 182 बड़ी प्राईवेट बसें (जो कन्ट्रक्ट कैरिज परमिटों के अन्तर्गत आती हैं) भी किराये पर ली गई है ।

(ख) और (ग) बस बेड़े की कमी के कारण असाधारण यातायात दबाव को कम करने के लिए प्रथम उपाय के रूप में अतिरिक्त प्राईवेट बसें लगाई जाती हैं जैसा कि एशिया, 1972 के विश्व मेले के अवसर पर किया गया था ।

शाहदरा और दिल्ली नगर में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

2151. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली (दक्षिण) में केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने के क्या कारण हैं जबकि दिल्ली शहर में अब तक कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोला गया है ; और

(ख) क्या सरकार शाहदरा, दिल्ली में केन्द्रीय विद्यायल खोलने पर विचार करेगी और यदि हां तो कब ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : **(क) और (ख)** केन्द्रीय विद्यालय, जो मुख्यतः स्थानान्तरणीय सरकारी कर्मचारियों के लिए होते हैं, उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अधिक संख्या में हों तथा उपयुक्त जमीन उपलब्ध हो । नई दिल्ली (दक्षिण) में विद्यालय खोले गए हैं क्योंकि इस इलाके में जमीन उपलब्ध हो गयी है। शाहदरा, दिल्ली, में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव

नहीं है। यदि, शाहदरा, दिल्ली में ऐसा कोई विद्यालय खोलने की मांग होगी, तो उस प्रस्ताव पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विचार किया जायेगा, बशर्ते कि विद्यालय स्थापित करने के लिए निर्धारित सभी मानदंड संतोषजनक रूप में पूरे हो तथा विद्यालय के लिए भूमि का प्लाट भी उपलब्ध हो।

दिल्ली प्रशासन द्वारा डा० जोशी अस्पताल, करोल बाग, नई दिल्ली को अपने नियंत्रण में लेना

2152. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने डा० जोशी अस्पताल , करोल बाग, नई दिल्ली को अपने नियंत्रण में ले लिया है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इस अस्पताल का विस्तार करने के बारे में कोई प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो विस्तार की मुख्य बाते क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां, 9 अप्रैल, 1970 से।

(ख) इस अस्पताल की स्थापना डा० एन० सी० जोशी ने की थी। 1947 में डा० जोशी का निधन हो जाने पर डा० एन० सी० जोशी अस्पताल सोसाइटी ने इस अस्पताल का संचालन किया। वैसे इस अस्पताल के पास जितने कुछ वित्तीय साधन थे वे दिन प्रतिदिन घटते गए। यहां तक कि इसके प्रबन्धकों, के लिए इसे चलाना असम्भव-सा हो गया। इसलिए प्रबन्धकों ने सरकार से इस अस्पताल को लेने के लिए अनुरोध किया और इसे सरकारी अस्पताल के रूप में चलाने को कहा। तदनुसार, इस अस्पताल को 9 अप्रैल, 1970 से प्रशासन ने अपने अधीन ले लिया।

(ग) जी हां।

(घ) पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस अस्पताल का विस्तार करने का विचार है और इसके लिए यहां पर पलंगों की संख्या बढ़ाकर 170 तक करने का विचार है बशर्ते योजना आयोग इसके लिए मंजूरी दे दे और इस कार्य के लिए धन उपलब्ध हो जाए।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों को अपने नियंत्रण में लेना

2153. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष से रीजनल इंजीनियरिंग कोलेजों को अपने नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Central Agricultural University in Bundelkhand Division, Uttar Pradesh

2154. **Shri R. R. Sharma:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under consideration to open a Central Agricultural University in Bundelkhand Division of Uttar Pradesh; and

(b) if so, the location thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बंगलौर में आयोजित कार्टूनकारों का सम्मेलन

2155. **श्री मनोरंजन हाजरा**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1973 में प्रसिद्ध कार्टूनकारों का बंगलौर में एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या इस सम्मेलन में कार्टूनों का प्रयोग शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में करने के लिए कोई सुझाव दिये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :
(क) ऐसा कोई सम्मेलन भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया था। फिर भी, ईक्यूमेनीकल क्रिश्चियन सेन्टर द्वारा आयोजित ऐसे एक सम्मेलन के विषय में समाचार-पत्र में प्रकाशित एक समाचार की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

(ख) ब्यौरे भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नए मकान और स्थान (साइट्स)

2156. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य आवास बोर्ड के माध्यम से वर्ष 1972-73 में नये मकान और मकानों के लिये स्थान देने सम्बन्धी क्या कार्यक्रम है ;

(ख) अनुसूचित जातियों के लोगों को मद्रास, तिरुची, मदुराई, कोयम्बटूर और सलेम में स्वयं के मकान देने की क्या-क्या योजनाएं हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1972-73 के लिये तमिलनाडु राज्य आवास बोर्ड को कुल कितनी धनराशि आवंटित की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) राज्य आवास बोर्ड राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक सांविधिक संगठन है। यह राज्य के मकानों के कार्यक्रमों का निष्पादन करने वाली ऐजेन्सी है। राज्य सरकार आवास बोर्ड को सौंपे गये नये मकानों के निर्माण के कार्यक्रम तथा आवास-स्थलों का ब्यौरा मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता।

(ख) राज्य को वार्षिक योजना नियतन समग्र रूप से पिछड़े वर्ग सेक्टर के लिए किए जाते हैं न कि जिलेवार। उपलब्ध सूचना के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने अनुसुचित जातियों के कल्याण की योजनाओं के लिए 1972-73 के परिशोधित अनुमानों में आवास के लिए 5.66 लाख रुपये और आवास-स्थलों के लिए 15.00 लाख रुपये की व्यवस्था की है। आवास योजना के अधीन लाभ भोगियों को निर्माण की लागत का 75 प्र० श० आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है जो प्रति मकान अधिक से अधिक 2000 रुपये तक है। शेष 25 प्र० श० रकम लाभभोगी द्वारा, नकद, श्रम, तथा इमारती सामग्री आदि के रूप में उपलब्ध करनी होती है। आवास स्थलों के मामले में, प्रत्येक राज्य की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक आवास-स्थल के लिए 200 से 500 रु० तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य प्लान के इस व्यय को राज्य तथा केन्द्रीय सरकार "ब्लाक ऋणों" तथा "ब्लाक अनुदानों" के रूप में परस्पर बांटते हैं।

(ग) भारत सरकार राज्य आवास बोर्डों को सीधे तौर पर वित्तिय सहायता नहीं देती।

दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लोगों के लिए मकान

2157. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के अन्त तक दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में कितने परिवारों को श्रेणीवार सरकार द्वारा बनाये गये मकान प्राप्त हो जायेंगे ; और

(ख) कितने प्रार्थियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च, 1973 तक बनाये गय आवास प्राप्त हो जायेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 31,000 फ्लैट उपलब्ध किये जानें की संभावना है। श्रेणीवार आंकड़ों का हिसाब नहीं लगाया गया है।

(ख) दिल्ली प्राधिकरण के लगभग 4596 फ्लैट बिक्री के लिये तैयार है।

रत्नगिरि बन्दरगाह में स्थिरता बनाने के लिए 'ब्रेक वाटर वाल' का विस्तार

2158. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने रत्नगिरि बन्दरगाह में पूरे वर्ष स्थिरता बनाये रखने के लिए 'ब्रेक वाटर वाल' के विस्तार के लिए अधिक ऋण की मांग की है ;

(ख) क्या खड़कवासला स्थित केन्द्रीय बिजली और अनुसंधान केन्द्र ने यह राय दी है कि पूरे वर्ष जल में स्थिरता बनाये रखने के लिए उक्त 'वाल' का विस्तार किया जाना आवश्यक है ; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार का क्या निर्णय है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री : (श्री राज बहादुर) (क) जी हां। महाराष्ट्र सरकार ने (1) 1500 फुट से 1900 फुट तक पनकट दीवार के विस्तार और (2) लगभग 8 एकड़ के छोटे क्षेत्र के सुधार और यात्री एवं माल घाट की व्यवस्था के लिए रत्नगिरि पत्तन के विकास करने संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए चौथी योजना में 107.00 लाख रुपये से 257.00 लाख रुपये तक वृद्धि के लिये अनुरोध किया है।

(ख) केन्द्रीय जल बिजली और अनुसंधान केन्द्र ने सूचित किया है कि नमूना अध्ययन बाद 1500 फुट लम्बी पनकट दीवार जो निर्माणाधीन है तूफानी हालात के दौरान कुछ दिनों के सिवाय वर्ष पर्यन्त पत्तन के विकास की वर्तमान व्याप्ति के अंतर्गत राहत प्रदान करेगी।

(ग) प्रस्तावित यात्री एवं माल घाट की व्यवस्था और 8 एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र का सुधार सिद्धांत रूप से मान लिया गया है। पनकट दीवार के विस्तार के बारे में महाराष्ट्र सरकार के दृष्टिकोण पर प्रश्न के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं के आधार पर उचित विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय अधिनियमों द्वारा विनियमित विश्वविद्यालय

2159. **श्री शंकरराव सावंत : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अधिनियमों द्वारा विनियमित विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं?

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए कुछ नियम निर्धारित किए है, और

(ग) क्या इस प्रकार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गत दो वर्षों से संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :(क) निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है और ये केन्द्रीय विधान के अधिनियमों द्वारा अभिशासित हैं :–

(1) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

(2) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

(3) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।

(4) जवाहरलाल नेहरू, विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

(5) विश्व भारती, शान्तिनिकेतन।

(6) उत्तर-पूर्वीय पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग।

(ख) और (ग) जी, नहीं। विश्वविद्यालय स्वायत निकाय है, अतः दाखिले के अपने नियम स्वयं ही बनाते हैं तथा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो उस पर भी कार्रवाई करते हैं।

भारत और बंगलादेश सहित दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की 'शिपिंग कांफ्रेंस' का गठन

2160. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश ने भारत और बंगलादेश सहित दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की 'शिपिंग कांफ्रेन्स' का गठन करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस प्रस्ताव के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : **(क) से (ग)** संभवतया माननीय सदस्य वित्तीय दैनिक समाचार पत्रों में से एक में प्रकाशित उस समाचार का जिक्र कर रहे हैं जिसमें यह कहा गया था कि कलकत्ता में शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया से दूसरा भारतीय जहाज प्राप्त करने के अवसर पर बंगला देश निगम के अध्यक्ष ने इस प्रकार का सम्मेलन करने का ख्याल किया था। परन्तु बंगला देश सरकार से अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करेगी जिससे दक्षिण पूर्व एशिया में माल के लाने ले जाने और अंतक्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने में सुगमता होगी।

राजस्थान का लघु सिचाई कार्यक्रम

2161. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने आने वाले वर्ष और पांचवी योजनावधि के लिए कोई लघु सिंचाई कार्यक्रम प्रस्तुत किया है :

(ख) यदि हां, तो उसकी लागत और मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) योजना आयोग/केन्द्रीय सरकार का उस पर क्या निर्णय है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह):**(क)** वर्ष 1974-75 के लिए प्रस्तावित परि-व्यय दर्शाने वाला पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप राजस्थान सरकार से प्राप्त हो गया है।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना में लघु सिंचाई के लिए 23.39 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है जिसमें सतही जल योजना के लिए 5 करोड़ रुपये तथा भूमिगत जल योजना के लिए 18.39 करोड़ रुपये शामिल हैं। वर्ष 1974-75 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 3.21 करोड़ रुपये है।

(ग) प्रारूप योजना पर चर्चा तथा इसको अन्तिम रूप अभी दिया जाना है।

केरल में भूखे रहने के कारण हुई मौत

2162. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के कुछ भागों में भूखे रहने के कारण होने वाली मौतों के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों को खाद्यान्न की तुरन्त सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि केरल में अब तक भुखमरी से मौत की कोई वारदात नही हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आवश्यक आवंटन किया गया है।

खेतीहर श्रमिकों के बच्चों में कुपोषाहार और कम पोषाहार की समस्या

2163. डा० सरदीश राय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने खेतीहर श्रमिकों के बच्चों में कुपोषाहार और कम-पोषाहार की समस्या से निपटने हेतु कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि नहीं तो इस समस्या का सामना करने हेतु सरकार का विचार क्या उपाय करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) भारत सरकार 1963 से "व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम" नामक एक योजना चला रही है जो मुख्यतः देहाती लोगों/खेतीहर श्रमिकों के लिए ही है और इसका उद्देश्य उनके पोषणिक स्तर को सुधारना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रसोई उद्यानों (किचन गार्डन), सामुदायिक उद्यानों, स्कूल उद्यानों, मच्छली तालाबों और मुरगीखानों की स्थापना कर मच्छली, अण्डे, फल और सब्जी जैसे पोष्टिक आहार खाने और उसके उत्पादन पर बल दिया जाता है। इस कार्यक्रम को दिसम्बर, 1972 के अन्त तक 1093 सामुदायिक विकास खण्डों में चलाया गया है।

देश में सूखे की स्थिति

2164. **श्री राम कंवर बेरवा** :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) देश के अनेक भागों में राज्यवार सूखे की स्थिति क्या है;

(ख) राहत कार्यों के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) उपरोक्त उद्देश्य के लिए केन्द्र ने विभिन्न राज्यों को कितना कितना खाद्यान्न आवंटित किया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पिछले वर्ष महाराष्ट्र गुजरात, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर के कुछ भाग सूखे से अत्यधिक प्रभावित हुए थे, चालू मानसुन में वर्षा होने से स्थिति में सुधार हुआ है। बिहार और उत्तर प्रदेश में पहले जुलाई के अधिकांश भाग में सूखे की लहर चलती रही थी और खड़ी फसल को हानि पहुंची थी, लेकिन पिछले

कुछ दिनों के दौरान वर्षा होने के कारण सूखे की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हाल ही में मध्य प्रदेश में (रेवा डिविजन को छोड़कर) संतोषजनक वर्षा होने से स्थिति में सुधार हुआ है। त्रिपुरा और उड़ीसा में जहां पहले सूखे की स्थिति बनी हुई थी वहां भारी वर्षा हुई है। पश्चिमी बंगाल में अच्छी वर्षा हुई है और वहां सूखे की स्थिति नहीं है।

2. हाल ही में हुई वर्षा का पीने के पानी की स्थिति और चारे की उपलब्धता पर अच्छा असर पड़ा है। राहत कार्यों पर लगे व्यक्तियों की संख्या में प्रयाप्त कमी हुई है जिससे यह पता चलता है कि सामान्य कृषि कार्य चालू कर दिया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5329/73]

(ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5329/73]

दिल्ली के काली मसजिद क्षेत्र में जल की सप्लाई के घण्टे

2165. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत मास से दिल्ली के मोहल्ला हिन्दूवाड़ा, काली मसजिद (बाजार सीताराम) के हजारों निवासियों, दूसरी और तीसरी मंजिलों में रहने वाले निवासियों को केवल रात में ही अर्थात रात्रि के 9/10 बजे के पश्चात पानी मिलता है ;

(ख) क्या नगर निगम के अधिकारियों ने जल की सप्लाई करने के घण्टों में कटौती की है जिसके परिणामस्वरूप वहां के निवासियों को वस्तुतः दिन में अर्थात प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि के 9/10 बजे तक पानी की सप्लाई नहीं की जाती है ; और

(ग) इस क्षेत्र के उक्त निवासियों को दिन के समय भी पानी की सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए सरकार का विचार अब क्या कार्यवाही करने का है, क्योंकि निगम अधिकारियों से बार-बार अनुरोध/विरोध/शिकायत करने के बावजूद भी निगम अधिकारियों ने वहां के निवासियों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया है ?

ससंदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल सप्लाई एवं मल व्ययन संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

(क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। इसके विपरीत वजीराबाद से अजमेरीगेट तक के नये पाईप के चालू हो जाने से पानी के दबाव में सुधार हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। सारा दिन पानी न मिलने की कोई भी शिकायत निगम के अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुई है।

विभिन्न राज्यों में गेहूं की उपज में कमी

2166. श्री भोला मांझी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में और विशेषकर पंजाब में इस वर्ष गेहूँ की उपज अत्यन्त कम ई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या पंजाब राज्य सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति के क्या निष्कर्ष हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1972-73 के लिए गेहूँ सहित खाद्यान्नों के उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी विभिन्न राज्यों से एकत्र किए जा रहे हैं। तथापि उपलब्ध सूचना से ऐसे संकेत मिलते हैं कि 1972-73 में गेहूँ के उत्पादन में पंजाब तथा कुछ अन्य राज्यों में कुछ कमी हो सकती है।

(ख) फसल के पकने की अवधि में समय-पूर्व गर्म हवायें चलने और गेरूई रोग का प्रकोप कुछ राज्यों में गेहूँ की उत्पादिता में कमी के मुख्य कारण थे।

1973-74 में गेहूँ की फसल में गेरूई रोग को नियंत्रित करने की नीति का विकास किया जा रहा है ताकि इस महामारी से व्यापक हानि न होने पाए। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गेरूई प्रतिरोधी किस्मों का चयन किया जा रहा है और किसानों को उनके बीजों की सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक किस्म के लिए पैकेज पद्धतियों को यह बताते हुए कि इन्हें कब और कैसे उगाया जाये, किसानों में प्रचार के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा आगामी मौसम में रोग निगरानी कार्य का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गेरूई संर्वेक्षण में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी शामिल है। छिदरा कड़वे को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त फफूंद नाशियों से आधार बीजों के प्रयोजन के लिए रखे गए समस्त बीजों के उपचार की भी व्यवस्था की जा रही है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और यह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Foodgrains provided to Rajasthan during 1973

2167. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the quantity of various varieties of foodgrains provided to Rajasthan separately since January, 1973 todate as against the demand put forth by that State ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): The quantity of various varieties of foodgrains demanded and supplied to Rajasthan since January 1973 to August are as under :

(In '000 tonnes)

Month 1973	Demand		Supplies	
	Wheat	Coarse-grains	Wheat	Coarse-grains
January	65.0	30.0	21.0	10.7
February	65.0	—	27.0	18.5
March	68.0	—	37.0	12.0
April	40.0	55.0	27.8	15.0
May	90.0	50.0	56.6	15.1
June	82.0	85.0	53.0	6.7
July	90.0	50.0	*45.0	*25.0
August	60.0	30.0	*40.0	*25.0

*Quantity allotted.

Financial Assistance to Landless Workers to Construct Houses in Rajasthan

2168. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the places covered in Rajasthan under the scheme formulated in October, 1971 to allot plots and to provide financial assistance to construct houses thereon to landless workers in rural area; and

(b) the total amount of assistance given by Government ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) and (b) Projects of Government of Rajasthan for providing 8,141 house-sites in the Districts of Chittorgarh (6318), Jhalwar (1052), Jodhpur (743) and Churu (28) have been approved, involving Central assistance of Rs. 11.24 lakhs. A sum of Rs. 2.81 lakhs has been released to the State Government in advance for undertaking the execution of the approved projects. Under the Scheme, allottees of house-sites are expected to built houses thereon with their own resources and/ or such assistance as may be given to them by the State Government.

News item captioned Corruption and Malpractices in Children's Remand Home

2169. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published on page 3 of daily Nav Bharat Times dated the 25th May, 1973 under the caption "Corruption and malpractices rampant in the Children's Remand Home";

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) the names of the institutions being run under the supervision of Department of Social Welfare and the functions thereof; and

(d) their annual budget this year and whether Government propose to lay a copy of full details thereof on the Table of the Lok Sabha?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) and (b) Upon verification, the allegations contained in the news item were found to be incorrect. Attention is invited to news item published in Nav Bharat Times dated 26-5-73 in which the Delhi Administration had contradicted the report.

(c) and (d) A statement is attached. **Placed in Library. See No. L.T. 5330/73]**

Delay in Import of Foodgrains

2170. **Shri M. C. Daga:**
Shri Samar Guha:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the reasons for which wheat was not imported from abroad in time during 1973 and who is responsible therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): The decision to import foodgrains from abroad was taken at the appropriate time after careful consideration of all relevant factors.

अमरीका से खरीदे गये माईलो का मूल्य

2171. **श्री बक्शी नायक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीकी प्रशासन से अत्यन्त अधिक मूल्य पर माईलो खरीदा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या मूल्य दिया ;

(ग) माईलो खरीदते समय अमरीका के बाजार में माईलो का भाव क्या था ; और

(घ) क्या इस बात की जांच की गई है कि अमरीका में व्यापारियों को इतना अधिक मूल्य कैसे दिया गया और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार द्वारा की गई जांच से यह पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से चल रहे मूल्यों पर माईलो खरीदी गई थी।

(ख) 70.52—79.30 डालर प्रति मी० टन अमरीकी बंदरगाहों पर जहाज तक निःप्रभार।

(ग) 70.55—84.00 डालर प्रति मी० टन।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्रिजरवेशन असिसटेंट

2172. **श्री झारखण्डे राय:** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में कार्य कर रहे प्रिजरवेशन असिस्टेंटों के क्या कर्त्तव्य

28 LSS/73—10

निर्धारित किए गए हैं और वे तकनीकी, गैर-तकनीकी अनुसचिवीय, वैज्ञानिक, गैर वैज्ञानिक और कुशल अथवा अकुशल वर्गों में से किस वर्ग में आते हैं;

(ख) क्या वहां इन असिस्टेंटों के लिए पदोन्नति के कोई अवसर हैं;

(ग) क्या वहां ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ही पद पर 20 वर्ष से अधिक तक सेवा की है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी पदोन्नति के अवसर बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में परिरक्षण सहायकों (प्रिज़रवेशन असिस्टेंटों) के लिए निर्धारित कार्यों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है। ये पद "गैर-अनुसचिवीय" हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस समय कोई प्रस्तावों विचाराधीन नहीं है। परिरक्षण सहायकों (प्रिज़रवेशन असिस्टेंटों) के पद पूर्णतः पदोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं और ऐसे मामलों में न तो ऐसी प्रथा है और न ही सदा सम्भव होता ह कि और आगे पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था की जाए। तथापि, उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में परिरक्षण सहायकों (प्रिजरवेशन असिसटेंटों) के लिए निर्धारित कार्य :

(i) यांत्रिकी तथा हस्त मरम्मत तथा दस्तावेज़ों, चार्टों, नक्शों प्रदीप्त दस्तावेजों जिल्दों बूर्जछाल, ताड़ के पत्ते आदि जैसी विशेष प्रलेखी सामग्रियों का पुनः स्थापन।

(ii) गैर अम्लीकरण, धब्बों का हटाना, घोलू लिफाफे तैयार करना, स्याही बनाना, चौसाना, पृष्ठांकन करना, छिद्र, डाकेट आदि के प्रबन्ध जैसे कार्यों से संबंधिन मदों का निष्पादन करना।

(iii) अभिलेखों पुस्तकों, पांडुलिपियों तथा अन्य सामग्रियों को साफ करना और उनका धूम्रीकरण करना।

(iv) यांत्रिकी तथा विद्युत यंत्रों का प्रचालन तथा उपरोक्त (I), (II) और (III) का रसायनिक निरूपण करना।

(v) अभिलेखागार के निदेशक के द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

भारतीय कला केन्द्र, नई दिल्ली को भूमि में आवंटन की शर्तें

2173. **श्री झारखंडे राय :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कला मन्दिर, लिटन रोड, नई दिल्ली को भूमि किन शर्तों पर आवंटित की गई है;

(ख) क्या संस्थान शर्तों का पालन कर रहा है; और

(ग) क्या भवन की सबसे ऊंची मंजिल किराये पर दे दी गई है और यदि हां तो किसे और कितने किराये पर?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) भारतीय कला केन्द्र को निम्नलिखित मुख्य शर्तों पर भूमि का आवंटन किया गया था :—

(1) भूमि का उपयोग उनके कार्यालय भवन आडीटोरियम तथा केन्द्र के अनिवार्य स्टाफ के क्वार्टरों के निर्माण हेतु किया जायेगा;

(2) केन्द्र को भूमि के लिये 36,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम तथा प्रीमियम का 5 प्रतिशत वार्षिक भूमि किराया के रूप में अदा करना चाहिए।

(3) आवंटन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर बहु-मंजिलें भवन का निर्माण करना होगा जो उस क्षेत्र के आसपास के वास्तुशिल्प के अनुरूप होगा।

(ख) जी नहीं, पट्टे की शर्तों का कतिपय उल्लंघन नोटिस में आये हैं।

(ग) जी, हां; भारतीय कला केन्द्र न्यास द्वारा सब से ऊपर की मंजिल 7066 रुपये (सात हजार छयासठ रुपये) मासिक किराये के हिसाब से, भारत सरकार को किराये पर दी गई है।

भारतीय कला केन्द्र, नई दिल्ली को अनुदान

2174. **श्री झारखंडे राय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कला केन्द्र, लिटन रोड, नई दिल्ली को वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई है;

(ग) क्या भवन निर्माण के लिए कुछ राशि दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) विवरण संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों की सूचना दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) उसके भवन निर्माण (आवासीय खण्ड को छोड़कर केवल अध्यापन खण्ड तथा सभा-भवन) के लिए 75,000 रुपये तथा बिजली का सामान और हाल के फर्नीचर के लिए 50,000 रुपये। 1968-69 से 1973-74 की अवधि के दौरान राशि किस्तों में दी गई थी।

विवरण

पिछले तीन वर्ष, 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान भारतीय कला केन्द्र, नई दिल्ली को संस्वीकृत अनुदान की राशि :

सांस्कृतिक संगठनों के लिये भवन-निर्माण की योजना :

1970-71	कुछ नहीं	
1971-72 . .	30,000 रुपये	उसके भवन निर्माण के लिये (आवासीय खण्ड को छोड़कर केवल अध्यापन खण्ड और सभा भवन)।
	45,000 रुपये	उपकरण के लिये।
1972-73 . .	कुछ नहीं	

व्यावसायिक नृत्य-नाटक तथा थियेटर मंडलियों के लिए वित्तीय सहायता की योजना :

1970-71 .	कुछ नहीं	
1971-72 .	कुछ नहीं	
1972-73 . .	30,000 रुपये	कलाकारों के वेतन तथा उत्पादन लागत के लिये अनुदान।

संगीत नाटक अकादमी द्वारा संस्वीकृत अनुदान

1970-71 . .	10,000 रुपये	संगीत अध्यापकों के वेतन शास्त्रीय संगीत
1971-72 .	10,000 रुपये	में प्रशिक्षण के लिय (अध्यापकों के लिय वेतन)।
1972-73 . .	10,000 रुपये	—वही—

विश्व बैंक द्वारा सहायता के लिए सूखाग्रस्त जिलों के चयन का मापदंड

2175. **श्री मधु दंडवते :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के 54 ज़िले सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्र घोषित किये गये हैं ;

(ख) क्या इन 54 ज़िलों में केवल छः ज़िलों को ही विश्व बैंक द्वारा सहायता के लिये चुना गया है ; और

(ग) यदि हां, तो केवल इन छः ज़िलों का ही चयन करने के लिये क्या मापदन्ड निर्धारित किया गया है जबकि सभी 54 ज़िले सूखाग्रस्त घोषित किये गये थे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए 54 ज़िले अभिज्ञात किये गये हैं।

(ख) जी हां। यद्यपि मार्गदर्शी परियोजना के तौर पर केवल 6 ज़िले ही चुने गये हैं; तथापि बाद में विश्व बैंक से सहायता के लिए और जिलों के मामले में भी विचार किया जा सकता है।

(ग) यह चयन ऐसे ज़िलों में से किया गया है, जिनमें (क) वर्षा कम होती है (ख) जो बारानी खेती सम्बन्धी एकीकृत मार्गदर्शी परियोजना की केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत आते हैं

और (ग) जिनमें जिले के अन्दर अधिकांश क्षेत्र ऐसा है जो कि सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है।

तिलहन के उत्पादन में कमी के कारण वनस्पति उद्योग का बन्द होना

2176. **श्री मधु दंडवते** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) क्या इसका प्रभाव खाद्य तेल के उत्पादन पर पड़ा है;

(ग) क्या वनस्पति तेल उद्योग ने देश के अनेक भागों में अपने एकक बन्द कर दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के खाद्य तेल पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) मुख्यतया मई, 1973 में कुछ यूनिट बन्द हो गए थे, सामान्यतया उत्पादन कर रहे कुल 79 यूनिटों में से बन्द हो जाने वाले ऐसे यूनिटों की संख्या (विभिन्न सप्ताहों में) 14 से 18 थी।

(घ) विश्व की मंडियों में तेलों की कमी और ऊंचे मूल्य होने के बावजूद अग्रता के आधार पर आयात करने की व्यवस्था की गयी थी और वनस्पति फैक्ट्रियों को आवंटित मात्रा की सुपुर्दगी शीघ्र की गई थी। जो अन्य उपाय किए गए थे वे इस प्रकार हैं :—बिनौले और चावल की भूसी की अधिकतर पिराई और उनके तेलों के उपभोग को बढ़ावा देना, वृक्ष जाति के लघु तिलहनों का अधिकतर उपभोग, वनस्पति के निर्माण में अन्य वैकल्पिक तेलों का उपभोग कर मूंगफली और सरसों के तेल के प्रयोग पर प्रतिबन्ध, परम्परागत और अपरम्परागत जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी के बीजों का अधिक उत्पादन करना।

मौनसून के आने के बाद भी महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों को कठिनाईयां

2177. **श्री मधु दंडवते** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों की कठिनाईयां मौनसून के आने के बाद भी वसी ही बनी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार सूखाग्रस्त क्षत्रों को सहायता देना जारी रखेगी; और

(ग) सहायता का स्वरूप क्या है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र में हाल में हुई वर्षा के परिणामस्वरूप, स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है और कृषकों की कठिनाइयां भी काफी कम हो गई हैं।

(ख) औस (ग) : सूखे से राहत के उपाय के लिए राज्य सरकार को अब तक 126.64 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है। विहित कार्यविधि और नियमावली को ध्यान में रखते हुये जो भी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता होगी उसे राज्य सरकार को दिया जाएगा।

खाद्यान्न की शीघ्र सप्लाई के लिये कनेडा को प्रतिनिधिमंडल

2178. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न तथा खाद्य तेल की शीघ्र सप्लाई के बारे में विस्तारपूर्वक बातचीत करने के लिये केनेडा को प्रतिनिधिमण्डल भेजे जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मन्डल के सदस्य कौन-कौन होंगे; और

(ग) अंतिम बातचीत कब तक होने की संभावना है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) ऐसा एक शिष्टमन्डल भेजने के लिए इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Central aid to M.P. for Cultivation of Fast growing Bananas and Papaya

2179. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any Central assistance has been given to Madhya Pradesh for cultivating fast growing banana and papaya trees there; and

(b) if so, the main feature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Setting up of Health Centres in District of Madhya Pradesh

2180. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the names of the districts of Madhya Pradesh where Government propose to set up health centres so as to extend medical facilities to people belonging to Adivasi, Harijan and backward classes living there ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Intensive Farming of Cotton in East Nimar, Madhya Pradesh

2181. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that intensive farming of cotton is possible in East Nimar district , particularly in Burhanpur Tehsil of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the steps being taken by Government to give a fillip to intensive farming of cotton in the said area ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) Yes, Sir. In order to give fillip to intensive cultivation of cotton in the Burhanpur Tehsil of East Nimar, a Centrally Sponsored Scheme for Maximising Cotton Production (intensive cultivation) is being implemented over an area of 16,000 hectares in 1973-74. Besides this, the State Govt. is also implementing a Cotton Development Scheme in the district.

वर्ष 1972-73 के दौरान मध्यप्रदेश में खाद्यान्न के उत्पादन में कमी

2182. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अन्य राज्यों की तुलना में वर्ष 1972-73 के दौरान मध्यप्रदेश में खाद्यान्न के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी हुई;

(ख) जनसंख्या के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य की खाद्यान्न की आवश्यकता कितनी है; और

(ग) मध्यप्रदेश राज्य को खाद्यान्न की कितनी मात्रा का नियतन किया गया?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के 1972-73 के खाद्यान्नों के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी तक सभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुये हैं। पक्के अनुमान उपलब्ध न होने पर, अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई कमी की प्रतिशतता को बताना संभव नहीं है।

(ख) खाद्यान्नों की आवश्यकता कुछेक आधारभूत तथ्यों पर निर्भर करती है जो इस प्रकार है:—खाद्यान्नों और अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उनके सापेक्ष मूल्य, आय-स्तर, जनसंख्या में वृद्धि और शहरीकरण की रफ्तार आदि खाद्यान्नों की खपत को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्यों के बारे में विश्वसनीय आंकड़े न होने और 1972-73 के खाद्यान्न-उत्पादन के अनुमान उपलब्ध न होने से खाद्यान्नों की आवश्यकता को ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है। तथापि, मध्यप्रदेश सरकार ने बताया है कि चालू वर्ष के लिए 72.5 लाख मी० टन चावल, गेहूं और ज्वार की आवश्यकता होगी।

(ग) जनवरी से जून, 1973 के दौरान केन्द्रीय भंडार से मध्यप्रदेश को सप्लाई की गई खाद्यान्नों की मात्रा लगभग 155 हजार मी० टन थी। जुलाई और अगस्त महीनों के लिए, केन्द्रीय भण्डार से उस राज्य को 35,000 मी० टन गेहूं आवंटित किया गया है।

'मारक्स वैक्सीन का' उत्पादन

2183. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मारक्स वैक्सीन" का भारत में उत्पादन न किये जाने के क्या कारण हैं, जबकि भारत में इसके लिये योग्य वैज्ञानिक विद्यमान हैं; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त टीके के भारत में उत्पादन के लिये कोई अवधि निर्धारित करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) मारक्स वैक्सीन के वाणिज्यिक उत्पादन की परियोजना पहले इसलिए शुरू नहीं की गई थी कि यह रोग हाल ही में पैदा हुआ है और कुक्कुट उद्योग की ओर से इसकी सप्लाई के लिए कोई मांग ही नहीं थी।

इस दौरान भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने इसके निर्माण के तरीके और तकनालोजी का विकास कर लिया है। वाणिज्यिक पैमाने पर इसका उत्पादन करने के लिए एक उपयुक्त परियोजना शुरू करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

(ख) परियोजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही इसका उत्पादन शुरू करने के लिए एक विशेष अवधि निर्धारित करने के बारे में निर्णय किया जाएगा।

राष्ट्रीय मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना

2184. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के समान सरकार का विचार राष्ट्रीय मुर्गी पालन अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मुर्गी-प्रजनन शाला (हैचरी) एवं चूजों के लिए दाने के व्यापार का विनियमन

2185. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भर के मुर्गी पालकों को बाजार में घटिया किस्म के चूजे और उनके लिए घटिया किस्म का दाना मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो मुर्गी-प्रजनन शाला (हैचरी) एवं चूजों के लिए दाने के व्यवसाय को विनियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं, सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट कम्पनियां सघन मुर्गी-प्रजनन के क्षेत्रों में अच्छी किस्म के चूजे और चारा सप्लाई कर रही हैं; परन्तु छोटे मुर्गी फार्म और चारा मिश्रण यूनिटें दूरस्थ क्षेत्रों में घटिया किस्म के चूजे और चारा सप्लाई कर रहे हैं।

(ख) पांचवीं योजना के प्रस्ताव तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित पशुपालन संबंधी कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि मुर्गी फार्मों तथा दाना-चारा तैयार करने वाली मिलों को लायसेंस देने के विषय में कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिएं ताकि गुण नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों को लागू किया जा सके।

मुर्गी दाने के ऊंचे मूल्य और उसका मुर्गी पालन उद्योग पर प्रभाव

2186. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने मुर्गी पालन उद्योग का सत्यनाश से, जो मुर्गी दाने के ऊंचे भावों के कारण संभावित है, बचाने के लिये क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : भारत सरकार ने मुर्गी के चारे के मूल्यों को कम करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) राज्य के पशपालन विभागों को पशुओं के खाने के लिये भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के खराब खाद्यान्न देने के बारे में निदेश जारी कर दिए गए हैं।

(2) मंगफली की खली के विषय में निर्यात की अधिकतम सीमा निश्चित करके प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और इन निर्यातों के लिये नकद राशि के रूप में जो सामान्य प्रोत्साहन दिया जाता था वह बन्द कर दिया गया है।

(3) पंजाब और हरियाणा आदि की राज्य सरकारों ने अनिवार्य जिन्स अधिनियम के अंतर्गत चावल-चोकर (वितरण) नियंत्रण आदेश जारी कर दिया है जिसके अनुसार मुर्गी का चारा तैयार करने वालों/मुर्गी पालकों को चावल-चोकर विशेष मात्रा में आवंटित किया जा रहा है।

(4) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे परम्परागत चारे के स्थान पर कृषि तथा औद्योगिक पदार्थों का उपयोग करें।

बूचड़खाने के अवशिष्टों का पशुओं के लिये खाद्यमिश्रण बनाने के लिये उपयोग

2187. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं के लिये खाद्यमिश्रण हेतु सभी जगह पशु प्रोटीन की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो बूचड़खानों के अवशिष्टों जोकि इस समय देश भर में व्यर्थ हो जाते हैं के उपयोग के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) देश भर में नगर पालिकाओं के लगभग 3000 बूचड़खानों में पशुओं का वध होता है। कुछ मुख्य बूचड़खानों को छोड़कर अन्य बूचड़खाने बहुत छोटे ह और देश भर में बिखरे हुए हैं। अतः बूचड़खानों के अवशिष्टों का उपयोग करना और उनके एकत्रीकरण तथा विपणन के लिये कोई व्यवस्था करना बड़ा कठिन है। परन्तु इनमें से कुछ अवशिष्टों को सामान्य व्यापारियों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने देश के 14 मुख्य बूचड़ खानों के आधुनिकीकरण के लिये एक योजना बनाई है। इस योजना में नये आधुनिक और स्वच्छ बूचड़ खाने स्थापित करने की व्यवस्था है ताकि समस्त अखाद्य मांसोचिछष्ट, रक्त, हड्डियां, खाल, चमड़ा और कड़े बाल आदि पशुओं के मांस का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके और चिकनाई, 'वूलग्रीस' रक्तचूर्ण, पशु-तेल आदि तैयार हो सकें।

भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 14 मुख्य नगरों के लिये लगभग 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। भारत सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय नगर निगमों के सहयोग से इन बूचड़खानों को चलाने के लिये विशेष निगमों की स्थापना की जा रही है। बंगलौर, गोआ, हैदराबाद और दुर्गापुर में 4 निगम स्थापित किये जा रहे हैं। एक आधुनिक बूचड़खाना पूरा हो चुका है जो बम्बई में देवनार में चल रहा है और इसमें पशु अवशिष्टों का पूरी तरह से उपयोग भी किया जा रहा है।

कृषि मंत्रालय द्वारा उठाये गये उपर्युक्त कदमों के अलावा रक्षा मंत्रालय ने भी आगरा जिले में एक त्वरित हिमीकरण शुष्कन संयंत्र स्थापित किया है जिसके पशु पिंजरों के अखाद्य पदार्थों से पशु-आहार के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मांस-व-अस्थि चूर्ण बनाया जाता है।

कृषि मंत्रालय का प्रस्ताव है कि पांचवीं योजना के दौरान अन्य अनेक छोटे-छोटे नगरों में बूचड़-खानों के आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम शुरू किया जाये। यह प्रस्ताव अभी पांचवीं योजना में शामिल किया जाना है।

कानपुर में आटे तथा मैदे की बिक्री में गबन

2188. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 23 अक्तूबर, 1972 के दैनिक 'जागरण' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कानपुर में आटे तथा मैदे, की बिक्री में 1½ लाख रुपये का गबन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और क्या उत्तरदायी लोगों को सजा दी गई है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से यह मामला उठाया गया है।

गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण के विरुद्ध प्रचार का मुकाबला

2189. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री शंकरराव सावंत :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी एजेन्सियों द्वारा गेहूं के थोक व्यापार को सफल बनाने की दिशा में और क्या प्रगति की गयी है ;

(ख) क्या सरकारी एजेन्सियां खाद्यान्न के सरकारीकरण के विरुद्ध प्रचार का पूर्णतः मुकाबला नहीं कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रतिक्रियावादी शक्तियों के इस प्रचार का मुकाबला करने हेतु खाद्यान्न के सरकारीकरण का समर्थन करने वाले राजनैतिक दलों को विभिन्न समितियों से सम्बद्ध किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 3 अगस्त, 1973 तक 43.44 लाख मी० टन गेहूं की अधिप्राप्ति की गई है। अधिप्राप्ति विषयक प्रयत्न जारी है। प्रोत्साहन बोनस की योजना की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त, 1973 कर दी गई है। राज्य सरकार उत्पादकों और अन्य लोगों से रुका स्टाक निकलवाने के लिए प्रयत्न कर रही है।

(ख) गेहूं का थोक व्यापार लेने के विरुद्ध प्रचार को विफल किया जा रहा है।

(ग) राज्य सरकारों को ये अनुदेश दिए गए हैं कि वे राज्य और अपेक्षाकृत निचले स्तरों पर गैर-सरकारी अधिकारियों की समितियां गठित करें ताकि गेहूं का थोक व्यापार लेने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए उन्हें इससे सम्बद्ध किया जा सके।

सरकारी कर्मचारियों के लिये ग्रांड होटल, शिमला में कमरे

2190. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध शिमला के ग्रांड होटल में 45 कमरे वाल्जोस को पट्टे पर दिये गये हैं जो कर्मचारियों द्वारा विश्राम-गृह के रूप में प्रयोग के लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पट्टे को खत्म करने और सभी कमरों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के उपयोग के लिये रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :
(क) तथा (ख) अप्रैल, 1965 में ग्राण्ड होटल शिमला के 51 एकक श्री सी० बालजी को पट्टे पर दिये गये थे, जो उस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा होटल के रूप में चलाया गया था, जहां सरकारी अधिकारियों तथा गैर-सरकारी लोगों को ठहरने की इजाजत दी जाती थी। ऐसे आवास का थोड़े लोगों द्वारा उपयोग किए जाने के कारण होने वाली हानि को कम करने के लिए किया गया था।

(ग) पट्टा 15-4-1968 से समाप्त हो गया है तथा आवास को खाली कराने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए इस वास का उपयोग करने के प्रश्न पर इसके खाली होने पर ही विचार किया जा सकता है।

भारत सरकार के कार्यालयों और विभिन्न विभागों के लिये पृथक 'पूल'

2191. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार के ऐसे कौन-कौन से कार्यालय और विभिन्न विभाग हैं जहां उन कार्यालयों के कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास के मामले में अलग 'पूल' विद्यमान हैं;

(ख) उन कार्यालयों/विभागों के कर्मचारियों के लिये विभिन्न टाइप के क्वार्टर बनाने हेतु सम्पदा निदेशालय/निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा उन कार्यालयों के साथ क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) दिल्ली और नई दिल्ली में किस-किस टाइप के कितने-कितने क्वार्टर निर्माणाधीन हैं और उनके कब तक पूरे होने की संभावना है; और

(घ) सभी टाइप के इन क्वार्टरों में से उन कार्यालयों/विभागों में से प्रत्येक को कितने क्वार्टर आवंटित किये जायेंगे जहां पृथक 'पूल' विद्यमान हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) रक्षा सेवा कर्मचारियों के लिये रक्षा मंत्रालय के अपने नियंत्रण में एक पृथक पूल है, परन्तु उस मंत्रालय

के सचिवालय में कार्य कर रहे कर्मचारी तथा ऐसे सिविल रक्षा कर्मचारी सामान्य पूल से वास के आवंटन के पात्र हैं जिनके कार्यालय पात्र जोनों में स्थित हैं। इसी प्रकार, रेलवे का अपना पूल है परन्तु रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के कर्मचारी सामान्य-पूल-वास के आवंटन के लिए पात्र हैं। डाक व तार विभाग के अपने नियंत्रण में भी एक विभागीय पूल है परन्तु डाक व तार महानिदेशालय कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारी सामान्य पूल वास के लिये पात्र हैं। दिल्ली में कुछ रिहायशी एकक सीमा शुल्क विभाग, केन्द्रीय आबकारी विभाग आदि के विभागीय पूल में भी उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) सामान्य पूल से कुछ रिहायशी मकान रक्षा पूल के लिये रक्षा मंत्रालय को दिये गये हैं। निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन सम्पदा निदेशालय का उन विभिन्न कार्यालयों के लिये रिहायशी मकानों के निर्माण या प्रबन्ध से कोई संबंध नहीं है जिनके अपने कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकानों के पृथक-पूल हैं। विभागीय पूलों में मकानों के निर्माण आदि के लिये प्रबन्ध करना तथा निधियां उपलब्ध करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालयों/विभागों की है, चाहे निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाए या अन्य किसी प्रकार से किया जाए। अतः सम्पदा निदेशालय के पास दिल्ली/नई दिल्ली में विभिन्न कार्यालयों/विभागों द्वारा बनाये गये विभिन्न पूलों में निर्माणाधीन (या निर्माण के लिये प्रस्तावित), या उपलब्ध होने वाले संभावित क्वार्टरों की संख्या तथा टाइप के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। उन विभागों के कर्मचारी सामान्य पूल से वास के आवंटन के पात्र नहीं हैं, जिनके अपने पृथक पूल हैं।

बिना किसी योजनाबद्ध ढंग के शहरों का विकास

2192. **श्री सरजू पांडे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शहरों का विकास बिना किसी योजनाबद्ध और अव्यवस्थित ढंग से होता रहा है जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक भीड़-भाड़ और नागरिक सुविधाओं की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र शहरों के इस बिना योजनाबद्ध और अव्यवस्थित ढंग को रोकने और नगरीय क्षेत्रों के विकास में व्यवस्थित ढंग से और योजनाबद्ध करने के लिये कोई कदम उठा रहा है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : **(क) तथा (ख)** यद्यपि यह सत्य है कि कई नगरों का विकास अनियोजित ढंग से हुआ है परन्तु केन्द्रीय सरकार केवल तकनीकी सलाह तथा मार्गदर्शन द्वारा ही सहायता कर सकती है, क्योंकि नगरों के विकास का कार्य मुख्यतः स्थानीय निकायों तथा राज्य सरकारों का है। तीसरी योजना की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई निधियों से 72 नगरों की बृहत्त योजनाएं बनाई गई हैं जबकि चौथी योजना की अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा 206 नगरीय केन्द्रों की विकास योजनाएं तैयार की जानी हैं। राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे उपयुक्त विधेयक बना कर, जिनके नमूने उन्हें भेज दिए गए हैं, तथा अपने प्लान के साधनों में से निधियों का नियतन कर के इन योजनाओं को कार्यान्वित करें।

चौथी योजना में बच्चों के लिए पोषाहार योजना पर व्यय

2193. **श्री सरजू पांडे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चौथी योजना के दौरान बच्चों की पोषाहार योजना पर कितना व्यय किया; और

(ख) चौथी योजना के दौरान सरकार गर्भवती स्त्रियों के लिए, राज्यवार कितने केन्द्र चलाती थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रशासित विशेष पोषाहार कार्यक्रम तथा बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम पर अब तक 3,544.42 लाख रुपये व्यय किए गए हैं; ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	बच्चों, गर्भवती माताओं और छोटे शिशुओं की माताओं के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम पर किया गया व्यय	बालवाड़ियों/दिवस देख-रेख केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार कार्यक्रम पर किया गया व्यय
	(रुपये लाखों में)	(रुपये लाखों में)
1970-71 (गैर-योजना) .	129.76	6.07
1971-72	870.73	77.37
1972-73 .	1,721.57	120.51
1973-74 (अब तक)	565.03	53.38

(ख) विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रों की कुल संख्या 29,339 है; राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य/संघ क्षेत्र	खाद्य केन्द्रों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2,933
असम	848
बिहार	2,130
गुजरात	2,247
हरियाणा	76
हिमाचल प्रदेश	140
जम्मू-काश्मीर	58
केरल	727
मध्य प्रदेश	5,926
महाराष्ट्र .	2,136
मणिपुर	96

राज्य/संघ क्षेत्र	खाद्य केन्द्रों की संख्या
मेघालय	228
मैसूर	842
नागालैण्ड	1,157
उड़ीसा	3,395
पंजाब	58
राजस्थान	1,992
तामिल नाडू	874
त्रिपुरा	325
उत्तर प्रदेश	784
पश्चिम बंगाल .	2,317
ए०एन० द्वीप .	21
अरुणाचल प्रदेश	—
चंडीगढ़	—
दादरा और नगर हवेली .	30
दिल्ली	329
गोवा, दमन और दिऊ	6
एल०एम०ए० द्वीप	4
पांडीचेरी	52
मिजोराम	—
योग	29,339

संसद भवन, नई दिल्ली के उपभवन का निर्माण

2194. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद भवन नई दिल्ली के नये उपभवन का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ; और

(ख) उक्त उपभवन कब तक पूरा हो जायेगा और काम में लाया जा सकेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) दिसम्बर, 1973 के अन्त तक भवन के पूरा होने की आशा है तथा यह उस के तुरन्त बाद दखल के लिये तैयार हो जायेगा।

देश में उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य और डाक्टरी सुविधाओं का अध्ययन तथा सर्वेक्षण

2195. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या स्वास्थ्य **और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नगरीय तथा ग्रामीण जनता के लिये उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सुविधायों का पूर्णरूपेण अध्ययन और सर्वेक्षण कराने का है ; और

(ख) यदि नहीं तो क्यों ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 1943 में भोर कमेटी इस आशय से नियुक्त की थी कि वह उस समय की प्रचलित स्वास्थय संबंधी स्थितियों और स्वास्थ्य संगठनों का सर्वेक्षण करे और उनके भावी विकास के लिये सिफारिश करे। इस समिति ने 1946 में प्रकाशित अपनी रिर्पोट में कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये थे जिन्होंने बाद की सभी स्वास्थ्य योजनाओं के लिये एक आधार और नींव प्रदान किया। भोर कमेटी ने देश की चिकित्सा संबंधी सेवा कार्यों के विकास के लिये अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्यक्रमों का सुझाव दिया था। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम इस समिति द्वारा सुझायें गये अल्पकालीन कार्यक्रमों पर आधारित थे।

1959 में फिर भारत सरकार ने पिछले स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करने तथा देश के लिए आगे और स्वास्थ्य योजनायें तैयार करने के लिये मुदालियर समिति नामक एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति गठित की। इस समिति ने कतिपय उद्देश्य निर्धारित किये, जिन्होंने चौथी योजना के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये एक आधार का काम किया। ये उद्देश्य इस प्रकार थे :—

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ कर ग्राम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक कारगर आधार तैयार करना, (ii) प्रभावकारी रेफरेल सर्विस की व्यवस्था करने के लिए सब-डिविजनल और जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करना और (iii) तकनीकी कर्मचारियों संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिकित्सा और पराचिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना।

आगे और कोई व्यापक सर्वेक्षण करने का फिलहाल विचार नहीं है।

सिलसो, बेडफोर्डशाइर, इंगलैंड में हुए कृषि सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लिया जाना

2196. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 4 जुलाई से 10 जुलाई, 1973 तक सिलसी बेडफोर्डशाइर, इंगलैंड में हुए सप्ताह भर के कृषि सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा उक्त सम्मेलन में उनका योगदान क्या था ; और

(ग) उक्त सम्मेलन में कौन से मुख्य संकल्प पारित किये गये और/या कौन सी सिफारिशें की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) जी हां। फोरेन एण्ड कामनवैल्थ आफिस आफ ओवरसीज़ डबलपमैण्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यू० के० ने 4 से 14 जुलाई, 1973 तक सिलसे बैडफोर्डशाइर, इंगलैंड में मंत्रालयों और कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों के विभागों के व्यवसायी सदस्यों की बैठक आयोजित की थी। मुख्यतः यह कृषि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, कारखानों, प्रयोगशालों और कृषि संस्थाओं का एक अध्ययन दौरा था।

(ख) तथा (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक, डा० अम्बिका सिंह और बिहार सरकार के कृषि सचिव श्री आर० सी० अरोरा को भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के रूप में नियुक्त किया गया था।

प्रतिनिधि मण्डल ने (1) ट्रोपिकल प्रोडक्टस इंस्टीट्यूट (टी० पी० आई०), लंदन (2) डिपार्टमैण्ट आफ वैटरीनरी क्लीनिकल स्टडीज, यूनीवर्सिटी आफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज (3) नैशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सिलसे और (4) ऐथैमिस्टड एक्सपैरीमैन्टल स्टेशन, हरपैन्डन, हर्टफोर्डशाइर नामक चार संस्थानों के कार्यकलापों का निरीक्षण किया। उन्होंने सब्जियों और फलों के भंडारण तथा परिवहन, गुण नियंत्रण तथा ताजे पानी की उष्ण कटिबंधीय मछलियों के परिसंस्करण, कीटनाशी औषधियों के विश्लेषण और जैविक परीक्षण, अनिवार्य तेल (नाइड आयल)--रूक्ष तथा अर्द्ध रूक्ष क्षेत्रों में होने वाली खेती जमा किए गए उत्पादों के कृमियों (जिनमें मूषक भी शामिल हैं) के नियंत्रण और खाद्य प्रक्रिया की बढ़ी हुई तकनीकी का अध्ययन किया ताकि इन तकनीकों को भारत में अपनाया जा सके। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सूअर, मुर्गी और बछड़ों पर होने वाले नियंत्रित पर्यावरण संबंधी कार्य का अध्ययन किया गया। सिलसे में प्रतिनिधि-मण्डल को उष्णकटिबंधीय देशों के लिए उपयुक्त कृषि मशीनरी दिखाई गई। ऐथैम्टिड ऐक्सपैरीमैण्टल स्टेशन में भोतिकी विज्ञान रसायन शास्त्र और मृदा विज्ञान विभागों के साथ लाभपद्र विचार-विमर्श किया गया।

प्रतिनिधि मण्डल ने राष्ट्रीय कृषि केन्द्र की कार्यपद्धति मैसर्ज मैसी फारगूसन (यू०के०) द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण संबंधी सुविधायों और क्षेत्रीय स्तर पर कृषि विभाग पथा परामर्शदात्री सेवा की कार्य-पद्धति को भी देखा।

आशा है कि कृषि तकनालोजी के उपयुक्त पहलुओं का अध्ययन भारत में अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिये लाभदायक सिद्ध होगा।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान

2197. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष में सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को कुल कितना अनुदान दिया गया ; और

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी उक्त विश्वविद्यायलों को अनुदान दिये जाते हैं, और यदि हां, तो उक्त तीन वर्ष की अवधि में उसकी राशि कितनी थी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण तथा विकास संबंधी अनुदान मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा

दिए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को आयोग द्वारा दिए गए कुल अनुदान इस प्रकार हैं :—

1970-71	रु० 9,86,27,342
1971-72	रु० 11,86,54,942
1972-73 .	रु० 14,19,00,607

गत तीन वर्षों में डूबे भारतीय जहाज

2198. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन, और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने भारतीय जहाज (व्यापारिक एवं आई० एन० ए०) डूबे गये ; और

(ख) इन दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों के परिवारों को कितनी क्षति पूर्ति दी गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 7 भारतीय वाणिज्यिक जहाज डूबे। भारतीय नौ सेना का कोई भी जहाज इस अवधि के दौरान नहीं खोया गया।

(ख) इन तीन जहाजों के संबंध में वितरण के लिये संबधित अधिकरणों को पहिले ही दी गई प्रतिपूर्ति अथवा उनके पास जमा की गई कुल राशि 2194942 रुपये है। अन्य दो जहाजों के संबंध में देय प्रतिपूर्ति की प्रमात्रा नौवहन कम्पनियों द्वारा निकाली जा रही है। दो अन्य जहाजों के संबंध में कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं है ; क्योंकि इन मामलों में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी।

बिहार में पालामऊ जिले की मुख्य सड़कों का राष्ट्रीय राजपथ के रूप में घोषित किया जाना

2199. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार में पालामऊ जिले की मुख्य सड़कों—मिर्जापुर जिले को जाने वाली सड़क से मिलने वाली डालटनगंज—बिधामगंज सड़क और मध्य प्रदेश राज्य को जाने वाली सड़क से मिलने वाली डालटनगंज रामानुजगंज सड़क—को राष्ट्रीय राज पथों के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : जी नहीं। बिहार सरकार ने भी कोई ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

बिहार की सड़कों का राष्ट्रीय राजपथों में बदला जाना

2200. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में जिलों की सड़कें (मुख्य सड़कें) कितनी हैं जिन्हें पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजपथों में बदला जाएगा ; और

(ख) चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजपथों में बदली जाने वाली सड़कें कितनी और कौन सी हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) बिहार सहित किसी भी राज्य में, पांचवीं योजना में नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में ली जाने वाली सड़कों के बारे में अभी

तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, क्योंकि पांचवीं योजना अभी तैयार की जा रही है। परन्तु बिहार सरकार ने पांचवी योजना काल में, निम्नलिखित राज्य राजमार्गों/जिला सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव किया है :—

क्र० सं०	प्रस्तावित मार्ग	लगभग लम्बाई (कि० मी० में)
1.	पटना-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवरसा सड़क	138
2.	मुकामेह्-फारक्का . .	251
3.	रांची-चायवासा-उड़ीसा सीमा	165
4.	रांची-गुमला-रायदीह से मध्य प्रदेश सीमा त..	128
5.	बेलहर-सुलतानगंज-महेषखुन्ट-पंसालवा-सोनवरसा-गंज-पिपरा-मोतीपुर-प्रतापगंज सड़क	190
	योग	872

इनमें से, क्रम संख्या 1 तथा 3 में उल्लिखित सड़कें मौजूदा राज्य मार्ग है, अंशतः राज्य-राजमार्ग हृ, अंशतः मुख्य जिला सड़कें तथा अंशतः अन्य जिला सड़कें हैं। इस सभी प्रस्तावों पर, इस उद्देश्य के लिये उपलब्ध धन, अखिल भारत आधार पर इन प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकता, तथा सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु निर्धारित कसौटी को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना के लिये प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय, अन्य राज्यों से प्राप्त इस प्रकार के प्रस्तावों के साथ, विचार किया जायेगा।

(ख) 1973-74 में, बिहार अथवा अन्य किसी भी राज्य में किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राज-मार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

लोक सभा के 10 स्थानों और विधान सभाओं के 27 स्थानों के लिए उप-चुनाव करने में असाधारण विलम्ब

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I call the attention of the Minister of Law, Justice and Company Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon.

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): इस समय, लोक सभा में 10 आकस्मिक रिक्तियां और विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में 29 आकस्मिक रिक्तियां हैं। एक विवरण, जिसमें उन निर्वाचन क्षेत्रों संबंधी ब्यौरे, जिनमें रिक्तियां हुई हैं, प्रत्येक रिक्ति होने का कारण और प्रत्येक

रिक्ति होने की तारीख दर्शाई गई है, सदन के पटल पर रख दिया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उक्त-निर्वाचन कराने हेतु की गई कार्यवाही निम्नआनुसार है :-

लोक सभा

लोक सभा की 10 आकस्मिक रिक्तियों में से, पांच 4 मास से भी कम समय की और एक छह मास से भी कम समय की हैं। इन छह रिक्तियों में से सबसे पहली रिक्ति फरवरी, 1973 में हुई और सब से बाद की 8-7-1973 को हुई। पंजाब में 12-संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जिसमें कि एक आकस्मिक रिक्ति है, निर्वाचन के संबंध में एक अपील उच्चतम न्यायालय में लम्बित है और न्यायालय द्वारा अपील निपटाए जाने तक इस रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन नहीं कराए जा सकते।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(2)(क)(ii) में यह अपेक्षित है कि लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए उप-निर्वाचक कराने हेतु निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण विहित रीति से, अर्हता की तरीख के प्रति निर्देश से किया जायेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों की, जिनमें आकस्मिक रिक्तियां हुई हैं, निर्वाचक-नामावलियों का पुनरीक्षण करने के लिए कार्यवाही पहले की जा चुकी है। इस प्रयोजन के लिए 4 से 6 मास की अवधि अपेक्षित है, जो कि इस बात पर निर्भर है कि पुनरीक्षण संक्षिप्त है या विस्तृत। यह आशा की जाती है कि उन सभी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की, जिनमें आकस्मिक रिक्तियां हुई हैं, निर्वाचक-नामावलियों का पुनरीक्षण करना नवम्बर, 1973 के अंत तक संभव हो जायेगा। आयोग का यह अनुभव रहा है कि निर्वाचन मानसून के मौसम में नहीं कराए जा सकते, जिस समय कि देश के अधिकांश भाग बाढ़ग्रस्त रहते हैं। आयोग का अनुमान है कि वह लम्बित उप-निर्वाचनों को, मानसून समाप्त होने के पश्चात् या तो 1973 के अंत तक या 1974 के आरम्भ में, कराने में समर्थ हो जाएगा।

शेष 4 रिक्तियों के बारे में आयोग ने 12-जांजगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश, 14-साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात और 20 रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में 1973 के प्रारंभ में उप-निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव रखा था, परन्तु इन निर्वाचन क्षेत्रों में अकाल के भंयकर रूप से और दूर-दूर तक पड़ने के कारण उप-निर्वाचन नहीं कराए जा सके क्योंकि निर्वाचक बहुत बड़ी संख्या में अन्य स्थानों पर, अर्थात् राहत कार्य केन्द्रों में काम की तलाश में चले गए। आयोग का विचार है कि बहुत बड़ी संख्या में निर्वाचकों की अनुपस्थितियों में पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने वाला, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए अकाल की स्थिति समाप्त होने और परिस्थितियों के सामान्य होने तक उन्हें स्थगित कर दिया जाना चाहिये। 5-बिजनौर (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसके 5 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का, अर्हता की तारीख के रूप में 1 जनवरी, 1973 के प्रति निर्देश से गहन पुनरीक्षण किया गया था। जैसे ही वातावरण और अन्य दशाएं अनुकूल हो जाएंगी, आयोग इस निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन कराने के लिए व्यवस्था करायेगा।

राज्य विधान सभाएं

विभिन्न राज्य, विधान सभाओं की 29 आकस्मिक रिक्तियों में से, यह कहा जा सकता है, कि 16 रिक्तियां 1973 में हुई और कुछ अभी हाल ही में हुई हैं। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में 6 रिक्तियां हैं, जिनमें साधारण निर्वाचन, 1974 के शुरु में होना नियत है और शेष थोड़ी अवधि के लिए

इन आकस्मिक रिक्तियों को भरने हेतु उप-निर्वाचन कराना उचित नहीं होगा। आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा में, जो राज्य में राष्ट्रपति का शासन होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन निलंबित है, 7 रिक्तियां हैं। ये आकस्मिक रिक्तियां उप-निर्वाचन करा कर उस समय भरी जाएंगी जब यह संकेत होगा कि राज्य में राष्ट्रपति का शासन समाप्त होने वाला है। राजस्थान में 145-असिंद विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से, जिसमें कि एक आकस्मिक रिक्ति है, निर्वाचन के संबंध में एक निर्वाचन याचिका लंबित है और निर्वाचन याचिका के निपटाए जाने के पश्चात् ही उप-निर्वाचन कराया जा सकता है। तमिल नाडु में 105-कोयम्बतूर पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में यह है कि निर्वाचन-क्षेत्र स्थित औद्योगिक संस्थानों में विद्युत की भारी कटौती के कारण, बड़ी संख्या में मजदूर बेकार हो गए और वे निर्वाचन क्षेत्र से बाहर स्थित अपने घरों को लौट गए एवं उप-निर्वाचन इसलिए स्थगित करना पड़ा कि यह उस समय कराया जा सके जब मजदूर अपने मामूली निवास स्थान पर लौट आएं। इसी बीच 18-कोयम्बतूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी आकस्मिक रिक्ति हो गई है जिसका एक भाग 105-कोयम्बतूर पश्चिम है आयोग को प्रशासकीय सुविधा खर्च में मितव्ययिता आदि की दृष्टि से संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र दोनों में साथ-साथ उप-निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

निर्वाचन-आयोग ने उन सभी सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में, जिनमें उप-निर्वाचन कराए जा सकते हैं, निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण करने की कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी है और आयोग, निर्वाचन पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने वाले, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए वातावरण, आर्थिक और अन्य दशाओं के अनुकूल होते ही उप-निर्वाचन कराने की व्यवस्था करेगा।

विवरण जिस में लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में आकस्मिक रित्तयों के बारे में ब्योरे दिए गए है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिक्त स्थानों की संख्या	निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और नाम	रिक्ति का कारण	तारीख जिसको रिक्ति हुई	टिप्पणियां, यदि कोई हों
1	2	3	4	5	6
		लोक सभा			
1—गुजरात	1	14—साबरकांठा	मृत्यु	22-9-72	
2—मध्य प्रदेश	1	12—जांजगिर	मृत्यु	12-8-72	
3—महाराष्ट्र	3	22—रामटेक	मृत्यु	19-8-72	
		6—बम्बई सेन्ट्रल	त्याग पत्र	4-2-73	
		42—कारद	मृत्यु	8-7-73	
4—तमिल नाडु	1	18—कोयम्बतूर	मृत्यु	31-5-73	
5—उत्तर प्रदेश	1	5—बिजनौर (अ०जा०)	मृत्यु	26-9-72	
6—पंजाब	1	12—संगरूर	मृत्यु	12-4-73	उच्चतम न्यायालय में अपील लम्बित।
7—बिहार	1	51—खूंटी (अ०ज०जा०)	शून्य	26-4-73	
8—पांडिचेरी	1	पांडिचरी	मृत्यु	31-5-73	

1	2	3	4	5	6
		विधान सभाएं			
1—आन्ध्र प्रदेश	7	75—जग्गययापेट	मृत्यु	28-8-72	
		241—लक्सेट्रिपैट	मृत्यु	3-9-72	
		140—चित्तूर	मृत्यु	13-10-72	
		84—बुयुयुरु (अ०जा०)	मृत्यु	25-12-72	
		135—कोलाहस्टि	मृत्यु	13-1-73	
		151—राजमपेट	त्याग पत्र	11-4-73	
		170—गूटी	शून्य	20-4-73	
2—आसाम	1	18—हाफलांग	मृत्यु	18-7-73	
3—बिहार	1	80—मधुबनी	मृत्यु	21-4-73	
4—गुजरात	1	3—मांडवी	मृत्यु	7-12-72	
5— मध्य प्रदेश	4	250—मह्	त्याग पत्र	22-3-72	
		96—जरहागांव	मृत्यु	10-6-72	
		133—कोटा	शून्य	22-12-72	
		78—लखनपुर	मृत्यु	18-4-73	
6—महाराष्ट्र	2	1—सावन्तवाडी	मृत्यु	11-10-72	
		210—संगोला	मृत्यु	28-3-73	
7—राजस्थान	2	64—भरतपुर	त्याग पत्र	6-11-72	
		145—असिद	त्याग पत्र	2-1-73	निर्वाचन याचिका लम्बित।
8—उत्तर प्रदेश	6	26—अमरोहा	मृत्यु	16-4-72	
		153—चर्दा (अ०जा०)	मृत्यु	10-5-72	
		369—गोकुल	मृत्यु	26-1-73	
		86—हरदोई	मृत्यु	18-3-73	
		355—फिरोज़ाबाद	मृत्यु	20-5-73	
		56—बहेड़ी	मृत्यु	13-7-73	
9—पश्चिम बंगाल	3	175—चिनपुरा	मृत्यु	27-3-73	
		150—बैलगछिया	मृत्यु	29-5-73	
		80—गायघाट	मृत्यु	2-6-73	
10—तमिल नाडु	1	105—कोयम्बतूर पश्चिम	मृत्यु	28-12-72	
11—मैसूर	1	195—रामेश्वर	मृत्यु	3-4-73	

Shri Madhu Limaye: Sir, the statement made by the Minister is incorrect and self contradictory. Firstly, the Minister has stated that the revision of voters list could takes in 4-6 months time. Secondly, he has taken bad weather as a plea and thirdly he has stated that the Government wanted to save money. Then he has said that financial crisis before the country also caused delay.

So far as question of economy is concerned, the elections for the Bihar Assembly were scheduled to be held in March but election for the Darbhanga Lok Sabha Constituency was held 1½ months earlier the opposition parties pleaded that in order to effect economy both elections should be held simultaneously. But the Government did not agree to it. Opposition Parties suggested that elections to the Indore Parliamentary Constituency and Mhow Assembly Constituency should be held simultaneously but election for the Indore seat was held whereas Mhow seat is still vacant. So this plea of the Government is incorrect.

So far as financial crisis is concerned, it has been stated that elections for Ramtek and Bombay (Central North) could not be held due to drought in Maharashtra. Opposition parties requested for the postponement of Bombay Municipal elections on account of drought in Maharashtra. But this request was not accepted. When Municipal elections could be held, there is no valid reason for not holding other elections. Bye-elections are held under Sections 149 and 150 of the People's Representation Act. But in the said Act there is no time limit fixed for holding the same. The Government takes advantage of this Lacuna and puts pressure on the election Commission to postpone elections.

When elections could be held in Indore, Krishna Giri, Amritsar, Rajkot, etc. in earlier time, there is no reason why in other Constituency the revision of electorate rolls should take 4 to 6 months for completion. The real reason for postponing these elections is that there had been a steep fall in the voting percentage of the Congress Party. It was 61 per cent in 1971 election but it came down to 28 per cent in Bombay elections.

[**Shri Sezhiyan in the Chair**
श्री सेझियान पीठासीन हुए]

So the reasons, such as bad weather, financial crisis, economy and revision of electoral rolls are all not based on logic.

I would request the Minister to correct these contradictions and mis-statements.

Holding of bye-elections in an obligatory duty of the Election Commission. Post poning the same for 17 months and holding the same in 45 at some places in anti-democracy. Either this lacuna in the Act should be removed or some guide lines should be given to the Election Commission regarding holding of election after a lapse of certain maximum period.

Shri Nitiraj Singh Chaudhary: In my statement I have taken due plea of Economy in respect of Coimbatore election only and the Government of Tamil Nadu, had informed us accordingly. Election to the Mhow Constituency could not be held alongwith the Indore Parliamentary elections. On the ground that at that time election petition was pending for that seat. For the purpose of fixing a time-limit for holding the bye-election I have written to the Members to move an amendment to Sections 159.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : जहां तक सरकार द्वारा उप-चुनाव कराने के लिए अवधि निर्धारित करने संबंधी संशोधन प्रस्तुत करने की बात है इस प्रश्न पर संयुक्त समिति ने विचार किया था। उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया और सुझाव दिये। इसका प्रतिवेदन चालू सत्र में सदन के समक्ष आने की संभावना है। समय-सीमा निर्धारित करना बहुत कठिन है क्योंकि बहुत सी बातों पर विचार करना होता है। यह भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि किस क्षेत्र में किस समय सूखा अथवा बाढ़ व बिजली आदि का कारण उपस्थित हो जाये। जब स्थिति सरकारी नियंत्रण से बहार हो, तो चुनाव आयुक्त को चुनाव के बारे में अपना निर्णय करना होता है कि कब चुनाब कराएं जाएं अथवा क्या कोई समय सीमा निर्धारित की जाए अथवा नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराए) : चुनावों में देरी के लिए चुनाव आयुक्त का व्यवहार निन्दनीय है। इस समय भारत की तीन प्रतिशत जनसंख्या प्रतिनिधित्व-हीन है। यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि क्या देश में चुनाब आयुक्त है अथवा क्या देश में इस प्रकार के चुनाव आयुक्त की कोई आवश्यकता है? चुनाव आयुक्त को लोकतंत्र को मजबूत करने के स्थान पर उसको कमजोर बनाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। यह चुनाव आयुक्त देश का चुनाव आयुक्त न प्रतीत होकर सत्ताधारी दल का आयुक्त प्रतीत होता है।

चुनाब कराने से बिलम्ब के बारे में हैरानी की बात यह है कि कई ऐसे स्थान भी हैं जहां पर बाढ़ सूखा व दुर्भिक्ष की स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में चुनाबों में बिलम्ब के कारण स्पष्ट नहीं हैं।

सब के विरोध के बाबजूद दरभंगा चुनाब क्षेत्र में महात्मा गांधी की मृत्यु की पुण्य तिथि, अर्थात 30 जनवरी के दिन चुनाव कराया, जबकि राज्य की विधान सभा के उप-चुनाव भी होने शेष थे। इस संबंध में दिया गया उत्तर भी संतोषजनक नहीं है।

लोक सभा के उन उप-चुनावों के प्रति विशेष उत्साह दिखाया गया जिनके बारे में श्री सी० सुब्रह्मण्यम व श्री एल० एन० मिश्र जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उत्सुक थे। इसी प्रकार जिन स्थानों से पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति निर्वाचित हुए थे उनके उप-चुनावों कराने के संबंध में अधिक तत्परता दिखाई गई।

कितनी हास्यास्पद बात है कि बम्बई नगर निगम के चुनावों के लिए तो अधिकारी उपलब्ध हों परन्तु बम्बई मध्य लोक सभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव के लिए अधिकारी उपलब्ध न हो सकें। उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट लगभग एक वर्ष से खाली है।

यह कहा गया है कि इन में से अधिकतर स्थानों पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाना है। परन्तु क्या उन सभी स्थानों पर जहां चुनाव कराए गए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य कर लिया गया था। सभी स्थानों पर चुनाव कराने अथवा न कराने के बारे में एक ही तर्क होना चाहिये। राज्य सभा के संबंध में तो स्थिति और भी पीड़ित करने वाली है।

सभापति महोदय : हम लोक सभा तथा विधान सभाओं के उप-चुनावों पर विचार कर रहे हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा प्रस्ताव इससे भिन्न था इसी कारण मैं यह बात कह रहा हूं। राज्य सभा में सामान्यता ठीक समय पर चुनाव कराए जाते हैं। परन्तु श्री बी० आर० मोहन की मृत्यु के कारण

जनवरी में खाली हुई सीट के लिए उप-चुनाब कराने में अतिविलम्ब हुआ है । इस सीट के बारे में अधिसूचना 12 अप्रैल की जारी की गई जिसमें नामांकन की तिथि 28 अप्रैल रखी गई और बताया गया कि चुनाव 11 मई को होगा। बाद में खाली होने वाली सीटों के उप-चुनाव करा दिये गये हैं। परंतु अभी तक यह उप-चुनाव नहीं कराया गया है । इसका क्या तर्क है ?

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Speaker in the Chair]

जहां तक बिधान सभाओं और विधान परिषदों का संबंध है उत्तर प्रदेश का स्थान सब से ऊपर है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीटें खाली पड़ी हैं। यह सीटें 1972 में भरी जानी थी परन्तु अभी तक खाली हैं। चुनाव आयोग से पूछने पर कोई जानकारी नहीं दी जाती । यह बहुत ही गंभीर बात है ।

राजकोट का चुनाव 2 वर्ष 28 दिन के पश्चात हुआ, नगीना का चुनाव 1 वर्ष 24 दिन के पश्चात हुआ । इसी प्रकार कई अन्य स्थानों के चुनाव 11½ महीनों के बाद कराये गये। दूसरी ओर राय बरेली संसदीय चुनाव क्षेत्र में पड़ने वाली सरेनी सीट का उप-चुनाव 2 मास में कराया गया। अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है, जिसके कारण चुनाव नहीं हो सकते । इसके लिये कौन उत्तरदायी है। क्या सदन को इस बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त होना चाहिये ?

चुनाव आयोग के कार्यकरण की जांच होनी चाहिये। चुनाव आयोग पर चुनाव कराने का उत्तर-दायित्व है पर उसकी तरफ से यह विलम्ब हुआ है। अतः क्या सरकार जांच कराने को सहमत है ?

श्री एच० आर० गोखले : बिलकुल नहीं । मैं चुनाव आयोग पर लगाये गये आरोपों का विरोध करता हूं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: यह सदन देश के प्रति उत्तरदायी है। चुनाव आयोग को लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाना चाहिए न कि इसे कमजोर करना चाहिए। यदि सरकार मेरा सुझाव नहीं मानती तो स्पष्ट है कि दाल में अवश्य ही कुछ काला है।

एक माननीय सदस्य : चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : स्वतंत्र का अर्थ उत्तरदायित्व हीनता नहीं है। हम मांग करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जाए। इन सब बातों के संबंध में संतोषजनक उत्तर दिया जाना चाहिये।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी: सरकार समझती है कि चुनाव शीघ्रता से होने चाहिऐ। कानूनी उपबन्ध यह भी है कि मतदाता सूची का वार्षिक रूप से पुनरीक्षण होना चाहिए। परन्तु जब पुनरीक्षण न हो अथवा जब पूरा पुनरीक्षण करना हो तो समय लग जाता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आधिकारी ने इस बारे में उत्तर प्रदेश के विरोधी दलों से सम्पर्क स्थापित किया। एक विरीधो दल के अनुरोध पर वह चुनाव स्थगित किया गया। जिस समय भी स्वायत संस्थाओं का गठन हो जायेगा उसके तत्काल ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 13 रिक्त स्थानों के लिये चुनाब करायें जायेंगे।

मध्य प्रदेश और बिहार के लोक सभा तथा विधान सभा के चुनावों की भी चर्चा की गयी है। इन दोनों राज्य के रिक्त स्थानों के लिए चुनाव मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण होने के बाद ही कराये जा सकेंगे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इसका कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश में स्परेनी के उप-चुनाव 2 महीनों के अंदर करवाये गये जबकि अन्य मामलों में एक वर्ष से भी अधिक समय लग सकता है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं उसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

प्रो० मधुदंडवत (राजापुर) : दिसम्बर, 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद विरोधी दलों ने प्रधान मंत्री को सुझाव दिया था कि देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आम चुनाव स्थगित किए जायें। ये उनके लिये राजनैतिक दृष्टि से लाभदायक थे इसलिये इन चुनाबों को तत्काल ही करवाया गया है। यदि उन्ह लाभदायक स्थिति न नजर आती तो इन चुनावों को स्थगित कर दिया जाता।

आंध्र प्रदेश विधान सभा को संविधान की धारा 356 के अधीन विलम्बित किया गया है और वहां राष्ट्रपति राज है। कहा जाता है कि राष्ट्रपति राज के उठते ही वहां उप-चुनाव कराये जायेंगे। आंध्र प्रदेश विधान सभा को निलम्बत किया गया है, भंग नहीं। लेकिन जनमत की परवाह न करते हुये ये चुनाव नहीं किये जा रहे हैं। सरकार वास्तविकता का सामना करने के लिये तैयार नहीं है।

हमने बम्बई के निगम चुनाब स्थागित करने का सुझाव दिया था लेकिन उन्हें 'इंदिरा वेव' का अभिमान था और उन्होंने चुनाब करवा दिये लेकिन चुनाव ने उनके अभिमान को चुर-चुर कर दिया है।

सत्तारुढ़ दल के विरुद्ध देशव्यापी पैदा हुये राजनैतिक वातावरण के कारण ही ये लोक सभा तथा विधान सभा के चुनाव स्थगित करते आ रहे हैं। इसके साथ-साथ वर्तमान विकट स्थिति में भी बम्बई निगम के चुनाव करवाये हैं। इनकी लोकप्रियता बम्बई निगम चुनाव तथा वांका चुनाव के बाद काफी घट गयी गई है।

महुआ और उज्जन के चुनावों का भी जिक्र हुआ था। श्री सेठी ने महुआ निर्वाचन क्षेत्रों से त्याग पत्र दे दिया है। वहां चुनाव न कराये जाने के क्या कारण हैं। क्या सत्तारुढ़ दल हर महत्वपूर्ण प्रश्न को अपने राजनैतिक हितों से जोड़ने की परम्परा को छोड देगी अथवा विपरीत स्थिति में चुनाव स्थगित करती रहेगी ? मतदाता सूचियों के नाम पर प्रजातंत्रीय पथ को अवरुद्ध न करें।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : आध्र प्रदेश के चुनाव निश्चय ही मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य पूरा न होने के कारण स्थगित किये गये हैं। यह काम अब चल रहा है। यदि वहां चुनाव कराये जाये तो जीते हुये प्रत्याक्षी विधान सभा सदस्य नहीं बन सकते क्योंकि उसे शपथ नहीं दी जा सकती..... **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : वह विधान सभा सदस्य तो बन सकता है लेकिन उसके बैठने के लिये सदन नहीं है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : निर्वाचन क्षेत्र का ठीक नाम महू है, महुआ नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : इस गलती का मुझे खेद है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : महू निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव, चुनाव याचिका के कारण नहीं हो सके।

तमिल नाडु सरकार से आये एक पत्र के अनुसार बिजली की कमी के कारण उप-चुनाव नहीं करवाये जा सके।

प्रो० मधु दंडवते । क्या आप कानून में इस प्रकार का संशोधन करने के लिये तैयार हैं जिसके अनुसार एक निश्चित सीमा निर्धारित की जा सके।

श्री एच० आर० गोखले : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : दरभंगा के संसदीय उपचुनाव विधान सभा के चुनावों के साथ क्यों नहीं करवाये जा सकते ?

श्री एच० आर० गोखले : जब आप यहां नहीं थे तो में इसका उत्तर दे चुका था।

अध्यक्ष महोदय ये इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : दरभंगा की मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया और वहां चुनाव करवाये गये। विधान सभा के चुनाव उचित समय से पहले नहीं करवाये जा सके..... **(व्यवधान)**।

रेलों में हड़ताल की वर्तमान स्थिति के बारे में

RE CURRENT STRIKE SITUATION IN RAILWAYS

श्री एस० एम० बनर्जी: (कानपुर) : आपने स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी। हमें उन नेताओं से कुछ तारें आयीं हैं **(व्यवधान)** :

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये मैं अनुमति नहीं देता। मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दूंगा।

श्री एस. एम० बनर्जी (कानपुर) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो कल आयेगा।

अध्यक्ष महोदय। कल हर बात सदन के सामने आयेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के नेताओं के गिरफतार होने की आशंका है और एच० वी० चौधरी जैसे लोग गिरफतार हो चुके है——**(व्यवधान)**

Mr. Speaker: It has been disposed of that day.

Shri S. M. Banerjee: Their leaders have sent these telegrams. They have fear that they will be arrested. One arrest has been made at Ratlam.

Mr. Speaker: You may speak tomorrow on this issue.

Shri S. M. Banerjee: Hear me for a minute only.

Mr. Speaker: I will admit your call attention motion.

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur): We want that time to discuss this issue should be given.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : रेल मंत्री महोदय को एक व्यक्तव्य देना चाहिये कि नेतागण बातचीत करने के लिये आयें और किसी को भी गिरफतार नहीं किया जायेगा। एक व्यक्ति को गिरफतार किया गया है उसे रिहा किया जाना चाहिये।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : आज सुबह मैं रेल मंत्री महोदय से उनके कहने पर मिला। आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन ने हमें तार भेजे हैं इसलिये मैंने उनसे एक वक्तव्य देने का अनुरोध किया था और उन्होंने कहा कि यदि अध्यक्ष महोदय सहमत हों तो वह वक्तव्य देने को तैयार हैं।

Mr. Speaker : Therefore, if you want, your Calling Attention may be taken up tomorrow. How can debate be held after statement ?

श्री समर मुखर्जी : इसमें समय का प्रश्न है। एक दिन का विलम्ब तो बहुत होता है।

Mr. Speaker: You see how the time in the morning is wasted. The other day the debate continued for three hours on the Gold Control Bill.

Shri S. M. Banerjee : The Calling Attention will come up tomorrow. If time for discussion is to be given, please give two hours.

हम तीन बजे से चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप तैयार हैं ?

रेल मंत्रालय में उप- ो (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : यदि मंत्री महोदय वक्तव्य देने के लिये सहमत्र हैं तो मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री समर मुखर्जी : मैंने उनसे वाद-विवाद के लिय भी पूछा था उन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि उनकी अनुमति मिल जायें।

अध्यक्ष महोदय : मैं हर बात की अनुमति देता हूं।

Shri S. M. Banerjee : Please give two hours for discussion today.

Mr. Speaker : Please ask the Hon. Minister if it is taken at about five O'clock. Then One or one and a half hour will be given. After that no Calling Attention will be allowed.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० संख्या 1440 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 7 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा मोटरगाड़ी नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) जी० ओ० एम० संख्या 1452 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 1972 में प्रकासित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश मोटरगाड़ी नियम 1964 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(2) उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित अधिसूचनाओं का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम, 1963 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मोटरगाड़ी करके संदाय की अवधि के बारे में अधिसूचना संख्या जी० ओ० आर० टी० संख्या 603 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखे गय।** देखिये संख्या एल० टी० 5210/73]

संविधान के अन्तर्गत उत्तर देश राज्य के लिये अध्यादेश

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 13 जून 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (क) के उपबंधों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (1973 का संख्या 3) जो उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा 12 जून, 1973 को प्रख्यापित किया गया था।

(2) उत्तर प्रदेश नगरीय आयोजन और विकास अध्यादेश, 1973 (1973 का संख्या 7) जो उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा 12 जून, 1973 को प्रख्यापित किया गया था।

(3) उत्तर प्रदेश जल पूर्ति और जल निकासी अध्यादेश, 1973 (1973 का संख्या 8) जो उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा 12 जून, 1973 को प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5312/73]

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और अवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं श्री शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षण की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 5313/73]**

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) उर्वरक (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 249 (ङ) में प्रकासित हुआ था।

(दो) उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 जुलाई 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 342 (ङ) में प्रकासित हुआ था।

(तीन) उर्वरक (लाने ले जाने पर नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 376 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखे गए।** देखिए संख्या एल० टी० 5314/73]

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अधीन अधिसूचना तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) पश्चिम बंगाल पर लागू वन्य प्राणी (पशु-धन घोषणा) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 225 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पश्चिम बंगाल पर लागू वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म प्रसाधन) नियम 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 226 (ङ) में प्रकासित हुए थे।

(तीन) मणिपुर पर लागू वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 270 (ङ) में प्रकाशित हुई थे।

(चार) मणिपुर पर लागू वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म प्रसाधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 271 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अरूणाचल प्रदेश पर लागू वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 273 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) अरुणाचल प्रदेश पर लागू वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म प्रसाधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 274 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केरल पर लागू वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 294 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केरल पर लागू वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म प्रसाधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 295 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) महाराष्ट्र पर लागू वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 297 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) महाराष्ट्र पर लागू वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म प्रसाधान) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 298 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) दिल्ली पर लागू वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 300 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) दिल्ली पर लागू वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म प्रसाधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 301 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह पर लागू वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 333 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) अन्दमान और निकबोर द्वीप समूह पर लागू वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म प्रसाधन) नियम. 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 334 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) मैसूर पर लागू वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा), नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 336 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) मैसूर पर लागू वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म प्रसाधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 337 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) गोआ, दमन और दीव पर लागू वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 350 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) गोआ, दमन और दीव पर लागू वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्म प्रसाधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 351 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5315/73]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) चीनी (1972-73 के उत्पादन वर्ष के लिए कीमत निर्धारण) तीसरा संशोधन 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 305 (ङ) में प्रकाशित हुआ।

(दो) चीनी (1972-73 के उत्पादन वर्ष के लिए कीमत निर्धारण) चौथा संशोधन आदेश 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 327 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5316/73]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखे तथा तत्संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी०पी० यादव) : मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1970-71 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5317/73]

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में कुछ कहें।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित रूप में दे दीजिए। उसके पश्चात् हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। उसके लिए मैं आपको अनुमति नहीं देता। डा० हेनरी आस्टिन।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

दूसरा प्रतिवेदन

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : मैं विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की सूचना देता हूं।

किराने की खुदरा और थोक दुकानों तथा सरकार की राशन की दुकानों में विशेषकर बम्बई में तथा साधारणतया महाराष्ट्र में बड़ी भ्रांति हो रही है कि सरकारी गोदाम घटिया किस्म का गेंहूं और चावल राशन की दुकानों को सप्लाई करते हैं जिसमें लगभग 30 प्रतिशत धूल और कंकड़ मिले रहते हैं और वे पूरी और समय पर सप्लाई नहीं करते हैं। थोक व्यापारी खुदरा दुकानों को खाने के तेलों की नियमित सप्लाई नहीं करते हैं।

मैं कृषि मंत्री तथा गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि खुदरा विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं को धूल और कंकड़ मिले राशन की सप्लाई न की जाय।

राज्य सरकार की ओर से इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि इतना न्यूनतम अच्छा राशन और बिना मिलावट का मोटा अनाज सप्लाई किया जायगा।

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उपभोक्ताओं वस्तुओं के लिए छह समितियां नियुक्त की। इन व्यक्तियों ने कई बार प्रतिज्ञाएं भंग की हैं और अब भी वे ऐसा करने जा रहे हैं। कोई कानूनी बन्धन होना चाहिये ताकि मूल्य न बढ़ पाए।

Shri Jagannathrao Joshi: I have given notice twice under Rule 377. About the continuous export of groundnut.....................

Mr. Speaker: I shall find another way of that. I have not allowed you.

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जैसा कि माननीय सदस्य मानेंगे कि खाद्यान्न तथा चीनी का वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उन्हें राज्य को बता दिया जायेगा और उसे उनको करने को कह दिया जायगा।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये तीन बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा तीन बज कर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at three minutes past Fifteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

सीमा-शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक

CUSTOMS, GOLD (CONTROL) AND CENTRAL EXCISES AND SALT (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : हम श्री के० आर० गणेश द्वारा 1 अगस्त, 1973 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करते हैं, अर्थात् :—

"कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 का और संशोधन करने वाले विधेयक को, संशोधित रूप में पास किया जाये।"

श्री रामअवतार शास्त्री अपना भाषण जारी करें।

Shri Madhu Limaye (Banka): Will you allow something to be said about starvation deaths in Orissa ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): We are at the Third Reading stage of the Gold (Control) Bill. The purpose of unearthing the smuggled and hidden gold has not been achieved and so long as the capitalistic machinery functions, it will not be achieved.

At that time we raised a point that millions of workers, earning their livelihood from the business of gold and silver, would be rendered jobless and the Government had given assurance that arrangements would be made for their rehabilitation but I have observed, while on my tour, that thousands of skilled workers in Bihar are facing grave economic crisis. The Hon. Minister should tell the House whether the Government is considering to rehabilitate them. The hon. Minister should make efforts to save these poor people otherwise we shall agitate and they will have to accede to our demands.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : इस विधेयक पर सामान्य चर्चा के दौरान मैंने श्री रामावतार शास्त्री द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर दिया था उस समय वह उपस्थित नहीं थे।

जहां तक स्वर्णकारों के पुनर्वास का संबंध है हमने समय-समय पर इस सभा में आंकड़े दिये हैं और मैंने पहले भी भाषणों के बीच में बोलते हुए कहा है कि उनकी समस्याओं की जांच की जायेगी और उनकी समस्याओं को हल करने का हर संभव प्रयास किया जायगा।

श्री मधु लिमये ने बहुत सी बातें उठाई। अधिकांश वक्ताओं ने स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम पर ही ध्यान केन्द्रित किया। श्री मधु लिमये ने सोने की तस्करी के प्रश्न के साथ अन्य बातों को सम्बद्ध करने का भी प्रयास किया। मैं उस पर वाद-विवाद इसलिये नहीं करना चाहता कि वह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और मैं सोने की तस्करी की विभीषिका के संबंध में सभा को अपने विश्वास में लेने के मार्ग में ये छोटे-छोटे संतापकों को नहीं आने दूंगा। जहां तक उनके द्वारा उठाये गये कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा कोष बनाने के प्रश्न का संबंध है, वह सच नहीं है। उसके अलावा उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन और विदेशी मुद्रा की स्थिति पर तस्करी के बुरे प्रभावों का उल्लेख किया।

जैसा कि सभा को ज्ञात है, यह एक लघु विधेयक है जिसका उद्देश्य दंड बढ़ाने तथा कुछ अन्य बातों के संबंध में विधि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना है।

विधि आयोम ने तस्करी की समस्या के आयोगों पर काफी विषद-विवेचना की है। माननीय सदस्य ने तस्करी के जिन ढंगों का उल्लेख किया है उन्हें स्वीकार करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। यह सही है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय द्वारा धन भेजना तस्करी के लिये धन देने का मुख्य साधन है। कौल समिति ने इस मामले की जांच की है और तस्करी के लिये इस साधन को मुख्य साधन बताया है। विधि आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक सभा के समक्ष है। उसमें इस कमी को दूर करने का उपबन्ध किया गया है। इस विधेयक के द्वारा बीजकों में गड़बड़ी पर भी ध्यान रखा जायगा। सोने के अत्यधिक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के कारण तस्कर अन्य वस्तुओं की तस्करी करने लगे हैं। कई प्रश्नों के उत्तर में हमने बताया है कि प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सरकार ने क्या-क्या विभिन्न कदम उठाये हैं। तस्करी-विरोधी कर्मचारियों के संबंध में अपर्याप्त उपकरणों का भी सरकार को पता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : एक योजना थी कि रक्षा मंत्रालय कोई बेड़ा बनायेगा।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य की जानकारी गलत है। नाग चौधरी समिति ने हाल ही में कुछ सिफारिशें की हैं और हमने कुछ कदम उठाये हैं।

माननीय सदस्य ने अब्दुल सत्तार के एक मामले का उल्लेख किया। तस्करों के संबंध में मैं सभा को विश्वास में लेना चाहूंगा। श्री सत्तार पाकिस्तानी राष्ट्रिक है और माहीम सोना कांड में अभियुक्त है। वह तीन वर्षों से फरार है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने 29-5-73 को उसे फल वाले की दुकान पर पकड़ा और उसे पुलिश अभिरक्षा मे रखने के लिये रिमांड किया है।

30 जुलाई, 1973 को जब उसे बम्बई पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा था तो वह पुलिस हिरासत से बच निकला। मुझे सूचना मिली है कि बम्बई पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं इस मामले के बारे में बम्बई के मुख्य मंत्री से बातचीत करूंगा क्योंकि यह एक अत्यंत गंभीर

मामला है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने इतनी मेहनत के बाद इस कुख्यात तस्कर को पकड़ा और यह खद का विषय है कि वह पुलिस की हिरासत से भागने में सफल हो गया।

माननीय सदस्य ने हाजी मस्तान के बारे में कई मामलों का उल्लेख किया है। उसके पास से जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य आधे करोड़ के लगभग है। हाजी मस्तान मिरजा को 28-9-69 को हिरासत में लिया गया था और 20 लाख रुपये की जमानत पर रिहा किया गया। उसने 3-9-70 को उच्चतम न्यायालय में अपील की पर वह खारिज हो गई। 1-7-70 को चीफ प्रैज़ीडेन्सी मजिस्ट्रेट की कचहरी में हाजी मस्तान मिरजा और उसके 10 साथियों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947, आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 और आई० पी० सी० के अधीन आरोप लगा कर शिकायत की गई। 4-8-71 को पहली पेशी हुई और 11-10-72 को इनमें से 8 व्यक्तियों को छोड़ देने का आदेश हुआ। यद्यपि हम उन पर मुकदमा चलाना चाहते हैं फिर भी उन्हें कानूनी प्रक्रिया के अनुसार छोड़ दिया गया है।

माननीय सदस्य ने विमल पुंजाजी शाह तथा उसके भाई के मामले का भी उल्लेख किया है। दोनों को कठोर कारावास का दंड दे दिया गया है और उनके विरुद्ध कई मामले विचाराधीन हैं।

नीमच कारखाने से अफीम की चोरी के बारे में उल्लेख किया गया है। चोरी कारखाने के मंदसौर स्थित गोदाम में हुई। पुलिस को 15-9-67 की सुबह को चोरी का पता लगा। कुल मिलाकर 644 किलो अफीम की चोरी हुई। पुलिस के इन्सपैक्टर जनरल ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में वायरलैस संदेश भेजे ताकि चोर बच कर भागने न पायें। नारकोटिक्स कमिश्नर ने मंदसौर से बाहर जाने वाली सभी सड़कों पर पहरा लगा दिया गोदाम नं 1 से चोरी हुई। तीन बोरियों के संबंध में चार व्यक्ति पकड़े गये जिनमें से तीन व्यक्तियों को जुर्माना सहित 4 साल के कठोर कारावास का दंड दिया गया। गोदाम नं० 2 की 15 बोरीयों की चोरी के लिए 28 व्यक्तियों में से 8 को जेल भेजा गया। चोरी हुई अफीम पकड़ी नहीं गई।

तस्करी को रोकने के लिए हमें अपने सीमा शुल्क प्राधिकरण को और शक्तिशाली बनाना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को पास करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The Motion was adopted

रेलों में हड़ताल की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा

Discussion re. current strike situation in Railways

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में सदन के सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है और सदस्य इस बारे में चर्चा के लिए उत्सुक हैं, पर मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने सुबह दो बातें कही थीं; एक तो वह इस पर कल के लिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ग्रहीत करने को तैयार हैं दूसरे सदस्यों के आग्रह करने पर उन्होंने यह भी कहा था कि वह हड़ताल की स्थिति

के बारे में आज शाम 5 बजे के करीब चर्चा के लिए तैयार हैं । मेरे विचार में वह रेल मंत्री से पूछना चाहते हैं कि वह इस चर्चा के लिए तैयार हैं या नहीं।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक पर चर्चा करते समय वह इस मामले का उल्लेख न करें।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : जब तक मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य नहीं देते तब तक इसका कुछ प्रभाव नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय से सुबह मिला था और वह सभा में वक्तव्य देने को तैयार हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय ने मान लिया है कि या तो इस बारे में ध्यानाकर्षण सूचना ग्रहीत की जाएगी या चर्चा की जाएगी किन्तु मंत्री महोदय की कल की घोषणा के कारण . . . . . (**व्यवधान**) मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण देने को कहें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप का क्या निर्णय है क्या इस विशेष मामले पर चर्चा की जाएगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में अभी थोड़ी देर में बता दिया जाएगा।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : श्री ललित नारायण मिश्र की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय रेलवे अधिनियम में कुछ त्रुटियों को सुधारना है । उदाहरण के लिए, धारा 47 के संशोधन को लीजिए । सन् 1945 तक जिन यात्रियों से पहले सीटें रिजर्व करा रखी होती थीं उन्हें टिकट वापिस करने पर बिना कुछ उसमें कटौती किए पैसे लौटा दिए जाते थे। इस से कई लोगों ने नाजायज़ फायदा उठाना शुरु कर दिया। कई व्यक्ति सीट रिजर्व करा के रख लेते थे और जरूरतमन्द यात्रियों को ज्यादा पैसे लेकर बेंच देते थे । अत: रेल मंत्रालय को सलाह दी गई है कि यात्रा प्रारम्भ करने से पहले टिकट वापिस करने के मामले में कटौती सांविधिक शक्तियों के उपयोग में उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अन्तर्गत नहीं की जा सकती और सांविधि से उपबन्ध किया जाना चाहिए। अब यह उपबन्ध किया जा रहा है।

रेल दुर्घटनाओं से हताहत हुए लोगों को मुआवजा देने के संबंध में विधेयक में एक महत्वपूर्ण उपबन्ध किया गया है। हताहत लोगों को अथवा मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारों को अधिक शीघ्र सहायता देने के लिए रेलवे ने मुआवज़े का तदर्थ और अंतिरम भुगतान करने के लिए शक्ति प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है। पर इसके साथ साथ मुआवजा आयुक्तों का संस्थान भी बना रहेगा।

रेलवे में अधिकतर आग रेलवे परिसरों पर यात्रियों की लापरवाही के कारण या उन स्थानों पर जहां मनाही है खुले रूप में आग जलाने पर लगती है। धारा 47 में इस अपराध के लिए 50 रुपये का अधिकतम दण्ड रखा गया है जिसे अब बढ़ा कर 150 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। गाड़ियों में जंजीर खींचा जाना भी एक समस्या हो गई है। इससे रेल सेवाओं में फर्क पड़ता है। बिना उपयुक्त कारण के जंजीर खींचने पर या तो 250 रुपये जुर्माना किया जाता है या तीन महीने की कैद की सज़ा दी जाती है। पर देखने में आया है कि ऐसे अपराधों के लिए न्यायालय मामूली सा जुर्माना करके छोड़ देते हैं।

धारा 118 में चलती गाड़ी में डिब्बे में प्रवेश करना या उससे उतरना डिब्बे की छत पर अथवा पायदान पर यात्रा करना, यात्री के लिए अपराध माना गया है। पहले अपराध के लिए निर्धारित दण्ड 20 रुपये तक का जुर्माना है और दूसरे के लिये 50 रुपये तक का जुर्माना है। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि पहले अपराध के लिए इस दण्ड को बढ़ा कर एक मास का कारावास या 50 रुपये जुर्माना या दोनों कर दिए जाएं और दूसरे के लिए तीन मास का कारावास या 150 रुपये जुर्माना या दोनों कर दिए जाएं। अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने के लिए अधिनियम में 20 रुपये तक का जुर्माना रखा गया है और यदि अनुरोध करने पर भी यात्री डिब्बा न छोड़े तो उसके लिए 50 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। दोनों के लिए जुर्माना बढ़ाने और साथ ही कारावास का दण्ड देने की व्यवस्था है। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि पहले में इस दण्ड को बढ़ाकर एक मास के कारावास का दण्ड दिया जाए या 50 रुपये तक जुर्माना किया जाए या दोनों दण्ड दिए जाएं और दूसरे में तीन मास का कारावास या 150 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दिए जाएं।

रेलवे में अनधिकृत रूप से फेरी लगाने के लिए कम से कम 50 रुपये जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है, क्योंकि इससे जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

विधेयक में एक महत्वपूर्ण संशोधन धारा 126 के संबंध में करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति के लाईन में गड़बड़ी करने या गाड़ी में तोड़ फोड़ करने अथवा उसका प्रयास करने का दण्ड निर्धारित है। अधिनियम में इस अपराध के लिए आजीवन कारावास या दस वर्ष की अवधि तक के लिए कठोर कारावास देने का दण्ड निर्धारित है। अब मृत्यु दण्ड देने का भी निर्णय किया गया है।

दुर्भाग्यवश रेलें आन्दोलनों का प्राय: शिकार बनती हैं और इससे बड़े पैमाने पर रेलवे को क्षति होती है। अब तक रेलवे सम्पत्ति को नष्ट करने को अपराध के रूप में मानने के लिए रेलवे अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है। अब एक नई धारा रख के इस त्रुटि को सुधारने का प्रस्ताव है।

मुझे आशा है सदन को इन प्रस्तावों को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक 1890 का और संशोधन करने वाला विधेयक निम्नलिखित 10 सदस्यों की एक प्रवर समिति को इस अनुदेश के साथ सौंपा जाये कि वह अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के तीसरे सप्ताह के अंतिम दिन तक दे दे ;

(1) श्री भागीरथ भंवर

(2) „ मूल चन्द डागा

(3) „ प्रसन्न भाई मेहता

(4) श्री एल० एन० मिश्र

(5) ,, धन शाह प्रधान

(6) ,, एम० एस० पुरती

(7) ,, राम कंवर

(8) ,, रण बहादुर सिंह

(9) ,, ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव, और

(10) डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय।

* **श्री कृष्ण चन्द हाल्दर** (औस ग्राम) : रेलवे मंत्री द्वारा मई में दिये गये स्पष्ट आश्वासन के बावजूद रेलवे लोको कर्मचारियों की उचित मांगें अभी तक स्वीकार नहीं की गई। समाजवाद और गरीबी हटाओ का पक्ष लेने वाली सरकार को ऐसे मामले को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। सरकार को हड़ताल से सम्बद्ध सभी कर्मचारियों को रिहा करना चाहिये और कर्मचारियों के साथ वार्ता करनी चाहिए।

प्रस्तुत विधेयक द्वारा जंजीर खींचने वाले और रेलवे की सम्पत्ति को नाश करने वाले लोगों को दण्डित करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त रेल दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले यात्रियों के लिए मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है। । मैं समझता हूं कि 83 वर्ष पूर्व बने अधिनियम का खंडशः संशोधन करने के स्थान पर एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए। समाजवाद की बात करने वाली सरकार को ब्रिटिश कालीन अधिकारीतंत्र की परम्पराओं को समाप्त करना चाहिए।

दक्षिण पूर्वी रेलवे के 18 बरखास्त किये गये कर्मचारियों को जोनल मेनेजर बहाल करने को तैयार थे परन्तु मंत्री स्तर से स्वीकृति न मिलने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाये। रेलवे अभिसमय समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

मणिपुर दुर्घटना के पश्चात् समाचार छपा था कि सरकार प्रत्येक मृत व्यक्ति के आश्रितों को 50,000 रुपए क्षतिपूर्ति देगी। क्या यह सच है? मेरा सुझाव है कि हर ऐसे मामले में जिसम अदायगी नहीं की गई, 50,000 रुपए दिया जाये।

मैं चाहता हूं कि रेल प्राधिकारी दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करायें और दुर्घटनाओं को कम करने के लिये समुचित कार्यवाहियां करें।

जहां तक जंजीर खींचने के मामलों में जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है मैं समझता हूं कि कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जंजीर खींचना आवश्यक हो जाता है नयी व्यवस्था को लागू करते समय ऐसे मामलों के लिये समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

छतों पर यात्रा के लिये दण्ड बढ़ाने का प्रस्ताव है । सरकार को यह भी देखना चाहिए कि गाड़ियों में यात्रियों के लिये स्थान कहां है। बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, बर्द्धवान, आसनसोल

---

* बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

सेक्शन को उप-नगरीय सेक्शन माना जाना चाहिए। इस क्षेत्र की जनसंख्या 1939 में 40,000 थी जोकि अब 1½ लाख हो गई है। वहां नगर टिकट घरों की भी कमी है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में फ्लैग स्टेशन खोले जाने की मांग है जिसे अधिकांश मामलों में अस्वीकार कर दिया गया है। ऐसे स्टेशनों के निर्माण से जनता को पर्याप्त सुविधाएं मिल जाती हैं और डिब्बों को इतनी सरलता से नहीं तोड़ा जा सकता।

गाड़ियों के द्वारों के बंद करने का सुझाव दिया गया है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की उप-नगरीय गाड़ियों में कोई द्वार ही नहीं है।

फेरीवाले लोग गरीब होते हैं और उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं होता। उनके मामले पर सहानुभूति बरती जानी चाहिए।

अन्त में मैं फिर सरकार से व्यापक विधेयक लाने का अनुरोध करता हूं।

Shri M. C. Daga (Pali): It is not enough to have more strict laws. It is equally important to see that they are implemented.

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए]

[Shri S. A. Kader in the Chair]

It is stated in the list of serious incidents on the Indian Railways during 1972 :

On 5th July, 1972 in Madras, Olavakkot and Mysore Divisions trains were stopped by placing boulders of the track.

How many persons were punished for alarm chain pulling during 1972 ?

Have the Government considered as to what would be the benefits of the proposed Railway (Amendment) Bill. No action has been taken against chain-pullers or against those who indulge in violent activities. The life and property of the people is not safe in the absence of which the Government have no right to impose fine.

The Railways have paid compensation on missing private coal wagons to the tune of Rs. 90.11 lakhs during 1970-71.

The Government does not take any action against ticketless travel. The defaulting employees are not punished but are merely charge-sheeted or issued warnings.

The reservation charts for Third Class passengers are mostly written in hand and are not, therefore, quite legible unscrupulous elements amongst the staff harass the passengers and indulge in malpractices.

Why M.Ps have to pay Re. 1/- as reservation charges whereas nothing is charged when it is got done over telephone ?

Once they have taken our money without any law, without any rule and now if we want to go to the court of law, they say; No. You cannot go to any court of law for recovery of that amount. This is strange. Moreover, why should it be retrospective ?

They have brought an Amendment that where an application under sub-section 2A of Section 82C has been made, relief may be afforded after enquiry. Why do they want to give interim compensation ? More particulars of the manner in which enquiry would be conducted should be given.

In section 108, a fine of not less than twenty five rupees has been proposed in the case of conviction for the first time, whereas in the case of second and subsiquent convictions, imprisonment for a term not less than one month has been proposed.

Under section 108, three months' imprisonment with fine upto Rs. 250/- has been provided.

For the second offence, he shall be sentenced to one month and no fine. He has caused economic loss to the railways. Nothing has been mentioned about recovery.

In sub-section (2) of section 178 entranced punishment upto three months imprisonmen t and/or with fine upto one hundred and fifty has been proposed.

The Railway is the largest public undertaking. It is running in loss. They do not want to realize money.

In clause 12, imprisonment for a term upto ten years has been provided. Why, do they not make recovery. I propose that in place of imprisonment for ten years provision may be made for life imprisonment or ten years imprisonment with fine of Rs. 5000/-. In no case punishment should be less than three years and fine not less three thousand rupees. The target and that was destroyed. This is national property. The recovery of the loss should be made.

Kindly give due consideration to it. I shall move this Amendment at the oper time and speak on it.

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): This is not an ordinary Bill as has been stated by the hon. Minister. Fine and imprisonment have been revised by serveral amendment which are sought to be made in the Bill. I have suggested that this Bill may be referred to Select Committee.

There have been 176 rail accidents and according to authorities most of them have occurred due to the negligence of the railway employees.

रेलों में हड़ताल की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा

Discussion Re. Current Strike Situation in Railways

सभापति महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि शाम 5 बजे रेलवे में वर्तमान हड़ताल की स्थिति पर चर्चा होगी।

भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक

Indian Railways (Amendment) Bill

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : In this Bill punishment has been provided for a passenger who will enter a compartment from the back door or who will board the running train even if he is having a ticket. Even life imprisonment has been provided in the Bill. No provision has been made for safety of passengers and also no provision has been made for providing facilities to the passengers.

It has also been provided in this Bill that cancellation charges will be had from the passenger who gets his reservation cancelled. Now a provision has also been made that no person can claim his amount through the court of law which might have been collected from him by the Railways wrongly. This provision has been given retrospective effect. In this way, the Government is depriving the people of their legistimate right of recovering the amount from the Railways.

So far as the question of giving compensation to the victims of the accidents are concerned, the Government gives one lakhs rupees to the victims of air accidents and only rupees five hundred to the victims of rail accidents. Now I have come to know that Government intends to charge five paise extra so that it may give higher compensation to the victims.

Punishment has also been provided for using the sources of communications without any specific reasons. But it has not been made clear as to what a man should do when in danger. Punishment has also been provided for the persons travelling on foot boards or on the roof of a compartment. I want to know whether any enquiry has been made as to why the people travel on foot boards or on roofs? In this connection, I may state that Government should introduce new trains wherever necessary. Unless this is done, such a punishment should not be provided.

About five hundred trains have been cancelled due to the strikes of the Loco-running staff. Millions of people have to suffer hardships due to the cancellation of trains.

Punishment provided for the saboteurs in the Bill is justified.

I want to suggest that Government should pay more attention to the grievances of the employees because they are the persons who run the railways. Some Station Masters who have participated in the strike have been served notices. This should not have been done. It will create more complications.

As I have already stated, this is not an ordinary Bill because provision for life imprisonment has been made in this Bill. Therefore, once again I suggest that this Bill may be referred to select Committee.

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : मैंने पहले ही दिन अपना नाम भेजा था।

सभापति महोदय : मुझे पता नहीं । मैं आपका नाम लिख लेता हूं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि रेल अधिनियम में तदर्थ संशोधनों की यह कार्यवाही उचित नहीं है क्योंकि रेल अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि इन संशोधनों के बावजूद रेल अधिनियम में बहुत त्रुटियां रह जायेंगी।

धारा 47 में संशोधन करने का विचार है परन्तु मैं नहीं जानता कि सामान्य शक्ति प्रशासन को न दिये जाने के क्या कारण हैं। समय पर आवश्यक नियम बनाने की यह सामान्य शक्ति रेल प्रशासन को दी जानी चाहिए थी।

जहां तक भूतलक्षी प्रभाव से शक्ति देने का प्रश्न है, मैं नहीं जानता कि यह वांछनीय है अथवा नहीं और यदि न्यायालय में इसको चुनौती दी गई तो इसका परिणाम क्या होगा।

इस मामले पर और गहराई से विचार करना होगा। राजधानी एक्सप्रैस तथा अत्यधिक तेज गति से चलने वाली गाड़ियां नहीं चलायी जानी चाहिए क्योंकि इनसे धीमी गति से चलने वाली मालगाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है। इनके बदले में आप अनेक यात्री गाड़ियां अथवा मेल गाड़ियां चला सकते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग यात्रा कर सकें तथा अधिक से अधिक माल ढोया जा सके।

रेल मंत्री ने आज वातानुकूलित डिब्बों में टिकट रद्द कराने के शुल्क की दर में परिवर्तन की घोषणा की है, मेरे विचार में यह लोग तो विमान द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। प्रश्न यह है क क्या सरकार इन लोगों को सुविधायें देना चाहती है अथवा उन लोगों को जो तीसरे दर्जे के डिब्बों में यात्रा करते हैं। अब समय आ गया है जबकि प्रायमिकताएं नियत की जानी चाहिएं।

मुख्य अधिनियम की धारा 82 एच में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। इसमें शासन को अन्तरीय राहत देने की शक्ति दी गई है। मेरे विचार में यदि यह शक्ति प्रशासन को न दी जाती तो अच्छा था, क्योंकि इस से कठिनाई उत्पन्न होगी। रेलवे क्लेम न्यायाधिकरण ने क्लेम कमीश्नरों को यह शक्ति पहले ही दे रखी है। इस संशोधित धारा में यह भी नहीं बताया गया है कि जांच का स्वरुप अथवा कार्यक्षेत्र क्या होगा। मेरा यह भी विचार है कि इसमें भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा।

इस विधेयक में रेलवे सम्पत्ति को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को अधिक दण्ड दये जाने की व्यवस्था की गई है। गाड़ियों में वस्तुएं बेचने वाले को दी जाने वाली सजा में भी वृद्धि कर दी गई है, परन्तु, गाड़ियों में सबसे बढ़ी समस्या वस्तुएं बेचने वालों की नहीं बल्कि भिक्षावृत्ति करन वाला की भिक्षावृत्ति को भी दण्डनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए।

धारा 108 के अन्तर्गत दिये जाने वाले दण्ड में भी वृद्धि कर दी गई है। परन्तु यदि कोई कर्मचारी नशा करके अपने काम पर आता है तो उसको केवल 50 रुपये का जुर्माना ही किया जायेगा। इसमें वृद्धि न किये जाने के क्या कारण हैं? टिकटों को जमा करने को भी दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है परन्तु जो रेल कर्मचारी ऐसे लोगों की सांठगांठ से टिकटों को काले बाजार में

में बेचते हैं उनके लिए दण्ड की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, सरकार ने वास्तव में उन धाराओं को छुआ नहीं है जो रेलवे प्रशासन में दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के बारे में हैं। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री अपने कर्मचारियों को संरक्षण देना चाहते हैं।

धारा 107 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति खतरनाक हथियार अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करता है तो उसको 500 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। परन्तु यदि उस विस्फोटक पदार्थ से समूची गाड़ी ही उड़ जाती है तो दस वर्ष का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है। क्या मंत्री महोदय के विचार में विस्फोटक पदार्थ ले जाने संबंधी दण्ड को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए ? ऐसा लगता है कि सरकार ने विभिन्न धाराओं के संशोधन पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया है।

धारा 102 में यह व्यवस्था है कि यदि कोई रेल कर्मचारी किसी व्यक्ति को ऐसे डिब्बे में जोकि चार्ट में दी गई क्षमता के अनुसार पूरी तरह भरा हुआ हो, दाखिल होने के लिए बाध्य करता है तो उसको 20 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। यदि इस धारा को उचित ढंग से लागू किया जाता है तो मेरे विचार में रेलें चलाना ही कठिन हो जायेगा।

इस विधेयक में मृत्युदण्ड तथा आजीवन कारावास देने का उपबन्ध है। अपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार केवल सैशन जज ही ऐसे मुकदमे सुन सकता है, आपने इस अधिकार का संक्षरण नहीं किया है कि इसके मुकदमे की उचित सुनवाई हो।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव में कुछ औचित्य है। माननीय रेल मंत्री को एक व्यापाक विधेयक लाने का प्रयास करना चाहिए।

Shri D. N. Tiwari (Gopal Ganj): The House has never hesitated in giving the powers whatever are demanded by Government for smooth running of the Railways. We want to know how these powers have been used. Now they want to enhance the punishment under various sections, but they should have given some statistics. May I know whether they are putting this on the Statute Book only to spread terror among the people and not to enforce the law ? They should have explained as to why this has became necessary to enhance the punishment under various sections. Ticketless travelling is rampant and we can see that the powers to fine the ticketless travellers have not been put to use. I want to know the amount recovered from ticketless travellers ?

Provision for awarding death sentence has been made in the Bill but who will try such cases. This has not been made clear in the Bill. It will be a 1st class or 2nd class magistrate. The hon. Minister should reduce his extra curicular activities and give more time to the railway work. He should study the Railway Act. Even today the trains are running late. No body knows how many man hours are lost due to the late running of trains. Even the basic amenities such as drinking water are not provided in the trains. Day before yesterday, I went to Ranchi in Kullu Mail. Electricity was not available n the 1st class compartment in which I was travelling.

Mr. Chairman: You can continue your speech next time.

रेलों में हड़ताल की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा

DISSCUSSION RE : CURRENT SRIKE SITUATION IN RAILWAYS

सभापति महोदय : अब नियम 193 के अंतर्गत चर्चा आरम्भ होगी । मैं जानना चाहता हूं कि सभा इस पर कितने समय तक चर्चा करना चाहती है ।।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : आज सुबह हमने कहा था कि माननीय मंत्री नये सिरे से वक्तव्य दें । उन्होंने कुछ अपील की है परन्तु आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के नेता चाहते हैं कि वह सभा में घोषणा करें ताकि वे उनके लिए बाध्य हों । हम अनुरोध करते हैं कि माननीय मंत्री एक और वक्तव्य दें ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री मुखर्जी ने जो कुछ कहा मैं उसका समर्थन करता हूं । हमने आज सुबह कहा था कि माननीय मंत्री को सदन में घोषणा करनी चाहिए । एसोसियेशन के एक अथवा दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ नेताओं के विरुद्ध वारंट जारी किये हुए हैं । माननीय मंत्री को यहां यह घोषणा करनी चाहिए यदि वे बातचीत के लिए दिल्ली आते हैं तो एसोसियेशन के नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : यदि माननीय रेल मंत्री वक्तव्य देते हैं तो क्या श्री बनर्जी इस बात से सहमत हैं कि फिर आगे चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हम उस वक्तव्य के पक्ष अथवा विपक्ष में बोलेंगे ।

सभापति महोदय : यदि माननीय मंत्री वक्तव्य देते हैं तो फिर चर्चा की कोई गुंजायश नहीं रहेगी ।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : मंत्री महोदय द्वारा 3 अगस्त को दिये गये वक्तव्य पर चर्चा होनी है । सदन मंत्री महोदय से पूछ सकता है कि क्या वह अपने उस दिन के वक्तव्य में कुछ जोड़ना चाहते हैं ताकि उनका वक्तव्य आज तक की स्थिति के बारे में पूर्णरूपेण हो ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट हो माननीय सदस्य को पहले संक्षेप में वक्तव्य देना चाहिए । उसके बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसीरहाट) : इस स्थिति में मंत्री महोदय द्वारा कोई भी वक्तव्य देना बेकार होगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : दूसरे पक्ष से मैं गंभीरतापूर्वक इसकी अपील करता हूं कि वे इस बात को महसूस करें कि हम सौहार्दपूर्वक इस समस्या का समाधान करने के इच्छुक हैं । अगर आप स्थिति को और बिगाड़ने के इच्छुक हैं, तो हम यह करने के लिए तैयार हैं. . . **(व्यवधान)**

श्री ए० के० एम० इसहाक : आप समस्या पैदा कर रहे हैं।

श्री एस एम बनर्जी : **

श्री ए० के० एम० इसहाक : **मत कहिए । आपको मान मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। आपको कम से कम शिष्टाचार आना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : **

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपूजा) : वह ** शब्द को पुनः दूहरा रहे हैं । (**व्यवधान**)

श्री एम० एस० बनर्जी : **

श्री स० एम० स्टीफन : ** कहने का क्या मतलब है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the chair]

श्री सी० एम० स्टीफन : माननीय सदस्य, श्री बनर्जी ने अपने भाषण के दौरान ** कहा और इसे दूबारा कहा । क्या यह उचित और संसदीय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ये काफी दूर्भाग्यपूर्ण हैं । हमें अपनी भाषा में विनम्र और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए । हमें ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए जिससे अन्य सदस्य उत्तेजित हों । इस प्रकार की भाषा से सदन के बाहर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता । अतः ये शब्द कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किये जांये ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अधीन यह चर्चा हो रही है । यह चर्चा नियम 342 के अधीन भी हो सकती थी । क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से मंत्री के वक्तव्य की बात कही गयी है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय कुछ न कुछ वक्तव्य देंगे ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं सदस्यों के भाषणों को सुनने के बाद उत्तर दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के संदर्भ में उत्तर देंगे ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna): Due to mass casual leave taken by the loco running staff, the movement of trains has been dislocated in the country with effect from 2nd August, 1973. Many trains have been cancelled and the situation has been deteriorating day by day. The loco running staff and we too want that the Railways should function peacefully, but it is very unfortunate that the Government and the Railway Board have not been able to ensure this.

On 3rd of August, the Railway Minister declared the mass casual leave as illegal strike and announced that the loco running staff had not informed about their demands to the Railway Ministry or the Railway Board. He had been misguided by the Railway Board.

The loco running staff had submitted memoranda to the Railway administration regarding their six demands on 22-10-72, 24-3-73, 8-4-73, 26-4-73, 6-7-73 and 27-7-73. They were assured that their difficulties would be looked into. On this assurance, the loco running staff postponed their agitation, but instead of acceding to their demands they were suspended, arrested and victimised. The Prime Minister had herself assured the loco running staff on 1-8-67 that the Government would look into their demands. No assurance has been fulfilled so far, and more than 150 persons have been arrested under D.I.R. and warrants have been issued against hundreds of them. Their first demand

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

**Expunged as orderd by the chair.

is that all the actions under D. I. R., M. I. S. A. and F. S. M. A. should be withdrawn and victimisation should stop forthwith. Their other demands relate to eight hour work, justified mileage allowance and equal pay for equal work.

The negotiations should start with the unions of all the Categories. The federation led by Mr. Sharma should be derecognised. The Railway employees have no faith in his federation.

The demands of the workers should be considered sympathetically and the negotiations should be initiated with them.

The Minister has said in his statement that he stood firmly by whatever assurances he had given to the Association's leaders at the time of the earlier strike in May, 1973 and that these assurances whould be implemented in letter and spirit. He has further assured that there would be no harassment whatsoever of the loco staff representatives who would come to participate in the discussions which can be held within five days after the strike is withdrawn. When the Government is ready to fulfil all the commitments, why did they not accept them so far ? I would request that there should be direct negotiations with the leaders of the loco running staff.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : श्रीमन् जी, मेरा एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न है । कार्य-सूची के अनुसार साढ़े पांच बजे स्टेनलेस स्टील चादर आयात स्कैण्डल पर चर्चा की जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है कि साढ़े पांच बजे चर्चा के लिए श्री बसु का विषय यहां निर्धारित है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन की क्या इच्छा है? क्या इस पर किसी अन्य दिन को चर्चा की जाय ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस पर कल चर्चा की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह अनुरोध ध्यान में रखा जायेगा ।

Shri Ramavtar Shastri: All the arrested leaders should be released and a settlement reached through negotiations. Mr. M. R. Sabapathy, the President of All India Loco Running Staff Association has urged in a telegram to obtain clear decision of Parliament on previous and present victimisations. He has also urged for reduction in working hours and pay protection as well as job guarantee to the medically de-categorised staff. He has asked for regular negotiating facilities in future.

I would request that All India Loco Running Staff Association should be recognised and if it is not possible to recognise the Association, they should be given the right to negotiate. The Unions of all categories should be recognised. There should be a clear announcement that the arrested people should be released and a way should be found out for negotiations.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न है । मैंने अभी अभी सचिवालय से बात की थी और मुझे यह बताया गया कि इस सप्ताह आधा घंटे की चर्चा को नहीं लिया जा सकता है । इस पर केवल सोमवार को ही चर्चा हो सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में ये प्रक्रिया संबंधी गंभीर भूलें हैं, जो यहां हो रही हैं। नियमानुसार इस पर निर्णय हो जाने के बाद इसे पुनः नहीं उठाया जा सकता। अध्यक्ष महोदय को इस पर निर्णय लेना है। श्री बसु के अनुरोध और सदन के निर्णय की जानकारी अध्यक्ष महोदय को दे दी जायेगी और वह इस बारे में निर्णय लेंगे।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : भारतीय रेल कर्मचारियों के दोनों मान्यताप्राप्त संघों—नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन और आल इंडिया रेलवेमैन्स फैडरेशन—को कुछ निहित स्वार्थी वाले व्यक्तियों द्वारा भारतीय रेलवे में उत्पन्न की गई परिस्थिति से अत्यधिक दुख है [**व्यवधान**] देश के 70 प्रतिशत रेल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस समय दो मान्यताप्राप्त संघ हैं। (**व्यवधान**)

आल इंडिया रेलवेमैन्स फैडरेशन में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधित्व वाली यूनियन भी शामिल है। अब उसी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि श्री रामावतार शास्त्री आल इंडिया रेलवे इम्प्लाईज एसोसियेशन को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। उत्तर रेलवे की जोनल यूनियन को भी मान्यता देने की उन्होंने मांग की। उन्होंने लोको रनिंग स्टाफ के लिए अर्थात् श्रेणीवार यूनियन को भी मान्यता देने की मांग की। पता नहीं ये उद्योगवार यूनियन चाहते हैं अथवा जोन-वार या श्रेणीवार? अगर श्री शास्त्री जी की मांग को माना जाय, तो 700 श्रेणियों के लिए 700 मजदूर संघ होने चाहिए। ये मजदूर संघ आन्दोलन में फूट डालना चाहते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका क्या व्यवस्था संबंधी प्रश्न है?

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : प्रस्ताव में यह कहा गया है कि रेलवे में वर्तमान हड़ताल की स्थिति के बारे में 3 अगस्त, 1973 को सदन में रेल मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में चर्चा की जाय। (**व्यावधान**) श्री शर्मा ने हड़ताल के बारे में अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है। वह असंगत बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन के अंदर संगति और असंगति की बात का निर्णय अध्यक्ष-पीठ को करना होता है। श्री शर्मा पहले उठाये गये तर्कों का उत्तर दे रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री ए०पी० शर्मा : मजदूर संघ संगठन होने के नाते दोनों फैडरेशन भारतीय रेलवे के सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए काम करते हैं। आज के संयुक्त वक्तव्य में हमने कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार को भी माना है।

पिछले कई महीनों से देश कठिन स्थिति से गुजर रहा है। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि कर्मचारी ऐसे समय भी हड़ताल कर सकते हैं, परन्तु इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। हड़ताल करने से पूर्व कर्मचारियों को मतदान करना होता है और हड़ताल को तभी न्यायोचित ठहराया जा सकता है, जबकि 75 प्रतिशत कर्मचारियों ने हड़ताल के पक्ष में मतदान किया हो। दक्षिण रेलवे में अचानक ही हड़ताल का आह्वान कर दिया गया।

श्री एस० एम० बनर्जी के नाम एक तार को पढ़कर वह रेल मंत्री से अनुरोध करते हैं कि दोनों फैडरेशनों की मान्यता को समाप्त कर दिया जाय। दोनों फैडरेशनों को मान्यता सरकार की कृपा से नहीं मिली हुई है। कर्मचारियों की संगठित शक्ति के कारण ही उन्हें मान्यता प्राप्त है। अगर श्री शास्त्री जी

कर्मचारियों के बहुमत को अपने साथ कर लेंगे, तो श्री शास्त्री के फैडरेशन को सरकार मान्यता प्रदान कर देगी । जब संधचल कर्मचारियों के माइलेज भत्ते संबंधी नियमों में संशोधन किया गया, तब उसके लिए श्री शास्त्री जी उत्तरदायी थे अथवा फैडरेशन ? पहले ड्राइवरों, फायरमैनों तथा अन्य परिचालक वर्ग को 12 घंटे काम करना पड़ता था, नए निर्णय के अंतर्गत उन्हें अब 10 घंटे कार्य करना पड़ेगा परन्तु उनका वास्तविक कार्य-समय 8 घंटे रहेगा इसके अतिरिक्त समय काम करने पर उन्हें समयोपरि भत्ता मिलेगा । हम हड़ताल के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु यदा कदा हड़ताल करने से कोई लाभ नहीं मिलता है । फिर इससे राष्ट्र के हितों को हानि पहुंचती है । रेलवे बोर्ड और राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संघ तथा अन्य संघों के बीच मांगों के संबंध में बातचीत चल रही है । मेरी रेलवे कर्मचारियों से अपील है कि वे हड़ताल न करें ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही न की जाये । राष्ट्रीय आपात स्थिति में उनका योगदान स्मरणीय रहेगा, परन्तु उन्हें हड़ताल का मार्ग छोड़ देना चाहिए ।

हमने कर्मचारियों को कह दिया है कि हम उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही का विरोध करेंगे, कठिनाई यह है कि कुछ लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं और फिर इस स्थिति के लिए सरकार पर दोषारोपण करते हैं, मेरे मित्रों की कार्मिक संघ की एकता के प्रति धारणा यह है कि जब तक एकता उनका हित साधन नहीं करती है तब तक वे एकता को नहीं मानते हैं । जहां तक हमारे संघ की बात है, हम देश के हित में उनके साथ बातचीत का समर्थन करते हैं ;

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का प्रवक्ता तो नहीं हूं परन्तु उनका मामला उठाने का मुझे अधिकार है, मैंने इस संबंध में मंत्री महोदय से बातचीत की थी । उनका कहना था कि लोको कर्मचारियों को दिए गए आश्वासनों को वह पूरा करने को तैयार हैं । परन्तु इन कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ मामलों को वापिस लेने के अलावा और कुछ नहीं किया गया है, अपितु लोको कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है । उन्होंने इस संबंध में कई अभ्यावेदन दिए हैं, दुर्भाग्य से इन पर कोई कार्यवाही न होने से लोको कर्मचारियों के पास सीधी कार्यवाही करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया है । उनका यह अनुभव रहा है कि हड़ताल करने पर कोई न कोई मंत्री हस्तक्षेप करके आश्वासन दे तो देते हैं परन्तु हड़ताल की समाप्ति के बाद इसे भूल जाते हैं । इस कटु अनुभव के कारण ही लोको कर्मचारियों को सीधी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ा है ।

यह कहा गया है कि लोको कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का पूर्व नोटिस न दिये जाने के कारण उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी । इस संबंध में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए मैं आपके सामने वस्तु स्थिति को रखूंगा । लोको कर्मचारियों ने हड़ताल का निर्णय अचानक ही नहीं लिया रेलवे में कर्मचारियों की पदोन्नति किए बिना उनसे अपेक्षाकृत ऊँचे पद वाला कार्य कराया जाता है । इसके लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त भत्ता मिलता है परन्तु उनकी पदोन्नति नहीं की जाती है । फलस्वरूप मई के महीनों में लोको कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें पदोन्नत किया जाये । जब उन्होंने पदोन्नत किये बिना उच्च पदों पर कार्य करने से इन्कार कर दिया तो उन्हें 'अनुपस्थित' करार दे दिया गया । बाद में यह कहा गया कि सभी लोको कर्मचारी हड़ताल पर चले गये हैं । वस्तुतः यह हड़ताल नहीं थी ।

अन्ततः कई डिवीजनों में रेलगाड़ियां चलनी बन्द हो गई और पूर्ण गतिरोध पैदा हो गया ।

[श्री नरेन्द्र कुमार सालवे पीठासीन हु
Shri N. K. P. Salve in the Chair]

रेलवे बोर्ड और मंत्री महोदय का रुख यह है कि मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों से ही बातचीत की जायगी इससे कई अन्य मान्यताप्राप्त कार्मिक संघ उनके प्रवक्ता बनने का दावा करने लगे। लोको कर्मचारियों को इस पर एतराज था। रेलवे मंत्री और रेलवे बोर्ड ने इसका लाभ उठाया। शीघ्र ही नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवे मैन और आल इंडिया रेलवे मैन्स फैडरेशन ने एक वक्तव्य जारी करके सभी लोको कर्मचारियों की निंदा की। फलस्वरूप लोको कर्मचारियों ने इन फैडरेशनों का विरोध किया। उनकी इन यूनियनों के विरुद्ध इसलिए भी शिकायत थी कि उन्होंने कार्य-घंटों के बारे में रेलवे अधिकारियों के साथ समझौता किया था। लोको कर्मचारी लगातार 8 घंटे से अधिक कार्य घंटे नहीं रखना चाहते थे।

श्री ए० पी० शर्मा : यह मामला न्यायाधीकरण के पास ले जाया गया था जिसने यह निर्णय दिया था कि लोको कर्मचारियों के वास्तविक कार्य घंटे 8 होंगे परन्तु उन्हें लगातार 10 घंटे कार्य करना पड़ेगा और रोज दो घंटे का उन्हें समयोपरि भत्ता मिलेगा।

श्री समर मुखर्जी : तत्कालीन मंत्री श्री परिमल घोष द्वारा वर्ष 1968 में श्री आन्नदन नाम्बियार को लिखे गए पत्र में कहा गया था कि दो फैडरेशनों के साथ हुए समझौते के अनुसार लोको कर्मचारियों को लगातार 14 घंटे कार्य करना पड़ेगा। आश्चर्य की बात यह है कि पहले यह कार्यावधि 12 घंटे थी परन्तु फैडरेशनों के साथ बातचीत करके इसे 14 घंटे कर दिया गया। इस स्थिति में लोको कर्मचारी इन दो फंडरेशनों से क्या आशा रख सकते हैं।

लोको कर्मचारी एसोसिएशन ने सरकार को पर्याप्त नोटिस दिया है। मंत्री महोदय ने मुझे बताया है कि उन्हें लोको कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष से 24 जुलाई को पत्र मिला था। यदि यह सही है तो कर्मचारियों ने सीधी कार्यवाही करने से पूर्व उन्हें नोटिस दिया था। समाचार पत्रों में यह समाचार गलत दिया गया है कि लोको कर्मचारी अपनी यूनियन को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोको कर्मचारियों से वार्ता करने से पूर्व अनुकूल वातावरण बनाया जाये। भारत रक्षा नियमों आदि का इस्तेमाल करने से कोई लाभ नहीं होगा।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आल इंडिया रेलवेमैन फैडरेशन के अध्यक्ष लोको कर्मचारियों की मांगों का अब समर्थन करने लगे हैं। इस फैडरेशन ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि वे लोको कर्मचारियों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं हालांकि इसमें कुछ गलत टिप्पणियां भी की गई हैं। लोको कर्मचारियों के स्थानान्तरण, उन्हें परेशान करने आदि जैसी कार्यवाहियां समाप्त कर दी जानी चाहिएं। उनके विरुद्ध भारत रक्षा नियमों का प्रयोग न किया जाये। वर्ष 1972 में दक्षिण रेलवे में रेलवे कर्मचारियों ने तत्कालीन रेलवे मंत्री के आश्वासन पर अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी परन्तु बाद के समाचारों से पता चलता है कि उनके विरुद्ध कार्यवाहियां की गई थी। वहां अभी 3,000 मामले विचाराधीन हैं। इसलिए आपको इस संबंध में धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। आप को यह आश्वासन देना होगा कि उन पर किए जाने वाले ये अत्याचार शीघ्र रोक दिए जाएंगे। आप लोको कर्मचारियों के नेताओं से उनकी मांगों के बारे में बातचीत करें उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय जो वक्तव्य देंगे उसे देखकर लोको कर्मचारी बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगें

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री : (श्री के० रघुरामैया) : मैं कल की कार्यवाही के संबंध में एक छोटा सा वक्तव्य देना चाहता हूं ; जैसा कि सदन को ज्ञात है उत्तर प्रदेश के संबंध में उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन में 13 अगस्त से पहले स्वीकृत करना चाहिए । अतः भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक के पारित होने के शीघ्र बाद कल की कार्यसूची में इसको प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है ।

रेलों में हड़ताल की स्थिति के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE CURRENT STRIKE SITUATION IN RAILWAYS

सभापति महोदय : वर्तमान चर्चा के बारे में मुझे सदन की राय लेनी है। शाम के 6.25 ो गए हैं और अभी 10 सदस्यों ने चर्चा में भाग लेना है मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए 7.30 बजे कहा जाए ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : चर्चा में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ का भी उल्लेख किया गया है मेरा निवेदन है कि हममें से न केवल उनको जिनकी संघ के प्रति निष्ठा है अपितु उनको भी जो कि इस विशेष संघ की आर्थिक मांगों के प्रति सहानुभति रखते हैं, अपने विचार प्रकट करने के अवसर दिए जाएं ।

श्री सी० एन० स्टीफन (मुग्रवत्तुपुजा) : लोको कर्मचारियों की हड़ताल के कारण समग्र जनता को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थियों में मुझे क्षोभ अथवा क्रोध की अपेक्षा दुखः होता है । हड़ताल का मूल कारण जो कुछ भी हो पर वास्तविकता यह है कि रेलवे यातायात की अस्तव्यस्तता के कारण खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं, जिनकी इस समय अत्याधिक आवश्यकता है के परिवहन में बड़ी बाधा खड़ी हो गई है। हमें मामले को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए ताकि लोगों के पास उनकी आवश्यकता की वस्तुएं खाद्यान्न कोयला इत्यादि समयानुसार पहुंच सकें ।

यह हमारा अधिकार है कि राष्ट्र हमारी सुरक्षा करे । उस दृष्टि से यह देखते हुए मुझे वाकई दुखः होता है कि रेलवे में काम करने वाले 17 लाख कर्मचारियों में से 70,000 कर्मचारी कुछ शिकायतों के कारण हड़ताल पर चले गए । रेलवे के एक विशेष विभाग में एक तरह से काम ठप्प हो गया । प्रश्न यह है कि क्या कोई श्रम संघी उनकी कार्यवाही का समर्थन कर सकता है। मुझे उनकी शिकायतों के प्रति सहानुभति है पर यह शिकायतें कैसे दूर की जाएंगी । आज देश संकट का सामना कर रहा है तो क्या क्या ऐसी स्थिति में उन्हें हड़ताल पर जाना चाहिये। ऐसे अवसर पर मैं उनकी सफलता की कामना नहीं कर सकता । लोको कर्मचारियों को रेलवे संघों के माध्यम से अभ्यावदन भेजने चाहिएं थे।

मूल प्रश्न यह है कि क्या श्रेणिवार मजदूर संघों को मान्यता दी जानी चाहिए रेलवे में लगभग 600 श्रेणियां है पर हर श्रेणी के कर्मचारियों के मजदूर संघ को मान्यता नहीं दी जा सकती। पर सही स्थिति यह है कि कर्मचारियों की कुछ शिकायतें हैं और उन्हें दूर करना है पर प्रश्न यह है कि उन्हें कैसे दूर किया जाए। रेल मंत्रालय को इस संबन्ध में सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है कि पहले हड़ताल को वापिस ले लिया जाए फिर उनकी मांगों पर विचार किया जायेगा। हड़ताल का उद्देश्य सफल हो गया है अर्थात देश भर का ध्यान उनकी मांगों की ओर आकर्षित हुआ है अतः बातचीत के द्वारा समस्या हल की जानी चाहिए।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): On account of strike by the loco staff a grave situation has arisen, 500 trains have come to a standstill. As a result public is suffering and the movement of foodgrains has been jeopardised.

How is the Government dealing with the demands which have caused the strike ? I am in the house since 1967 and many a Minister has come and gone but it is unfortunate who so ever came had been assuring a sympathetic considerations of the demands but nothing fruitful has come out so far. Despite every one's sympathy, towards their demand, their demands are not being met.

There are inter-union rivalries not only in the Railway but also in other industries. It has been proposed that there should be secret ballot system for the recognition of the unions. In dealing with the demands we should not to make a prestige issue of whether the union is recognised or not what we are to see is whether their demands are justified or not. Why are their just demands not being met ? The workmen are eager to end the call off the strike, but they want to know why the assurances given to them here and again to redress their grievances have not been fulfilled by the Government. It is not in the interest of the Railways if a particular section of Railway employees remain so much discontended as to resort to strike. They will certainly call off their strike if an assurance is now given to them that there will be no victimisation of striking employees, that cases against them will be withdrawn and the earlier assurances to redress their grievances will be implemented. The hon'ble Minister should give an assurance with regard to the demands of the employees so that the strike may not prolong. He should also give an assurance that previous assurances would be fulfilled.

The hon'ble Minister has said that any body could meet him. But question is that when warrants have been issued against them, how could these people come to him for talks ? In view of this, he should give an assurance that there will be no victimisation. The warrants should be withdrawn and arrested persons should be released so that strike could be called off.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): No doubt, to resort to strike in the right of the labourers, but there are certain prerequisites before resorting to strike. I would like to know from the hon'ble Minister whether all the formalities have been gone through ? It would be wrong to suggest that one can go on strike after delivering a memorandum. I support the labour movement. In order to break the unity of All India Trade Union movement, one of the Ministers have recognised one category. In this connection, I would like to point out that their will be a lot of confusion if unions of 745 categories will be recognised. The strong unions would set their demands fulfilled and the weaker ones would suffer. I oppose the demand of formation of Zonal Unions because this is against labour movement. Communist Party have used its influence on this wild cat strike. All the political parties are trying to influence groups of employees and make

unions. I would plead for one federation of the railway employees. Gajendragadkar Committee is also of the view that there should be one union for one industry. It is quite necessary if they want to strike a good bargain with the Government. There should not be any Zonal Union or Categorywise Union. This strike has adversely affected the movement of foodgrains to the drought affected areas. It was not proper for the locomen to go on strike at this critical hour. The issues raised will ruin the Trade Union movement. I would, therefore, plead that there should be only one Federation of Railway employees.

***श्री एम० एस० शिवस्वामी** (तिरुचेंन्डूर) : शासक दल ने इस हड़ताल को ग़ैर-कानूनी बताया है और इसको वापस लेने की मांग की है। वस्तुतः लोको कर्मचारियों में असंतोष की भावना वर्ष 1967 में ही पैदा हो गई थी जब दक्षिण रेलवे के लोको कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। उस समय तत्कालीन रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सामान्य स्थिति हो जाने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस आश्वासन को दिये हुये 6 वर्ष हो गये हैं। 12-7-1968 को प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि लोको संगचल कर्मचारियों की शिकायतों की तुरन्त जांच की जायेगी और उपचारात्मक उपाय किये जायेंगे।

इसके बाद भी रेल मंत्रियों ने कई बार इस आशय के आश्वासन दिये थे। श्री एल० एन० मिश्र ने 27-3-1973 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4896 के उत्तर में आश्वासन दिया था कि लोको संगचल कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करने के लिये हर संभव पर्यत्न किया जायेगा। वर्ष 1967 से इस प्रकार के आश्वासन दिये जाते रहे हैं जो कभी पूरे नहीं किये गये। एक ओर देश में संकट की स्थिति है और दूसरी ओर इस हड़ताल को कानूनी या ग़ैर-कानूनी ठहराने पर बहस की जा रही है। यह बहुत ही निन्दनीय बात है। भारत रक्षा नियम, आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धि अधिनियम तथा अन्य ऐसे उपबन्धों का चोरबाज़ारी करने वालों और जमाखोरों के खिलाफ़ प्रयोग न करके लोक कर्मचारियों के खिलाफ़ किया जा रहा है। हम इस कार्यवाही की ज़ोरदार शब्दों में निन्दा करते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह लोको कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने की ओर पूरा ध्यान दें। उनकी मांगें कोई ऐसी असाधारण मांगें नहीं हैं जो पूरी न की जा सके। रेल मंत्रालय को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये और उनकी शिकायतों को तुरन्त दूर करना चाहिये।

Shri N. N. Pandey (Gorakhpur): While expressing views over this matter, one has to keep in view the critical situation being faced by the country at this moment. Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh and Bihar are facing acute shortage of foodgrains. Movement of foodgrains has been hampered due to this strike. I am also a trade unionist but there are certain prerequisites for resorting to strike. This was not the proper time to resort to strike. The demand of the loco running employees that they will work for 8 hours only cannot be met because if they struck their work after 8 hours, the passengers would be stranded. Some people want to take advantage of the present critical situation.

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

It is the duty of the people to co-operate with the Government. Government is prepared to negotiate for the settlement of the problem. Our Railway Minister is broad-minded. The staff has selected most inopportune time for resorting to strike. They should send their representatives and discuss their demands with the Railway Minister. In the mean-time, they should call off the strike unconditionally. I would also request the Hon'ble Minister to consider their demands sympathetically.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : रेल कर्मचारियों की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में बातचीत चल रही है। उन्होंने कई ज्ञापन भेजे हैं। हम सब चाहते हैं कि इस संकट को दूर किया जाये। मैं और मेरा दल श्रेणीवार संघ बनाने के विरुद्ध हैं। आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस निश्चय ही इसके विरुद्ध है। यह सम्भव है कि लोको कर्मचारियों को आल इंडिया रेलवेमैन फ़ेडरेशन के खिलाफ़ कुछ शिकायतें हों। परन्तु उन शिकायतों को दूर करने के अन्य अनेक तरीके हैं और यदि रेलवे के कुछ कर्मचारी अपनी मांगों को ले कर आन्दोलन करना भी चाहते हैं और इसके लिये श्रेणीवार संघर्ष किया जाता है तो रेलवे बोर्ड या रेलवे प्राधिकारियों पर दबाव डालना कठिन होगा। परन्तु मैं इस संघर्ष की निन्दा इसलिये नहीं करता कि संघर्ष व्यापक नहीं है। मंत्री महोदय को इसे प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनाना चाहिये और मैं कर्मचारियों से भी अनुरोध करूंगा कि वे इस सभा को विभिन्न वर्गों के मज़दूर संघों के नेताओं के साथ मिलकर उनका समर्थन प्राप्त करें और उनके सदस्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करेंगे कि वह लोको कर्मचारियों की शिकायतें दूर करें।

मुझे इस बात का विश्वास है कि दोनों फ़ेडरेशनों के नेता भी परस्पर मिलकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह उनकी आर्थिक मांगों पर विचार करें। परन्तु मैं निःसंदेह श्रेणीवार संघ बनाने के विरुद्ध हूं।

Shri Chandrika Prasad (Ballia): It is provided in the Constitution that the workers can organise peaceful demonstrations for getting their demands fulfilled. It would be wrong to suggest that Congress policies are against the workers. On the other hand, our Government supports the labour movements. But the workers should not have resorted to strike in view of the present critical situation in the country. We have not been taken into confidence while take such a decision. Strike at such an inopportune time is anti-people. Railway authorities may be indifferent but our policies are pro-labour policies. We have always opposed victimisation. In case some machinery is set up to conduct negotiations, the workers will not resort to strike. In this case, the workers should withdraw their strike unconditionally and then negotiate a settlement. We are prepared to listen to their grievances and solve them.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह स्थिति अचानक ही पैदा हो गई है। मुझे इस बात का खेद है कि प्रशासन ने लोको कर्मचारियों की शिकायतों और समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

इस देश में विशेषकर कर्मचारियों और विद्यार्थियों के बीच यह भावना है कि सरकार शिकायतों को दूर करने हेतु लोगों के शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों को नहीं समझती है। यह सरकार ताकत, धमकी और हिंसा की ही भाषा समझती है। इन्हीं कारणों से यह स्थिति पैदा हुई है।

सरकार को इसे मर्यादा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये।

इसका कोई समाधान अवश्य निकाला जाना चाहिये।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): Corruption in the railway should be put to an end and Rupees three hundred crores which goes to the general revenue should be distributed among the workers. The workers have no right to resort to strike in the present critical stage through which the country is passing. They are getting handsome salary. Still they want more at the cost of poor peasants. The Government should not bow before the strike by the employees.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I want some solution for this problem. I do not want to complicate it. I appreciate the Hon. Minister for giving a patient hearing to all what we said. The striking leaders are fearing arrests. They should be assured that they will not be arrested and it is only then that situation can improve.

What is the reason for the success of strike by the all India Loco running staff association ? We should try to find out the reason. The loco running staff is not lagging behind in patriotism but you do not reward their services.

You should try to solve the problem in way discussed yesterday. We should keep this question above the party line. The Hon. Minister should take a decision on strike.

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena): We are discussing the reasons for the strike by the loco staff. It is clear that their genuine demands were not acceded to.

Various Unions of the Railway use to send communications to the various departments of the Railway Administration. This also is one of the reason for their getting excited. The Railway Administration should pay necessary attention towards the communications for the unions.

The Railway Minister should call the representatives of the all Unions and try to solve the problem. The present problem is the result of faulty policies of the Government.

No attention is paid towards the representations and memorandum from the Unions of the Railway. The employees should be taken into confidence in order to avoid repitition of such things in future.

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : लोको रनिंग स्टाफ की हड़ताल बिना नोटिस के इस महीने की 1, 2 तारीख को अचानक हुई है। हमें हड़ताल की तारीख की सूचना नहीं दी गयी।

हड़ताल का प्रभाव 49 में से 12 डिविजनों पर पड़ा है। इस हड़ताल से माल और यात्रियों का आवागमव तहसनहस हुआ है। लेकिन फिर भी हमने अनिवार्य वस्तुओं का परिवहन जारी रखा है।

दूर के फासले की यात्री गाड़ियों की सेवा 95 प्रतिशत सामान्य रही। जिन सहस्त्रों रेल कर्मचारियों ने इन पांच दिनों में अथक परिश्रम द्वारा रात दिन गाड़ी को चलाये रखा, मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि उनकी सेवाओं को मान्यता दी जायेगी। अनेक कर्मचारियों को, जो काम करना चाहते थे, तंग भी किया गया है।

सभा इस बात की सराहना करेगी कि कठिनाइयों के बावजूद भी भारतीय रेलवे ने यात्री तथा माल गाड़ियां चालू रखीं हैं।

मैं सदन के सभी दलों के माननीय सदस्यों से लोको स्टाफ द्वारा हड़ताल समाप्त करने की अपील के लिये समर्थन चाहूंगा। मैं यह भी कह देना चाहूंगा कि यदि इस गैर-कानूनी हड़ताल को 48 घंटों के भीतर-भीतर बंद किया जाये तो एसोसिएशन के गिरफ्तार हुये लोग बिना विलम्ब के रिहा कर दिये जायेंगे।

लोको स्टाफ द्वारा मई, 1973 में की गयी हड़ताल के दौरान मैंने जो तीन आश्वासन दिये थे, वे पूरी तरह से लागू किये जायेंगे। मई महीने के आश्वासनों को कार्यान्वित करने के लिये 24-5-1973 की स्थिति कायम रखी जायेगी। मई के आश्वासनों का अगर किसी प्रकार उल्लंघन हुआ है यह केवल लोको स्टाफ की ही ओर से हुआ है। मैं यही अपील करूंगा कि लोको स्टाफ को हड़ताल बंद करनी चाहिए।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगल वार, 7 अगस्त, 1973/16 श्रावण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday the 7th August 1973/Sravana 16, 1895 (Saka).

MGIPRRND—28LSS/73—Sec-II(N.S.)—17-12-73—490